इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2021—पौष 11, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-1(ए)59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि.-02, पु. मु., भोपाल को दिनांक 11 से 16 नवम्बर 2020 तक, छः दिवस एवं दिनांक 23 नवम्बर से 18 दिसम्बर 2020 तक, छब्बीस दिवस कुल 32 दिवस अर्जित अवकाश व 19-20 दिसम्बर 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अशोक गोयल, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री गौरव राजपूत, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि.-1, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि.-2, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक गोयल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-1(ए)175-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री चंचल शेखर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर को दिनांक 26 दिसम्बर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2020 व 03 जनवरी 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री चंचल शेखर, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चंचल शेखर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री चंचल शेखर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री चंचल शेखर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंचल शेखर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-1(ए)40-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल रेन्ज, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2020 तक, कुल दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर, 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर राजगढ़ (म. प्र.) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री सतीश कुमार सक्सेना	—	स्वयं
2. श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना	—	पत्नी
3. श्री मोहित सक्सेना	—	पुत्र
4. श्री शोभित सक्सेना	—	पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल रेन्ज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2020

फा. क्र. 34(1)-3642-इक्कीस-ब(एक)-2020.—राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक रिक्त पद पर श्री अभय कुमार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम-2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन दिनांक 5 दिसम्बर 2020 को उनकी संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना (9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

फा. क्र. 3643-2020-इक्कीस-ब(एक)-2020.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
01.	श्रीमती विधि सक्सेना, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
02.	श्री शिवकांत पाण्डेय, पंचम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर की हैसियत से श्री अमिताभ मिश्र के स्थान पर.
03.	श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिरण, रायसेन.	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्री अनिल कुमार सिंह के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 3-05-2020-बासठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 11-02-2019-एक-9, दिनांक 24 नवम्बर 2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष पद का कार्य-भार विभाग के माननीय भार-साधक मंत्री जी को तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 3-3-2015-इकतालीस-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा जारी मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019 जारी की गई है. दिशानिर्देश 2019 की संशोधित कंडिका क्रमांक 11(अ) (2) के अनुसार निर्धारित समयावधि में अनुज्ञप्ति आवेदन का निराकरण नहीं होने पर डीम्ड अनुज्ञप्ति पोर्टल से जारी करने संबंधी प्रावधान है.

(2) अतएव दिशानिर्देश की कंडिका क्रमांक 11 (अ) (2) के अन्तर्गत प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति के आवेदनों में डीम्ड अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु एतद्द्वारा पोर्टल http:towerapp.mp.gov.in को अधिकृत पोर्टल के रूप में अधिसूचित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश, राज्य सहकारी अधिकरण
विंध्याचल भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2020

''शीतकालीन अवकाश बावत् अधिसूचना''

क्र. सह. अधि.-स्था.-2020-1107.—मान् मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा वर्ष 2020 में दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2020 तक, शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है.

(2) अतः, उक्त अनुक्रम में एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम 24 के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण के अध्यक्ष को शीतकालीन अवकाश दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2020 तक में से ''सात'' दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.

(3) तद्नुसार इस अधिकरण के मान् अध्यक्ष दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2020 तक (छह दिवस) शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप अधिकरण में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा.

(4) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1175-भू-सर्वेक्षण-2020 ग्वालियर, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्वालियर	चीनौर	ग्राम चीनौर एवं ग्राम अमरोल पायलेट हेतु चयनित.	प. ह.-चीनौर राजस्व निरीक्षक वृत्त चीनौर एवं प. ह.-अमरोल राजस्व निरीक्षक वृत्त सिकरोदा.	ग्रामों का समस्त क्षेत्र

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

[म. प्र. भूमिगत पाइप लाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2012]

क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 4 बरगी, हिल्स, जबलपुर द्वारा रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना में जल परिवहन हेतु पाइपलाईन बिछाने हेतु "मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता अधिकारों के अर्जन) अधिनियम 2012 के अंतर्गत तहसील जबलपुर जिला जबलपुर के ग्राम बरबटी, खापाग्वारी, नर्रई, परासिया, सर्रई, सोहड़ पड़रिया, डुंगरिया में 1200 हे. सी. सी. ए. क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाईन बिछाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. तत्संबंध में मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता अधिकारों के अर्जन) अधिनियम, 2012 के नियम 2(क) के तहत् एतद्द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्रामीण जबलपुर को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है.

कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

–: अनुसूची :–

क्र. 13447/भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 07/अ–82/2020–21 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़** के ग्राम–**गूजरखेडी खुर्द** के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–गूजरखेडी खुर्द

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित **ग्राम–गूजरखेडी खुर्द** की भूमि की आवश्यकता।	**32.319**	**32.319**
	कुल योग :	**32.319**	**32.319**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	धीरप सिंह पिता घीसालाल, इन्दर सिंह पिता पर्थी, जुआरीलाल पिता पर्थी, गोपीलाल पिता पर्थी फतेह सिंह पिता पर्थी जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	2/1	0.164	0.164
		25	0.936	0.936
		कुल 2 किता	**1.100**	**1.100**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
2	गुलाब सिंह पिता जगन्नाथ जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	2/2	0.164	0.164
		48	1.467	1.467
		50/3	0.190	0.19
		50/4	0.506	0.506
		कुल 4 किता	**2.327**	**2.327**
3	मेहताब सिंह, भारत सिंह, नारान सिंह, पर्वत सिंह, गणपत सिंह पिता भवंरलाल, हि. 50 पैसे चंदन सिंह, बृजमोहन, कमलसिंह पिता मानसिंह हि. 50 पैसे जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील, ब्यावरा, रिाजगढ़	2/3	0.140	0.14
		3	0.025	0.025
		4	0.569	0.569
		कुल 3 किता	**0.734**	**0.734**
4	खुशीलाल पिता हरकिशन जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	5/1	0.078	0.078
		40/2/1	0.038	0.038
		50/2/1	0.312	0.312
		13/3	0.106	0.106
		14	0.013	0.013
		27/2	0.396	0.396
		37/2	0.106	0.106
		38/1	0.291	0.291
		40/4/1	0.253	0.253
		कुल 9 किता	**1.593**	**1.593**
5	भजन सिंह पिता रामरतन हि. 1/4 भारत सिंह पिता रामरतन,हि. 1/4 सौतानबाई बेवा रामरतन, हि. 1/4 रामबाई पुत्री रामरतन हि. 1/4 जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5/2	0.078	0.078
		13/2	0.119	0.119
		27/1	0.396	0.396
		37/1	0.105	0.105
		38/2	0.291	0.291
		40/2/2	0.038	0.038
		40/4/2	0.253	0.253
		41/2	0.105	0.105
		50/2/2	0.312	0.312
		कुल 9 किता	**1.697**	**1.697**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
6	जगदीश पिता अमर सिंह, वनेसिंह पिता अमरसिंह, गुलाब बाई पिता अमरसिंह, दरियाव बाई पिता अमर सिंह, ईसुमबाई पिता अमर सिंह,गुड्डीबाई पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील, ब्यावरा, रिजगढ़	5/3	0.078	0.078
		13/1	0.118	0.118
		27/3	0.397	0.397
		37/3	0.105	0.105
		38/3	0.291	0.291
		40/2/3	0.038	0.038
		40/4/3	0.253	0.253
		41/3	0.106	0.106
		50/2/3	0.312	0.312
		कुल 9 किता	**1.698**	**1.698**
7	दयाल सिंह पिता बालकिशन जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	5/4	0.234	0.234
		6/2	0.394	0.394
		6/4	0.087	0.087
		35/2	0.012	0.012
		36/3	0.092	0.092
		40/3/3	0.430	0.43
		40/3/6	0.140	0.14
		41/4	0.316	0.316
		45/1	0.433	0.433
		46	0.620	0.62
		47/4	0.450	0.45
		50/5/2	0.165	0.165
		कुल 12 किता	**3.373**	**3.373**
8	गणपत पिता बालकिशन जाति गूर्जर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया रिजगढ़	6/1	0.393	0.393
		6/5	0.087	0.087
		35/1	0.013	0.013
		36/2	0.180	0.18
		40/3/2	0.341	0.341
		40/3/4	0.140	0.14
		45/2	0.300	0.300
		47/1	1.020	1.02
		47/3	0.442	0.442
		50/5/3	0.140	0.140
		कुल 10 किता	**3.056**	**3.056**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
9	प्रभूलाल पिता बालकिशन जाति गूर्जर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया रिाजगढ़	6/3	0.394	0.394
		6/6	0.087	0.087
		34	0.089	0.089
		36/1	0.120	0.120
		40/3/1	0.327	0.327
		40/3/5	0.140	0.140
		45/3	0.165	0.165
		47/2	1.515	1.515
		50/5/1	0.151	0.151
		50/5/4	0.050	0.050
		कुल 10 किता	**3.038**	**3.038**
10	मनोहर सिंह पिता हरिसिंह हि. 1/2 मानसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/2 जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	7/2	0.100	0.100
11	प्रताब सिंह पिता देवजी जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	8	0.405	0.405
		9	0.152	0.152
		42	1.151	1.151
		44/2	0.142	0.142
		कुल 4 किता	**1.850**	**1.850**
12	रामचन्दर पिता मेहताबसिंह हि. 1/5 भेरूसिंह पिता मेहताब सिंह, हि. 1/5 सुगनबाई पिता मेहताब सिंह, हि. 1/5 मेहताबसिंह पिता मेहताबसिंह हि. 1/5 धुलीबाई बेवा मेहताबसिह हि. 1/5 जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़	10	0.164	0.164
		11/1	0.431	0.431
		12/2	0.105	0.105
		कुल 3 किता	**0.700**	**0.700**
13	मांगीलाल पिता रामसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा स्वामी	11/2	0.126	0.126
14	कंचन सिंह पिता गंगाराम हि.1/4 घनश्याम पिता गंगाराम, हि.1/4 धीरप पिता मांगीलाल, हि.1/4 जसवंतसिंह पिता मांगीलाल हि.1/4 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	12/1	0.768	0.768
		19/2	0.067	0.067
		43/2	0.190	0.19
		44/1	0.190	0.19
		कुल 4 किता	**1.215**	**1.215**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
15	पर्वत सिंह पिता भागीरथ जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	15	0.430	0.43
		16	0.215	0.215
		28/4	0.272	0.272
		कुल 3 किता	**0.917**	**0.917**
16	रामरतन पिता अमरा, हि.1/3 रामबक्ष पिता अमरा, हि.1/3 बलराम पिता अमरा हि.1/3 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	17	0.278	0.278
		18	0.379	0.379
		21	0.139	0.139
		23	0.607	0.607
		24	0.013	0.013
		कुल 5 किता	**1.416**	**1.416**
17	प्रेमसिंह पिता रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	19/1	0.068	0.068
		44/3/2	0.189	0.189
		50/6	0.253	0.253
		कुल 3 किता	**0.510**	**0.510**
18	भवरीबाई बेवा धनराज, धीसीबाई, कन्याबाई पुत्री धनराज, हि. 50 पैसे प्रेमसिंह आ. रामसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	**26/1**	**0.253**	**0.253**
19	जसवन्त सिंह पिता चेनसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	22/1	0.069	0.069
		29/2	0.383	0.383
		कुल 2 किता	**0.452**	**0.452**
20	दिनेश सिंह पिता चेनसिंह जाति गूज़र पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	22/2	0.070	0.07
		29/3	0.382	0.382
		कुल 2 किता	**0.452**	**0.452**
21	मांगीलाल पिता रामसिंह, हि. 1/2 बापुलाल पिता रामसिंह हि. 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	26/2	0.253	0.253
		43/1	0.234	0.234
		44/4	0.214	0.214
		50/7	0.253	0.253
		19/3	0.067	0.067
		कुल 5 किता	**1.021**	**1.021**
22	जसवंतसिंह पिता बालाबगस जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	28/1	0.306	0.306
23	जसरथसिंह पिता बालाबगस जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	28/2	0.305	0.305
24	धीरपसिंह पिता बालाबगस जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	28/3	0.306	0.306

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
25	बापू पिता भवरलाल, हि. 1/4 नारान सिंह पिता भवरलाल,हि. 1/4 भारत पिता भवरलाल, हि. 1/4 कमलाबाई पिता भवरलाल हि. 1/4 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	29/1	0.791	0.791
26	अंकित ना.बा. पिता हरिसिंह सरपरस्त माता ममताबाई बेवा हरिसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	30	0.063	0.063
		31	0.089	0.089
		32	0.253	0.253
		40/5	0.379	0.379
		कुल 4 किता	**0.784**	**0.784**
27	मांगीलाल पिता रामसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा स्वामी	**41/1**	0.105	0.105
28	महेन्द्रसिंह पिता दयाल सिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	43/3	0.506	0.506
29	दिनेश पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर पता ग्राम गुर्जरखेडी कला तहसील सुठालिया, राजगढ़	43/4	0.234	0.234
		44/3/1	0.024	0.024
		कुल 2 किता	**0.258**	**0.258**
30	शिवनारायण पिता खेमचन्द, हि.1/3 कल्याण पिता रूगनाथ, हि.1/3 कन्हैया पिता खेमचन्द हि.1/3 जाति लोदी पता नि. टोडी तहसील सुठालिया, राजगढ़	49	0.734	0.734
31	मनोहर पिता हरिप्रसाद, हि.1/2 मानसिंह पिता हरिप्रसाद हि.1/2 जाति गुर्जर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	7/1	0.596	0.596
		महायोग :	**32.319**	**32.319**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13449/भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 09/अ–82/2020–21 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़** के **ग्राम – मऊ** में शीष कार्य निर्माण के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निधारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया **जिला : राजगढ़**

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत शीष कार्य निर्माण में प्रभावित भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–मऊ

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के शीष कार्य निर्माण में प्रभावित ग्राम–मऊ की भूमि की आवश्यकता।	**25.667**	**15.566**
	कुल योग :	**25.667**	**15.566**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	अमृतलाल पिता रतनलाल जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1034/2	0.835	0.334
		कुल 1 किता	**0.835**	**0.334**
2	अमरसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1033/2	0.392	0.078
		कुल 1 किता	**0.392**	**0.078**
3	अर्जुन आ. कंचन, अर्जुन, प्रेम, भगवान आ. नाथू जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1048/1/2	1.568	0.784
		कुल 1 किता	**1.568**	**0.784**
4	अनिताबाई बेवा दिनेश जाति कायस्थ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1032/2	0.788	0.788
		कुल 1 किता	**0.788**	**0.788**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
5	क. श्री रूगनाथ जी महाराज, बड़ा मंदिर पूजा किशनदास आ. तुलसी दास बैरागी व्यावसाथापक श्रीमान जिलाध्यक्ष भूमि स्वामी माही राजगढ़	1084	2.946	2.946
		कुल 1 किता	**2.946**	**2.946**
6	बृजमोहन पिता रामचरण जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1051/2	0.759	0.759
		कुल 1 किता	**0.759**	**0.759**
7	गोरीशंकर पिता रामचरण जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1052/3	0.600	0.600
		कुल 1 किता	**0.600**	**0.600**
8	महिपालसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/4	0.790	0.198
		कुल 1 किता	**0.790**	**0.198**
9	मथरालाल पिता पन्नालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि 1/2 भाग स्वामी श्रीकिशन पिता पन्नालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि 1/2 भाग स्वामी	1048/2	2.023	0.202
		कुल 1 किता	**2.023**	**0.202**
10	महेन्द्र सिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/3	0.791	0.079
		कुल 1 किता	**0.791**	**0.079**
11	मोहनसिह पिता लालजी जाति राजपूत पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी सुमेरसिंह पिता लालजी जाति राजपूत पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	1048/1/3	1.569	1.098
		कुल 1 किता	**1.569**	**1.098**
12	बृजमोहन पिता रामचरण जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1052/2	1.400	1.400
		कुल 1 किता	**1.400**	**1.400**
13	बापू पिता मथरालाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1051/1	1.327	0.133
		कुल 1 किता	**1.327**	**0.133**
14	दिनेश पिता चैनसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1033/1	0.392	0.039
		1034/1/1	0.417	0.125
		कुल 2 किता	**0.809**	**0.164**
15	दिलीप सिंह पिता मदन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/2	0.791	0.079
		कुल 1 किता	**0.791**	**0.079**
16	विजय कुमार पिता लक्ष्मीनारायण जाति कायस्थ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1032/1	0.789	0.789
		कुल 1 किता	**0.789**	**0.789**
17	हरिप्रसाद पिता नाथुलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1048/1/1	1.012	0.455
		कुल 1 किता	**1.012**	**0.455**
18	भंवरलाल पिता मदनलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा	1031/1	0.439	0.439
		कुल 1 किता	**0.439**	**0.439**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
19	भम्भूसिंह पिता दयालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/1/2/2	0.506	0.127
		कुल 1 किता	**0.506**	**0.127**
20	भारत सिंह पिता मदनलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	1031/2	0.440	0.132
		कुल 1 किता	**0.440**	**0.132**
21	रघुवीर सिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1030	0.620	0.620
		कुल 1 किता	**0.620**	**0.620**
22	रमेश बाबू पिता रामचरण जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1052/1	0.137	0.137
		कुल 1 किता	**0.137**	**0.137**
23	राजपालसिंह पिता दयालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/1/2/1/2	0.253	0.253
		कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
24	रूगनाथसिंह पिता शिम्भूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1025/1/2/1/1	0.600	0.540
		कुल 1 किता	**0.600**	**0.540**
25	सुरेश पिता लक्ष्मीनारायण जाति कायस्थ पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1032/3	0.788	0.788
		कुल 1 किता	**0.788**	**0.788**
26	जसवंत सिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1034/1/2	0.418	0.125
		कुल 1 किता	**0.418**	**0.125**
27	जगदीश पिता मथरालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1048/3	1.518	1.063
		1051/3	0.759	0.455
		कुल 2 किता	**2.277**	**1.518**
	कुलयोग :–	30 किता	**25.667**	**15.566**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13451 /भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 13/अ–82/2020–21 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़** के **ग्राम–शेखनपुर** के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया **जिला : राजगढ़**

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–शेखनपुर

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित **ग्राम–शेखनपुर** की भूमि की आवश्यकता।	**40.395**	**40.395**
	कुल योग :	**40.395**	**40.395**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	मंगूसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	36	1.341	1.341
		22/2/3	1.166	1.166
		कुल 2 किता	**2.507**	**2.507**
2	दरियावसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	22/1	0.519	0.519
		कुल 1 किता	**0.519**	**0.519**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
3	विष्णुसिंह पिता हरीसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	22/2/1	1.166	1.166
		19/2	1.012	1.012
		कुल 2 किता	**2.178**	**2.178**
4	भूरियाबाई बेवा हरिसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	22/2/2	0.500	0.500
		कुल 1 किता	**0.500**	**0.500**
5	माधोसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	28/1/1	0.295	0.295
		10/5	0.060	0.060
		23/3	1.289	1.289
		कुल 3 किता	**1.644**	**1.644**
6	बापूसिंह पिता रागसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	28/1/2	0.295	0.295
		कुल 1 किता	**0.295**	**0.295**
7	नारायणसिंह आ. रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	28/1/3	0.295	0.295
		कुल 1 किता	**0.295**	**0.295**
8	कल्लू सिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ भूमि स्वामी	28/1/4	0.295	0.295
		13/4	0.188	0.188
		18/1	0.679	0.679
		14	0.101	0.101
		23/1	0.394	0.394
		कुल 5 किता	**1.657**	**1.657**
9	गजराज आ. रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	28/1/5	0.295	0.295
		17/2	0.279	0.279
		कुल 2 किता	**0.574**	**0.574**
10	रूपसिंह आ. रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	28/1/6	0.296	0.296
		13/3	0.558	0.558
		23/2	1.290	1.290
		कुल 3 किता	**2.144**	**2.144**
11	रिंकूसिंह पिता नारानसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/3/2	0.268	0.268
		कुल 1 किता	**0.268**	**0.268**
12	प्रेमसिंह पिता किशनलाल जाति अहीर हिस्सा 1/2 भाग भूमि स्वामी, जगदीश पिता किशनलाल जाति अहीर हिस्सा 1/2 भाग भूमि स्वामी नि. ग्राम भूमि स्वामी	10/1	0.253	0.253
		9/2	1.771	1.771

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
		कुल 2 किता	**2.024**	**2.024**
13	राजेन्द्र सिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	10/2/1	0.175	0.175
		13/1/1	0.071	0.071
		कुल 2 किता	**0.246**	**0.246**
14	ओमपालसिंह पिता बापूलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	10/2/2	0.335	0.335
		13/1/2	0.070	0.070
		कुल 2 किता	**0.405**	**0.405**
15	नारायणसिंह आ. रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	13/2	0.125	0.125
		कुल 1 किता	**0.125**	**0.125**
16	मानकुवर बाई बेवा रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	16	0.316	0.316
		17/1	0.255	0.255
		कुल 2 किता	**0.571**	**0.571**
17	तवरलाल पिता रतनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25	1.822	1.822
		कुल 1 किता	**1.822**	**1.822**
18	रघुराजसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम नांदियाखेडी झलवाडा राजस्थान भूमि स्वामी	26/1/1	0.759	0.759
		कुल 1 किता	**0.759**	**0.759**
19	प्रभुनाथसिंह पिता बैजनाथसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	26/1/2/1	1.000	1.000
		कुल 1 किता	**1.000**	**1.000**
20	सोनकुँवर पति बैजनाथसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	26/1/2/2	0.161	0.161
		24/2/3/2	0.046	0.046
		कुल 2 किता	**0.207**	**0.207**
21	कलाबाई पति हिन्दुसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	26/1/3/1	0.657	0.657
		26/2/2/2	1.012	1.012
		कुल 2 किता	**1.669**	**1.669**
22	जसरथसिंह हि. 46 पैसे रामनाथसिंह हि. 02 प्रेमसिंह हि. 52 पैसे पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	26/1/3/2	0.148	0.148
		कुल 1 किता	**0.148**	**0.148**
23	रमेशपुरी पिता काशीपुरी जाति गुसई पता नि. ग्राम कानरखेडी भूमि स्वामी	26/2/1	0.759	0.759
		कुल 1 किता	**0.759**	**0.759**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
24	केलाशपुरी पिता काशीपुरी जाति गुसई पता नि. ग्राम कानरखेडी भूमि स्वामी	26/2/2/1	0.955	0.955
		कुल 1 किता	**0.955**	**0.955**
25	चन्द्रपालसिंह पिता विष्णुसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/1/1/1	0.259	0.259
		कुल 1 किता	**0.259**	**0.259**
26	राजेन्द्र सिंह पिता विष्णुसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/1/1/2	0.259	0.259
		कुल 1 किता	**0.259**	**0.259**
27	गीताबाई पति गुलाबसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वागी	37/1/2	0.509	0.509
		37/2	1.075	1.075
		30/2	2.871	2.871
		कुल 3 किता	**4.455**	**4.455**
28	शंकरसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/3/1	0.500	0.500
		37/4/1	0.038	0.038
		29/2	0.718	0.718
		कुल 3 किता	**1.256**	**1.256**
29	नरभेसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/3/3	0.269	0.269
		24/3/3	0.523	0.523
		कुल 2 किता	**0.792**	**0.792**
30	दरियावसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/4/2	0.253	0.253
		कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
31	रतनसिंह पिता गुलाबसिंह हिस्सा 1/3, विजयपालसिंह पिता गुलाबसिंह हिस्सा 1/3, अरविन्दसिंह पिता गुलाबसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/5	0.658	0.658
		कुल 1 किता	**0.658**	**0.658**
32	सरदारबाई पत्नि भंवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	30/1/1	0.717	0.717
		29/3	0.718	0.718
		कुल 2 किता	**1.435**	**1.435**
33	लाखनसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़ भूमि स्वामी	30/1/2	0.510	0.510
		29/1	0.208	0.208
		कुल 2 किता	**0.718**	**0.718**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
34	नारानसिंह पिता शंकरसिंह हि. 1/2 तेज कुवर बाई पिता शंकरसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9/1	0.455	0.455
		कुल 1 किता	**0.455**	**0.455**
35	गब्बरसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	19/1/1	0.632	0.632
		कुल 1 किता	**0.632**	**0.632**
36	धर्मेन्द्रसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	19/1/2	0.632	0.632
		कुल 1 किता	**0.632**	**0.632**
37	जालमसिंह पिता जगन्नाथ जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	24/1/1/1	0.785	0.785
		कुल 1 किता	**0.785**	**0.785**
38	बैजनाथ सिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	24/1/1/2	0.784	0.784
		कुल 1 किता	**0.784**	**0.784**
39	चैनसिंह आ. मदनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	24/1/2	0.253	0.253
		24/3/1	0.222	0.222
		24/3/2	0.221	0.221
		कुल 3 किता	**0.696**	**0.696**
40	महेन्द्रसिंह पिता बैजनाथ सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	24/2/1	0.523	0.523
		24/2/3/1	0.477	0.477
		कुल 2 किता	**1.000**	**1.000**
41	प्रेमसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	24/2/2	0.523	0.523
		कुल 1 किता	**0.523**	**0.523**
42	राजेन्द्रसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/3/1	0.300	0.300
		18/2/1	0.206	0.206
		कुल 2 किता	**0.506**	**0.506**
43	ओमपालसिंह पिता बापूलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/3/2	0.050	0.050
		18/2/2	0.456	0.456
		कुल 2 किता	**0.506**	**0.506**
44	कल्लूसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/4	0.065	0.065
		कुल 1 किता	**0.065**	**0.065**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
45	नारायणसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	19/1/3	0.126	0.126
		कुल 1 किता	**0.126**	**0.126**
46	मंगूसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	21/1	0.152	0.152
		कुल 1 किता	**0.152**	**0.152**
47	विष्णुसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	21/2	0.152	0.152
		कुल 1 किता	**0.152**	**0.152**
48	दरियावसिंह पिता मोडसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	34/2	0.025	0.025
		कुल 1 किता	**0.025**	**0.025**
		कुल योग	**40.395**	**40.395**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13453 /भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 11/अ–82/2020–21 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़** के **ग्राम–बेरियाखेडी** के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया **जिला : राजगढ़**

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, बेरियाखेडी

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित **ग्राम–बेरियाखेडी** की भूमि की आवश्यकता।	**2.977**	**2.977**
	कुल योग :	**2.977**	**2.977**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	करनसिंह, दौलतसिंह पिता पूनमचंद जाति लोदा पता नि. ग्राम महाराजखेड़ा तहसील सुठालिया, राजगढ़ 1/2 भाग भूमि स्वामी	476	0.329	0.329
		477	0.228	0.228
		कुल 2 किता	**0.557**	**0.557**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
2(अ)	श्रीकिशन दत्तक पुत्र परसिया आ. धनरूप जाति बलाई पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ भूमि स्वामी	470/1/1	0.126	0.126
		कुल 1 किता	**0.126**	**0.126**
2(ब)	श्रीकिशन पिता धनरूप जाति बलाई पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ भूमि स्वामी	470/2/2	0.545	0.545
		कुल 1 किता	**0.545**	**0.545**
3	रामगोपाल पिता झन्डूलाल जाति मीना पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ भूमि स्वामी	460/1	0.131	0.131
		कुल 1 किता	**0.131**	**0.131**
4	चन्द्रकलाबाई बेवा रामसिंह जाति बलाई, पवन नावालिंग पिता रामसिंह, संरक्षक माता चन्द्रकलाबाई पत्नि रामसिंह पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ 1/2 भाग भूमि स्वामी	470/1/2	0.127	0.127
		470/2/1/1	0.593	0.593
		कुल 2 किता	**0.720**	**0.720**
5	गुड्डूसिंह पिता कन्हैयालाल जाति मीना पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ भूमि स्वामी	473	0.898	0.898
		कुल 1 किता	**0.898**	**0.898**
	महायोग : –	**कुल 8 किता**	**2.977**	**2.977**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13455 /भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 12/अ–82/2020–21 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़** के **ग्राम–जाटियाखेडी** के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया **जिला : राजगढ़**

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–जाटियाखेडी

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित **ग्राम–जाटियाखेडी** की भूमि की आवश्यकता।	**1.963**	**1.963**
	कुल योग :	**1.963**	**1.963**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	मांगीलाल पिता कालू जाति गुर्जर पता नि. ग्राम सुठालिया, राजगढ़ भूमि स्वामी	45/1	0.229	0.229
		कुल 1 किता	**0.229**	**0.229**
2	फतेसिंह पिता गिरधारी जाति गुर्जर पता नि. ग्राम सुठालिया, राजगढ़ भूमि स्वामी	44/6	0.126	0.126
		45/2	0.029	0.029
		45/5	0.532	0.532
		कुल 3 किता	**0.687**	**0.687**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
3	तुलाराम गिरधारी पिता गिरधारी जाति गुर्जर पता नि. ग्राम सुठालिया, राजगढ़ भूमि स्वामी	44/3	0.110	0.110
		45/3	0.360	0.360
		45/6	0.217	0.217
		कुल 3 किता	**0.687**	**0.687**
4	जालम पिता बक्शू जाति गुर्जर पता नि. ग्राम सुठालिया, राजगढ़ भूमि स्वामी	44/4	0.360	0.360
		कुल 1 किता	**0.360**	**0.360**
	महायोगः–	**कुल 8 किता**	**1.963**	**1.963**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13457/भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 08/अ–82/2020–21 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़** के **ग्राम – मऊ** के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया **जिला : राजगढ़**

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–मऊ

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम–मऊ की भूमि की आवश्यकता।	**114.008**	**114.008**
	कुल योग :	**114.008**	**114.008**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	क. श्री रूगनाथ जी महाराज, बड़ा मंदिर पूजा किशनदास आ. तुलसी दास बैरागी ब्यावसाथापक श्रीमान जिलाध्यक्ष भूमि स्वामी माही राजगढ़	1156	1.189	1.189
		कुल 1 किता	**1.189**	**1.189**
2	कृष्णा बाई पति रामचरण जाति काछी पता मऊ ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	973/1	0.079	0.079
		973/2	0.079	0.079
		973/4	0.079	0.079
		कुल 3 किता	**0.237**	**0.237**
3	कमल सिंह पिता मदनलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम	1053	1.126	1.126

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
	भूमि स्वामी	1088/1	0.519	0.519
		1089	0.025	0.025
		कुल 3 किता	**1.670**	**1.670**
3(A)	कमलेशबाई पति राजेन्द्रसिंह जाति गुर्जर पता निवासी गुजर्रखेड़ी	1088/2	1.012	1.012
		कुल 1 किता	**1.012**	**1.012**
4	करनसिंह पिता शंकर जाति लोदी पता निवासी ग्राम बेराड भूमि स्वामी	1085/2	0.019	0.019
		कुल 1 किता	**0.019**	**0.019**
5	कस्तुरी बाई बेवा मानसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1165	0.430	0.430
		1166/1	1.506	1.506
		1166/5	0.446	0.446
		कुल 3 किता	**2.382**	**2.382**
6	कुंदन सिंह पिता गोपी जाति काछी पता मऊ ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	1166/3/2	0.332	0.332
		कुल 1 किता	**0.332**	**0.332**
7	कुन्दनलाल पिता रामचन्द्र जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1054/1	0.594	0.594
		कुल 1 किता	**0.594**	**0.594**
8	कैलाश पिता पन्नालाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1072	1.088	1.088
		कुल 1 किता	**1.088**	**1.088**
9	कैलाश पिता गोपीलाल जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1118/1/2	0.672	0.672
		कुल 1 किता	**0.672**	**0.672**
10	कन्हैयालाल पिता रतनलाल जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1099/2	0.449	0.449
		1081	0.810	0.810
		कुल 2 किता	**1.259**	**1.259**
11	खूबचंद पति रामचन्द्र जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1054/3	0.891	0.891
		कुल 1 किता	**0.891**	**0.891**
12	धीरप सिंह पिता बालाबगस जाति गुर्जर पता नि. ग्राम गूजरखेड़ी राजगढ़ म.प्र.	1122	0.089	0.089
		1123/1/1	2.466	2.466
		1127/1	0.729	0.729
		1127/2/1	0.486	0.486
		कुल 4 किता	**3.770**	**3.770**
13	धनराज पिता प्रेमनारायण जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1077/3	1.003	1.003
		कुल 1 किता	**1.003**	**1.003**
14	धन्नालाल पिता बंशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1094/2	0.502	0.502

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
		कुल 1 किता	**0.502**	**0.502**
15	यसवंत सिंह, उमराव सिंह, लक्ष्मण सिंह, संतोष कुंवर, चतरकंवर, गुड्डी बाई, कृष्णाबाई पिता जगन्नाथ जाति राजपूत पता नि.ग्राम सुठालिया	1073/2	1.056	1.056
		कुल 1 किता	**1.056**	**1.056**
16	घीसालाल पिता मिश्रीलाल जाति महाजन पता मऊ ब्यावरा, राजगढ़	1128	2.276	2.276
		कुल 1 किता	**2.276**	**2.276**
17	बृजमोहन पिता रमेश जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1167/1	0.260	0.260
		कुल 1 किता	**0.260**	**0.260**
18	प्रभूलाल पिता बालाबगस जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1123/1/2	1.012	1.012
		1123/3	1.012	1.012
		1125/2	0.441	0.441
		कुल 3 किता	**2.465**	**2.465**
19	बशी पिता भंवरिया जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1127/2	0.729	0.729
		कुल 1 किता	**0.729**	**0.729**
20	बापू सिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1147/2	0.325	0.325
		1147/5	0.126	0.126
		1152/1	0.385	0.385
		1152/4	0.100	0.100
		कुल 4 किता	**0.936**	**0.936**
21	बापूलाल पिता गोपीलाल जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1176/2	0.158	0.158
		कुल 1 किता	**0.158**	**0.158**
22	बालकिशन पिता अमरा जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1120/1/1	1.628	1.628
		1120/1/3	0.459	0.459
		कुल 2 किता	**2.087**	**2.087**
23	बालावगस पिता अमरसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम गूजरखेडी भूमि स्वामी	1126/1/1	0.057	0.057
		कुल 1 किता	**0.057**	**0.057**
23(A)	देवसिंह नारायणसिंह पिता नंदराम जाति गूजर पता निवासी ग्राम गूजरखेडी भूमि स्वामी	1126/1/2	1.012	1.012
		1126/1/4	0.379	0.379
		कुल 2 किता	**1.391**	**1.391**
23(B)	शिवराज पिता लक्ष्मीनारायण जाति गूजर पता निवासी ग्राम गूजरखेडी भूमि स्वामी	1126/1/3	0.253	0.253
		कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
23 (C)	रामरतन पिता गंगाधर जाति गूजर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी	1126/1/5	0.379	0.379
		कुल 1 किता	**0.379**	**0.379**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
24	प्रेमबाई पति गंगाधर जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1100/2	1.046	1.046
		कुल 1 किता	**1.046**	**1.046**
25	प्रेमसिंह पिता बंशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	974/2/2	0.050	0.050
		कुल 1 किता	**0.050**	**0.050**
26	प्रेमनारायण पिता मूल्या जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1167/2	0.259	0.259
		कुल 1 किता	**0.259**	**0.259**
27	प्रेमनारायण पिता किशनलाल जाति लोधी पता मऊ व्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	1054/2/2	0.693	0.693
		कुल 1 किता	**0.693**	**0.693**
28	महेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1157/3	0.184	0.184
		कुल 1 किता	**0.184**	**0.184**
29	मांगी बाई बसन्ती बाई पिता चुन्नीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1166/2	0.464	0.464
		कुल 1 किता	**0.464**	**0.464**
30	मांगी बाई वेवा खुशीलाल, विष्णु बाई, कमला बाई, लीलाबाई, मधुबाई पिता खुशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम व्यावरा, राजगढ़	1086	0.759	0.759
		1120/1/2	1.506	1.506
		1120/1/4	0.580	0.580
		कुल 3 किता	**2.845**	**2.845**
31	मांगीलाल पिता काशीराम जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1130/3	1.226	1.226
		1133/3	0.253	0.253
		कुल 2 किता	**1.479**	**1.479**
32	मांगीलाल पिता काशीराम, हि. 1/2 जगदीश पिता पर्वतसिंह हि. 1/2 जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1123/2	1.770	1.770
		कुल 1 किता	**1.770**	**1.770**
33	मांगीलाल पिता नोरंगीलाल उर्फ मानसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1083/1	0.831	0.831
		1094/1	0.080	0.080
		1095/1	0.300	0.300
		1095/2	0.070	0.070
		कुल 4 किता	**1.281**	**1.281**
34	मांगीलाल पिता गंगाधर जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1125/3	0.441	0.441
		1124/3	0.441	0.441
		कुल 2 किता	**0.882**	**0.882**
35	मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1091/1	0.128	0.128
		1092/1/3	0.125	0.125
		1118/1/1	0.672	0.672
		कुल 3 किता	**0.925**	**0.925**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
36	ना.बा. मोहन पिता सुमेर सिंह सरपरस्त माता हरकंवर बाई वेवा सुमेर सिंह, हरकवरबाई वेवा सुमेर सिंह जाति गुर्जर पता निवासी गुजरखेड़ी राजगढ़ (म.प्र.)	1130/4	0.502	0.502
		1134/2	0.759	0.759
		कुल 2 किता	**1.261**	**1.261**
37	शोभाबाई बेवा मोहनसिंह ऋषिराजसिंह ना.बा पुत्र मोहनसिंह देविकाकुंवर ना.बा. पुत्री मोहनसिंह सरपरस्त माता शोभाबाई बेवा मोहनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा भूमि स्वामी	1151	0.177	0.177
		1153/2	0.569	0.569
		कुल 2 किता	**0.746**	**0.746**
38	मोहनसिंह पिता नारान सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1155/2	0.253	0.253
		1157/5	0.183	0.183
		कुल 2 किता	**0.436**	**0.436**
39	मदन, लक्ष्मी नारायण, गोकल आ. मानसिंह, गोपाल, महेश, घनश्याम आ. छीतर, मेहताव, उमराव, प्रेम आ. बंशीलाल, मांगी बाई, बसन्ती बाई आ. चुन्नीलाल, भबरीबाई बेवा, चुन्नीलाल, कुंदन सिंह, हीरालाल पिता गोपीलाल, सरजू बाई वेवा गोपीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1172	0.734	0.734
		कुल 1 किता	**0.734**	**0.734**
40	मेहताब सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	974/2/1	0.052	0.052
		976	0.076	0.076
		1166/4	0.348	0.348
		कुल 3 किता	**0.476**	**0.476**
41	मलखान सिंह पिता किशन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम गुजरखेड़ी ब्यावरा, राजगढ	1115/2/2	0.380	0.380
		कुल 1 किता	**0.380**	**0.380**
42	शिवनारायण पिता बिहारीलाल जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1057	0.202	0.202
		1079/2	0.955	0.955
		1080/2	0.063	0.063
		1096/2	0.671	0.671
		1170/2	0.240	0.240
		कुल 5 किता	**2.131**	**2.131**
43	दिनेश पिता नाथूलाल जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1082	0.126	0.126
		कुल 1 किता	**0.126**	**0.126**
44	विष्णु पिता दयाराम जाति गुर्जर पता निवासी गुर्जरखेड़ी, ब्यावरा, राजगढ़	1114/1	0.506	0.506
		1114/2/2	0.253	0.253
		कुल 2 किता	**0.759**	**0.759**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
45	विनिता, मंजू, उषा, संध्या, सपना पिता रमेश, सुशीला बाई बेवा रमेश जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1137/1	1.417	1.417
		1143	0.190	0.190
		1146	1.265	1.265
		कुल 3 किता	**2.872**	**2.872**
46	विनीत मंजु, ऊषा, बबली, सपना पिता रमेशचन्द्र सर. माता सुशीला बाई बेवा रमेशचन्द्र जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1137/2	0.554	0.554
		1142	1.480	1.480
		कुल 2 किता	**2.034**	**2.034**
47	हरिनारायण पिता कन्हैयालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम ब्यावरा राजगढ़	1116	0.645	0.645
		कुल 1 किता	**0.645**	**0.645**
48	हीरालाल पिता गोपी जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1076/1	0.766	0.766
		1166/3/1	0.332	0.332
		कुल 2 किता	**1.098**	**1.098**
49	हरसद पिता खुशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1121/3	0.531	0.531
		1125/1/2	0.512	0.512
		कुल 2 किता	**1.043**	**1.043**
50	हरलाल, काशीराम, किशन, पुनम पिता अमीचनद, फूलसिंह पिता राम प्रसाद जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1075	0.496	0.496
		कुल 1 किता	**0.496**	**0.496**
51	शीलाबाई पति धीरपसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम गुर्जरखेड़ी भूमि स्वामी	1121/1	0.266	0.266
		कुल 1 किता	**0.266**	**0.266**
51(A)	भंवरलाल पिता मदनलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा	1125/1/1	0.256	0.256
		कुल 1 किता	**0.256**	**0.256**
52	भंवरलाल पिता राम प्रसाद जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1077/1/1	0.335	0.335
		कुल 1 किता	**0.335**	**0.335**
53	भंवरलाल पिता रतनलाल जाति माली पता मऊ ब्यावरा राजगढ़ (म.प्र.)	1099/1	0.449	0.449
		कुल 1 किता	**0.449**	**0.449**
54	भंवरलाल, कन्हैयालाल पिता रतनलाल जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1185/3	0.348	0.348
		कुल 1 किता	**0.348**	**0.348**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
55	भंवरलाल, पन्नालाल, बद्री शांति पिता नंदराम गुलाब बाई बेवा नंदराम, नंदराम पिता कनीराम जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1176/1	0.158	0.158
		1182/1	0.310	0.310
		कुल 2 किता	**0.468**	**0.468**
56	भारत सिंह पिता मदनलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	1121/2	0.266	0.266
		कुल 1 किता	**0.266**	**0.266**
57	भारत सिंह पिता मदनलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	1125/1/3	0.256	0.256
		कुल 1 किता	**0.256**	**0.256**
58	भारत सिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1147/1	0.126	0.126
		1147/6	0.325	0.325
		1152/3	0.385	0.385
		कुल 3 किता	**0.836**	**0.836**
59	भागीरथ पिता गोरधन जाति काछी	973/3	0.079	0.079
		कुल 1 किता	**0.079**	**0.079**
60	भवरिया पिता अमीरचंद जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1148/1	0.781	0.781
		कुल 1 किता	**0.781**	**0.781**
61	भवरी बाई वेवा बंशीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1136/1	2.592	2.592
		कुल 1 किता	**2.592**	**2.592**
62	भवरलाल पिता नाथु जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1160/1	0.292	0.292
		कुल 1 किता	**0.292**	**0.292**
63	भेरूसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1147/3	0.452	0.452
		1152/2	0.385	0.385
		कुल 2 किता	**0.837**	**0.837**
64	भेरूसिंह, भारत सिंह, बापूसिंह पिता भंवरलाल, राजूबाई, मान कुवर बाई, कृष्णाबाई पिता भवरलाल जाति राजपूत पता नि. ग्राम	1147/4	0.253	0.253
		कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
65	भगवंत सिंह पिता चैनसिंह हि. 1/4, हरनाथ सिंह पिता चैनसिंह हि. 1/4, गजराज सिंह पिता चैनसिंह हि. 1/4, प्रेमकंवर पिता चैनसिंह हि. 1/4 जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1078	2.074	2.074
		1149/1	0.335	0.335
		1150	0.468	0.468
		कुल 3 किता	**2.877**	**2.877**
66	प्यार सिंह आ. देवी सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1152/5	0.100	0.100
		1152/6	0.100	0.100
		कुल 2 किता	**0.200**	**0.200**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
67	पवन कुमार पिता प्रेमनारायण जाति धोबी पता नि. ग्राम व्यावरा, राजगढ़	1167/3/1	0.506	0.506
		कुल 1 किता	**0.506**	**0.506**
68	पर्वतसिंह पिता रामप्रसाद जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1077/1/3	0.334	0.334
		कुल 1 किता	**0.334**	**0.334**
69	पूनम पिता पन्नालाल हि.1/2 रामदयाल पिता पन्नालाल हि. 1/2 जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1005/5	2.000	2.000
		कुल 1 किता	**2.000**	**2.000**
70	रणजीत सिंह पिता राम प्रसाद जातिलोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1077/1/2	0.335	0.335
		कुल 1 किता	**0.335**	**0.335**
71	रमेश पिता किशनलाल जाति साहू पता मऊ, ब्यावरा, राजगढ़	1185/2	0.348	0.348
		कुल 1 किता	**0.348**	**0.348**
72	राम सिंह पिता मानसिंह उर्फ नौरंगीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1083/2	0.831	0.831
		1094/3	0.050	0.050
		1097/1	0.457	0.457
		कुल 3 किता	**1.338**	**1.338**
73	राम सिंह पिता लक्ष्मीनारायण हि.1/5, केशर सिंह **पिता लक्ष्मीनारायण हि.1/5** राजबाई पिता लक्ष्मीनारायण हि. 1/5 अमान बाई पिता लक्ष्मीनारायण हि.1/5 कंवरी बाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1077/2	1.003	1.003
		कुल 1 किता	**1.003**	**1.003**
74	रामबाबू पिता श्रीवल्लभ जाति महाजान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1085/1	0.019	0.019
		कुल 1 किता	**0.019**	**0.019**
75	रामचरण पिता मदनलाल जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1118/1/4	0.673	0.673
		कुल 1 किता	**0.673**	**0.673**
76	रोडजी पिता मदनलाल जाति माली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1091/4	0.035	0.035
		1092/1/2	0.218	0.218
		1118/1/3	0.672	0.672
		कुल 3 किता	**0.925**	**0.925**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
77	रोडजीजगदीश, राधेश्याम लीलाबाई, मदनलाल, प्रभूलाल पिता मोहनलाल जयराम अमरसिंह पिता भागचन्द धुरीलाल गुलाबबाई कमलाबाई पिता मोतीलाल जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1148/2	2.345	2.345
		कुल 1 किता	**2.345**	**2.345**
78	राज कुवंर पिता गोपालसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	1157/1	0.184	0.184
		कुल 1 किता	**0.184**	**0.184**
79	रतनलाल पिता अमरा जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1115/2/1	0.759	0.759
		1144	1.265	1.265
		कुल 2 किता	**2.024**	**2.024**
80	शेरसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1055	0.835	0.835
		1056/2	0.600	0.600
		कुल 2 किता	**1.435**	**1.435**
81	शैतान बाई बेवा दरियाव सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1149/2	0.335	0.335
		कुल 1 किता	**0.335**	**0.335**
82	समन्दर सिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1157/4	0.184	0.184
		कुल 1 किता	**0.184**	**0.184**
83	सौरभकंवर बेवा केशरसिंह, सुरेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, रामसिंह, हेमराज सिंह, सीताकंवर, संगीता कंवर पिता केशर सिंह बलराम सिंह, ना.बा. निकिता कंवर ना.बा. चंचलकंवर ना.बा. पिता केशर सिंह, सरपरस्त माता सौरभकंवर बेवा केशर सिंह, सोभाग सिंह, गोविन्द सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता बापूसिंह, धनकुवंरबाई पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	1056/1	1.436	1.436
		1155/1	0.253	0.253
		1157/2	0.183	0.183
		कुल 3 किता	**1.872**	**1.872**
84	सुभाष पिता श्रीवल्लभ जाति ब्रहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1169	0.038	0.038
		1170/1	0.240	0.240
		कुल 2 किता	**0.278**	**0.278**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
85	सुरेश पिता बद्रीलाल जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1115/1	0.996	0.996
		1115/2/3	0.227	0.227
		कुल 2 किता	**1.223**	**1.223**
86	सुरेश, शेखर, चेतन, महेश, पुष्पा, हेमलता, ममता पिता बद्रीलाल जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1130/2	1.070	1.070
		1131/2	0.856	0.856
		1133/1	1.253	1.253
		कुल 1 किता	**3.179**	**3.179**
87	सतीश कुमार पिता मुरारीलाल हि.1/2, देवेश पिता मुरारीलाल हि.1/2 जाति बाहम्ण पता निवासी ब्यावरा	1076/2	0.765	0.765
		1100/1	1.046	1.046
		1100/3	1.045	1.045
		कुल 3 किता	**2.856**	**2.856**
88	उधम सिंह पिता विक्रम सिंह हि 1/3 नोपाल सिंह पिता विक्रम सिंह हि 1/3 मानकुवर बाई बेवा विक्रम सिंह हि 1/3 जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1117/1	3.642	3.642
		कुल 1 किता	**3.642**	**3.642**
89	दयाल सिंह पिता देवीसिंह हि. 1/6, बहादुर सिंह पिता देवीसिंह हि. 1/6, प्यारजी पिता देवीसिंह हि. 1/6 चन्द्रहार सिंह पिता देवीसिंह हि. 1/6, बनेसिंह पिता देवीसिंह हि. 1/6 मु. रसाल बाई बेवा देवीसिंहहि. 1/6, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1180/2	0.135	0.135
		1181/2	0.031	0.031
		कुल 2 किता	**0.166**	**0.166**
90	दीवान सिंह, शिवराज सिंह, गीताबाई पिता बल्देव सिंह, रेशमबाई बेवा बल्देव सिंह चन्द्रर सिंह पिता छीतर सिंह, भंवर सिंह, रामनाथ सिंह, रघुवीर सिंह पिता राधेश्याम, सुशीलाकॅवर बेवा राधेश्याम जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1180/1	0.135	0.135
		1181/1	0.029	0.029
		कुल 2 किता	**0.164**	**0.164**
91	चैनसिंह पिता नारायण सिंह हि 1/2, वीरेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह हि 1/2 जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1182	0.519	0.519
		1183	0.379	0.379
		1184	0.126	0.126
		1185/1	0.354	0.354
		1195	0.316	0.316
		कुल 1 किता	**1.694**	**1.694**
92	चन्द्रशेखर, सुभाष पिता श्रीबल्लभ कृष्णाबाई बेवा श्रीवल्लभ जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1079/1	0.955	0.955
		1080/1	0.063	0.063
		1087	0.038	0.038
		1096/1	0.671	0.671
		कुल 4 किता	**1.727**	**1.727**

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
93.	फूलकुंवर पत्नि स्व. जगदीश सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	974/1	0.253	0.253
		975	0.253	0.253
		1139	0.126	0.126
		कुल 3 किता	**0.632**	**0.632**
94	तुलसी बाई पिता मानसिंह उर्फ नोंरगीलाल जाति काछी पता नि. ग्राम	1097/2	0.201	0.201
		कुल 1 किता	**0.201**	**0.201**
95	तेजसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1167/3/2	0.012	0.012
		कुल 1 किता	**0.012**	**0.012**
96	तेजसिंह पिता सरदार सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1157/6/1	0.053	0.053
		कुल 1 किता	**0.053**	**0.053**
97	जसवंत सिंह पिता बालाबगस जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1125/4	1.322	1.322
		1127/2/2	0.243	0.243
		1127/3	0.729	0.729
		1132	0.114	0.114
		कुल 4 किता	**2.408**	**2.408**
98	जगदीशसिंह पिता रामसिंह हि.1/2 अर्जुनसिंह पिता रामसिंह हि.1/2 जाति गुर्जर पता निवासी गुर्जरखेड़ी ब्यावरा	1114/2/1	0.759	0.759
		कुल 1 किता	**0.759**	**0.759**
99	नहारसिंह पिता सरदार सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1157/6/2	0.065	0.065
		कुल 1 किता	**0.065**	**0.065**
100	नाथुलाल, हीरालाल मदनलाल पिता पन्नालाल मु. केसरबाई वेवा पन्नालाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1098/2	0.253	0.253
		1098/3	0.379	0.379
		कुल 2 किता	**0.632**	**0.632**
101	नाथूसिंह, बख्तावर सिंह, तेजसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत पता मऊ ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	1180/3	0.135	0.135
		1181/3	0.029	0.029
		कुल 2 किता	**0.164**	**0.164**
102	नाहर सिंह, तेजसिंह, विक्रम सिंह, गजराज सिंह, सुरेन्द्र सिंह, कमलेशबाई पिता सरदार सिंह, सरदार बाई वेवा सरदार सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1157/6/3	0.065	0.065
		कुल 1 किता	**0.065**	**0.065**
103	अमृतलाल पिता गोपीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1136/2/2	0.860	0.860
		कुल 1 किता	**0.860**	**0.860**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
104	गंगाधर पिता प्रभूलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1109	3.035	3.035
		कुल 1 किता	**3.035**	**3.035**
105	गोपीलाल पिता गणेश, दिनेश, मुकेश, दिलीप पिता गोपाल सजनबाई वेवा गोपाल सुरेश पिता मिश्रीलाल मु. धापु वेवा मिश्रीलाल जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1130/1	0.568	0.568
		1131/1	0.042	0.042
		1133/2	1.253	1.253
		कुल 3 किता	**1.863**	**1.863**
106	गोपीलाल आ. राधेलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1134/1	0.240	0.240
		कुल 1 किता	**0.240**	**0.240**
107	गोपाल पिता किशनलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा	1054/2/1	0.199	0.199
		कुल 1 किता	**0.199**	**0.199**
108	गजराज सिंह पिता गोविन्द सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1135/1	0.860	0.860
		1135/2	0.709	0.709
		1136/2/1	0.152	0.152
		कुल 3 किता	**1.721**	**1.721**
109	लक्ष्मी बाई पिता देवी सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1073/1	1.056	1.056
		कुल 1 किता	**1.056**	**1.056**
110	लक्ष्मीनारायण, गंगाधर, राम सिंह नंदराम, सोदान सिंह ना. बा. पिता आशाराम सर. पिता आशराम जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1126/2	2.081	2.081
		कुल 1 किता	**2.081**	**2.081**
	कुलयोग :–	**197 किता**	**114.008**	**114.008**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13459/भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 10/अ–82/2020–21 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़** के **ग्राम –लसुडलिया मीना** के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया **जिला : राजगढ़**

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–लसुडलिया मीना

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित **ग्राम–लसुडलिया मीना** की भूमि की आवश्यकता।	**17.582**	**17.582**
	कुल योग :	**17.582**	**17.582**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	उमराव कंवर पति दशरथ सिंह जाति राजपूत पता निवासी टोडी भूमि स्वामी	70/1	0.171	0.171
		कुल 1 किता	**0.171**	**0.171**
2	उमराव बाई बेवा भंवरलाल, भारत सिंह, सरजनसिंह, मोकम सिंह, राजन सिंह पिता भंवरलाल हि. 20 पैसा नारायण सिंह, केशर सिंह पिता पर्वत सिंह हि. 40 पैसा रामनाथ सिंह, करन सिंह ना.बा. दशरथ सिंह, छोटेसिंह पिता बापू सिंह, केशरबाई बेवा बापूसिंह सरपरस्त माता केशरबाई हि. 20 पैसा विक्रम सिंह, लाखन सिंह पिता रूपसिंह हि. 20 पैसा जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़ म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि	202	0.455	0.455
		203	0.152	0.152
		कुल 2 किता	**0.607**	**0.607**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
3	कमल सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/3	0.063	0.063
		कुल 1 किता	**0.063**	**0.063**
4	किशनलाल, कलाबाई, कैलाश बाई पिता गंगाधर जाति सुतार पता नि. नौदानपूर भूमि स्वामी	242/5	1.265	1.265
		कुल 1 किता	**1.265**	**1.265**
5	कुमेर सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/8	0.110	0.110
		कुल 1 किता	**0.110**	**0.110**
6	गंगाराम पिता जगन्नाथ जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	189/3	0.253	0.253
		189/7	0.112	0.112
		कुल 2 किता	**0.365**	**0.365**
7	गजराज सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/1	0.090	0.090
		कुल 1 किता	**0.090**	**0.090**
8	गजराज सिंह, मोहन सिंह, कमलसिंह, सौनाथ सिंह, गुलाब सिंह, दरियाव सिंह, कुमेरसिंह पिता चैनसिंह मु. पानकुंवर बेवा चैनसिंह हि. 1/2, सौभागसिंह पिता गोरधन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	201	0.759	0.759
		कुल 1 किता	**0.759**	**0.759**
9	गीताबाई बेवा रामप्रसाद हि. 1/4 रामबाबू ना.बा पिता रामप्रसाद हि. 1/4 कमलेश ना.बा. पिता रामप्रसाद हि. 1/4 लीलाबाई ना.बा पिता रामप्रसाद हि: 1/4 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/3/2	0.506	0.506
		कुल 1 किता	**0.506**	**0.506**
10	गुलाब बाई बेवा भंवरलाल उर्फ भंवरिया जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	189/6	0.365	0.365
		कुल 1 किता	**0.365**	**0.365**
11	गुलबसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/6	0.091	0.091
		कुल 1 किता	**0.091**	**0.091**
12	घनश्याम पिता गिरधारी लाल जाति देशवली पता निवासी ग्राम महाराजखेडा भूमि स्वामी	242/2/1	1.011	1.011
		242/3/2	0.422	0.422
		कुल 2 किता	**1.433**	**1.433**
13	घीसालाल पिता गंगाराम जाति अहीर पता निवासी महाराजखेडा तहसील ब्यावरा, राजगढ़ सम्पूर्ण भाग भू–स्वामी	242/4/1	0.169	0.169
		242/4/4	0.169	0.169
		कुल 2 किता	**0.338**	**0.338**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
14	जानी बाई बेवा मांग्या जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	212/2	0.228	0.228
		215/2	0.152	0.152
		कुल 2 किता	**0.380**	**0.380**
15	दरियाव सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/7	0.100	0.100
		कुल 1 किता	**0.100**	**0.100**
16	देवीसिंह, कल्याण सिंह, डूंगरसिंह, बिशन सिंह पिता सौभाग सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/9	0.632	0.632
		कुल 1 किता	**0.632**	**0.632**
17	देवीसिंह पिता जगन्नाथ जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	189/2	0.107	0.107
		238/1	0.038	0.038
		कुल 2 किता	**0.145**	**0.145**
18	बंशीलाल आ. प्रभू जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	237	0.291	0.291
		कुल 1 किता	**0.291**	**0.291**
19	बहादुर सिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	204	0.139	0.139
		211/1	0.169	0.169
		कुल 2 किता	**0.308**	**0.308**
20	भूरजी पिता जगन्नाथ जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	189/9	0.112	0.112
		कुल 1 किता	**0.112**	**0.112**
21	मांगीलाल पिता गिरधारीलाल जाति देशवली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	242/2/2	1.012	1.012
		242/3/3	0.421	0.421
		कुल 2 किता	**1.433**	**1.433**
22	मोती पिता हरल्या हि.44.25 पैसे हजारी पिता हरल्या हि. 50 पैसे जाति चमार कल्याणसिंह पिता सौभागसिंह हि. 5. 75 पैसे जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया भूमि स्वामी	212/1	0.228	0.228
		215/1	0.152	0.152
		कुल 2 किता	**0.380**	**0.380**
23	मोहन सिंह पिता चेनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/2	0.070	0.070
		कुल 1 किता	**0.070**	**0.070**
24	रमेश आ. मंशा जाति चमार पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार	242/1	1.012	1.012
		कुल 1 किता	**1.012**	**1.012**
25	राज कुमारी पति बलवीर सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70/2	0.171	0.171
		कुल 1 किता	**0.171**	**0.171**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
26	राधेश्याम पिता गिरधारीलाल जाति देशवली पता निवासी ग्राम महाराजखेडा भूमि स्वामी	242/3/1	0.675	0.675
		242/6	0.759	0.759
		कुल 2 किता	**1.434**	**1.434**
27	रामचरण पिता वट्टूलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	189/1	1.568	1.568
		190/3/1	1.379	1.379
		238/2	0.038	0.038
		कुल 3 किता	**2.985**	**2.985**
28	रामबाबू पिता रामप्रसाद हि. 1/4 कमलेश पिता रामप्रसाद हि 1/4 लीलाबाई पुत्री रामप्रसाद हि 1/4 गीताबाई बेवा रामप्रसाद हि 1/4 जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	189/5	0.253	0.253
		189/8	0.113	0.113
		कुल 2 किता	**0.366**	**0.366**
29	लाल सिंह पिता गंगाराम जाति अहीर नि. ग्राम महाराजखेड़ा भूमि स्वामी	242/4/3	0.168	0.168
		242/4/6	0.169	0.169
		कुल 2 किता	**0.337**	**0.337**
30	शिवनारायण पिता गंगाराम हि 1/2 दिनेश ना.बा. पिता देवीसिंह सरक्षक पिता देवीसिंह पिता जगन्नाथ हि 1/2 जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	239	0.101	0.101
		कुल 1 किता	**0.101**	**0.101**
31	सूरजसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	211/2	0.084	0.084
		कुल 1 किता	**0.084**	**0.084**
32	सोनाथ सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/5	0.109	0.109
		कुल 1 किता	**0.109**	**0.109**
33	हरिसिंह पिता गंगाराम जाति अहीर, नि. महाराजखेड़ा, ब्यावरा, राजगढ़ भू–स्वामी	242/4/2	0.168	0.168
		242/4/5	0.169	0.169
		कुल 2 किता	**0.337**	**0.337**
34	प्रेमनारायण पिता हजारीलाल जाति लौढ पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	6	0.126	0.126
		कुल 1 किता	**0.126**	**0.126**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
35	भगवानसिंह पिता रामप्रसाद जाति नाई पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ गजराजसिंह पिता रामप्रसाद जाति नाई पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ हिम्मतसिंह पिता रामप्रसाद जाति नाई पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ दरियावबाई बेवा रामप्रसाद जाति नाई पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ प्रेमबाई पुत्री रामप्रसाद जाति नाई पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ समंत्राबाई पुत्री रामप्रसाद जाति नाई पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ शीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाति नाई पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	136	0.101	0.101
		कुल 1 किता	0.101	0.101
36	शिवनारायण पिता मदनलाल जाति मीना पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	167	0.316	0.316
		कुल 1 किता	0.316	0.316
37	प्रेमसिंह पिता मेहताबसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी बापूलाल पिता मेहताबसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी हरिसिंह पिता मेहताबसिंह जाति सौधिया पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ 1/3 भाग भूमि स्वामी	156	0.089	0.089
		कुल 1 किता	0.089	0.089
	कुल योग :–	कुल 52 किता	17.582	17.582

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13461/भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 14/अ–82/2020–21 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़ के ग्राम–बेराड** के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया **जिला : राजगढ़**

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–बेराड

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम–**बेराड** की भूमि की आवश्यकता।	**106.203**	**97.619**
	कुल योग :–		

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	अनिल पिता चेन सिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/1	0.013	0.013
		138/1/2	0.583	0.571
		139	0.126	0.126
		कुल 3 किता	**0.722**	**0.710**
2	अमरसिंह पिता रामचरण जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142/2	0.489	0.489
		368/2	0.371	0.371
		कुल 2 किता	**0.860**	**0.860**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
3	इमरतलाल पिता शंकरलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	131/1/2	2.997	2.997
		कुल 1 किता	**2.997**	**2.997**
4	कॅवरलाल पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	356/4	0.158	0.158
		357	0.190	0.190
		कुल 2 किता	**0.348**	**0.348**
5	कमल सिंह पिता मेहताब सिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम गूजरखेडीकला भूमि स्वामी	124/1	1.360	1.360
		134/3	0.253	0.253
		कुल 2 किता	**1.613**	**1.613**
6	कमल सिंह पिता राम प्रसाद जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143/1/1	0.253	0.253
		143/3	0.379	0.379
		कुल 2 किता	**0.632**	**0.632**
7	करन सिंह पिता शंकरलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/1	0.936	0.936
		कुल 1 किता	**0.936**	**0.936**
8	कालू पिता पर्थी जाति गुजर पता निवासी ग्राम गूजरखेडी भूमि स्वामी	378	0.696	0.696
		384	0.569	0.569
		386	0.506	0.506
		कुल 3 किता	**1.771**	**1.771**
9	किशनलाल पिता मांगीलाल रामनारायण पिता किशनलाल जाति लौदी पता निवासी ग्राम मउ भूमि स्वामी	145/1/1	0.506	0.506
		कुल 1 किता	**0.506**	**0.506**
10	किशनलाल पिता मांगीलाल ना.वा. जितेन्द्र पिता वाल मुकन्द सरपर शान्ती वेवा वाल मुकुन्द जाति लौदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/8/1	0.759	0.759
		कुल 1 किता	**0.759**	**0.759**
11	रामबाबू, जगमोहन पिता कुमेरसिंह गुलाबबाई बेवा कुमेरसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी नंदराम पिता घीसा जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी मोरसिंह पिता घीसा जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी बदामबाई बेवा घीसा जाति लोधी पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	134/2	1.895	1.895
		कुल 1 किता	**1.895**	**1.895**
12	खुशीलाल पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता बेराड भूमि स्वामी	356/2	0.348	0.348
		कुल 1 किता	**0.348**	**0.348**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
13	गुलाब सिंह पिता भागीरथ जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/1/1	0.443	0.443
		371/1	0.229	0.229
		372/1	1.151	1.151
		373/1	0.208	0.208
		376/2	0.253	0.253
		382/1	0.607	0.607
		385/2/2	0.633	0.633
		361/1	0.059	0.009
		360/1	0.049	0.002
		कुल 9 किता	**3.632**	**3.535**
14	गोपी पिता प्रर्थी जाति गुर्जर पता भूमि स्वामी	388/2	1.265	1.265
		कुल 1 किता	**1.265**	**1.265**
15	घीसालाल पिता बंशीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम गूजरखेडी भूमि स्वामी	134/1	1.771	1.771
		कुल 1 किता	**1.771**	**1.771**
16	चांदबाबू पिता प्रेमसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम गुर्जरखेड़ी भूमि स्वामी	124/2	1.865	1.865
		कुल 1 किता	**1.865**	**1.865**
17	चेनसिंह पिता बिहारीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	119/2	1.184	0.947
		140/3	1.434	0.287
		369/1	0.485	0.485
		कुल 3 किता	**3.103**	**1.719**
18	चैनसिंह पिता ऊँकार जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/3	1.265	1.265
		कुल 1 किता	**1.265**	**1.265**
19	जगदीश बद्रीलाल पिता करण सिंह जाति लोधी	136	0.076	0.076
		137/2	0.038	0.038
		138/2/1	0.519	0.509
		120/4	1.012	1.012
		कुल 4 किता	**1.645**	**1.635**
20	जगन्नाथ पिता शंकरलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388/1/1	0.948	0.948
		389/1/1	0.696	0.696
		कुल 2 किता	**1.644**	**1.644**
21	जगमोहन पिता दरियाव सिंह धनगर जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143/2/3	0.379	0.379
		कुल 1 किता	**0.379**	**0.379**
22	जयप्रसाद पिता बिहारीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107/1/2	0.978	0.802
		119/1	0.207	0.166
		140/2	1.433	0.358
		369/2	0.485	0.485
		कुल 4 किता	**3.103**	**1.811**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टयर में)
23	जेबो बाई बेवा बिहारीलाल, फूलसिंह, जयप्रसाद चैनसिंह पिता बिहारीलाल धापूबाई कमलाबाई कांतीबाई राकमली बाई पुत्री बिहारीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	358	0.822	0.411
		364	0.291	0.291
		365	0.063	0.063
		366	0.316	0.316
		367	0.481	0.481
		कुल 5 किता	**1.973**	**1.562**
24	दरियाव सिंह पिता बंशीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/8/3	0.506	0.506
		131/2/2	0.674	0.674
		145/1/2	0.506	0.506
		कुल 3 किता	**1.686**	**1.686**
25	धन्नालाल पिता बंशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101/2	0.970	0.049
		105/2	0.025	0.025
		कुल 2 किता	**0.995**	**0.074**
26	धीरज सिंह सिदी बाई पिता घीसा मु. कमला बेवा घीसा सर. माता स्वयं जाति गूजर पता गूजरखेड़ी भूमि स्वामी	352/2	1.025	1.025
		कुल 1 किता	**1.025**	**1.025**
27	धीरप सिंह पिता हरिराम जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120/2	0.933	0.933
		कुल 1 किता	**0.933**	**0.933**
28	नाथू पिता ईसर जाति माली पता नि. ग्राम महु भूमि स्वामी	127/5	1.518	1.518
		कुल 1 किता	**1.518**	**1.518**
29	नाथू पिता हरिराम जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120/3	0.933	0.933
		कुल 1 किता	**0.933**	**0.933**
30	नारायण सिंह पिता राम प्रसाद जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	143/4	0.506	0.506
		141/3/1	0.278	0.278
		कुल 3 किता	**0.784**	**0.784**
31	महेश धनगर पिता नेनकराम जाति गाडरी पता नि. ग्राम कोलूखेड़ी तह. ब्यावरा, राजगढ़	143/2/1	0.166	0.166
		कुल 1 किता	**0.166**	**0.166**
32	नेनकराम पिता बंशीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम राजगढ़	370/2/1	0.632	0.632
		131/2/1	0.675	0.675
		370/1/2	0.442	0.442
		कुल 3 किता	**1.749**	**1.749**
33	प्रताप सिंह देवीलाल पिता बंशीलाल, धनश्याम पिता रंगलाल जाति गाडरी पता नि. ग्राम कोलूखेडी तहय	143/2	0.924	0.924
		कुल 1 किता	**0.924**	**0.924**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
34	प्रीतम सिंह पिता फूलसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	354	0.430	0.430
		कुल 1 किता	**0.430**	**0.430**
35(A)	सीमाबाई पुत्री भरतसिंह पति भंवरसिंह जाति गुर्जर पता हाल मु. गुजरखेड़ीकला	126/1	0.022	0.022
		कुल 1 किता	**0.022**	**0.022**
35(B)	रामबाबू पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता गुजरखेड़ीकला	126/2	0.095	0.095
		कुल 1 किता	**0.095**	**0.095**
35(C)	सोनू पिता घीसालाल जाति गुर्जर पता गुजरखेड़ीकला	126/3	0.074	0.074
		कुल 1 किता	**0.074**	**0.074**
35(D)	रामसिंह पिता मेहताबसिंह जाति गुर्जर पता गुजरखेड़ीकला	126/4	0.176	0.176
		कुल 1 किता	**0.176**	**0.176**
36	फते सिंह पिता प्रार्थी जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388/4	0.886	0.886
		389/2	0.379	0.379
		कुल 2 किता	**1.265**	**1.265**
37	फूलसिंह पिता बिहारीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107/1/1	1.184	1.006
		140/1	1.433	0.860
		369/3	0.485	0.485
		कुल 3 किता	**3.102**	**2.351**
38	फूलसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	371/2	0.228	0.228
		372/2	1.150	1.150
		373/2	0.209	0.209
		376/1	0.253	0.253
		382/2	0.531	0.531
		383	0.076	0.076
		385/2/1	0.632	0.632
		कुल 7 किता	**3.079**	**3.079**
39	फूलसिंह, अर्जुनसिंह पिता चेनसिंह जाति गूजर पता गूजरखेडीकला भूमि स्वामी	379	1.417	1.417
		कुल 1 किता	**1.417**	**1.417**
40	फूलसिंह, गुलाब सिंह पिता भागीरथ जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	125	1.113	1.113
		127/4	1.265	1.265
		128	0.190	0.190
		130	2.048	2.048
		कुल 5 किता	**4.616**	**4.616**
41	बंशीलाल पिता ऊँकार जाति गूजर पता गूजरखेडीकला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	385/1	0.253	0.253
		कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
42	बद्रीलाल पिता कन्हैयालाल जाति लौदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	145/5	0.810	0.810
		कुल 1 किता	**0.810**	**0.810**
43	बालकिशन, खुशीलाल पिता अमरा जाति काछी पता निवासी ग्राम मऊ भूमि स्वामी	121	1.644	1.644
		कुल 1 किता	**1.644**	**1.644**
44	बालकिशन पिता ऊंकार जाति गूजर पता गूजरखेडीकला भूमि स्वामी	127/13	0.759	0.759
		कुल 1 किता	**0.759**	**0.759**
45	बालाबगस पिता शंकरलाल जाति लौदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388/1/2	0.948	0.948
		389/1/2	0.695	0.695
		कुल 2 किता	**1.643**	**1.643**
46	रघुवीर सिंह पिता बालाबगस जाति लौदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/1/1	0.291	0.291
		132/1/2	0.092	0.092
		कुल 2 किता	**0.383**	**0.383**
47	भंवर सिंह पिता सावत सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम गुर्जरखेडीकला भूमि स्वामी	123/1	0.921	0.921
		123/2	1.178	1.178
		कुल 2 किता	**2.099**	**2.099**
48	भगवत पिता जयप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141/4/2	0.253	0.253
		कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
49	भगवत सिंह पिता जय प्रकाश जाति लोदी पता वैराड भूमि स्वामी	107/2	0.885	0.885
		कुल 1 किता	**0.885**	**0.885**
50	भगवान सिंह आ. चेनसिंह जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	138/2/2	0.632	0.619
		कुल 1 किता	**0.632**	**0.619**
51	मंदिर श्री ठाकुरजी महाराज व्यवस्थापक श्री कलेक्टर महोदय राजगढ़ भूमि स्वामी	147	0.961	0.096
		कुल 1 किता	**0.961**	**0.096**
52	मदन आ. खुशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/11	1.265	1.265
		कुल 1 किता	**1.265**	**1.265**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
53	मदन, दशरथ आ. ,खुशीलाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	122	0.860	0.860
		कुल 1 किता	**0.860**	**0.860**
54	मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	120/1	0.853	0.853
		कुल 1 किता	**0.853**	**0.853**
55	मांगीलाल दयाराम हीरालाल बंशीलाल पिता रामलाल मु. गुलाब बाई बैवा रामलाल जाति काछी पता महू भूमि स्वामी	127/6	1.518	1.518
		कुल 1 किता	**1.518**	**1.518**
56	मांगीलाल, रामसहि पिता मानसिंह, तुलसी वेवा मानसिंह जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	102/3	1.277	1.277
		105/1	0.026	0.026
		कुल 2 किता	**1.303**	**1.303**
57	मु. नारानी बाई कालू गोपी फतेह सिंह पिता पर्थी जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/7	1.265	1.265
		388/3	1.265	1.265
		कुल 2 किता	**2.530**	**2.530**
58	मु.भँवरी वैवा कालू घनियालीला पुत्री कालू जाति काछी पता मऊ भूमि स्वामी	127/10	0.884	0.884
		कुल 1 किता	**0.884**	**0.884**
59	मूलचंद पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	356/3	0.348	0.348
		कुल 1 किता	**0.348**	**0.348**
60	मोतीलाल पिता घासीराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	118/3/2	1.502	0.601
		138/1/1	0.759	0.744
		कुल 2 किता	**2.261**	**1.345**
61	मोतीसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	356/1	0.348	0.348
		कुल 3 किता	**0.348**	**0.348**
62	रतनलाल पिता गजाधर जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142/1	0.489	0.489
		368/1	0.371	0.371
		कुल 2 किता	**0.860**	**0.860**
63	रमकुबाई बैवा मांगीलाल जाति लौदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	133	1.088	1.088
		कुल 1 किता	**1.088**	**1.088**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
64	रमेश पिता गंगाधर जाति लोदी पता बैराड ब्यावरा, राजगढ़	141/5/1	0.253	0.253
		141/1	0.506	0.506
		कुल 2 किता	**0.759**	**0.759**
65	रमेश हिम्मत सिंह पिता गंगाधार जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141/3/2	0.885	0.885
		375/1	0.835	0.835
		कुल 2 किता	**1.720**	**1.720**
66	राकेश, दिलवर पिता रोडजी कालीबाई बेवा रोडजी जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	362	0.114	0.114
		363	0.342	0.239
		377	0.443	0.443
		कुल 3 किता	**0.899**	**0.796**
67	राधाकिशन पिता बालमुकुन्द जाति लोधी पता बैराड ब्यावरा, राजगढ़	348	0.430	0.237
		कुल 1 किता	**0.430**	**0.237**
68	रामचरण पिता गजाधर जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	142/3	0.489	0.489
		कुल 1 किता	**0.489**	**0.489**
69	रामचरण पिता दयाराम, लक्ष्मी नारायण पिता राम किशन, काशी बेवा रामकिशन जाति खाती पता नि. ग्राम स्वामी	143/1/2	0.391	0.391
		368/3	0.371	0.371
		कुल 2 किता	**0.762**	**0.762**
70	रामनारायण पिता बुद्धा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	145/4	1.012	0.810
		कुल 1 किता	**1.012**	**0.810**
71 (A)	राम प्रसाद पिता भंवरलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	103	0.961	0.961
		कुल 1 किता	**0.961**	**0.961**
71 (B)	राम प्रसाद पिता भवरिया जाति काछी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	144	1.455	1.455
		कुल 1 किता	**1.455**	**1.455**
72	रामबाबू पिता बालाबगस जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	132/1/1	0.382	0.382
		कुल 1 किता	**0.382**	**0.382**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
73	रामबाबू पिता श्रीबल्लभ जाति महाजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/2	0.935	0.935
		कुल 1 किता	**0.935**	**0.935**
74	रामभरोसा पिता ईसर जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141/4/1	0.253	0.253
		कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
75	रामस्वरूप पिता हरिसिंह धनगर जाति गाडरी पता नि. ग्राम बैराड	143/2/2	0.379	0.379
		कुल 1 किता	**0.379**	**0.379**
76	रामस्वरूप आ. हरिसिंह ना.वा. रघूवीर आ. हरियाव सिंह ना.वा. बगवती सिंह आ. नन्नूलाल सर. आ. स्वयं जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	129	0.443	0.443
		कुल 1 किता	**0.443**	**0.443**
77	रेखाबाई पत्नी रामभरोसा जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141/2	0.506	0.506
		कुल 1 किता	**0.506**	**0.506**
78	लक्ष्मीनारायण पिता बालमुकुन्द जाति लोदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	347/1	0.392	0.235
		कुल 1 किता	**0.392**	**0.235**
79	लाखन सिंह पिता जगन्नाथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	132/2/1	0.383	0.383
		कुल 1 किता	**0.383**	**0.383**
80	विक्रमसिंह पिता भेरूलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	370/2/2	1.125	1.125
		कुल 1 किता	**1.125**	**1.125**
81	श्यामबाबू पिता जगन्नाथ जाति लोधी नि. ग्राम भूमि स्वामी	132/2/2	0.383	0.383
		कुल 1 किता	**0.383**	**0.383**
82	श्रीमति शिखा मिश्रा पत्नि मनोज कुमार मिश्रा जाति बाहम्ण पता नि. सुठालिया	375/2	0.835	0.835
		कुल 1 किता	**0.835**	**0.835**
83	सुरत सिंह पिता बापूलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	349	1.126	0.169
		350	0.329	0.066
		कुल 2 किता	**1.455**	**0.235**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
84	सुशीला पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति लौदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/9	2.023	2.023
		कुल 1 किता	**2.023**	**2.023**
85	हरि सिंह पिता बंशीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	127/8/2	0.506	0.506
		131/2/3	0.674	0.674
		कुल 2 किता	**1.180**	**1.180**
86	हरि सिंह पिता बंशीलाल जाति गाडरी पता बैराड, ब्यावरा	141/5/2	0.253	0.253
		कुल 1 किता	**0.253**	**0.253**
87	हरीसिंह पिता भँवरिया जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	351	0.810	0.810
		352/1	0.506	0.506
		353	0.316	0.316
		355	0.595	0.595
		कुल 4 किता	**2.227**	**2.227**
88	रामबाबू पिता रामप्रसाद, इमरती बाई बेवा रामप्रसाद जाति लोदी पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, रामगढ़	104	0.063	0.063
		106	0.038	0.002
		कुल 2 किता	**0.101**	**0.065**
	कुलयोग :–	**कुल 157**	**106.203**	**97.619**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक /भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक . 16/अ–82/2020–21 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़ के ग्राम–काकरिया गूजर** के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया **जिला : राजगढ़**

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–काकरिया गूजर

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित **ग्राम–काकरिया गूजर** की भूमि की आवश्यकता।	**117.371**	**117.371**
	कुल योग :	**117.371**	**117.371**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	कमलाबाई पत्नि छत्रसाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	1	0.645	0.645
		2/1	0.190	0.190
		184	0.405	0.405
		185	0.405	0.405
		कुल 4 किता	**1.645**	**1.645**
2	ना.बा.देवेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण सरपरस्त दादाजी गुलाबसिंह पिता मोतीलाल जाति गूजर पता काकरिया गूजर ब्यावरा राजगढ़ (म.प्र.)	2/2	0.885	0.885

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
3	परसराम पिता मोडसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	3/2	0.291	0.291
		4/1		
		5/2	0.025	0.025
		6/2	0.607	0.607
		7/2	0.051	0.051
		कुल 5 किता	**0.974**	**0.974**
4	अनिता बाई पत्नि विश्रामसिंह जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	5/1/1	0.070	0.070
		6/1/1	0.373	0.373
		7/1/1	0.082	0.082
		कुल 3 किता	**0.525**	**0.525**
5	दयालसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	5/1/2	0.069	0.069
		6/1/2	0.373	0.373
		7/1/2	0.082	0.082
		217/1	0.456	0.456
		218	0.202	0.202
		258	0.215	0.215
		259	0.063	0.063
		कुल 7 किता	**1.460**	**1.460**
6	भूलीबाई पुत्री उमरावबवई जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	9	0.063	0.063
		11	0.051	0.051
		कुल 2 किता	**1.574**	**1.574**
7 (A)	प्रेमसिंह पिता गोरेलाल 1/4 भाग भूमि स्वामी, चन्दरसिंह पिता गोरेलाल 1/4 भाग भूमि स्वामी, निर्भयसिंह पिता गोरेलाल 1/4 भाग भूमि स्वामी, गंगाबाई बेवा गोरीलाल 1/4 भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	13/1	0.683	0.683
		38/3	0.321	0.321
		180/1	0.285	0.285
		कुल 3 किता	**1.289**	**1.289**
7(B)	प्रेमसिंह पिता गोरीलाल 1/3 भाग भूमि स्वामी, चन्दरसिंह पिता गोरीलाल 1/3 भाग भूमि स्वामी, निर्भयसिंह पिता गोरीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.) 1/3 भाग भूमि स्वामी,	15/2	3.035	3.035
8	हाकमसिंह पिता बापूलाल 1/4 भाग, हेमराज पिता बापूलाल 1/4 भाग, सावित्रीबाई पिता बापूलाल 1/4 भाग, चंदरबाई पिता बापूलाल 1/4 भाग, जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.) नि.ग्राम भूमि स्वामी	13/2/1	0.341	0.341

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
9	जालम पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	13/2/2	0.342	0.342
10	प्रेमबाई बेवा मोडसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	15/1/1	0.759	0.759
11	गजराज सिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	15/1/2	0.506	0.506
		18	0.911	0.911
		कुल 2 किता	**1.417**	**1.417**
12	घनश्याम पिता खुमानसिंह 1/2 भाग भूमि स्वामी विक्रम सिंह पिता खुमानसिंह 1/2 भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.) भूमि स्वामी	15/3/1/1	0.506	0.506
13	गोपीलाल पिता अमरा जाति चमार, पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	15/3/1/2	0.506	0.506
14	रामबाबू, भगवान सिंह, रामगोपाल, रामसुख पिता प्रेमसिंह, मारनीबाई बेवा प्रेमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	15/3/1/3	0.506	0.506
		162/1/1	0.165	0.165
		177/1	0.025	0.025
		कुल 3 किता	**0.696**	**0.696**
15	रामसिंह पिता अमरा जाति चमार पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	15/3/2	0.506	0.506
16	कैलाश पिता कंवरलाल जाति भंगी पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	15/6	1.500	1.500
17	पूनमचंद पिता काशीराम, हि.1/2 रामबाई पत्नी पूनमचंद हि.1/2 जाति भंगी पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	15/7	1.500	1.500
18	मोहनलाल, रामरतन पिता गुलाब, धनियाबाई बेवा गुलाब जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	16/1	3.541	3.541
19	मानसिंह पिता गोपीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	16/2	2.376	2.376
		39/1	0.544	0.544
		41	0.038	0.038
		177/2	0.228	0.228
		कुल 4 किता	**3.186**	**3.186**
20	गजराज सिंह पिता बंशीलाल जाति गूजर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	17	0.708	0.708
		39/2	0.202	0.202
		कुल 2 किता	**0.910**	**0.910**
21	घासीराम पिता प्रभूलाल हि.1/4 नन्नूलाल पिता प्रभूलाल हि.1/4 कंचनसिंह पिता प्रभूलाल, हि.1/4 काशीबाई बेवा प्रभूलाल हि.1/4 जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	20	1.012	1.012
		22	0.885	0.885
		23	0.399	0.399
		कुल 3 किता	**2.296**	**2.296**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
22	बापूलाल पिता गंगाराम हि. 1/4 फतेसिंह पिता गंगाराम हि. 1/4 चेनसिंह पिता गंगाराम हि. 1/4 मु. कस्तुरी बेवा गंगाराम हि. 1/4 जाति राव पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	21	0.582	0.582
		29/2	0.190	0.190
		कुल 2 किता	**0.772**	**0.772**
23	प्रेमसिंह पिता गौरीलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	25/1	0.500	0.500
		272/3	0.057	0.057
		272/4	0.057	0.057
		कुल 3 किता	**0.614**	**0.614**
24	निर्भय सिंह पिता गौरीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	25/2	0.499	0.499
		35	0.405	0.405
		36	0.506	0.506
		कुल 3 किता	**1.410**	**1.410**
25	रामबाबू पिता छत्रसालसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	26/1	0.331	0.331
26	विश्रामसिंह पिता छत्रसालसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	26/2	0.344	0.344
		27/1/1	0.027	0.027
		कुल 2 किता	**0.371**	**0.371**
27	जसवन्तसिंह पिता दयालसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	26/3	0.307	0.307
		27/1/2	0.036	0.036
		27/2/1	0.039	0.039
		कुल 3 किता	**0.382**	**0.382**
28	भगवत सिंह पिता दयालसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	26/4	0.269	0.269
		27/2/2	0.100	0.100
		कुल 2 किता	**0.369**	**0.369**
29	नारायण सिंह पिता गूलाब जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	26/5	0.356	0.356
		27/2/3	0.177	0.177
		कुल 2 किता	**0.533**	**0.533**
30	सरजनसिंह, सागरसिंह, सुमेर सिंह आ. मानसिंह हि 25, अमरसिंह आ. जगन्नाथ हि.25, भवरजी, अमरसिंह आ. प्रताब हि. 34, प्रेमसिंह, चन्दरसिंह, निर्भयसिंह आ. गोरलाल हि. 16, जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	28	0.873	0.873

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
31	फूलसिंह पिता अमरसिंह जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	30/1	0.230	0.230
		31/1	0.088	0.088
		33/2	0.020	0.020
		33/3	0.010	0.010
		34/2	0.082	0.082
		339	0.101	0.101
		340	0.114	0.114
		कुल 7 किता	**0.645**	**0.645**
32	पर्वतसिंह पिता अमरसिंह जाति गूर्जर पता काकारिया गूजरद ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	30/2	0.130	0.130
		31/2	0.509	0.509
		33/6	0.010	0.010
		34/4	0.102	0.102
		272/1	0.057	0.057
		272/2	0.057	0.057
		313/4	0.108	0.108
		315	**0.038**	0.038
		कुल 8 किता	**1.011**	**1.011**
33	गणपतसिंह पिता अमरसिंह जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	30/3	0.200	0.200
		31/4	0.118	0.118
		34/6	0.111	0.111
		342	0.177	0.177
		कुल 4 किता	**0.606**	**0.606**
34	चन्दर सिंह पिता अमरसिंह जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	30/4	0.250	0.250
		31/3	0.386	0.386
		33/4	0.010	0.010
		33/5	0.010	0.010
		34/3	0.092	0.092
		कुल 5 किता	**0.748**	**0.748**
35	भजन पिता अमरसिंह जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	33/1	0.044	0.044
		34/1	0.068	0.068
		313/3	0.542	0.542
		कुल 3 किता	**0.654**	**0.654**
36	सरजन सिंह पिता अमरसिंह जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	33/7	0.010	0.010
		34/5	0.102	0.102
		313/2	0.542	0.542
		कुल 3 किता	**0.654**	**0.654**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
37	हाकमसिंह पिता बापूलाल हि. 1/4 हेमराज पिता बापूलाल हि. 1/4 सावित्री बाई पिता बापूलाल हि. 1/4 चंदरबाई पिता बापूलाल हि. 1/4 जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	37	0.304	0.304
		38/1	0.026	0.026
		कुल 2 किता	**0.330**	**0.330**
38	अमरसिंह पिता प्रतापसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	38/2	0.323	0.323
		165	0.051	0.051
		180/2	0.284	0.284
		कुल 3 किता	**0.658**	**0.658**
39	सागरसिंह पिता मानसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	44/1	0.026	0.026
		168/1	0.126	0.126
		कुल 2 किता	**0.152**	**0.152**
40	सुमेरसिंह पिता मानसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	44/2	0.025	0.025
		166/1	0.063	0.063
		167/1	0.076	0.076
		204/2/2	0.633	0.633
		कुल 4 किता	**0.797**	**0.797**
41	मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	45	0.051	0.051
42	प्रेमबाई पत्नी मेहताबसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	49	0.076	0.076
		140	0.063	0.063
		142/2	0.379	0.379
		154/2	0.038	0.038
		251	0.013	0.013
		252/2	0.190	0.190
		कुल 6 किता	**0.759**	**0.759**
43	भगवतसिंह पिता कनीराम जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	51	0.177	0.177
		52	0.063	0.063
		53	0.025	0.025
		54/1	0.070	0.070
		54/2	0.120	0.120
		55	0.038	0.038
		56	0.202	0.202
		कुल 7 किता	**0.695**	**0.695**
44	मानसिंह पिता बंशीलाल हि. 1/2 मांगीलाल पिता बंशीलाल हि. 1/2 जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	57/1	0.379	0.379
		82	0.114	0.114
		83	0.468	0.468
		कुल 3 किता	**0.961**	**0.961**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
45	कन्हैयालाल पिता गंगाराम पिता हि. 1/2 हजारीलाल पिता गंगाराम पिता हि. 1/2 जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	57/2	0.203	0.203
46	मानसिंह पिता बंशीलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	58	0.063	0.063
		59/1	0.281	0.281
		कुल 2 किता	**0.344**	**0.344**
47	मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	59/2	0.708	0.708
48	रामसूरतबाई पत्नी चन्दरसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	61	0.506	0.506
		62/1/1/1	0.506	0.506
		62/1/1/3	0.506	0.506
		कुल 3 किता	**1.518**	**1.518**
49	अन्तरबाई पति विक्रमसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	62/1/1/2	0.506	0.506
50	घनश्याम पिमा खुमानसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	62/2/1	1.024	1.024
		260/1/1	0.032	0.032
		266/1/1	0.054	0.054
		कुल 3 किता	**1.110**	**1.110**
51	विक्रमसिंह पिता खुमानसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	62/2/2	1.024	1.024
		162/2/4	0.042	0.042
		260/1/2	0.031	0.031
		266/1/2	0.054	0.054
		कुल 4 किता	**1.151**	**1.151**
52	कालू पिता सेवा हि. 1/2 मदन पिता सेवा हि. 1/2 जाति चमार पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	66	0.493	0.493
53	अमरसिंह पिता जगन्नाथ जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	69	0.089	0.089
		70/1	0.139	0.139
		कुल 2 किता	**0.228**	**0.228**
54	मोडसिंह पिता मोतीलाल जाति गूजर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	70/2/1	0.027	0.027
		71/1	0.010	0.010
		166/2/2	0.023	0.023
		167/2/2	0.012	0.012
		168/2/2	0.010	0.010
		316	0.633	0.633
		336	0.392	0.392
		337	0.089	0.089
		कुल 8 किता	**1.196**	**1.196**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
55	मांगीलाल, कमलसिंह पिता जालमसिंह, चन्द्रकलाबाई, रामरेखा, हल्कीबाई पुत्रियां जालमसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	70/2/2	0.027	0.027
		71/2	0.010	0.010
		166/2/1	0.024	0.024
		167/2/1	0.012	0.012
		168/2/1	0.010	0.010
		कुल 5 किता	**0.083**	**0.083**
56	सीताराम पिता मोतीलाल जाति गूजर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	70/2/3	0.027	0.027
		70/2/6	0.028	0.028
		71/3	0.010	0.010
		71/6	0.011	0.011
		166/2/4	0.023	0.023
		167/2/4	0.013	0.013
		168/2/4	0.011	0.011
		कुल 7 किता	**0.123**	**0.123**
57	चैनसिंह पिता मोतीलाल जाति गूजर पता काकरिया गूजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	70/2/4	0.027	0.027
		71/4	0.011	0.011
		166/2/3	0.023	0.023
		167/2/3	0.013	0.013
		168/2/3	0.010	0.010
		कुल 5 किता	**0.084**	**0.084**
58	सौनाथसिंह पिता मोतीलाल जाति गूजर पता काकरिया गजर ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	70/2/5	0.028	0.028
		71/5	0.011	0.011
		166/2/5	0.046	0.046
		167/2/5	0.026	0.026
		168/2/5	0.022	0.022
		कुल 5 किता	**0.133**	**0.133**
59	लक्ष्मणसिंह पिता कनीराम जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	72	0.304	0.304
		73		
60	दीपाबाई पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	74/1	0.101	0.101
61	चन्दरसिंह पिता गौरीलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	74/2	0.101	0.101
		80/1/2/2	0.152	0.152
		कुल 2 किता	**0.253**	**0.253**
62	प्रेमबाई पत्नी मेहताबसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	75	0.025	0.025
		76	0.114	0.114
		77/2	0.126	0.126
		79	0.291	0.291
		कुल 4 किता	**0.556**	**0.556**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
63	मांगीलाल पिता मोतीलाल, भंवरीबाई बेवा मोतीलाल हि. 52 पैसे, गुलाब पिता अमरसिंह हि. 17.80 पैसे, जाति राव, जसवंतसिंह पिता गजराज सिंह, हि. 12 20 पैसे, रामकॅवरबाई पत्नि फूलसिंह हि. 9 पेसे, सन्तोषबाई पत्नि चन्दरसिंह हि. 9 पैसे, जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	77/1	0.089	0.089
		261/1	0.139	0.139
		314/1	0.632	0.632
		कुल 3 किता	**0.860**	0.860
64	समन्दरबाई पिता पन्नालाल हि. 1/2 , घीसीबाई पिता पन्नालाल हि. 1/2 जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	78/1	0.102	0.102
		80/2	0.038	0.038
		कुल 2 किता	**0.140**	**0.140**
65	मोडसिंह पिता गंगाराम हि. 1/2 , लाखनसिंह पिता गंगाराम हि. 1/2 , जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	78/2	0.151	0.151
		201	0.961	0.961
		213	0.063	0.063
		कुल 3 किता	**1.175**	**1.175**
66	बलराम पिता रामबगस जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	78/3	0.202	0.202
		143	0.595	0.595
		144	0.013	0.013
		145	0.203	0.203
		151/1	0.076	0.076
		कुल 5 किता	**1.089**	**1.089**
67	दीपाबाई पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	80/1/1	0.152	0.152
		81	0.038	0.038
		314/2	0.253	0.253
		कुल 3किता	**0.443**	**0.443**
68	मोडसिंह पिता भावसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	80/1/2/1	0.038	0.038
		335/2	0.045	0.045
		कुल 2 किता	**0.083**	**0.083**
69	मेहताब सिंह पिता पर्वतसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	84	0.544	0.544
		85	0.076	0.076
		89	0.076	0.076
		142/1	0.645	0.645
		कुल 4 किता	**1.341**	**1.341**
70	भूलीबाई पुत्री जालम जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	86	0.253	0.253
		87	0.025	0.025
		88	0.139	0.139
		कुल 3 किता	**0.417**	**0.417**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
71	हरिसिंह पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	90	0.531	0.531
		91	0.240	0.240
		कुल 2 किता	**0.771**	**0.771**
72	नारायण सिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	92	0.240	0.240
		93	0.215	0.215
		कुल 2 किता	**0.455**	**0.455**
73	कंचनबाई बेवा मानसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	95	0.076	0.076
74	सरजनसिंह पिता मानसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	96	0.582	0.582
		203/2/1	0.632	0.632
		कुल 2 किता	**1.214**	**1.214**
75	रतिराम पिता नाथू जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	97	0.253	0.253
		133	1.480	1.480
		कुल 2 किता	**1.733**	**1.733**
76	राधेश्याम उषाबाई पिता मोहनदास मु. रामलताबाई बेवा मोहनदास नरसंगलाल पिता देवालाल जाति बेरागी पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	99	0.253	0.253
		100	0.379	0.379
		कुल 2 किता	**0.632**	**0.632**
77	करनसिंह पिता भेरू जाति सोंदिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	101	0.228	0.228
		102	0.595	0.595
		कुल 2 किता	**0.823**	**0.823**
78	रामप्रसाद पिता कंवरलाल जाति भंगी पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	104/2/1	1.500	1.500
79	गौरीलाल, रतिराम, सरदार, सौरमबाई पिता गंगाराम, हरिसिंह, अनारसिंह, अमृत, नैन्या पिता धन्ना जाति कुम्हार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105/2	2.023	2.023
80	राम सिंह पिता ईशर जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	105/3	0.708	0.708
81	बुदधराम पिता जगन्नाथ जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	106	0.215	0.215
		107	0.190	0.190
		108/1	0.070	0.070
		109/4	0.087	0.087
		110/2	0.138	0.138
		110/1/4		
		118/2/2	0.146	0.146
		119/1	0.040	0.040
		131/1/1	0.164	0.164
		131/2/2	0.038	0.038
		कुल 10 किता	**1.088**	**1.088**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
82	इंदरसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/4, चंदरसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/4, सूरजसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/4, गुलाबबाई बेवा मोहनलाल हि 1/4, जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	108/2	0.253	0.253
		109/3	0.087	0.087
		110/1/3	0.139	0.139
		118/1/3	0.114	0.114
		118/2/1	0.031	0.031
		119/2	0.200	0.200
		120/1	0.062	0.062
		131/2/1	0.086	0.086
		138	0.316	0.316
		कुल 9 किता	**1.288**	**1.288**
83	नारानसिंह पिता जगन्नाथ जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	108/3	0.056	0.056
		109/1	0.036	0.036
		110/1/1	0.051	0.051
		118/1/1	0.036	0.036
		119/3	0.200	0.200
		120/2	0.136	0.136
		125	0.177	0.177
		131/1/2	0.190	0.190
		131/2/4	0.034	0.034
		132/2	0.160	0.160
		कुल 10 किता	**1.076**	**1.076**
84	मेहरबान सिंह पिता हीरालाल हि. 1/2, गीताबाई बेवा हीरालाल हि. 1/2, जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	109/2	0.056	0.056
		110/1/2	0.050	0.050
		118/1/2	0.070	0.070
		119/4	0.192	0.192
		120/3	0.144	0.144
		131/2/3	0.396	0.396
		132/1	0.170	0.170
		कुल 7 किता	**1.078**	**1.078**
85	रामसिंह पिता पन्नालाल हि. 1/2, रमेशचन्द्र पिता पन्नालाल हि. 1/2, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	111/1	0.203	0.203
		111/2/2	0.034	0.034
		112/2	0.096	0.096
		113/2	0.076	0.076
		114/2	0.072	0.072
		115/1/2	0.030	0.030
		115/2/2	0.046	0.046
		117/1/2	0.025	0.025
		117/2/2	0.072	0.072
		126/1	0.164	0.164
		126/2/1	0.037	0.037
		130/1	0.316	0.316
		130/2/2	0.051	0.051
		कुल 13 किता	**1.222**	**1.222**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
86	रामसिंह पिता पन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	111/2/1	0.067	0.067
		112/1	0.195	0.195
		113/1	0.152	0.152
		114/1	0.143	0.143
		115/2/1	0.093	0.093
		116/1/1	0.025	0.025
		116/2/1	0.084	0.084
		117/1/1	0.051	0.051
		117/2/1	0.143	0.143
		128/1/1	0.076	0.076
		128/2/1	0.059	0.059
		129/1/1	0.067	0.067
		129/2/1	0.093	0.093
		130/2/1	0.101	0.101
		कुल 14 किता	**1.349**	**1.349**
87	मांगीलाल पिता खुशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	116/1/2	0.013	0.013
		116/2/2	0.042	0.042
		126/2/2	0.064	0.064
		128/2/2	0.030	0.030
		129/1/2	0.034	0.034
		129/2/2	0.046	0.046
		कुल 6 किता	**0.229**	**0.229**
88	हरिसिंह पिता कालू जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	121	0.291	0.291
		122	0.228	0.228
		123	0.405	0.405
		124		
		132/3	0.328	0.328
		151/3	0.013	0.013
		कुल 6 किता	**1.265**	**1.265**
89	कमलाबाई बेवा मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	136	0.266	0.266
90	लक्ष्मी बाई पत्नी बलरामसिंह जाति गूजर पता काकरिया गूजर सुठालिया, राजगढ़	139	0.316	0.316
		146	0.089	0.089
		कुल 2 किता	**1.463**	**1.463**
91	बापू पिता गोपीलाल, नारायणसिंह पिता मदन जाति कुम्हार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	149/2	0.013	0.013
92	गणपत पिता बंशीलाल हि.1/2, मोडसिंह पिता बंशीलाल हि.1/2, जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	149/3	0.025	0.025

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
93	रामसिंह आ. ईशर ड्रायर्वसन जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	152/2	0.013	0.013
94	मांगीलाल पिता भंवरजी हि. 1/4, दीपसिंह पिता भंवरजी हि. 1/4, दौलतसिंह पिता भंवरजी हि. 1/4, मु. कस्तुरीबाई बेवा भंवरजी हि. 1/4, जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	154/1	0.038	0.038
95	इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	161/1	0.045	0.045
96	दौलतराम पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	161/2	0.044	0.044
97	जगन्नाथ पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	162/1/2	0.051	0.051
		263/2	0.025	0.025
		307	0.089	0.089
		308	1.050	1.050
		कुल 4 किता	**1.215**	**1.215**
98	हरिशंकर पिता मोडसिंह हि. 1/2, प्रेमबाई बेवा मोडसिंह हि. 1/2, जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	162/2/1	0.089	0.089
99	धनश्याम पिता खुमानसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	162/2/2	0.042	0.042
		262/2/1	0.078	0.078
		267/2/1	0.013	0.013
		कुल 3 किता	**0.133**	**0.133**
100	दयालसिंह पिता नारायणसिंह, हि.1/4, चंदरसिंह पिता नारायणसिंह, हि.1/4, भगवतसिंह पिता नारायणसिंह, हि.1/4, सरदारबाई बेवा पिता नारायणसिंह, हि.1/4, जाति गूजर पता काकरिया गूजर तहसील सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	162/2/3	0.085	0.085
		260/2	0.063	0.063
		262/3	0.155	0.155
		266/2	0.107	0.107
		267/1	0.025	0.025
		311/1/3	0.274	0.274
		कुल 6 किता	**0.709**	**0.709**
101	दशरथसिंह पिता मांगीलाल हि.1/3, कमलसिंह पिता मांगीलाल हि.1/3, पप्पू पिता मांगीलाल हि. 1/3, जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	162/3/1	0.189	0.189
		311/2/2	0.411	0.411
		कुल 2 किता	**0.600**	**0.600**
102	जगदीश पिता हीरालाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	162/3/2	0.190	0.190
		311/2/1	0.411	0.411
		कुल 2 किता	**0.601**	**0.601**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
103	नारायण सिंह पिता गुलाब जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	169/2	0.228	0.228
		169/4/5	0.083	0.083
		कुल 2 किता	**0.311**	**0.311**
104	हनुमत सिंह पिता मानसिंह जाति गूजर पता काकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	169/3/1	0.992	0.992
105	दिलीप पिता नारायणसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	169/3/2	1.031	1.031
106	दयाल सिंह पिता गुलाब सिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	169/3/3	1.012	1.012
107	रामबाबू पिता छत्रसालसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	169/4/1	0.090	0.090
108	विश्राम सिंह पिता छत्रसाल सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	169/4/2	0.051	0.051
		173/4	0.050	0.050
		कुल 2 किता	**0.101**	**0.101**
109	जसबन्तसिंह पिता दयालसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	169/4/3	0.039	0.039
		173/2	0.060	0.060
		कुल 2 किता	**0.099**	**0.099**
110	भगवतसिंह पिता दयालसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	169/4/4	0.053	0.053
111	चैनसिंह पिता मानसिंह जाति गूजर पता काकरिया गेूजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	171/1	0.493	0.493
112	रामबाबू पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	171/2	0.253	0.253
		261/2	0.139	0.139
		कुल 2 किता	**0.392**	**0.392**
113	नारायण सिंह पिता गुलाब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	173/1	0.083	0.083
		173/3	0.060	0.060
114	घनश्याम पिता खुमानसिंह हि. 1/2, विक्रमसिंह पिता खुमानसिंह हि. 1/2, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	175/1	0.076	0.076
115	विक्रमसिंह पिता खुमान सिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	175/2	0.380	0.380
		262/2/2	0.077	0.077
		267/2/2	0.013	0.013
		कुल 3 किता	**0.470**	**0.470**
116	घनश्याम पिता खुमानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	175/3	0.379	0.379

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
117	पवित्राबाई पत्नी भगवान सिंह जाति सोंदया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	186	0.367	0.367
		188	0.076	0.076
		कुल 2 किता	**0.443**	**0.443**
118(A)	बनेसिंह पिता लक्ष्मणसिंह हि. 1/2, भूलीबाई पिता लक्ष्मणसिंह हि. 1/2, जाति सोंदिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	187	0.038	0.038
118(B)	बनेसिंह पिता लक्ष्मण जाति सोंदिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	220	1.758	1.758
119	नानीबाई पति नारायण सिंह जाति सोंदिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ (म.प्र.)	189	0.076	0.076
		190	0.139	0.139
		कुल 2 किता	**0.215**	**0.215**
120	बद्रीलाल पिता श्रीलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	191/1	0.448	0.448
121	भंवरलाल पिता हरिसिंह जाति सोंदिया पता निवासी कांकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	192	0.190	0.190
		193/3/2	0.284	0.284
		193/4/2	0.253	0.253
		219/1	0.746	0.746
		कुल 4 किता	**1.473**	**1.473**
122	बद्रीलाल पिता श्रीलाल हि. 1/2, रामप्रसाद पिता श्रीलाल हि. 1/2, जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	193/2	1.518	1.518
123	रामसिंह पिता हरीसिंह जाति सोंदिया पता निवासी कांकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	193/3/1	0.475	0.475
		193/4/1	0.253	0.253
		217/2	0.455	0.455
		219/2	0.949	0.949
		कुल 4 किता	**2.132**	**2.132**
124	चैनसिंह पिता मानसिंह जाति गूजर पता काकरिया गूजर व्यवरा राजगढ़ (म.प्र.)	199	0.240	0.240
		262/1	0.310	0.310
		कुल 2 किता	**0.550**	**0.550**
125	दीनदयाल पिता सागरसिंह जाति गूजर पता निवासी कांकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	203/2/2/1	0.253	0.253
		204/2/1/1	0.063	0.063
		214/1	0.420	0.420
		कुल 3 किता	**0.736**	0.736
126	लेखराम पिता सागरसिंह जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़	203/2/2/2	0.253	**0.253**
		204/2/1/2	0.063	0.063
		214/2	0.718	0.718
		कुल 3 किता	**1.034**	**1.034**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
127	लक्ष्मण सिंह पिता मानसिंह जाति गूजर पता निवासी कांकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	204/3/1	0.253	0.253
128	अयोध्याबाई पति घनश्याम जाति गूजर पता निवासी कांकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	204/3/2/1	0.126	0.126
129	नारानीबाई बेवा प्रेमसिंह जाति गूजर पता निवासी कांकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	204/3/2/2	0.253	0.253
130	अन्तरबाई पति विक्रमसिंह जाति गूजर पता निवासी कांकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	204/3/2/3	0.126	0.126
131	बलराम पिता रामबगस जाति गूजर पता निवासी कांकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	207	1.770	1.770
		239	0.164	0.164
		कुल 2 किता	**1.934**	**1.934**
132	हरिसिंह पिता दयाराम जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	225	0.885	0.885
		228	0.721	0.721
		कुल 2 किता	**1.606**	**1.606**
133	दयालसिंह पिता मांगीलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	229/1	0.280	0.280
134	धुरीलाल पिता मांगीलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	229/2	0.078	0.078
135	मोरसिंह पिता गुलाब सिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	229/3	0.178	0.178
136	लालाराम पिता गुलाब सिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	229/4	0.212	0.212
137	रामबगस पिता गुलाब सिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	229/5	0.153	0.153
138	रामनाथ सिंह पिता गुलाबसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	229/6	0.178	0.178
139	नन्दलाल पिता गुलाबसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	229/7	0.179	0.179
140	भावसिंह पिता राधाकिशन जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	229/8	0.463	0.463

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
141	राधाबाई पत्नी रामबाबू जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	237	0.139	0.139
142	विक्रमसिंह पिता अमरसिंह जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	240/1	1.473	1.473
		243/3	0.028	0.028
		कुल 2 किता	**1.501**	**1.501**
143	बद्रीलाल बनेसिंह, विक्रमसिंह पिता अमरसिंह, नरबदीबाई पत्नी अमरसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	240/2	0.373	0.373
		241/3	0.286	0.286
		242/1	0.100	0.100
		कुल 3 किता	**0.759**	**0.759**
144	बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	241/1	0.360	0.360
		242/2	0.810	0.810
		243/1	0.215	0.215
		कुल 3 किता	**1.385**	**1.385**
145(A)	बनेसिंह पिता अमरसिंह जाति गूर्जर पता काकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	241/2	0.315	0.315
		242/3	0.974	0.974
		243/2	0.200	0.200
		कुल 3 किता	**1.489**	**1.489**
145(B)	बनेसिंह पिता लक्ष्मण जाति सोंदिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	244/1	1.000	1.000
146	मोडसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	244/2	0.493	0.493
147	रामसिंह पिता हरिसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	245/1	0.430	0.430
		246/2	0.746	0.746
		247/2	0.474	0.474
		कुल 3 किता	**1.650**	**1.650**
148	भवरलाल पिता हरिसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	245/2	0.430	0.430
		246/1	0.747	0.747
		247/1	0.474	0.474
		कुल 3 किता	**1.651**	**1.651**
149	पवित्राबाई पत्नी भगवान सिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	248	0.253	0.253
150	अमरसिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	249	0.114	0.114

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
151	भूरसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	252/1	0.076	0.076
152	कस्तूरीबाई बेवा रामचरण जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	263/1	0.164	0.164
153	पर्वतसिंह, हरिनारायण, बद्रीलाल, होकमसिंह पिता अमरसिंह, दरयावबाई बेवा अमरसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	263/3	0.165	0.165
		419	1.607	1.607
		कुल 2 किता	**1.772**	**1.772**
154	बद्रीलाल पिता श्रीलाल हि. 1/2, रामप्रसाद पिता श्रीलाल हि. 1/2, जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	265/1	0.070	0.070
155	मदन पिता राजाराम जाति नाई पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	265/2	0.065	0.065
156	चेनसिंह पिता फतेसिंह हि. 1/2, कंचनसिंह पिता फतेसिंह हि. 1/2, जाति गूर्जर पता निवासी हुडा सुठालिया, राजगढ़	268	0.354	0.354
157	पर्वत सिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	305	0.051	0.051
		371	0.379	0.379
		कुल 2 किता	**0.430**	**0.430**
158	मानसिंह पिता गोपीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	309	0.051	0.051
		343	0.126	0.126
		कुल 2 किता	**0.177**	**0.177**
159	परसराम पिता मोडसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	311/1/1	0.274	0.274
160	धनश्याम पिता खुमानसिंह हि. 1/2, विक्रमसिंह पिता खुमानसिंह हि. 1/2, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	311/1/2	0.274	0.274
161	दशरथसिंह, कमलसिंह पिता मांगीलाल, जगदीश पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	311/2/3	0.013	0.013
162	चन्दरसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़	313/1	0.541	0.541
163	आजाद सिंह पिता मोडसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	329	0.190	0.190
		341	0.228	0.228
		कुल 2 किता	**0.418**	**0.418**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
164	प्रेमसिंह, सोनाथसिंह, संतराबाई, छमाबाई सर्व पिता बापूलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	335/1	0.044	0.044
165	फूलसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़	344	0.025	0.025
166	भारत सिंह पिता हीरालाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	363/1	0.140	0.140
167	विक्रम सिंह पिता गणेशराम जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	363/2	0.126	0.126
168	भंवरलाल पिता देवा हि. 1/4, बंशीलाल पिता देवा हि. 1/4, हीरालाल पिता देवा हि. 1/4, जालम पिता देवा हि. 1/4, जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ (म.प्र.)	430	0.291	0.291
	कुलयोग :–	कुल 430 किता	117.371	117.371

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

कमांक /भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 15/अ–82/2020–21 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–सुठालिया, जिला–राजगढ़** के **ग्राम–कानरखेड़ी** के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री, सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : सुठालिया **जिला : राजगढ़**

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–कानरखेड़ी

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित **ग्राम–कानरखेड़ी** की भूमि की आवश्यकता।	**126.200**	**126.200**
	कुल योग :	**126.200**	**126.200**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	केवलपुरी पिता बापूपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	2/1	0.548	0.548
		3/1	0.654	0.654
		कुल 2 किता	**1.202**	**1.202**
2	मुरारी पिता बापूपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	2/3	0.548	0.548
		3/3	0.653	0.653
		कुल 2 किता	**1.201**	**1.201**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
3	मंगुपुरी पिता बापूपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	3/2/1	0.373	0.373
4	नरेन्द्र पिता मंगुपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	3/2/2	0.094	0.094
5	प्रीतम पिता मंगुपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	3/2/3	0.094	0.094
6	ओमबाबू पिता मंगुपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	3/2/4	0.093	0.093
7	नोरगंबाई पति छोटूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	4/1	1.607	1.607
8	नेनीबाई पत्नी श्यामगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	4/2	0.278	0.278
		5/1	0.526	0.526
		कुल 2 किता	**0.804**	**0.804**
9	रूपवती पत्नी मथरागिरि जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	5/2	0.031	0.031
		6	0.772	0.772
		कुल 2 किता	**0.803**	**0.803**
10	श्यामगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	7/1	0.108	0.108
		10/1	0.126	0.126
		11/1	0.500	0.500
		कुल 3 किता	**0.734**	**0.734**
11	लक्ष्मणगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	7/2	0.107	0.107
		10/2	0.127	0.127
		11/2	0.500	0.500
		13/2	0.073	0.073
		29/2	0.803	0.803
		कुल 5 किता	**1.610**	**1.610**
12	जतनगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	8/1	0.506	0.506
		12/1	1.100	1.100
		16/4	0.280	0.280
		16/8	0.243	0.243
		17/3	0.630	0.630
		18/7	0.075	0.075
		18/11	0.114	0.114
		कुल 7 किता	**2.948**	**2.948**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
13	बद्रीगरि पिता जमनागिर 1/3 भाग हरगिरि पिता जमनागिर 1/3 भाग नारानगिर पिता जमनागिर 1/3 भाग जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	8/2	1.227	1.227
		9	1.518	1.518
		कुल 2 किता	**2.745**	**2.745**
14	गोकलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	10/3/1	0.063	0.063
		11/3/1	0.303	0.303
		13/3/1	0.036	0.036
		29/3/1	0.402	0.402
		40/2/1	0.057	0.057
		कुल 5 किता	**0.861**	**0.861**
15	कमलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	10/3/2	0.063	0.063
		11/3/2	0.303	0.303
		13/3/2	0.037	0.037
		29/3/2	0.402	0.402
		40/2/2	0.057	0.057
		कुल 5 किता	**0.862**	**0.862**
16	डूगरगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	11/4	0.734	0.734
		13/4	0.073	0.073
		29/4	0.803	0.803
		40/1	0.144	0.144
		कुल 4 किता	**1.754**	**1.754**
17	हीरागिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	12/2	0.065	0.065
		14/2	0.174	0.174
		16/2	0.280	0.280
		16/6	0.420	0.420
		17/1	0.444	0.444
		18/2	0.075	0.075
		18/5	0.175	0.175
		18/9	0.114	0.114
		28/3	0.215	0.215
		कुल 9 किता	**1.962**	**1.962**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
18	बद्रीगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	12/3	0.065	0.065
		16/5	0.750	0.750
		18/3	0.075	0.075
		18/8	0.225	0.225
		21	0.228	0.228
		28/4	0.285	0.285
		कुल 6 किता	**1.628**	**1.628**
19	नारायणगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	12/4	0.065	0.065
		14/1	0.234	0.234
		16/3	0.280	0.280
		16/7	0.425	0.425
		17/2	0.392	0.392
		18/1	0.033	0.033
		18/6	0.042	0.042
		18/10	0.130	0.130
		43/4	0.136	0.136
		कुल 9 किता	**1.737**	**1.737**
20	मथरागिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	13/1	0.072	0.072
21	मनोजगिर पिता वदरीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	15/1/2	0.080	0.080
22	कैलाशगिर पिता राजगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	15/2	0.253	0.253
23	मुरारीगिर पिता हरिगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	16/1	0.725	0.725
		18/4	0.400	0.400
		18/12	0.217	0.217
		19	0.481	0.481
		कुल 4 किता	**1.823**	**1.823**
24	मोहनगिर पिता मुरारीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	17/4	1.165	1.165
25	छोटूगिर पिता राजगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	22/1/1	0.874	0.874

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
26	सरदारगिर पिता राजगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	22/1/2	0.518	0.518
		26/1	0.987	0.987
		कुल 2 किता	**1.505**	**1.505**
27	चंचलगिर पिता इमरतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	22/2/1	0.092	0.092
		26/2/1	0.700	0.700
		कुल 2 किता	**0.792**	**0.792**
28	प्रभूगिर पिता इमरतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	22/2/2	0.093	0.093
		26/2/3	0.780	0.780
		कुल 2 किता	**0.873**	**0.873**
29	मथरागिर पिता इमरतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	22/2/3	0.093	0.093
		15/1/1	0.160	0.160
		कुल 2 किता	**0.253**	**0.253**
30	गणेशगिर पिता कल्लूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	23/1	0.107	0.107
		23/2	0.108	0.108
		24/1	0.715	0.715
		24/2/2	0.018	0.018
		कुल 4 किता	**0.948**	**0.948**
31	संतोषबाई पत्नि रमेशगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	24/2/1	0.253	0.253
		24/2/3	0.443	0.443
		कुल 2 किता	**0.696**	**0.696**
32	रामबाबू पिता कन्हैयागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	25/1	0.934	0.934
		27/1	0.078	0.078
		कुल 2 किता	**1.012**	**1.012**
33	बापूगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	25/2	0.708	0.708
		27/2	0.051	0.051
		कुल 2 किता	**0.759**	**0.759**
34	कन्हैयालाल गिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	25/3	0.406	0.406
		27/3	0.100	0.100
		कुल 2 किता	**0.506**	**0.506**
35	भगवानगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	25/4	0.406	0.406
		27/4	0.100	0.100
		कुल 2 किता	**0.606**	**0.606**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
36	लछमनगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	25/5	0.063	0.063
		27/5	0.126	0.126
		27/6	0.317	0.317
		कुल 3 किता	**0.506**	**0.506**
37	धनश्यामगिर पिता नारानगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	26/2/2	0.253	0.253
38	गोपालगिर पिता प्रेमगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	27/7/1	0.324	0.324
39	जितेन्द्रगिर पिता प्रेमगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	27/7/2	0.324	0.324
40	अनिलगिर नाबालिग पिता मुरारीगिर संरक्षक माता राममूर्तिबाई पति मुरारीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	28/5	0.720	0.720
41	शारदाबाई पत्नी कालूराम जाति मीना पता निवासी शाहपुरा परवलिया सड़क तहसील हुजूर भोपाल	41/1/1	1.012	1.012
42	हरिओम गिर पिता बसंतीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	56/1	0.177	0.177
		57/1/1	0.166	0.166
		कुल 2 किता	**0.343**	**0.343**
43	सुनीलगिर पिता बसंतीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	56/2	0.177	0.177
44	भगवानगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	66	0.025	0.025
45	कन्हैयालाल गिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	67/2	0.111	0.111
46	लछमनगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	67/3	0.111	0.111
47	सुन्दरबाई बेवा भावसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	83/1	0.019	0.019
		85/1	0.367	0.367
		86/1	0.297	0.297
		कुल 7 किता	**0.683**	**0.683**
48	लक्ष्मणसिंह पिता बापूलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	83/2	0.019	0.019
		84/2	0.025	0.025
		84/3	0.025	0.025
		84/4	0.026	0.026
		85/2/2	0.184	0.184
		86/2/2	0.149	0.149
		93/1	0.101	0.101
		कुल 7 किता	**0.529**	**0.529**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
49	हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	84/1	0.025	0.025
50	हजारीपुरी पिता कन्हैयालाल जाति गुसाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87	0.278	0.278
51	बापूपुरी पिता सरदारी पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	88/1	0.126	0.126
		89	0.202	0.202
		91/1	0.202	0.202
		कुल 3 किता	**0.530**	**0.530**
52	लक्ष्मण पुरी पिता चन्दूपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी तहसील ब्यावरा, ,राजगढ़ (म.प्र.)	88/2	0.114	0.114
53	मोतीपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	90	0.595	0.595
54	भारतसिंह दत्तक पुत्र गोरेलाल जाति गूजर पता राजगढ़ (म.प्र.)	93/2	0.209	0.209
		256/2	0.629	0.629
		256/3	0.629	0.629
		कुल 3 किता	**1.467**	**1.467**
55	केसरबाई पति प्यारजी, सुनील पिता प्यारजी जाति चमार नि.ग्राम तहसील ब्यावरा,राजगढ़ (म.प्र.), 1/5 भाग चम्पालाल, गोपीलाल, जमनालाल, ग्यारसीराम पिता मांगीलाल जाति चमार पता नि.ग्राम राजगढ़ (म.प्र.), 4/5 भूमि स्वामी	99/1	0.135	0.135
56	रमेशपुरी पिता काशीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	99/2	0.270	0.270
57	सूरजपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	101/2	0.189	0.189
58	धनश्यामपुरी नाबालिग पिता सूरजपुरी संरक्षक माता स्वयं सरस्वतिबाई पति स्व. सूरजपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.), 1/2 भाग भूमि स्वामी गोपालपुरी नाबालिग पिता सूरजपुरी संरक्षक माता स्वयं सरस्वतिबाई पति स्व. सूरजपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.), 1/2 भाग भूमि स्वामी	102	0.114	0.114

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
59	छोटेलाल पिता पांचू जाति देशवली निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	103	0.139	0.139
		107/2/2	0.013	0.013
		233/1	0.911	0.911
		कुल 3 किता	**1.063**	**1.063**
60	चंचलपुरी पिता काशीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	107/2/1	0.139	0.139
61	रूपाबाई पुत्री चैनसिंह जाति गुर्जर पता कानरखेडी तहसील ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	165/1/1	0.100	0.100
		165/4	0.320	0.320
		166/1	0.171	0.171
		कुल 3 किता	**0.591**	**0.591**
62	धापुबाई पुत्री चैनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	165/1/2	0.220	0.220
		165/2	0.319	0.319
		165/3	0.319	0.319
		166/2	0.171	0.171
		166/3	0.171	0.171
		कुल 5 किता	**1.200**	**1.200**
63	रमेश पिता नन्नूलाल जाति बसोड पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ 1/2 भाग भूमि स्वामी गुड्डीबाई पत्नी रमेश जाति बसोड पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ 1/2 भाग भूमि स्वामी	168/3	1.000	1.000
64	मंगुसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	169	0.342	0.342
		170/1	0.171	0.171
		कुल 2 किता	**0.513**	**0.513**
65	विष्णुसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	170/2	0.512	0.512
66	रामचरण पिता अमरलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.), 1/2 भाग भूमि स्वामी मु. जाडियाबाई बेवा अमरलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.) 1/2 भाग भूमि स्वामी	171/1	0.089	0.089
		171/2/2	0.328	0.328
		171/3/2	0.240	0.240
		172/2	0.771	0.771
		कुल 4 किता	**1.428**	**1.428**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
67	शेतानबाई पत्नी सोमाजी जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	171/2/1	0.115	0.115
		171/3/1	0.456	0.456
		कुल 2 किता	**0.571**	**0.571**
68	माधोसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	172/1	0.657	0.657
69	सरजूबाई बेवा भंवरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	172/3	0.633	0.633
70	मेहताब पिता बापूलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	173/1/1	0.512	0.512
		173/2/1/1	0.310	0.310
		173/2/2/1	0.257	0.257
		250/1/2	0.240	0.240
		250/2/2	0.158	0.158
		251/2/1	0.041	0.041
		251/2/2	0.041	0.041
		252/2/1	0.117	0.117
		254/2/1/2	0.019	0.019
		254/2/2	0.038	0.038
		कुल 10 किता	**1.733**	**1.733**
71	दयालसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	173/1/2	0.512	0.512
		173/2/1/2	0.202	0.202
		173/2/2/2	0.256	0.256
		250/1/1	0.076	0.076
		250/2/1	0.158	0.158
		251/1	0.082	0.082
		252/1	0.234	0.234
		252/2/2	0.117	0.117
		254/1	0.076	0.076
		254/2/1/1	0.019	0.019
		कुल 10 किता	**1.732**	**1.732**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
72	मंजूलताबाई बेवा पहलवान सिंह जाति गुर्जर पता कानरखेडी तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.), 1/2 भाग भूमि स्वामी राजेश नाबालिग पिता पहलवान सिंह संरक्षक माता मंजूलताबाई बेवा पहलवान सिंह जाति गुर्जर पता कानरखेडी तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.), 1/2 भाग भूमि स्वामी	174/1	0.120	0.120
		175/1	0.031	0.031
		253/2/3	1.396	1.396
		कुल 3 किता	**1.547**	**1.547**
73	गंगाराम पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	174/2	0.120	0.120
		177/2/1	0.090	0.090
		253/1/1	0.487	0.487
		253/1/4	0.458	0.458
		कुल 4 किता	**1.155**	**1.155**
74	इमरतलाल पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर पता कानरखेडी तहसील ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	175/2	0.032	0.032
		177/2/2	0.037	0.037
		253/1/2	0.577	0.577
		253/1/3	0.508	0.508
		253/2/2	0.127	0.127
		कुल 5 किता	**1.281**	**1.281**
75	हीरापुरी पिता केशरपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	176	0.063	0.063
		178/2	0.373	0.373
		178/3	0.506	0.506
		179/2	0.747	0.747
		कुल 4 किता	**1.689**	**1.689**
76	मनोहरलाल पिता चम्पालाल जाति चमार पता कानरखेडी सुठालिया, राजगढ़	177/1	0.126	0.126
		253/2/4	0.127	0.127
		कुल 2 किता	**0.253**	**0.253**
77	चम्पालाल, गोपीलाल, जमनालाल, ग्यारसीराम पिता मांगीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम राजगढ़, 4/5 भाग भूमि स्वामी केसरबाई पति प्यारजी, सुनील पिता प्यारजी जाति चमार पता नि. ग्राम राजगढ़ 1/5 भाग भूमि स्वामी	178/1	1.385	1.385
		179/1	0.746	0.746
		कुल 2 किता	**2.131**	**2.131**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
78	भगवान सिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	182/1	0.158	0.158
		183/2	0.177	0.177
		184/1	0.664	0.664
		185/2	0.253	0.253
		186/1	0.329	0.329
		कुल 5 किता	**1.581**	**1.581**
79	जसरथसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	182/2/1	0.116	0.116
		186/2/2	0.103	0.103
		कुल 2 किता	**0.219**	**0.219**
80	रामनाथ सिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	182/2/2	0.042	0.042
		183/1	0.177	0.177
		कुल 2 किता	**0.219**	**0.219**
81	प्रेमसिंह पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	184/2	0.664	0.664
		186/2/1	0.226	0.226
		कुल 2 किता	**0.890**	**0.890**
82	कचनबाई बेवा बापूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	185/1	0.253	0.253
83	मथरापुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी ब्यावरा, राजगढ़	187/1	0.689	0.689
84	लखनपुरी पिता चिरोंजीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	187/2	0.683	0.683
		191/1	1.003	1.003
		192/1	0.298	0.298
		कुल 3 किता	**1.984**	**1.984**
85	बद्रीपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी ब्यावरा, राजगढ़	187/3	0.383	0.383
		189/2	0.088	0.088
		191/2	0.135	0.135
		कुल 3 किता	**0.606**	**0.606**
86	जगदीश पुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	188/1	0.274	0.274
87	सूरजपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	188/2	0.371	0.371
88	पदमपुरी पिता मोतीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	189/1/1	0.661	0.661

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
89	महेशपुरी पिता मोतीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	189/1/2	0.086	0.086
		190/2	0.278	0.278
		192/2	0.297	0.297
		कुल 3 किता	**0.661**	**0.661**
90	हजारी पुरी पिता कन्हैयालाल जाति गुसाई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	190/1	2.213	2.213
		191/3	1.138	1.138
		कुल 2 किता	**3.351**	**3.351**
91	अमृतबाई पत्नि हरिप्रसाद जाति देशवली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	193	0.114	0.114
		194/1	1.300	1.300
		194/3	2.760	2.760
		195/1	2.026	2.026
		कुल 4 किता	**6.200**	**6.200**
92	सरजुबाई पति गंगाराम जाति देशावली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	194/2	2.024	2.024
93	धनराज पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	195/2	2.046	2.046
		236	0.253	0.253
		कुल 2 किता	**2.299**	**2.299**
94	प्रभूलाल पिता लछमन जाति देशवार्ली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	197/1	0.259	0.259
		199/1/4	0.127	0.127
		200/4	0.434	0.434
		कुल 3 किता	**0.820**	**0.820**
95	कमलेश पिता नवलसिंह जाति देशवार्ली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	197/2	0.247	0.247
		199/1/3	0.126	0.126
		200/3	0.433	0.433
		234/3	0.012	0.012
		239/1/1/3	0.583	0.583
		242/2/2	0.376	0.376
		247/2/2	0.228	0.228
		249/2/2	0.742	0.742
		कुल 8 किता	**2.747**	**2.747**
96	छोटेलाल पिता पांचू जाति देशवार्ली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	198	0.266	0.266
		199/2	0.506	0.506
		201	0.316	0.316
		कुल 3 किता	**1.088**	**1.088**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
97	नानकराम पिता लछमन जाति देशवार्ली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	199/1/1	0.127	0.127
		200/1	0.433	0.433
		234/1	0.260	0.260
		239/1/1/1	0.324	0.324
		242/2/4	0.376	0.376
		247/2/4	0.229	0.229
		249/1/1	1.000	1.000
		कुल 7 किता	**2.749**	**2.749**
98	सुंदरलाल पिता लछमन जाति देशवार्ली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	199/1/2	0.126	0.126
		200/2	0.433	0.433
		234/2	0.259	0.259
		239/1/1/4	0.582	0.582
		242/2/3	0.376	0.376
		247/2/3	0.227	0.227
		249/2/3	0.743	0.743
		कुल 7 किता	**2.746**	**2.746**
99	हरिप्रसाद पिता नारायण प्रसाद जाति देशवार्ली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)	204	0.241	0.241
		205	0.316	0.316
		206	0.569	0.569
		कुल 3 किता	**1.126**	**1.126**
100	महेशगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	218/1	0.012	0.012
101	विष्णुगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	218/2	0.013	0.013
102	हीरापुरी पिता केशरपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	219/1	0.031	0.031
		219/2	0.032	0.032
		कुल 2 किता	**0.063**	**0.063**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
103	मनोहर पुरी पिता केशरपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.) 1/4 भाग भूमि स्वामी मोहनपुरी पिता केशरपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.) 1/4 भाग भूमि स्वामी गोपीबाई बेवा केशरपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.), 1/4 भाग भूमि स्वामी हीरापुरी पिता केशरपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.) 1/4 भाग भूमि स्वामी	221	0.316	0.316
104	चंदनपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	222	0.139	0.139
		223	0.821	0.821
		कुल 2 किता	**0.960**	**0.960**
105	चम्पा पिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	224	0.063	0.063
106	दौलतपुरी पिता चन्दूपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	226/1	0.270	0.270
107	लक्ष्मण पुरी पिता चन्दूपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	226/2	0.261	0.261
		227/2	0.074	0.074
		कुल 2 किता	**0.335**	**0.335**
108	नर्बदापुरी पिता दौलतपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	227/1	0.065	0.065
109	गंगाराम पिता चंदनपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	228/1/1	0.500	0.500
		232/2/1	0.633	0.633
		कुल 2 किता	**1.133**	**1.133**
110	कैलाश पुरी पिता काशीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.) 1/2 भाग भूमि स्वामी रमेश पुरी पिता काशीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.), 1/2 भाग भूमि स्वामी	228/1/2	0.215	0.215
		244/1	0.885	0.885
		245/1	0.246	0.246
		कुल 3 किता	**1.346**	**1.346**
111	चिरोंजीलाल पिता प्यारेलाल जाति कायस्थ पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	228/2	0.714	0.714
		243/1	1.012	1.012
		243/2	0.987	0.987
		244/2	0.658	0.658
		245/2	0.247	0.247
		246	0.759	0.759
		कुल 6 किता	**4.377**	**4.377**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
112	किशनपुरी पिता चन्दनपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	229	0.190	0.190
		230	1.075	1.075
		कुल 2 किता	**1.265**	**1.265**
113	जमनाबाई पति नारानगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	232/1	0.329	0.329
		232/2/2	0.632	0.632
		233/2	0.392	0.392
		242/1	1.279	1.279
		247/1	0.126	0.126
		कुल 5 किता	**2.758**	**2.758**
114	कैलाश पुरी पिता कासीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	238	0.253	0.253
		239/2	1.265	1.265
		कुल 2 किता	**1.518**	**1.518**
115	प्रभूलाल पिता लछमन जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	239/1/1/2	0.471	0.471
		242/2/1	0.375	0.375
		247/2/1	0.227	0.227
		249/1/2	0.518	0.518
		249/2/1	0.336	0.336
		कुल 5 किता	**1.927**	**1.927**
116	लक्ष्मण पुरी पिता चन्दूपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.), 1/2 भाग भूमि स्वामी नर्वदापुरी पिता दोलतपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.), 1/2 भाग भूमि स्वामी	239/1/2	1.518	1.518
		249/3	0.506	0.506
		कुल 2 किता	**2.024**	**2.024**
117	छोटूपुरी पिता रूगनाथपुरी 1/4 भाग भूमि स्वामी प्रभूपुरी पिता रूगनाथपुरी 1/4 भाग भूमि स्वामी चम्पापुरी पिता रूगनाथपुरी 1/4 भाग भूमि स्वामी मंगूपुरी पिता रूगनाथपुरी 1/4 भाग भूमि स्वामी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	240	0.253	0.253
118	मंगूपुरी पिता रूगनाथ पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	241/1	0.393	0.393
		241/5	0.085	0.085
		248/1	0.095	0.095
		कुल 3 किता	**0.573**	**0.573**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
119	प्रभूपुरी पिता रूगनाथ पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	241/2	0.393	0.393
		241/6	0.085	0.085
		248/2	0.095	0.095
		कुल 3 किता	**0.573**	**0.573**
120	छोटूपुरी पिता रूगनाथ पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	241/3	0.392	0.392
		241/7	0.085	0.085
		248/3	0.094	0.094
		कुल 3 किता	**0.571**	**0.571**
121	चम्पापुरी पिता रूगनाथ पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	241/4	0.392	0.392
		241/8	0.085	0.085
		248/4	0.095	0.095
		कुल 3 किता	**0.572**	**0.572**
122	हरिनारायण पुरी पिता कैलाश पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	244/3	0.759	0.759
123	चंदरसिंह पिता गंगाराम जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	253/2/1	0.380	0.380
124	लालजीराम पिता बंशीलाल, 1/2 भाग रमाबाई पत्नी लालजीराम 1/2 भाग जाति बसोड पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	255/2	2.000	2.000
125	सरजूबाई पति गंगाराम जाति गुर्जर पता कानरखेडी तहसील ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.),	256/1	0.630	0.630
		257/2	0.500	0.500
		कुल 2 किता	**1.130**	**1.130**
126	नन्नूलाल पिता गुलजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	256/4	0.250	0.250

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
127	मनीष नाबालिग पिता उरजन संरक्षक माता खुद रेशमबाई 1/4 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.), अनीताबाई नाबालिंग पिता उरजन संरक्षक माता खुद रेशमबाई 1/4 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.), सोनिया नाबालिंग पिता उरजन संरक्षक माता खुद रेशमबाई 1/4 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.), रेशमबाई बेवा उरजन 1/4 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	257/1	0.866	0.866
128	कंचनबाई पत्नी धन्नालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	258/1	0.506	0.506
129	शैतानबाई पत्नी सोमाजी जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.),	258/2	0.607	0.607
130	सम्पतबाई पुत्री भूरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.),	259	1.265	1.265
	कुल योग :–	कुल 328 किता	**126.200**	**126.200**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 30 दिसम्बर 2020

कमांक /भू–अर्जन/2020 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 02-35-82/2020-21 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना **तहसील–मक्सूदनगढ़, जिला–गुना** के ग्राम–**खैराड** में शीष कार्य निर्माण के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/ 34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : राधोगढ़ जिला : गुना

सुठालिया सिंचाई परियोजना के-अन्तर्गत शीर्ष कार्य निर्माण में प्रभावित भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव,

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के शीष कार्य निर्माण के प्रभावित ग्राम–खैराड की भूमि की आवश्यकता।	**23.791**	**19.387**
	कुल योग :	**23.791**	**19.387**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	कमरलाल, उघमसिंह पुत्रगण मुन्नीलाल, रामकुबाइ, गीताबाई पुत्रियां चुन्नीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	480	1.620	0.972
		कुल 1 किता	**1.620**	**0.972**

2	कैलाश पुत्र रामसिंह, कमरलाल पुत्र रामसिंह, मोहरसिंह पुत्र रामसिंह जाति लोधी पता गुना भूमि स्वामी	507	0.491	0.491
		कुल 1 किता	**0.491**	**0.491** **
3	कैलाश, कमरलाल, मोरसिंह पुत्रगण रामसिंह, कान्ताबाई, सुशीलाबाई पुत्रियां राम सिंह, सुन्दरबाई बेवा रामसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	482	0.836	0.418
		कुल 1 किता	**0.836**	**0.418**
4	कैलास, कमरलाल, मोहर सिंह पुत्रगण राम सिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	506	0.763	0.763
		कुल 1 किता	**0.763**	**0.763**
5	कोमल सिंह पुत्र राधाकिशन, देवी सिंह पुत्र कोमल सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	508	1.160	0.812
		कुल 1 किता	**1.160**	**0.812** **
6	खेमचंद पुत्र प्रर्थी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	477/मिन–3	0.209	0.105
		476/2	0.397	0.397
		कुल 2 किता	**0.606**	**0.502**
7	खेमचंद, रामप्रसाद पुत्रगण प्रर्थी, गोरधन पुत्र मथुरालाल, कौसल्याबाई, गुलाबबाई पुत्रीयां मथुरालाल, लीवाई बेवा मूलचंद शिवरण, बनवारी, रामलक्षन, जितेन्द्र पुत्र मूलचंद अजबवाई पुत्री मूलचंद जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	476/1	0.397	0.298
		कुल 1 किता	**0.397**	**0.298**
8	गुलाबसिंह पुत्र खेमचंद जाति लोधी भूमि स्वामी	477/मिन–2	0.261	0.183
		कुल 1 किता	**0.261**	**0.183**
9	मांगीलाल, प्रेमसिंह, गुलावसिंह, देवीसिंह पुत्रगण गोपीलाल, बूदोबाई पुत्र गोपीलाल, भूलीबाई वेवा गोपीलाल, मोहर सिंह, कमल सिंह पुत्रगण जमनालाल, मुल्लोबाई वेवा जमना जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	466/1	3.936	3.936 **
		कुल 1 किता	**3.936**	**3.936**
10	मोहर सिंह, कमलसिंह पुत्रगण जमनालाल, मुल्लोबाई बेवा जमनालाल, गीताबाई, रेखाबाई पुत्री जमनालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	466/3	2.133	2.133
		कुल 1 किता	**2.133**	**2.133**

11	मार्ग्या पुत्रगण भमरलाल, धनसिंह, तखतसिंह, हीरालाल, विजयसिंह, रमेश प्रेमसिंह पुत्रगण करननसिंह, दयाली बाई पुत्री करनसिंह जाति राम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	474/2	0.627	0.627
		कुल 1 किता	**0.627**	**0.627**
12	मदन पुत्र प्रथी जाति लोधी पता निवासी ग्राम रघनाथपरा भमि स्वामी	464	0.094	0.094
		465	1.244	1.244
		कुल 2 किता	**1.338**	**1.338**
13	मदनलाल पुत्र भमरजी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	483	0.627	0.627
		कुल 1 किता	**0.627**	**0.627**
14	मिश्रीलाल पुत्र जयनारायण जाति लोधी पता निवासी ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	466/2	0.329	0.329
		कुल 1 किता	**0.329**	**0.329**
15	जितेन्द्र पुत्र सुरेश चन्द्र जाति पालीबाल पता निवासी ग्राम सुठालिया भूमि स्वामी	473	1.505	0.753
		कुल 1 किता	**1.505**	**0.753**
16	हीरालाल पुत्र गोरधन जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	474/1/मिन-1	0.313	0.313
		कुल 1 किता	**0.313**	**0.313**
17	हरनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति ढीमर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	505	1.975	1.580
		कुल 1 किता	**1.975**	**1.580**
18	भगवत सिंह पुत्र जमनालाल पता नि. ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	524	0.732	0.110
		कुल 1 किता	**0.732**	**0.110**
19	राम प्रसाद पुत्र भागीरथ जाति लोधी पता निवासी ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	478/1	0.338	0.338
		कुल 1 किता	**0.338**	**0.338**
20	सुन्दरलाल पुत्र गोरधन जाति लोधी पता निवासी ग्राम रूगनाथपुरा भूमि स्वामी	477/मिन–1	0.126	0.126
		कुल 1 किता	**0.126**	**0.126**
21	देंवी सिंह, बालकिशन पुत्रगण फूलसिंह, बादाम बाई पुत्री फूलसिंह, धापूबाई वेवा फूलसिंह जाति लोधा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	478/3	0.338	0.338
		कुल 1 किता	**0.338**	**0.338**
22	फूलसिंह पुत्र अमरचंद जाति लोधी पता निवासी मकसूदनगंढ गुना भूमि स्वामी	463/2/1	0.682	0.443
		कुल 1 किता	**0.682**	**0.443**

23	तखत सिंह पुत्र करन सिंह जाति राव पता निवासी ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	474/1/मिन-2	0.157	0.157
		474/1/मिन-3	0.157	0.157
		कुल 2 किता	**0.314**	**0.314**
24	तखत सिंह पुत्र अमरचंद जाति लोधी पता निवासी गुना भूमि स्वामी	463/2/2	0.682	0.041
		कुल 1 किता	**0.682**	**0.041**
25	जमनालाल पुत्र भागीरथ जाति लोधा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	478/2	0.338	0.338
		484/3	0.195	0.137
		कुल 2 किता	**0.533**	**0.475**
26	मोहरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति लोधी पता निवासी ग्राम रघुनाथपुरा भूमि स्वामी	479	1.129	1.129
		कुल 1 किता	**1.129**	**1.129**
	कुल योग	**कुल 30 किता**	**23.791**	**19.387**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) राघोगढ़, जिला – गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुमार पुरूषोत्तम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश पदेन उपसचिव एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 30 सितम्बर 2020

कमांक /भू–अर्जन/2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवष्यकता है अथवा आवष्यकता पड़ने की संभावना है। ..

प्रकरण कमांक 03/82/2020–21 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील–राघोगढ़, जिला–गुना के ग्राम–रघुनाथपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। ..

–: अनुसूची (1) :–

तहसील : राघोगढ़ जिला : गुना

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम–रघुनाथपुरा

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम–रघुनाथपुरा की भूमि की आवश्यकता।	**94.139**	**94.139** ..
	कुल योग :	**94.139**	**94.139**

–: अनुसूची (2) :–

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
1	लाखन पुत्र दयाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/1/क/1	0.208	0.208
		3/2/क/1	0.523	0.523
		3/2/ख/1	0.102	0.102

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)**
1	2	3	4	5
		97/2/ख/1	0.017	0.017
		कुल 4 किता	**0.850**	**0.850**
2	माखन पुत्र दयाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/1/क/2	0.208	0.208
		3/2/क/2	0.522	0.522
		3/2/ख/2	0.102	0.102
		97/2/ख/2	0.018	0.018
		कुल 4 किता	**0.850**	**0.850**
3	मोतीलाल पुत्र गोरधन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/1/ख/1	0.103	0.103
		3/1/ख/2	0.314	0.314 **
		3/1/ग/1	0.138	0.138
		3/1/ग/2	0.139	0.139
		3/1/ग/3	0.139	0.139
		7/1/क	0.073	0.073
		7/1/ख	0.073	0.073
		43/5	0.025	0.025
		57/5	0.016	0.016
		59/1/ग	1.014	1.014
		59/1/ग/1	0.209	0.209
		92/5	0.030	0.030 **
		कुल 12 किता	**2.273**	**2.273**
4	जगन्नाथ पिता पृथी, कतिया बाई बेवा मदनलाल, करणसिंह पुत्र मदनलाल, गुड्डीबाई, रामबाई पुत्रियां मदनलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	4/1	0.340	0.340
		8/1	0.173	0.173
		34/1	0.010	0.010
		56/1	0.194	0.194
		कुल 4 किता	**0.717**	**0.717**
5	रतनसिंह पुत्र पृथिसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	4/2	0.339	0.339
		8/2	0.172	0.172
		34/2	0.010	0.010
		56/2	0.193	0.193 **
		कुल 4 किता	**0.714**	**0.714**
6	केदारीबाई पत्नि गुलाबसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/1/क	0.634	0.634

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
7	धापूबाई बेवा फूलसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/1/ख	0.634	0.634
		6/1/ग/मिन–2	0.457	0.457
		कुल 3 किता	**1.725**	**1.725**
8	विजय सिंह पुत्र प्रथीसिंह, करनसिंह पुत्र मदनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/1/ग/मिन–1	0.177	0.177
		34/5	0.010	0.010
		कुल 2 किता	**0.187**	**0.187**
9	हरिसिंह पुत्र लक्ष्मण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/2/1	0.627	0.627
10	पप्पू पुत्र भमरलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/2/2	0.209	0.209
11	राजू पुत्र भमरलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/2/3	0.209	0.209
12	सुरेश पुत्र भमरलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/2/4	0.209	0.209
13	रामप्रसाद पुत्र भागीरथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/3/1	0.104	0.104
		9/2	0.071	0.071
		30/1	0.109	0.109
		44	0.021	0.021
		कुल 4 किता	**0.305**	**0.305**
14	खुशीलाल पुत्र भागीरथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/3/2	0.105	0.105
		9/4	0.070	0.070
		17/2/2	0.125	0.125
		29/4	0.120	0.120
		30/2	0.110	0.110
		73/4	1.134	1.134
		कुल 6 किता	**1.664**	**1.664**
15	जमनालाल पुत्र भागीरथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	6/3/3	0.209	0.209
		9/3	0.070	0.070
		17/2/3	0.125	0.125
		29/3	0.121	0.121
		30/3	0.110	0.110
		73/3	1.134	1.134
		कुल 6 किता	**1.769**	**1.769**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
16	मोहरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	7/2	0.073	0.073
17	देवीसिंह, बालकिशन पुत्र फूलसिंह, धापूबाई बेवा फूलसिंह, बादामबाई पुत्री फूलसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9/1	0.071	0.071
		17/2/4	0.125	0.125
		29/1	0.121	0.121
		30/4	0.110	0.110
		73/1	1.134	1.134
		कुल 5 किता	**1.561**	**1.561**
18	रामकैलाश पुत्र मोतीलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	10/1	0.109	0.109
		10/2/2	0.105	0.105
		कुल 2 किता	**0.214**	**0.214**
19	मोहरसिंह, कमलसिंह पुत्रगण जमनालाल, मुल्लीबाई बेवा जमनालाल, गीताबाई, रोडाबाई पुत्री जमनालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	10/2/1	0.005	0.005
		48/2	0.104	0.104
		72/2	2.822	2.822
		कुल 3 किता	**2.931**	**2.931**
20	मोतीलाल पुत्र गोरधनलाल भूमि स्वामी	11/1/क	0.627	0.627
		11/1/ख/1	0.158	0.158
		11/1/ख/2	0.286	0.286
		11/1/ख/3	0.286	0.286
		11/1/ख/4	0.286	0.286
		11/1/ख/5	0.286	0.286
		11/1/ख/6	0.286	0.286
		24/3/2	0.050	0.050
		24/4	0.262	0.262
		24/5	0.262	0.262
		24/6	0.261	0.261
		49/2/क	0.098	0.098
		49/2/ख	0.098	0.098
		49/2/ग	0.098	0.098
		49/2/घ	0.098	0.098
		49/2/ड़	0.099	0.099
		कुल 6 किता	**3.541**	**3.541**

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
21	प्रेमसिंह पुत्र लछमनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	11/2/क	0.314	0.314
		17/4	1.000	1.000
		कुल 2 किता	**1.314**	**1.314**
22	बालमुकुन्द पुत्र जगन्नाथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	11/2/ख	0.313	0.313
		21/1	0.277	0.277
		कुल 2 किता	**0.590**	**0.590**
23	नन्दराम पिता मौजीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	13	0.345	0.345
		19/1	0.260	0.260
		19/3/मिन–3	0.013	0.013
		69/1	0.053	0.053
		69/3/मिन–3	0.099	0.099
		कुल 5 किता	**0.770**	**0.770**
24	अमरसिंह पुत्र गोरधन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	14/2/क	0.400	0.400
		43/3	0.025	0.025
		51/3	0.029	0.029
		57/3	0.017	0.017
		61/3	0.082	0.082
		92/3	0.029	0.029
		कुल 6 किता	**0.582**	**0.582**
25	इन्दर सिंह पुत्र रतनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	14/2/ख	0.200	0.200
26	प्रीतमसिंह पुत्र विजयसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	14/2/ग	0.200	0.200
27	शान्तिलाल, बापूलाल पुत्रगण जगन्नाथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	14/2/घ	0.200	0.200
28	गुलाबसिंह पुत्र मोजीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	16	0.261	0.261
		17/106	0.418	0.418
		19/3/मिन–2	0.013	0.013
		69/3/मिन–2	0.099	0.099
		69/4	0.240	0.240
		कुल 5 किता	**1.031**	**1.031**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
29	नवलसिंह पुत्र मोजीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/1/ख	0.500	0.500
		19/4	0.259	0.259
		69/5	0.400	0.400
		कुल 3 किता	**1.159**	**1.159**
30	फूलसिंह पुत्र मोतीलाल जाति लोदी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/1/ग	0.500	0.500
31	रामप्रसाद पुत्र भागीरथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/2/1	0.125	0.125
		29/2	0.120	0.120
		73/2	1.134	1.134
		कुल 3 किता	**1.379**	**1.379**
32	नारान पुत्र जगन्नाथ जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/3	1.000	1.000
33	विजयसिंह पुत्र मदनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/5	1.000	1.000
		37/2	0.008	0.008
		52/1	0.126	0.126
		93/2	0.093	0.093
		कुल 4 किता	**1.227**	**1.227**
34	लीलाबाई बेवा रतीराम, बालकिशन, अनारसिंह पुत्र रतीराम, नोरंगबाई पुत्री रतीराम जाति लोधी पता नि ग्राम भूमि स्वामी	17/6	1.000	1.000
35	नर्बदीबाई पत्नि दयाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/7	1.364	1.364
36	अयोध्याबाई पुत्री मांगीलाल जाति नाई पता नि. खैराड भूमि स्वामी	18/1	0.120	0.120
37	मोहरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति लोधी पता नि. खैराड भूमि स्वामी, कमलाबाई बेवा मिश्री जाति नाई पता नि. खैराड भूमि स्वामी	18/2	0.120	0.120
38	फूलसिंह पुत्र मोजीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	19/2	0.260	0.260
		19/3/मिन–4	0.013	0.013
		69/2	0.399	0.399
		69/3/मिन–4	0.100	0.100
		कुल 4 किता	**0.772**	**0.772**

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
39	गोपालसिंह पुत्र मोजीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	19/3/मिन–1	0.221	0.221
		69/3/मिन–1	0.100	0.100
		कुल 2 किता	**0.321**	**0.321**
40	जगन्नाथ पुत्र भमरलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	**20**	0.105	0.105
41	तखतसिंह पुत्र लक्ष्मण जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	**21/2**	0.277	0.277
42	मदन पुत्र भागमल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	**22**	0.490	0.490
43	पर्वतसिंह पुत्र गिरधारी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	23/1	0.115	0.115
		26/1	0.748	0.748
		39/1	0.054	0.054
		कुल 3 किता	**0.917**	**0.917**
44	तुलसीराम पुत्र गिरधारी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	23/2	0.115	0.115
		26/2	0.749	0.749
		39/2	0.054	0.054
		कुल 3 किता	**0.918**	**0.918**
45	गंगाराम पुत्र गिरधारी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	23/3	0.115	0.115
		26/3	0.748	0.748
		39/3	0.054	0.054
		कुल 3 किता	**0.917**	**0.917**
46	कनीराम पुत्र गिरधारी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	23/4	0.115	0.115
		26/4	0.748	0.748
		39/4	0.054	0.054
		कुल 3 किता	**0.917**	**0.917**
47	गुलाब सिंह पुत्र गिरधारी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	23/5	0.115	0.115
		26/5	0.749	0.749
		39/5	0.054	0.054
		कुल 3 किता	**0.918**	**0.918**

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)**
1	2	3	4	5
48	कुन्तीबाई बेवा रामबाबू, पुस्कर पुत्र रामबाबू सर पर दादा बंशीलाल पुत्र गोरधन पतिा नि. ग्राम भूमि स्वामी	24/1	0.261	0.261
		24/2	0.261	0.261
		24/3/1	0.211	0.211
		24/107/1	0.163	0.163
		24/107/2	0.164	0.164
		24/107/3	0.164	0.164
		24/107/4	0.164	0.164
		24/107/5	0.164	0.164
		24/107/6	0.163	0.163
		68/1	0.167	0.167
		68/2	0.167	0.167
		68/3	0.168	0.168
		68/4	0.167	0.167
		68/5	0.167	0.167
		कुल 14 किता	**2.551**	**2.551**
49	भोलाराम पुत्र धन्नालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25	0.679	0.679
50	करनसिंह पुत्र विजय सिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	27/1	0.438	0.438
		36/1	0.219	0.219
		55/1/1	0.219	0.219
		74/1/मिन–3	0.100	0.100
		89/1	0.700	0.700
		कुल 5 किता	**1.676**	**1.676**
51	जयनारायण पुत्र भमरजी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	27/2	0.316	0.316
		28	0.230	0.230
		55/2/ख	0.220	0.220
		70/1	0.018	0.018
		71/1	0.064	0.064
		89/2	0.701	0.701
		कुल 6 किता	**1.549**	**1.549**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
52	रामचरण पुत्रगण राजाराम, कमरीबाई पुत्री राजाराम, केशरबाई बेवा फूलसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	27/3	0.365	0.365
		55/3/1	0.220	0.220
		89/3	0.700	0.700
		कुल 3 किता	**1.285**	**1.285**
53	शिब्बू, उर्फ, शिवचरण पुत्र किसनलाल हरवी बाई पुत्री किसनलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	27/4	0.439	0.439
		36/2	0.109	0.109
		54	0.010	0.010
		55/4/1	0.209	0.209
		89/4	0.700	0.700
		कुल 5 किता	**1.467**	**1.467**
54	मांगीलाल पुत्र राधेकिसन, केदार बाई पुत्री राधेकिसन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	27/5	0.365	0.365
		55/5/1	0.219	0.219
		63/2	0.183	0.183
		89/5	0.261	0.261
		94	0.439	0.439
		कुल 5 किता	**1.467**	**1.467**
55	सोनू पुत्र बद्रीलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	34/3	0.006	0.006
		60/1	0.418	0.418
		कुल 2 किता	**0.424**	**0.424**
56	करनसिंह पुत्र मदनलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	34/4	0.006	0.006
		60/2	0.277	0.277
		कुल 2 किता	**0.283**	**0.283**
57	मांगीलाल पुत्र छोट्या जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/1	0.021	0.021
		93/1	1.464	1.464
		कुल 2 किता	**1.485**	**1.485**
58	दौलतराम पुत्र मदनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/3	0.009	0.009
		52/2	0.125	0.125
		93/3	0.094	0.094
		कुल 3 किता	**0.228**	**0.228**

क्र.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
59	लालसिंह पुत्र मदनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/4	0.009	0.009
		52/3	0.125	0.125
		93/4	0.094	0.094
		कुल 3 किता	**0.228**	**0.228**
60	हीरालाल पुत्र मदनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/5	0.008	0.008
		52/4	0.126	0.126
		93/5	0.093	0.093
		कुल 3 किता	**0.227**	**0.227**
61	नवलसिंह पुत्र मदनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/6	0.008	0.008
		52/5	0.125	0.125
		93/6	0.094	0.094
		कुल 3 किता	**0.227**	**0.227**
62	बालकिशन पुत्र रतिराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/7	0.052	0.052
		52/6	0.313	0.313
		93/7	0.184	0.184
		कुल 3 किता	**0.549**	**0.549**
63	चैनसिंह पुत्र रतिराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/8	0.052	0.052
		52/7	0.314	0.314
		93/8	0.184	0.184
		कुल 3 किता	**0.550**	**0.550**
64	भोलाराम पुत्र धन्नालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	38	0.240	0.240
		46	0.188	0.188
		47	0.272	0.272
		कुल 3 किता	**0.700**	**0.700**
65	भगवान सिंह पुत्र हरीराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	40/1	0.035	0.035
		45/2	0.049	0.049
		कुल 2 किता	**0.084**	**0.084**
66		40/2	0.017	0.017
67		43/1	0.025	0.025
68	नारानसिंह पुत्र गोरधन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	43/2	0.025	0.025
		51/2	0.029	0.029
		57/2	0.017	0.017
		61/2	0.081	0.081
		92/2	0.029	0.029
		कुल 5 किता	**0.181**	**0.181**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
69	हीरालाल पुत्र गोरधन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	43/4	0.025	0.025
		51/4	0.030	0.030
		57/4	0.017	0.017
		61/4	0.082	0.082
		92/4	0.029	0.029
		कुल 5 किता	**0.183**	**0.183**
70		45/1	0.024	0.024
71	प्रेमसिंह पुत्र गोपीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	**48/1/1**	0.033	0.033
		67/3	0.574	0.574
		72/1/1	0.705	0.705
		कुल 3 किता	**1.312**	**1.312**
72	गुलाबसिंह पुत्र गोपीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	48/1/2	0.032	0.032
		72/1/2	0.706	0.706
		कुल 2 किता	**0.738**	**0.738**
73	देवीसिंह पुत्र गोपीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	48/1/3	0.039	0.039
		72/1/3	0.706	0.706
		कुल 2 किता	**0.745**	**0.745**
74	मोतीसिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	48/2/मिन–2	0.020	0.020
75	तखत सिंह, हीरालाल, धनसिंह, रमेश, विजय सिंह पुत्रगण करनसिंह दयाली बाई पुत्री करन सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	49/1/क	0.690	0.690
		90/1	0.115	0.115
		91/मिन–1	0.763	0.763
		कुल 3 किता	**1.568**	**1.568**
76	मांग्या पुत्र अमरया जाति राव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	49/1/ख	0.690	0.690
		90/2	0.115	0.115
		91/मिन–2	0.763	0.763
		कुल 3 किता	**1.568**	**1.568**
77	करनसिंह, मांग्या पुत्रगण भमरया जाति राव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	49/1/ग	0.010	0.010
78		51/1	0.029	0.029
79	मूलीबाई बेवा गिरधारी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	53	1.421	1.421

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
80	कलियाबाई बेवा मदनलाल, बद्रीलाल, करनसिंह पुत्रगण मदनलाल, गुड्डीबाई, रामबाई पुत्रियां मदनलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	55/2	0.146	0.146
		57/1	0.017	0.017
81	रामा पुत्र रूपा, बकस्या पुत्र लालजी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	58	0.021	0.021
82	सुन्दरलाल पुत्र गोरधन भूमि स्वामी	59/1/क	1.014	1.014
		59/1/ड	1.013	1.013
		67/2	0.203	0.203
		कुल 3 किता	**2.230**	**2.230**
83	हिरालाल पुत्र गोरधन भूमि स्वामी	59/1/ख	1.014	1.014
		59/1/घ	1.014	1.014
		59/2	1.045	1.045
		कुल 3 किता	**3.073**	**3.073**
84	विजयसिंह पुत्र प्रर्थीसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	60/3	0.695	0.695
85		61/1	0.081	0.081
86		61/5	0.082	0.082
87	भगवानसिंह वा. लाखनसिंह, शैतानबाई, सुखियाबाई पिता हरीराम, अजुद्धीबाई बेवा हरीराम ग्यारसीबाई पत्नी बंशीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	62	0.167	0.167
88	दौलतराम पुत्र भोलाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	64	0.094	0.094
		67/1/क	0.214	0.214
		67/1/ख	0.637	0.637
		कुल 3 किता	**0.945**	**0.945**
89	भोलाराम पुत्र धन्नालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	66	1.662	1.662
90	जसवन्तसिंह पुत्र नारानसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	67/1/ग	0.431	0.431
91	सजनसिंह पुत्र करनसिंह जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	70/2	0.019	0.019
		71/2	0.065	0.065
		71/3	0.065	0.065
		कुल 3 किता	**0.149**	**0.149**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
92	कमलसिंह पुत्र शिवचरण जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	70/3	0.019	0.019
93	रामचरण पुत्र राजाराम जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	70/4	0.019	0.019
		871/4	0.065	0.065
		कुल 2 किता	**0.084**	**0.084**
94	सूरजसिंह पुत्र मांगीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	70/5	0.019	0.019
		71/5	0.065	0.065
		कुल 2 किता	**0.084**	**0.084**
95	मांगीलाल पुत्र गोपीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	72/1/4	0.705	0.705
96	आनारबाई बैवा लालसिंह, विकाश पुत्र पुष्पेन्द्र, तेजकुवर बैवा पुष्पेन्द्र जाति राजपूत पता नि. काजीखेडा भूमि स्वामी	74/1/मिन–1	0.717	0.717
97	मांगीलाल पुत्र राधेकिशन जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	74/1/मिन–2	0.209	0.209
		95/1/क	0.659	0.659
		कुल 2 किता	**0.868**	**0.868**
98	हीराबाई पत्नि मिश्रीलाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	74/1/मिन–4	0.209	0.209
99	भारतसिंह पुत्र शिवचरण जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	74/1/मिन–5	0.418	0.418
100	बापूसिंह, कमलसिंह, कल्याण सिंह पुत्रगण भमरसिंह, शांतिबाई, विशनकुवर पुत्रियां भमरसिंह जाति राजपूत पता नि. काजीखेडा भूमि स्वामी	74/2	1.000	1.000
		79	0.366	0.366
		80	0.345	0.345
		88/2	0.600	0.600
		95/4	0.171	0.171
		96	1.284	1.284
		98	0.209	0.209
		100	0.648	0.648
		कुल 8 किता	**4.623**	**4.623**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
101	लाडकुवर बाई बेवा देवीसिंह, गजराजसिंह, शैतानसिंह, गोविन्दसिंह, मोहनसिंह, समन्दरसिंह, कृष्णपालसिंह, रामकुवंरबाई, हेमकुवंरबाई, सीमाबाई पुत्रियां देवीसिंह जाति राजपूत पता नि. काजीखेडा भूमि स्वामी	78	0.449	0.449
		95/2	0.431	0.431
		कुल 2 किता	**0.880**	**0.880**
102	लाडकुवर बाई बेवा देवीसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	81	0.752	0.752
		83	0.157	0.157
		कुल 2 किता	**0.909**	**0.909**
103	गजराजसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत पता नि. काजीखेडा भूमि स्वामी	82	0.209	0.209
104	नरेन्द्रसिंह, थानेदार सिंह पुत्रगण साधूसिंह जाति राजपूत पता नि. कादीखेडा भूमि स्वामी	84	0.293	0.293
105	नारान सिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/1	0.225	0.225
106	रघुवीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत पता नि. कादीखेडा भूमि स्वामी	85/2	0.225	0.225
		85/4	0.225	0.225
		85/5	0.225	0.225
		कुल 3 किता	**0.675**	**0.675**
107	करनसिंह पुत्र बनेसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/3	0.225	0.225
108	पंचमसिंह पुत्र विनयसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	85/6	0.225	0.225
109	नारानसिंह, पंचमसिंह, महताबसिंह, करनसिंह, दरयावसिंह, इन्दभानसिंह पुत्रगण विनयसिंह जाति राजपूत भूमि सवामी	85/7	0.009	0.009
110	रामकुवर बेवा बैजनाथसिंह, नरेन्द्र, रामसिंह, लखनसिंह पुत्रगण बैजनाथ, सुगनाई, उच्छवकुवर पुत्रीयां बैजनाथ पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत पता नि. काजीखेडा भूमि स्वामी	87	1.076	1.076
		95/5	0.295	0.295
		कुल 2 किता	**1.371**	**1.371**
111	आनारबाई बैवा लालसिंह, विकाश पुत्र पुष्पेन्द्र, तेजकुवर बैवा पुष्पेन्द्र जाति राजपूत पता नि. काजीखेडा भूमि स्वामी	88/1/मिन–1	0.049	0.049

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
112	भगवतसिंह पुत्र जमनालाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	88/1/मिन–2	0.521	0.521
113		92/1	0.029	0.029
114	भगवतसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत पता नि. काजाखेड़ा भूमि स्वामी	95/1/ख	0.073	0.073
115	इमरतसिंह, कृष्णपालसिंह, जगदीश सिंह, श्यामसिंह पुत्रगण करणसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	95/3	1.463	1.463
116	चेनसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	97/1	0.752	0.752
117	मेहतावसिंह पुत्र रंजीत सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम कादीखेडा भूमि स्वामी	97/2/क	0.035	0.035
118	रंजीत सिंह पुत्र कुबेर सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	97/2/ग	0.035	0.035
119	चन्दरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	99/1/क	0.418	0.418
120	रूपकुमरबाई बेवा देवीसिंह, चन्दरसिंह, सोभाग्यसिंह, जगदीशसिंह पुत्र देवीसिंह, गीताबाई, किसनाबाई, फूलकुमर पुत्रियां देवीसिंह जाति राजपूत पता नि. काजीखेडा भूमि स्वामी	99/1/ख	0.209	0.209
121	भोलाराम पुत्र धन्नालाल जाति लोधी पता नि. काजीखेडा भूमि स्वामी	99/2	0.209	0.209
122	धप्पोकुवंर पत्नि कमलसिंह जाति राजपूत पता नि. कादीखेडा भूमि स्वामी	99/2/मिन–2	0.523	0.523
123	कैलाशबाई पत्नि गोपाल सिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	99/2/मिन–3	0.522	0.522
124	कमलसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत पता नि. कादीखेडा भूमि स्वामी	101/1	0.549	0.549
		104/1	0.418	0.418
		105/1	0.334	0.334
		कुल 3 किता	**1.301**	**1.301**
125	गोपाल सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत पता नि. कादीखेडा भूमि स्वामी	101/2	0.548	0.548
		104/2	0.418	0.418
		105/2	0.335	0.335
		कुल 3 किता	**1.301**	**1.301**

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5
126	करनसिंह पुत्र साबतसिंह जाति राजपूत पता नि. काजीखेडा भूमि स्वामी	102	0.732	0.732
127	देवा पुत्र फुन्दी जाति राजपूत पता नि. कादीखेडा भूमि स्वामी	103	0.084	0.084
		महायोग :	**94.139**	**94.139**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) राघोगढ़, जिला – गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुमार पुरूषोत्तम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

क्र.-अ-82-2019-20-भू-अर्जन.—चूंकि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. इस नीति के अंतर्गत भारत सरकार के विभाग/उपक्रम रेल विकास निगम लि. को मथुरा-झांसी के मध्य तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम सिमिरियाताल, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर की निजी भूमि रकबा 0.553 है. की आवश्यकता है. इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप-ख में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है.

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो, तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा:—

(1) अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण:—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम—सिमिरियाताल
(घ) क्षेत्रफल—0.553 हेक्टेयर.

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम एवं निवास स्थान	खसरा नं.	कुल क्षे. (है. में.)	कुल अर्जित क्षे. (है. में.)	अन्य संपत्ति	अन्य संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दलदीपसिंह पुत्र गुरनामसिंह सिख	2190	0.115	0.052	–	–
		2192	0.052	0.031	–	–
2	तरनदीप कौर पत्नि मंदीपसिंह, जाति सिख भूमि स्वामी	2193	0.209	0.052	–	–
		2221	1.003	0.345	–	–
3	मनेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह	2191	0.073	0.073	–	–
	कुल रकबा . .			0.553		

कौशलेन्द्र विक्रमसिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 28 नवम्बर 2020

भू-अर्जन प्र. क्र. 5-अ-82-2020-21.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खंडवा, मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436-कार्य-एल.ए.-9(49) भाग-13 खंडवा, दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम चारखेड़ा रैय्यत की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.327 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर

परियोजना के अंतर्गत ग्राम चारखेड़ा रैय्यत की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	हरसूद	45	चारखेड़ा रैय्यत	1.327	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम चारखेड़ा रैय्यत की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 5-अ-82-2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम चारखेड़ा रैय्यत की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन					
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	चारखेड़ा रैय्यत	1.327	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा, म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम चारखेड़ा रैय्यत की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्र. क्र.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436/कार्य/एल.ए./9(49) भाग-13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम धनवानीमाफी की निजी कृषि भूमि

कुल रकबा 1.00 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम धनवानीमाफी की निजी भूमि कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोक हित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1) 2014-सात 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भरत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	10	धनवानीमाफी	1.00	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम धनवानीमाफी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम धनवानीमाफी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	धनवानीमाफी	1.00	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा, म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम धनवानीमाफी की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्र. क्र .—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436/कार्य/एल.ए./9(49) भाग-13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भंवरली की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.80 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भंवरली की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1) 2014-सात 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	17	भंवरली	0.80	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम भंवरली की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम भंवरली की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन					
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	भंवरली	0.80	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा, म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम भंवरली की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्र. क्र.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436/कार्य/एल.ए./9(49) भाग-13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम झागरियांमाल की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.27 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम झागरियांमाल की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1) 2014-सात 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	10	झागरियांमाल	0.27	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम झागरियांमाल की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम झागरियांमाल की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन					
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	झागरियांमाल	0.27	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा, म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम झागरियांमाल की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्र. क्र 4-अ-82-2020-21 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम सातरी (पु. आ.) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन					
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	सातरी (पु. आ.)	0.16	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम सातरी (पु. आ.) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्र. क्र.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436/कार्य/एल.ए./9(49) भाग-13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम सातरी (पु. आ.) की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.16 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम सातरी (पु. आ.) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1) 2014-सात 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	47	सातरी (पु. आ.)	0.16	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम सातरी (पु. आ.) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 3-अ-82-2020-21 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम पिपलानी (हरसूद) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन					
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	पिपलानी (हरसूद)	0.38	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा, म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम पिपलानी (हरसूद) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्र. क्र. 3 अ-82-2020-21 .—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436/कार्य/एल.ए./9(2) भाग-13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम पिपलानी (हरसूद) की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.38 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम पिपलानी (हरसूद) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1) 2014-सात 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	21	पिपलानी (हरसूद)	0.38	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम पिपलानी (हरसूद) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 2 अ-82-2020-21 .—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436/कार्य/एल.ए./9(2) भाग-13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम नंदगांव रैयत की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.65 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम नंदगांव रैयत की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1) 2014-सात 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	41	नंदगांव रैयत	0.65	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम नंदगांव रैयत की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 2-अ-82-2020-21 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम नंदगांव रैयत की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

		भूमि का वर्णन				
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	नंदगांव रैयत	0.65	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा, म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम नंदगांव रैयत की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्र. क्र. 12 अ-82-2020-21 .—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436/कार्य/एल.ए./9(2) भाग-13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम मालूद (हरसूद) की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.84 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम मालूद (हरसूद) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1) 2014-सात 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	13	मालूद (हरसूद)	1.84	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम मालूद (हरसूद) की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र 12-अ-82-2020-21 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम मालूद की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन					
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	मालूद	1.84	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा, म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम मालूद की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्र. क्र..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम कसरावद की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन					
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	कसरावद	0.20	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा, म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम कसरावद की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्र. क्र.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436/कार्य/एल.ए./9(49) खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम कसरावद की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.20 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम कसरावद की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1) 2014-सात 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	40	कसरावद	0.20	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम कसरावद की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम जैतापुरकला की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन					
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	जैतापुरकला	0.35	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा, म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम जैतापुरकला की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

खण्डवा, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्र. क्र.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436/कार्य/एल.ए./9(49) भाग-13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम जैतापुरकला की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.35 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम जैतापुरकला की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1) 2014-सात 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	14	जैतापुरकला	0.35	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम जैतापुरकला की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम **बडगांव रैयत** की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

	भूमि का वर्णन					
स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	बडगांव रैयत	0.31	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा म. प्र.	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम बडगांव रैयत की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

भू-अर्जन प्र. क्र.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1436/कार्य/एल.ए./9(49) भाग-13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 के द्वारा प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम **बडगांव रैयत** की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.31 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम **बडगांव रैयत** की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1) 2014-सात 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, **अनय द्विवेदी, कलेक्टर,** जिला खंडवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है:—

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खंडवा	हरसूद	11	बडगांव रैयत	0.31	इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम **बडगांव रैयत** की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक (सिविल), एनएचडीसी खंडवा/कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 7 दिसम्बर 2020

प्र. क्र. 41-अ-82-वर्ष 2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	बकचुर	7.710 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 4.140 हे. कुल रकबा 11.850 हे.	उपसंचालक पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना.	पन्ना टाईगर रिजर्व के नियंत्रण की इकाई पन्ना (गंगउ) अभ्यारण के अंतर्गत ग्राम बकचुर के विस्थापन उपरांत बी सूची के लिये अचल संपत्तियों (भूमि/मकानों) के अधिग्रहण हेतु ग्राम बकचुर तह. व जिला पन्ना म. प्र.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपसंचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सेंवढ़ा, दिनांक 11 दिसम्बर 2020

प्र. क्र. 07-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
दतिया	सेंवढ़ा	डिरोलीडांग	18	1.540	परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई मौ, जिला भिण्ड (म. प्र.).	बांध के लिए पहुंच मार्ग रोड

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण.—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण.—परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ परियोजना क्रियान्वयन इकाई मौ, जिला भिण्ड म. प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	सेंवढ़ा	शिकारपुरा	7.68	परियोजना प्रबंधक, माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई मौ, जिला भिण्ड (म. प्र.).	माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण.—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेंवढ़ा, जिला दतिया म. प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण.—परियोजना प्रबंधक माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई मौ, जिला भिण्ड म. प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

दतिया, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

प्र. क्र. 4-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा

अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	चितुवां	0.346	मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झांसी (उ. प्र.).	मथुरा-झांसी के मध्य तीसरी रेल लाईन के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग व जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झाँसी (उ. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2020-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	चिरूला	0.200	मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झांसी (उ. प्र.).	मथुरा-झांसी के मध्य तीसरी रेल लाईन के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग व जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झाँसी (उ. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

दतिया, दिनांक 17 दिसम्बर 2020

प्र. क्र. 6-अ-82-2020-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं

करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	बड़ौनी	मुरेरा	0.122	मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झांसी (उ. प्र.).	मथुरा-झांसी के मध्य तीसरी रेल लाईन के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग व जिला दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झाँसी (उ. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 16 दिसम्बर 2020

क्र. 635-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—सिरसी, पटवारी हल्का का नाम सिरसी

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.146 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	404/1	0.090	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सीधी संभाग सीधी (म. प्र.).	सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु
2	404/2	0.090		
3	233/3	0.056		
4	235/2	0.110		
5	235/3	0.070		
6	235/4	0.030		
7	237	0.010		
8	401	0.164		
9	397	0.024		
10	396	0.036		
11	356	0.096		
12	395	0.056		
13	357	0.050		
14	361	0.024		
15	372	0.010		
16	371	0.020		
17	370	0.060		
18	364	0.070		
19	551	0.080		
	कुल योग . .	1.146		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 637-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—सतनारा पवाई, पटवारी हल्का का नाम सतनारा पवाई

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.278 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	698	0.028	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सीधी संभाग सीधी (म. प्र.).	सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु
2	713	0.020		
3	715	0.020		
4	717	0.090		
5	720	0.120		
	कुल योग . .	0.278		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 639-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. वह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

जिला—सीधी

तहसील—गोपद बनास

ग्राम—सतनरा कोठार, पटवारी हल्का का नाम सतनरा पवाई

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.557 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	226	0.008	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सीधी संभाग सीधी (म. प्र.).	सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु
2	242	0.052		
3	244	0.160		
4	22	0.006		
5	26	0.054		
6	290	0.016		
7	291	0.008		
8	292	0.018		
9	98	0.024		
10	99	0.024		
11	118/1	0.030		
12	359/1	0.009		
13	360/2	0.008		
14	119	0.022		
15	368	0.078		
16	213/1	0.040		
	कुल योग . .	0.557		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 641-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—बहेरा पश्चिम, पटवारी हल्का का नाम—बहेरा पश्चिम

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.394 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	187	0.064	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सीधी संभाग सीधी (म. प्र.).	सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु
2	166/2	0.008		
3	162	0.008		
4	160	0.008		
5	161	0.046		
6	193	0.062		
7	105	0.030		
8	104	0.024		
9	228	0.024		
10	227	0.010		
11	103	0.008		
12	101	0.032		
13	245	0.050		
14	253	0.020		
	कुल योग . .	0.394		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 643-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—हडबडो पटवारी हल्का का नाम—हडबडो

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.096 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	258	0.040	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सीधी संभाग सीधी (म. प्र.).	सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु
2	255	0.094		
3	262	0.060		
4	417	0.060		
5	421	0.020		
6	430	0.010		
7	460/1	0.002		
8	283	0.036		
9	419	0.040		
10	420/2	0.030		
11	423	0.012		
12	425/1	0.038		
13	449	0.050		
14	284	0.110		
15	418	0.020		
16	422	0.010		
17	427	0.070		
18	431	0.010		
19	432	0.034		
20	448	0.040		
21	285/1/1	0.040		
22	420/1	0.030		
23	425/2	0.040		
24	426	0.032		
25	441	0.026		
26	442	0.040		
27	444	0.006		
28	447	0.018		
29	446	0.020		
30	445	0.050		
31	460/2	0.008		
	कुल योग . .	1.096		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 645-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—पडखुरी, पटवारी हल्का का नाम—पडखुरी 29

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.056 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	89	0.030	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सीधी संभाग सीधी (म. प्र.).	सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु
2	91	0.010		
3	91/1625	0.016		
	कुल योग . .	0.056		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 647-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—डांडी, पटवारी हल्का का नाम—कोचिटा नं. 88

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.776 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2	0.090	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सीधी संभाग सीधी (म. प्र.).	सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु
2	6	0.096		
3	7	0.080		
4	8	0.128		
5	35	0.100		
6	37	0.010		
7	39	0.100		
8	45	0.072		
9	46/1	0.070		
10	11/2	0.030		
	कुल योग . .	0.776		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 649-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं

करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—जोरौधा, पटवारी हल्का का नाम—विजयपुर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.196 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	122	0.027	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सीधी संभाग सीधी (म. प्र.).	सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु
2	193	0.012		
3	194	0.004		
4	195	0.065		
5	196	0.010		
6	228/1/1	0.044		
7	229	0.034		
	कुल योग . .	0.196		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 651-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—विसुनीटोला, पटवारी हल्का का नाम—विसुनीटोला नं.-62

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 1.837 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	0.160	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सीधी संभाग सीधी (म. प्र.).	सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु
2	4	0.090		
3	2	0.100		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	3	0.070		
5	21	0.060		
6	22	0.035		
7	20	0.550		
8	24	0.036		
9	27/4	0.024		
10	27/1	0.042		
11	27/2	0.042		
12	27/3	0.042		
13	29	0.032		
14	30/1	0.030		
15	30/2	0.020		
16	31/4	0.060		
17	538/772	0.042		
18	538/1	0.016		
19	539/1	0.012		
20	540	0.014		
21	546	0.020		
22	547/1	0.006		
23	547/2	0.014		
24	564/773	0.250		
25	564	0.070		
	कुल योग . .	1.837		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 653-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने(4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम—महराजपुर, पटवारी हल्का का नाम—महराजपुर.

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.173 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	82	0.014	कार्यपालन यंत्री, म. प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सीधी संभाग सीधी (म. प्र.).	सीधी-सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु
2	84	0.038		
3	77	0.010		
4	83	0.092		
5	78	0.092		
6	126	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	129	0.060		
8	76	0.010		
9	86	0.001		
10	128/1	0.410		
11	130	0.130		
12	253/1	0.160		
13	253/3	0.090		
14	249	0.032		
15	250	0.124		
16	252	0.120		
17	248	0.070		
18	238/1	0.018		
19	238/2	0.018		
20	238/3	0.018		
21	494	0.032		
22	496	0.007		
23	497	0.004		
24	493	0.036		
25	323	0.066		
26	245	0.017		
27	324/1	0.020		
28	324/2	0.020		
29	331	0.060		
30	332	0.046		
31	338/1	0.065		
32	340	0.009		
33	341	0.046		
34	345	0.034		
35	342	0.036		
36	361/5	0.024		
37	361/2	0.031		
38	361/3	0.029		
39	361/6	0.023		
40	361/7	0.021		
	कुल योग . .	2.173		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 17 दिसम्बर 2020

क्र. 7612-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-जिवनारा ब.नं.-216 प.ह.नं.-45	1.30 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा माईनर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 7613-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-थांवरी ब.नं.-264 प.ह.नं.-37	0.71 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 7614-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा	ग्राम-सालीवाड़ा ब.नं.-559 प.ह.नं.-47	0.27 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर की थांवरी माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 7615-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं का बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-पौड़ी ब.नं.-368 प.ह.नं.-43	3.07 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की पौड़ी माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 7616 A-जि.भू.अ.-2020—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त

भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	सालीवाड़ा प.ह.नं.-25	7.55	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी.	अपर तिलवारा नहर की मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भीमगढ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 5 में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7617-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-बखारी ब.नं.-391 प.ह.नं.-01	1.65 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 7618-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-छपारा रा.नि.मं.-छपारा.	ग्राम-अकलमा ब.नं.-635 प.ह.नं.-52	0.41 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर की सागर माईनर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लखनादौन में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 7619-जि.भू.अ.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल

1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-पिपरिया ब.नं.-338 प.ह.नं.-02	1.71 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

रा. प्र. क्र. 7620-अ-82-2019-20.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्ट.)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सिवनी	सिवनी	ग्राम जमुनिया ब.नं.-198 प.ह.नं.-22 रा.नि.मं.-बंड़ोल.	सुरेन्द्र पिता बिसन जंघेला, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	119/4	0.10	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, सिवनी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकते है. नियत अवधि के पश्चात कोई भी आक्षेप/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी.

क्र. 7621-जि.भू.अ.-2020—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-छपारा रा.नि.मं.-छपारा	ग्राम-सागर ब.नं.-693 प.ह.नं.-53	4.90 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर की सागर माईनर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन, में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 7622-जि.भू.अ.-2020—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित

नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-थांवरी ब.नं.-266 प.ह.नं.-47	1.66 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर की थांवरी माईनर एवं सब-माईनर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 7623-जि.भू.अ.-2020—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-बांदरा ब.नं.-477 प.ह.नं.-45	4.90 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर की बजरबाड़ा माईनर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7624-जि.भू.अ..-2020—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे. उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल	ग्राम-बीसावाड़ी ब.नं.-426 प.ह.नं.-29	1.51 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 उपवितरक नहर की बीसावाड़ी माईनर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के .कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 जुलाई 2020

प्र. क्र. 13-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने से (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है.. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर	बगमऊ पूरक	0.017	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर.	सिंहपुर बैराज परियोजना, नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 19 मार्च 2020

प्र. क्र. 05- अ-82-18-19-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनोर
(ग) ग्राम—उर्वा
(घ) क्षेत्रफल—0.210 हेक्टेयर

सर्वे	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
579	0.210
योग . .	0.210

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 21 अक्टूबर 2020

क्र. 6262-भू.अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कालम (1) में वर्णित खसरा, भूमि की अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. धूपघटा जलाशय परियोजना के निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि का अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा" 19 की उपधारा 4 के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—लखनादौन
(ग) नगर/ग्राम—मढ़ी, प.ह.नं. 55, रा.नि.मं.-आदेगाँव
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—5.11 हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
597/1	0.58
597/2	0.97
597/3	0.84
294/1	2.72
योग . .	5.11

(2) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी, लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान), एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र.-1, लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 7 नवम्बर 2020

क्र. 373-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—बकियाबैलो
(घ) क्षेत्रफल—0.251 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.040
28	0.122
31	0.089
योग . .	0.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा द्वारा रीवा-बकिया-सेमरिया मार्ग में टमस नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 27 नवम्बर 2020

क्र. 6560-भू-अर्जन-2020-रा. प्र. क्रमांक-0001-अ-82-वर्ष-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—बालाघाट
(ग) ग्राम—सकरी प.ह.नं.-01
(घ) अधिग्रहित क्षेत्रफल—1.081 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित रकबा	
(1)	(2)	(3)	
196/2	0.518	0.044	
196/1	0.304	0.030	
197/1	0.825	0.336	
215	0.093	0.093	
244/1	0.648	0.004	
244/5, 244/5	0.405	0.040	
		0.002	कच्ची पशुशाला
244/3, 244/4	0.607	0.034	
217	0.348	0.014	
216	0.372	0.024	
210/1	0.833	0.024	(01 पलास वृक्ष, 01 महुआ)
214/1	0.299	0.013	(01 पलास वृक्ष)
214/2	0.405	0.019	(01 पलास वृक्ष)
213	0.833	0.046	
212/2	0.405	0.032	
199/2	0.405	0.101	(03 पलास वृक्ष)
198/1	0.194	0.015	
212/3	0.458	0.029	
198/2	0.206	0.081	(03 पलास वृक्ष)
197/2/2	0.194	0.019	
197/2/1	0.631	0.033	
योग . .	8.983	1.081	

टीप—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यालय उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 1 दिसम्बर 2020

[अन्तर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्र. 30 सन् 2013]

क्र. 1900-भू-अर्जन-2020.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम भामर मगरदी पहुंच मार्ग अंतर्गत ग्राम भामर, तहसील सतवास, जिला देवास के प्रभावित निजी भूमि में कुल 0.63 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती हैं कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड हैं, जो 0.63 हेक्टेयर हैं, जो ग्राम भामर, तहसील सतवास, जिला देवास में है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं उ.	द.	पू.	प.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	373/7	निजी भूमि	सिंचित	0.04	रामदास पिता मंशाराम				
2	373/3	निजी भूमि	सिंचित	0.03	मृतक मंशाराम पिता मोहन वैध वारिस रामदास पिता मंशाराम				
3	373/8	निजी भूमि	सिंचित	0.08	तुलसीराम पिता हीरालाल				
4	373/6	निजी भूमि	सिंचित	0.02	उमा बाई पति मंशाराम				
5	199/4	निजी भूमि	सिंचित	0.12	पदम पिता बलराम				
6	199/5	निजी भूमि	सिंचित	0.07	अशोक पिता बलराम				
7	373/2	निजी भूमि	सिंचित	0.04	कडूवाई पति तुलसीराम				
8	373/5	निजी भूमि	सिंचित	0.03	जगदीश पिता मंशाराम				
9	199/6	निजी भूमि	सिंचित	0.18	सरजूबाई पति रामविलास				
10	200/3	निजी भूमि	सिंचित	0.02	देवीलाल पिता उगरा				

वृक्ष	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
कुछ नहीं	कुछ नहीं

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक् जांच करने के पश्चात् की गयी है.

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है.

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

प्र. क्र. 01-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वणित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) ग्राम—ढड़ारी (द्वितीय पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि—0.440 हेक्टेयर.

सर्वे	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1123/1/1	0.440
योग . .	0.440

(2) ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) नई रेल लाईन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 28 नवम्बर 2020

क्र. 6989-रीडर-भू-अर्जन-2020-कलेक्टर रा.प्र.क्र. 06-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—राजपुर
(ग) ग्राम—बोबलवाडी
(घ) क्षेत्रफल—1.629 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
207/5	0.032
207/11	0.024
207/12	0.013
207/13	0.214
207/14	0.014
207/19	0.178
207/20	0.149
209	1.005
योग . .	1.629

(2) सार्वजनिक प्रयोजन:—नॉगलवाडी माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत पंप हाउस-05 निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वासन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं,

(5) समुचित अधिकारी की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

क्र. A-2886-दो-2-42-2014.—श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 12 से 16 नवम्बर 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 2019 से दिनांक 2021 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2020

क्र. A-2915-दो-2-46-2017.—श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 27 मई से 4 जून 2018 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. A-2917-दो-2-47-2019.—श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है:—

1. दिनांक 25 से 26 नवम्बर 2020 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया गया है.
2. दिनांक 25 से 28 नवम्बर 2020 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुन: पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5373-दो-2-60-2014.—श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार (एम.), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 9 दिसम्बर 2019 का 01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार (एम.), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुन: पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार (एम.), के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5376-दो-2-75-2018.—श्री बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वत: एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) वर्ष बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक)2011, दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक), 2011 दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2020

क्र. A-2956-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195/इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक), 2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री श्रीवास्तव को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश . . 135
   अर्द्धवेतन अवकाश . . 165
   योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 135 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = $\frac{\text{X}}{30}$ X 165

क्र. D-5383-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 2 से 3 दिसम्बर 2020 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

क्र. A-3245-दो-2-112-2017.—श्री योगेश दत्त शुक्ल, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-3247-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-3249-दो-2-70-2015.—श्री मुकेश द्विवेदी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (गोपनीय), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करके अठारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश द्विवेदी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (गोपनीय), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार (गोपनीय) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-3251-दो-2-28-2017.—श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2020 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2020 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं दिनांक 20 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो उप नियंत्रक (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-4795-दो-2-42-2020.—श्री हरीश कुमार कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-4797-दो-2-62-2016.—श्री आर. एन. चन्द, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-5611-दो-2-37-2020.—श्री विवेक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर

2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-5613-दो-2-27-2020.—श्री अनिल कुमार सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वत: एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-5615-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वत: एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-5617-दो-2-56-2016.—श्री प्रेमनारायण सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वत: एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-5619-दो-2-11-2018.—श्री सुबोध कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी.

सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वत: एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-5621-दो-2-15-2020.—श्री विजय कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वत: एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditute, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

foHkkx ie[kk d vkn'k
lpkyuky;] uxj rFkk xke fuo'k] e/;in'k] Hkkiky

^^dpukj^^] b&5] i;koj.k ifjlj] vjjk dkykuh] gchcxt ifyl Fkkuk d ikl] Hkkiky&462 016

Øekd&5712&ver&fo-;k-&10&uxkfu&2020 Hkkiky] fnukd 29 fnlEcj 2020

,rn}kjk ;g lpuk nh tkrh g fd flxjkyh fuo'k {k= d fy, fodkl ;ktuk dk ik:i e/;in'k uxj rFkk xke fuo'k vf/kfu;e] 1973 ¼Ø- 23 lu 1973½ dh /kkjk 18 dh mi/kkjk ¼1½ d mic/kk d vulkj fuEukulkj idkf'kr fd;k x;k g] bldh ,d ifr lpkyuky; dh oclkbV& http://www.mptownplan.nic.in/Lu-panel/Rewa/Sing 2035Draft.pdf ij rFkk dk;ky;hu le; e fuEufyf[kr dk;ky;k e fujh{k.k d fy, miyC/k g&

1- vk;Dr] jhok lHkkx] jhok

2- dyDVj] ftyk flxjkyh

3- vk;Dr] uxjikfyd fuxe] flxjkyh] e/;in'k

4- mi lpkyd] uxj rFkk xke fuo'k] ftyk dk;ky; flxjkyh] e/;in'k

;fn dkb vkifRr ;k l>ko ik:i flxjkyh fodkl ;ktuk d lc/k e gk] ml fyf[kr :i e mi lpkyd] uxj rFkk xke fuo'k] ftyk dk;ky;] flxjkyh ;k b&ey vkbMh obj-sugg-singrauli@mp.gov.in e bl lpuk d e/;in'k jkti= e idkf'kr gku d fnukd l 30 fnu dh vof/k dk volku gku d io] lE;d fopkj gr iLrr fd;k tk ldrk g-

vthr dekj] vk;Dr&lg&lpkyd-

No - 5712-Amrut-D.P.-10-TCP-2020 Bhopal, the 29th December 2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Singrauli Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – http://www.mptownplan.nic.in/LU-panel/Rewa/Sing2035Draft.pdf and at following offices during office hours namely -

1- Commissioner, Rewa Division, Rewa
2- Collector, District- Singrauli
3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Singrauli
4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Singrauli

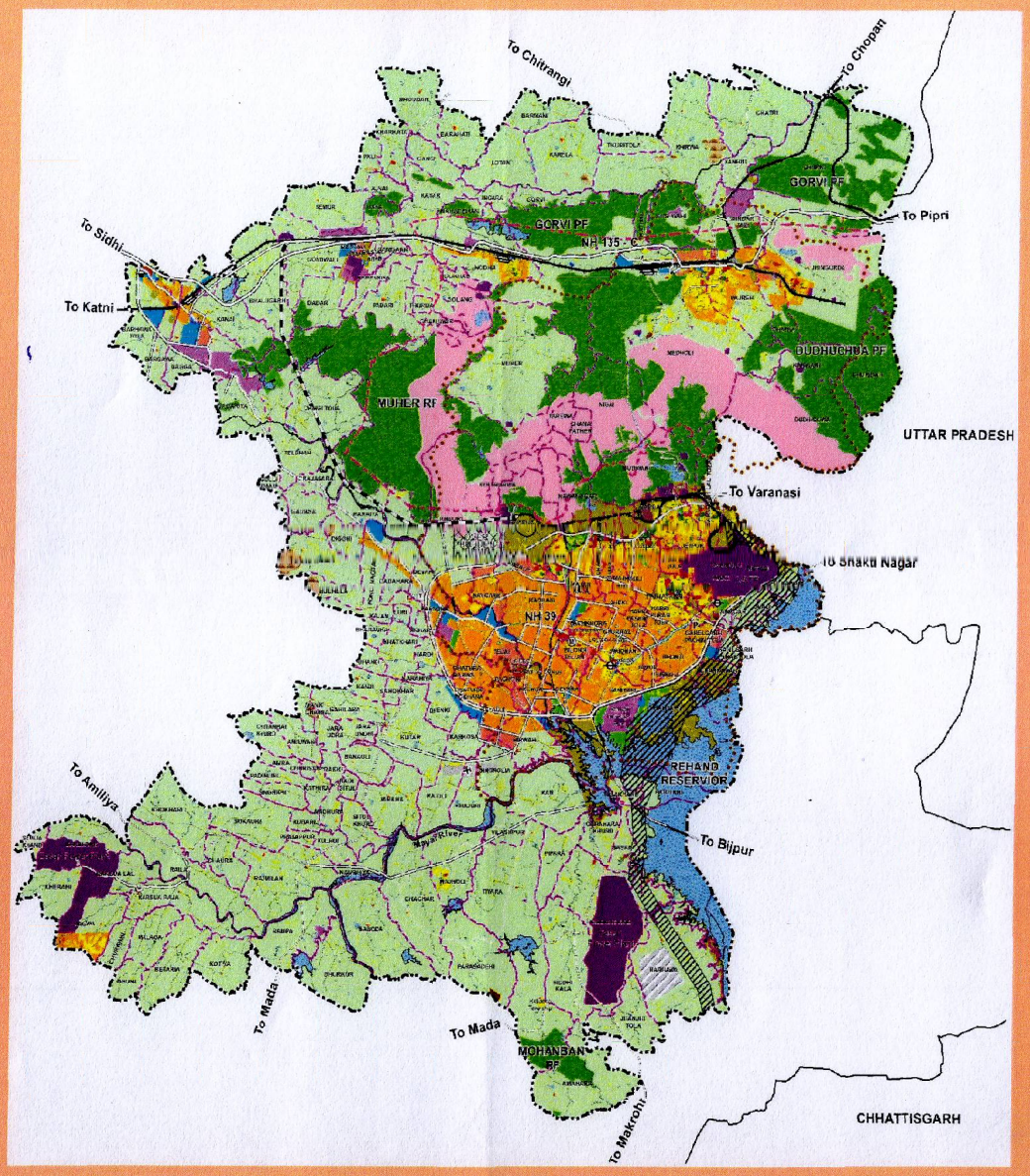
If there be any objection or suggestion with respect to the said Singrauli Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Singrauli or mail on Email-id- obj-sugg-singrauli@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

सिंगरौली

विकास योजना 2035 (प्रारुप)

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

विंध्य प्रदेश में स्थित सिंगरौली प्राकृतिक वन एवं खनिज संपदा से भरपूर है। मध्य प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित सिंगरौली सीधी जिला मुख्यालय से 108 किलोमीटर एवं संभागीय मुख्यालय रीवा से 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जबलपुर, कटनी, चोपन (उ.प्र.), हावड़ा (कोलकाता) आदि नगरों से रेलपथ द्वारा जुड़ा हुआ है। सिंगरौली उत्तर में प्रयागराज (उ.प्र.), मिर्जापुर (उ.प्र.), बनारस (उ.प्र.), दक्षिण में शहडोल, अम्बिकापुर (छ.ग.), पूर्व में सोनभद्र (उ.प्र.) तथा पश्चिम में सीधी, रीवा से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है।

सिंगरौली नगर रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 एवं 135–सी से जुड़ा होने के कारण भी इसका एक विशिष्ट महत्व है। शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास तथा वृहद, मध्य एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकसित हो जाने से इस क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास में काफी परिवर्तन आने की संभावना है।

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत नगर की प्रथम विकास योजना 2011 तैयार की गई थी जिसका पुनर्विलोकन किया जा कर सिंगरौली विकास योजना 2031 म.प्र. शासन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–26–2014–32 भोपाल दिनांक 16 मार्च 2015 के द्वारा अनुमोदित कर शासन द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 27 मार्च 2015 से प्रभावशील की गई। वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर सिंगरौली विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रारूप प्रकाशन हेतु योजना काल वर्ष 2035 रखा गया है। योजना काल की जनसंख्या का आंकलन कर नगर विकास की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित किए गए हैं। मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक उपयोगों को एक साथ रखा गया है, जो वर्तमान में नगरीय विकास की आवश्यकता भी है।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस विकास योजना में पारम्परिक भूमि उपयोग निर्धारण के साथ नगर की आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग भी प्रस्तावित किए गए हैं। सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक, सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और अधिक प्रभावशील करने में सफल हो सकें।

सिंगरौली: विकास योजना–2035 योजना दल

संयुक्त संचालक

नीरज आनंद लिखार | डॉ. अमित कुमार गजभिये | राजेश नागल

उप संचालक

इन्द्रनारायण

सहायक संचालक

संकल्प शुक्ला | नागेश पन्द्रो | इंदु त्रिपाठी

कर्मचारीगण

आर. एम. पटेल | राम कुमार पाण्डेय | प्रकाशकुमार विश्वकर्मा
मीना वर्मा | उदित पाण्डेय | अंशुल गुप्ता
बुद्धदेव सिह | | ईश्वरमणी सोनी

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग) का दल

डॉ. विवेक कटारे
प्रमुख

डॉ. देवानु भटनागर
परियोजना समन्वयक अमृत

डॉ. जगदीश पलसावदिया
अनुसंधान सहयोगी

तनवी जैन
अनुसंधान सहयोगी

विषय सूची

प्रस्तावना i

योजना दल iii

विषय सूची v

सारणी सूची xi

मानचित्र सूची xiii

अध्याय–1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ 1

1.1 नगर परिचय 1

1.1.1 पृष्ठ भूमि 1

1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ 1

1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति 2

1.2.1 भौतिक स्वरूप 2

1.2.2 प्राकृतिक जल निकास 3

1.2.3 खनिज संपदा एवं निर्माण सामग्री 3

1.2.4 जलवायु 4

1.3 नियोजन हेतु प्रयास 4

1.4 नियोजन प्रस्ताव 5

1.5 निवेश क्षेत्र 5

1.5.1 नगर निगम क्षेत्र 13

अध्याय–2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण 15

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग 15

2.1.1 अमृत योजना 16

2.1.2 सुदूर संवेदन 16

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली 17

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली 18

2.2.1 उद्देश्य 19

2.2.2 कार्यप्रणाली 20

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या 21

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping) 21
2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 33
2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प 34
2.5 भूमि उपयोग का आवंटन 40
अध्याय–3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण 41
3.1 क्रियान्वयन परिदृश्य 41
3.2 विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन 41
3.2.1 आवासीय 43
3.2.2 वाणिज्यिक 43
3.2.3 औद्योगिक 43
3.2.4 मिश्रित 43
3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाएँ–सुविधाएँ 43
3.2.6 आमोद–प्रमोद 44
3.2.7 यातायात एवं परिवहन 44
3.3 योजना कालावधि 44
3.4 अधिनियम की धारा 23–क(1) के अंतर्गत उपांतरण 44
3.5 असंगत भूमि उपयोग 45
3.6 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण 47
3.6.1 जनसंख्या विश्लेषण 47
3.6.2 जनसंख्या लिंगानुपात 50
3.6.3 शिशु जनसख्या लिंगानुपात 50
3.6.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या 51
3.6.5 साक्षरता 52
3.6.6 कार्यशील जनसंख्या 52
3.6.7 जनसंख्या घनत्व 53
3.6.8 व्यवसायिक संरचना 55
3.6.9 जनसंख्या परिवर्तन 56
3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप 56
3.8 नगरीय विस्तार 56
3.9 अनुमानित जनसंख्या 57

3.10 गंदी बस्तियाँ 59
3.11 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता 60
3.11.1 आवासों का प्रकार 61
3.12 अनुमानित व्यवसायिक संरचना 61
3.13 भौतिक अधोसंरचना 62
3.13.1 जल प्रदाय 62
3.13.2 जल–मल निकास एवं स्वच्छता 62
3.13.3 वर्षा जल निकासी 63
3.13.4 विद्युत प्रदाय 63
3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 64
3.14 सामाजिक अधोसंरचना 64
3.14.1 शासकीय कार्यालय 64
3.14.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ 64
3.14.3 शैक्षणिक संस्थाएँ 65
3.14.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान 65
3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र 65
3.14.6 क्रीडांगन / खेल परिसर 66
3.14.7 डेयरी फार्म / पशु पालन 66
3.14.8 स्लॉटर हाउस 66
3.14.9 पिकनिक स्थल 67
3.14.10 अन्य सेवाएँ–सुविधाएँ 67
अध्याय–4 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना 69
4.1 प्रस्तावित यातायात संरचना 69
4.2 यातायात की वर्तमान स्थिति 69
4.2.1 सार्वजनिक परिवहन 70
4.3 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना 70
4.4 यातायात के प्रस्ताव 70
4.4.1 क्षेत्रीय मार्ग 70
4.4.2 मुख्य नगरीय मार्ग 71
4.4.3 खण्ड / उपखण्ड स्तरीय मार्ग 73

4.4.4 स्थानीय मार्ग....73
4.4.5 प्रस्तावित मार्ग, सेक्शन एवं विकास के चरण....74
4.4.6 मार्ग संगमों का सुधार....75
4.4.7 रेलवे एवं ओव्हर ब्रिज....75
4.4.8 बस स्थानक एवं बस डिपो....75
4.4.9 हवाई पट्टी....76
4.4.10 क्षेत्रीय पिकअप स्टेशन एवं टैक्सी स्टैण्ड....76
4.4.11 नगर बस अवसान केन्द्र....76
4.4.12 अवसान केन्द्र (माल)....77
4.4.13 यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर....77
4.4.14 प्रस्तावित वाणिज्यिक मार्ग....77
4.4.15 वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग....78
अध्याय–5 विकास योजना प्रस्ताव–2035....79
5.1 विकास योजना–2031 का पुनर्विलोकन....79
5.2 योजना अवधारणा....80
5.3 वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण एवं नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल....80
5.3.1 निर्मित क्षेत्र....81
5.3.2 कृषि भूमि....82
5.3.3 जलाशय....82
5.3.4 खनन (माईनिंग) क्षेत्र....82
5.4 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता....82
5.5 भूमि उपयोग विवरण 2035....82
5.5.1 आवासीय....83
5.5.2 वाणिज्यिक....84
5.5.3 औद्योगिक....88
5.5.4 मिश्रित....89
5.5.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक....89
5.5.6 सार्वजनिक सेवाएँ–सुविधाएँ....89
5.5.7 आमोद–प्रमोद....89
5.5.8 यातायात एवं परिवहन....90

5.5.9 परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र 90
5.5.10 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग 93
5.6 अनौपचारिक वर्ग 93
अध्याय–6 विकास नियमन 95
6.1 प्रवृत्तशीलता 95
6.2 क्षेत्राधिकार 95
6.3 परिभाषाएँ 98
6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र 98
6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र 103
6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र 106
6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र 110
6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र 110
6.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपक्षेत्र 110
6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड 111
6.5 अन्य नियमन 113
6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन 113
6.5.2 बहुविध बहुमंज़िली इकाई निर्माण 113
6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा 113
6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 113
6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक 114
6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक 114
6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल 115
6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड 115
6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग 115
6.5.10 मैरिज गार्डन 115
6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल 115
6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस /गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड 116
6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड 116
6.5.14 मल्टीप्लेक्स 116
6.5.15 उद्यान 116

6.5.16 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन....116
6.5.17 अन्य सुविधाएँ....117
6.6 उपयोग परिक्षेत्रो में स्वीकृत उपयोग परिसर....117
अध्याय–7 विकास योजना क्रियान्वयन....131
7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन....131
7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति....132
7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम....133
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना....133
7.4.1 नियंत्रित विकास....134
7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन....134
7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना....134
7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण....135
7.6 योजना एवं कार्यक्रम....135
7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व....136
7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम....136
7.8 संसाधन गतिशीलता....138
7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र....138
7.9.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन....139
7.9.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण....139
7.10 योजना की व्याख्या....139
अनुसूची....141
परिशिष्ट--एक....153
परिशिष्ट--दो....157
परिशिष्ट--तीन....161

सारणी सूची

सारणी 1–सा–1 सिंगरौली से अन्य नगरों की दूरी	2
सारणी 1–सा–2 सिंगरौली निवेश क्षेत्र	7
सारणी 2–सा–1 उपग्रह चित्रों के मानक	17
सारणी 2–सा–2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब–क्लासेस	18
सारणी 2–सा–3 जियो स्पेशियल डाटा	22
सारणी 2–सा–4 बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा	23
सारणी 2–सा–5 सीमाओं का वर्गीकरण	25
सारणी 2–सा–6 ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल	25
सारणी 2–सा–7 मृदा विश्लेषण	26
सारणी 2–सा–8 जलाशयों का वर्गीकरण	27
सारणी 2–सा–9 विभिन्न भूमि मूल्य श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्र	28
सारणी 2–सा–10 भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल	31
सारणी 2–सा–11 जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल	31
सारणी 2–सा–12 भूमि अवक्रमण	32
सारणी 2–सा–13 मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल	32
सारणी 2–सा–14 Weighted Index For Composite Land Suitability	35
सारणी 2–सा–15 Land Suitability Area	39
सारणी 3–सा–1 भूमि उपयोग मूल्यांकन (विकास योजना 2031 पुस्तक अनुसार)	41
सारणी 3–सा–2 भूमि उपयोग मूल्यांकन (विकास योजना 2031 मानचित्र अनुसार)	42
सारणी 3–सा–3 भूमि उपयोग उपांतरण	45
सारणी 3–सा–4 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना	46
सारणी 3–सा–5 राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात	47
सारणी 3–सा–6 वॉर्ड वार कुल जनसंख्या	48
सारणी 3–सा–7 वॉर्ड जनसंख्या लिंगानुपात	50
सारणी 3–सा–8 शिशु जनसंख्या लिंगानुपात	51
सारणी 3–सा–9 अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या	51
सारणी 3–सा–10 साक्षरता प्रतिशत	52
सारणी 3–सा–11 सिंगरौली कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011	53
सारणी 3–सा–12 जनसंख्या घनत्व	54
सारणी 3–सा–13 व्यवसायिक संरचना 2011	55
सारणी 3–सा–14 सिंगरौली जनसंख्या वृद्धि	56
सारणी 3–सा–15 नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल	57
सारणी 3–सा–16 अनुमानित जनसंख्या	57
सारणी 3–सा–17 गंदी बस्तियाँ	59
सारणी 3–सा–18 अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ	60
सारणी 3–सा–19 आय समूह अनुसार आवासीय इकाईयों की आवश्यकता	61
सारणी 3–सा–20 विद्युत खपत	63
सारणी 4–सा–1 प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई	72
सारणी 4–सा–2 सिंगरौली: मार्ग सेक्शन	74

सारणी 5–सा–1 वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण 81
सारणी 5–सा–2 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035 83
सारणी 5–सा–3 वाणिज्यिक गतिविधियाँ 85
सारणी 5–सा–4 स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक योजना 88
सारणी 5–सा–5 जलाशयों का विकास 92
सारणी 5–सा–6 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग 93
सारणी 6–सा–1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र 99
सारणी 6–सा–2 सिंगरौलीः मुख्य उपयोग परिक्षेत्र 101
सारणी 6–सा–3 सिंगरौलीः आवासीय भूखण्ड विकास नियमन 104
सारणी 6–सा–4 आवासीय विकास हेतु भू–खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र 105
सारणी 6–सा–5 वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड 106
सारणी 6–सा–6 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक 107
सारणी 6–सा–7 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात 109
सारणी 6–सा–8 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन 111
सारणी 6–सा–9 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड 112
सारणी 6–सा–10 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान 114
सारणी 6–सा–11 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग 118
सारणी 7–सा–1 सिंगरौलीः योजना क्रियान्वयन की लागत 132
सारणी 7–सा–2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक 136
सारणी 7–सा–3 सिंगरौलीः प्रथम चरण लागत 137

मानचित्र सूची

क्र.	मा. क्र.	शीर्षक	पृ. क्र.
1	1.1	Regional Setting	2A
2	1.2	Location Map of Planning Area	2B
3	1.3	Planning Area	12A
4	2.1	Building Footprint	24A
5	2.2	DEM	26A
6	2.3	Contour	26B
7	2.4	Slope Map	26C
8	2.5	Lithology	26D
9	2.6	Soil Texture Map	26E
10	2.7	Groundwater Prospects	26F
11	2.8	M.P. Earthquakes Zones	26G
12	2.9	Government Land	26H
13	2.10	Land Value	30A
14	2.11	Geomorphology Map	32A
15	2.12	Waterbody Buffer Map	32B
16	2.13	Land Degradation	32C
17	2.14	Road Buffer Map	32D
18	2.15	Land Suitability Map (Model-1)	40A
19	2.16	Land Suitability Map (Model-2)	40B
20	2.17	Land Suitability Map (Model-3)	40C
21	3.1	Ward Map	50A
22	3.2	Ward Wise Child Population (0-6)	50B
23	3.3	Ward Wise Sex Ratio	50C
24	3.4	Ward Wise Child Sex Ratio	52A
25	3.5	Ward Wise SC/ST Population	52B
26	3.6	Ward Wise Literacy	52C
27	3.7	Ward Wise Work Participation	54A
28	3.8	Ward Wise Population Density	56A
29	3.9	Urban Sprawl Map	58A
30	3.10	Existing Water Supply Network	62A
31	3.11	Existing Sewerage Network	64A
32	3.12	Existing Community Toilet	64B
33	3.13	Power Supply Network	64C
34	3.14	Existing ATM	66A
35	4.1	Existing Transport Network	70A
36	4.2	Existing Bus Stop	70B
37	4.3	Proposed Transport Network	78A
38	4.4	Proposed Transport Network Central Area	78B
39	5.1	Existing Landuse Map	82A
40	5.2	Mining/ Forest Area	82B
41	5.3	Proposed Landuse Map	92A
42	5.4	Proposed Landuse Map - Part -A	92B
43	5.5	Proposed Landuse Map - Part -B	92C
44	5.6	Proposed Landuse Map - Part -C	92D
45	7.1	First Phase Implementation	138A

अध्याय–1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 पृष्ठ भूमि

विंध्य प्रदेश में स्थित सिंगरौली प्राकृतिक वन एवं खनिज संपदा से भरपूर है। सिंगरौली क्षेत्र के भू–गर्भ में जब कोयले के अतुल भण्डार, वन संपदा एवं जल की प्रचुर मात्रा आदि ज्ञात हुई, तब सन् 1957 में रेलवे लाईन आने पर, अल्प पैमाने पर कोयला खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। 1963 से इस क्षेत्र से निकाला गया कोयला देश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों को निर्यात किया गया। उस समय प्रमाणित तकनीक के अनुसार माँग क्षेत्र के समीप उत्पादन संयंत्र स्थापित करना ज्यादा उचित समझा गया, ताकि विद्युत प्रवाह में होने वाले भारी व्यय एवं अनावश्यक परिवहन से बचा जा सके। इस नीति के तहत विद्युत संयंत्रों को निर्माण खनन क्षेत्रों के सामीप ज्यादा मितव्ययी होने के उद्देश्य से सिंगरौली क्षेत्र को प्रमुख ऊर्जा उत्पाद केन्द्र हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया। सिंगरौली विद्युत संयंत्रों की सम्मिलित उत्पादन क्षमता 20000 मेगावाट अनुमानित की गई। प्राकृतिक संपदा से सम्पन्न, विद्युत उत्पादन के लिए कोयला एवं पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से अपनी क्षमता के अनुरूप अब राष्ट्रीय ऊर्जा राजधानी बनने के दृष्टिकोण से विकसित इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के सीधी जिले तथा कुछ भाग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आता है। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा सन् 1965 में झिंगुरदा में कोयला खनन का कार्य किया गया। कालान्तर में इस क्षेत्र से कोयला उत्खनन का कार्य अधिक किए जाने की स्थिति में अनपरा तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, शक्तिनगर एवं रिहन्द ताप विद्युत केन्द्र, बीजापुर उत्तर प्रदेश में, एवं विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए। उक्त तीनों सुपर थर्मल पावर केन्द्र रिहन्द नदी पर बनाए गए। गोविन्द वल्लभ पन्त सागर ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत बना, जिसके कारण सिंगरौली क्षेत्र का विकास द्रुतगति से हुआ।

1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

मध्य प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित सिंगरौली सीधी जिला मुख्यालय से 108 किलोमीटर एवं संभागीय मुख्यालय रीवा से 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जबलपुर, कटनी, चोपन (उ.प्र.), हावड़ा (कोलकाता) आदि नगरों से रेलपथ द्वारा जुड़ा हुआ है। सिंगरौली उत्तर में प्रयागराज (उ.प्र.), मिर्जापुर (उ.प्र.), बनारस (उ.प्र.), दक्षिण में शहडोल, अम्बिकापुर (छ.ग.), पूर्व में सोनभद्र (उ.प्र.) तथा पश्चिम में सीधी, रीवा से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह $24^0 06' 28''$ उत्तरीय अक्षांश एवं $82^0 35' 08''$ पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सिंगरौली समुद्र सतह से 300 मीटर की ऊँचाई पर स्थित होने के साथ ही लगभग 200 से 300 मीटर ऊँची पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है। सिंगरौली से अन्य नगरों की दूरी का विवरण सारणी 1–सा–1 में दिया गया है।

सिंगरौली से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1–सा–1

क्र.	समीपस्थ नगर	दूरी (कि.मी.)
1.	2.	3.
1.	सोनभद्र (उ.प्र.)	75
2.	सीधी	108
3.	मिर्जापुर (उ.प्र.)	117
4.	ब्योहारी	172
5.	हनुमना	174
6.	रीवा	186
7.	अम्बिकापुर (छ.ग.)	199
8.	प्रयागराज (उ.प्र.)	249
9.	शहडोल	260

1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

1.2.1 भौतिक स्वरूप

1.2.1.1 भू–आकृति

सिंगरौली क्षेत्र अत्याधिक उच्चावच क्षेत्र है, जिसमें रिहन्द बांध के पास तथा जलाशय के निचले क्षेत्र अत्याधिक असमतल हैं। यहाँ पर किसी भी वृहद निर्माण के लिए समतल धरातल उपलब्ध नहीं है। कोयलाधारी क्षेत्र तथा जलाशय के बीच कहीं–कहीं छोटे से भाग में समतल मैदानी क्षेत्र मिलता है। यहां के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक कोयले का भण्डार है, जो कि वनों से आच्छादित है। बरगवाँ से गोविन्द वल्लभ पंत सागर तक का क्षेत्र पहाड़ियों एवं समतल मैदान से घिरा हुआ है।

1.2.1.2 भू–गर्भीय संरचना

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें जमीन की सतह से 13 मीटर की गहराई तक बलुआ पत्थर का विस्तार पाया जाता है। यह क्षेत्र सामान्यतः भू–गर्भीय हलचलों से प्रभावित नहीं है। यहां पर रेतीली मिट्टी, सैल तथा चूने का पत्थर पाया जाता है। मुख्य रूप से सतही मिट्टी हल्के भूरे रंग की तथा नीचे पीले रंग की पायी जाती है, जिसकी गहराई 2 से 12 मीटर तक है। मिट्टी की ऊपरी सतह गीली होने पर चिपचिपी तथा निचली सतह रेतीली होती है।

SINGRAULI
1.1 REGIONAL SETTING
Legend
City Centre
National Highway
Railway Line
Madhya Pradesh District Bcundary
Madhya Pradesh
Uttar Pradesh
Chhattisgarh
Bihar
Jharkhand
Odisha
Waterbody
Forest
Scale
0 10 20 40 60 80 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Survey of India,Toposheet
BIHAR
JHARKHAND
ODISHA
CHHATTISGARH
UTTAR PRADESH
MADHYA PRADESH
PRAYAGRAJ
MIRZAPUR
SONBHADRA
HANUMANA
SIDHI
REWA
BEOHARI
SHAHDOL
AMBIKAPUR
SINGRAULI
Rihand Reservoir
Son River
50 K.M
100 K.M
150 K.M
200 K.M
250 K.M
Bansagar Reservoir
Bargi Reservoir
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

Singrauli
To Pipri
To Chopan
To Chitrangi
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Makrohr
To Mada
To Mada
To Amjhiya
To Sidhi
To Katni
Legend
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
India
Madhya Pradesh
Bundelkhand Baghelkhand Pradesh
SINGRAULI
SIDHI
REWA
SATNA
PANNA
CHHATARPUR
TIKAMGARH
NIWARI
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

1.2.2 प्राकृतिक जल निकास

सिंगरौली क्षेत्र की धरातलीय संरचना ऊँची–नीची होने के कारण प्राकृतिक प्रवाह नियमित नहीं है। कोयला धारी पठार के उत्तरी भाग की प्राकृतिक ढलान उत्तर पूर्व की ओर है, जिससे वर्षा का जल सहायक नदियों के माध्यम से सोन नदी में समाहित होता है। दक्षिण का भू–जल काँचन नदी में जाता है। यह नदी आगे चलकर मायर नदी में मिल जाती है, एवं प्रवाहित होते हुए अंत में गोविन्द वल्लभ पंत सागर में मिल जाती है।

1.2.3 खनिज संपदा एवं निर्माण सामग्री

सिंगरौली क्षेत्र खनिज संपदा का धनी है। यहां पर कोयला, वन संपदा तथा जल भण्डार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

1.2.3.1 कोयला भण्डार

सिंगरौली क्षेत्र में 750 करोड़ मेट्रिक टन कोयले का अनुमानित भण्डार हैं, जिसमें से 270 करोड़ मेट्रिक टन खनन योग्य कोयला उपलब्ध है। दोहन योग्य कोयले के भण्डार की कुल चौड़ाई 24 से 46 मीटर है, तथा इस क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला निम्न तापीय दर का है, जिसमें राख की मात्रा अधिक रहती है।

1.2.3.2 वनस्पति

सिंगरौली क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जिसमें मुख्यतः साल, सरई, धवा, तेंदू, साज, कहुआ, बहेरा, बाँस, खैर एवं ढाक प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, तथा मध्यम ऊँचाई के वृक्षों में आँवला, चार एवं खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। साल और साज मुख्यतः इमारती लकड़ी के लिए काम आते हैं, तथा बाँस का उपयोग कागज उत्पादन में किया जाता है।

1.2.3.3 जल भण्डार

कोयला भण्डार से परिपूर्ण सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से रिहन्द नदी पर गोविन्द वल्लभ पंत सागर बांध का निर्माण किया गया। मूल रूप से 6.92 मिलियन वार्षिक क्षमता के लिए प्रकल्पित यह जलाशय इस क्षेत्र का एक मात्र जल स्त्रोत है।

1.2.3.4 निर्माण सामग्री

सामान्यतः पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण सिंगरौली क्षेत्र के भवनों के निर्माण की संरचना कच्चे, अर्द्ध पक्के एवं पक्के मकानों के रूप में हैं। कच्चे मकानों के लिए इमारती लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तथा पक्के मकानों के लिए अन्य सामग्री के साथ–साथ सोन नदी एवं गोपद नदी में पर्याप्त मात्रा में उत्तम श्रेणी की रेत पाई जाती है, तथा पत्थर, पिन्डर, ताली एवं औड़ी मोड़ से प्राप्त किया जाता है। ईटें स्थानीय तौर पर भी तैयार की जाती हैं। कुछ भवन सामग्री आस–पास के नगरों से भी मँगाई जाती है।

1.2.4 जलवायु

सिंगरौली क्षेत्र शुष्क एवं अत्याधिक गर्म जलवायु वाला है। यहाँ मार्च से जून तक गर्मी, जून से सितम्बर तक वर्षा, तथा नवम्बर से फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है। सिंगरौली में गर्मी में अत्याधिक गर्मी एवं सर्दी में अत्याधिक सर्दी पड़ती है, अर्थात् मौसम की स्थिति काफी विषम रहती है। वर्षा ऋतु के उपरांत एवं शरद ऋतु के पूर्व का समय शीतल एवं मनोरम रहता है। ग्रीष्म (मई–जून) में तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, जबकि शीत काल में नवम्बर से फरवरी के मध्य न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेटीग्रेड तक जाता है।

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

नगर नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे नगर नियोजन के सिद्धांतों के अनुरूप नियोजन की सतत प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में, नगर के विभिन्न आयामों में, विकास के दबाब को दृष्टिगत रखते हुए, नगरवासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सिंगरौली के औद्योगिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए निवेश क्षेत्र की प्रथम विकास योजना वर्ष 2011 की अनुमानित जनसंख्या एवं भावी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार कर वर्ष 2004 में प्रकाशित की गई थी, जो मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–78/2004/32 दिनांक 4.5.2005 के द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत अंगीकृत होकर, सूचना म.प्र. राजपत्र भाग–1 क्रमांक 823, दिनांक 20.5.2005 में प्रकाशन के दिनांक से लागू की गई।

सिंगरौली विकास योजना 2031 म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–26–2014–32 भोपाल दिनांक 16 मार्च 2015 को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 27 मार्च 2015 से प्रवर्तित कर प्रभावशील की गई।

भारत सरकार द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उपयोजना के अन्तर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजनाओं में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है। इन 500 शहरों में मध्य प्रदेश के 34 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें सिंगरौली शहर भी सम्मिलित है। तदनुसार सिंगरौली नगर के औद्योगिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताऐं एवं सेवाएँ, आमोद–प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 8.00 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है, एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

1.4 नियोजन प्रस्ताव

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, एवं विकास योजना तैयार करना अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। सिंगरौली विकास योजना तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिए गए हैं। सिंगरौली विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों/लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है:

1. निवेश क्षेत्र में स्थित बसाहटों में परस्पर समन्वय एवं सुव्यवस्थित विकास कार्य के निष्पादन हेतु अधोसंरचना का विकास।
2. बरगवाँ का औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकास।
3. मोरबा बसाहट को उत्खनन क्षेत्र से पृथक हरित पट्टी रखते हुए स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित करना।
4. बैढ़न को प्रमुख वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक केन्द्र के रूप में विकसित करना।
5. बिलौजी, भटवा तथा पोड़ी को ग्रामीण सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करना जिससे उनके प्रभाव में आने वाले संस्पर्शी क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकें।
6. निवेश क्षेत्र में अंतर बसाहट मार्ग संरचना का प्रावधान करना।
7. बेहतर संपर्क के लिए बरगवाँ और बैढ़न को एक सहायक रेल लाइन के द्वारा जोड़ना।
8. क्षेत्रीय तथा स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तर पर सुविधाएँ विकसित करना।
9. बैढ़न को एक स्वतंत्र नगरीय इकाई के रूप में विकसित करना।
10. कोयला उत्खनन तथा ऊर्जा उत्पादन के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना।
11. मिश्रित उपयोग को बढ़ावा देना।

1.5 निवेश क्षेत्र

सिंगरौली के विकास को सुनियोजित प्रतिरूप देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–123/32/97 भोपाल दिनांक 5 दिसंबर 1997 को सिंगरौली निवेश क्षेत्र का गठन किया गया। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 65 ग्रामों सहित इसके समीपवर्ती सिंगरौली तहसील के 34 ग्राम, देवसर तहसील के 4 ग्राम तथा चितरंगी तहसील के 33 ग्राम, इस प्रकार कुल 71 ग्रामों को शामिल करते हुए सिंगरौली निवेश क्षेत्र गठित किया गया।

उद्योगों के बढ़ते हुए विकास, अंतराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादक कंपनियाँ, हवाई पट्टी का विकास, सासन पावर प्रोजेक्ट एवं एस्सार कंपनियों की स्थापना सिंगरौली के समीपवर्ती क्षेत्रों में होने के कारण विकास गति में अधिक तीव्रता आई, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सिंगरौली निवेश क्षेत्र में 63 ग्रामों को सम्मिलित किया गया, जिसका प्रकाशन म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 3–6–2009–32, दिनांक 4.2.2009 द्वारा किया गया, और इसको म.प्र. राजपत्र में दिनांक 6 मार्च 2009 को प्रकाशित किया गया। इस प्रकार सिंगरौली विकास योजना 2031 में सिंगरौली नगर निगम के 65 ग्राम सहित ग्रामीण क्षेत्र के 134 ग्राम सम्मिलित कर कुल 199 ग्राम सिंगरौली निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किए गए, जिनका कुल क्षेत्रफल 86285.10 हेक्टेयर (862.85 वर्ग किलोमीटर) है। इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सिंगरौली नगर निगम सीमा में 220257 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 214287 व्यक्ति निवास करते थे। सिंगरौली निवेश क्षेत्र का विवरण सारणी 1–सा–2 में दिया गया है।

सिंगरौली निवेश क्षेत्र

सारणी 1–सा–2

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हे. में)	जनसंख्या 2011
1.	2.	3.	4.
(अ) नगर निगम क्षेत्र			
1.	कोलभरुआ	103.15	नगर निगम सीमा में शामिल
2.	सिंगरौलिया	305.57	–"–
3.	हिरर्ताह	653.01	–"–
4.	बिलौजी भटवा	214.19	–"–
5.	पचौरी	37.60	–"–
6.	पचौर	216.75	–"–
7.	नौगढ़	718.92	–"–
8.	तेलाई	168.01	–"–
9.	देवरा	307.07	–"–
10.	बैंढ़न (नगरीय)	198.03	–"–
11.	गनियारी	793.46	–"–
12.	विलौजी तेलियान	206.43	–"–
13.	दसौती	109.65	–"–
14.	कचनी	722.23	–"–
15.	माजन कला	75.66	–"–
16.	माजन खुर्द	124.23	–"–
17.	पचखोरा	120.13	–"–
18.	अमलोरी (नगरीय)	1314.89	–"–
19.	भरुआ	668.10	–"–
20.	नवानगर	418.24	–"–
21.	मुहेर	2987.80	–"–
22.	निगाही	937.40	–"–
23.	परेवा	140.28	–"–
24.	छानपाथर	82.57	–"–
25.	घुरौली खुर्द	184.01	–"–
26.	घुरौली कला	362.42	–"–
27.	मुडवानी	351.91	–"–
28.	गरदा	413.41	–"–
29.	बनौली	505.40	–"–
30.	सरसवाह राजा	319.73	–"–
31.	कुशवई	469.25	–"–

32.	पिंडरताली	491.54	–"–
33.	पंजरेह	645.14	–"–
34.	मझौली	3338.38	–"–
35.	चटका	208.79	–"–
36.	झिंगुरदह	1996.28	–"–
37.	करुआरी	443.23	–"–
38.	दुधीचुआँ	1226.81	–"–
39.	चुरीदेह	633.19	–"–
40.	मझौली (वीरान)	2.14	–"–
41.	इटवा	155.67	–"–
42.	सरसवाह लाल	219.76	–"–
43.	पिपरा टोला (नगरीय)	130.69	–"–
44.	जैतपुर	307.91	–"–
45.	पिपराराजा टोला	78.86	–"–
46.	चंदुली (नगरीय)	299.33	–"–
47.	क्योंटी	51.21	–"–
48.	मटवई	152.07	–"–
49.	जैनगर	322.35	–"–
50.	अमझर	403.30	–"–
51.	तेलगवाँ	267.46	–"–
52.	गहिलगढ़ पूर्व	107.58	–"–
53.	परना सरई	116.36	–"–
54.	गहिलगढ़ पश्चिम	151.25	–"–
55.	जुआँड़ी	302.85	–"–
56.	चंदावल	115.38	–"–
57.	सेमरिया	194.40	–"–
58.	ढेकी	77.99	–"–
59.	धुरीताल	143.21	–"–
60.	हर्रई पश्चिम	96.85	–"–
61.	हर्रई पूर्व	229.97	–"–
62.	ढोंटी	287.33	–"–
63.	किरकोली	9.35	–"–
64	जमुआ	63.91	–"–
65.	बलियारी	1331.97	–"–
	योग	**26632.01**	**220257**
	(ब) ग्रामीण क्षेत्र		
1.	पिपराझॉपी	483.75	2725

2.	बुधेला	172.29	977
3.	गड़रिया	825.81	1721
4.	गुल्ली डांड	230.11	307
5.	तेलदह	790.09	3409
6.	चिनगी टोला	906.83	3236
7.	गदसा	247.38	871
8.	डिग्धी	190.29	646
9.	राजासरई	208.06	545
10.	हरैया	510.46	1171
11.	चोकरा	644.68	709
12.	पोडीं नौगई	382.92	3390
13.	गडहरा	236.12	1115
14.	देवरी	141.32	928
15.	परसौना	103.49	1026
16.	काजन	49.18	283
17.	पडैनिया	35.58	305
18.	लूरी	41.31	344
19.	रजबांध	34.54	561
20.	जिन्हर	58.34	237
21.	खटखरी	261.15	3144
22.	खजुरी	287.04	1054
23.	कटौली	348.71	1544
24.	करकोसा	217.72	1194
25.	हरदी	118.42	1112
26.	कुशमहरा	92.26	722
27.	धतुराबरवा	178.65	931
28.	धतुरा पोखरा	117.09	677
29.	पड़री	2120.43	2116
30.	सौलंग	433.82	1760
31.	रजखण्ड	90.71	541
32.	सिंगाही	86.67	291
33.	ठुरुआ	42.32	307
34.	चकुआर	163.01	191
35.	बरौहा	86.03	611
36.	भाड़ीं	93.09	432
37.	कंजी टोला	157.45	1077
38.	करहिया	38.05	270

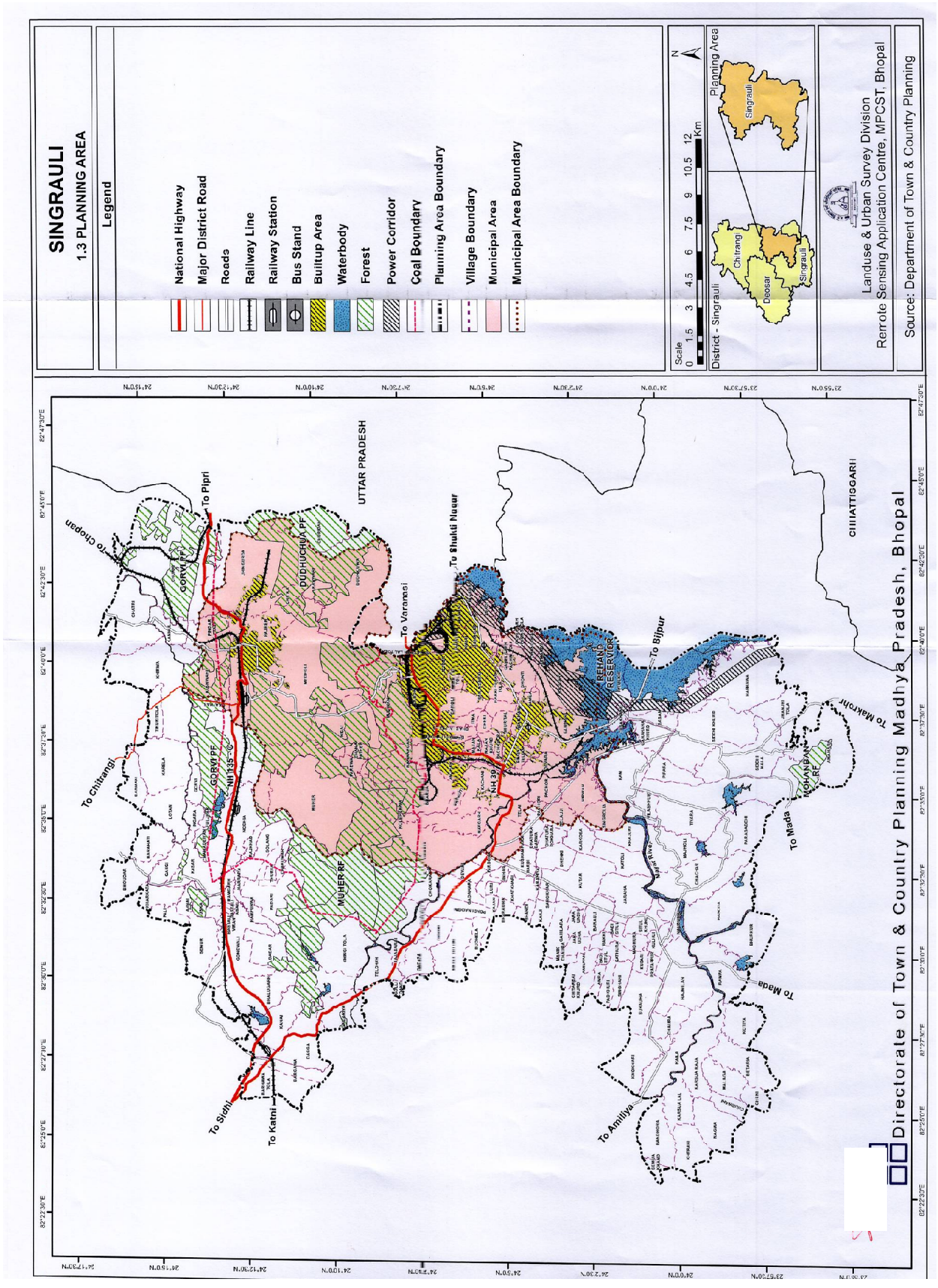
39.	सहोखर	61.71	481
40.	ढेंकी	248.23	1434
41.	गहिलारा	302.73	2209
42.	जरौधी	142.85	1116
43.	जरौंधा	115.67	616
44.	मनिकचौरा	109.52	250
45.	खुटार	694.76	7211
46.	बड़ी सितूल	65.80	289
47.	बनौली	244.67	1233
48.	रक्की	83.46	118
49.	चूरी सानी	39.42	249
50.	अमरा	134.30	628
51.	चितरवई खुर्द	520.12	646
52.	अमिलवान	223.90	1373
53.	पिडखुरीं	273.44	792
54.	सिगाही	286.34	1412
55.	खोखरी	755.78	1457
56.	सखोहा	610.38	3220
57.	फुबरी	94.51	370
58.	कथुरा	128.72	1345
59.	मधुरा	120.82	960
60.	प्रतापपुर	57.32	224
61.	सितूर खुर्द	241.89	1153
62.	जरहा	503.36	3213
63.	सेमुआ	488.26	463
64.	बधौरा	554.49	1642
65.	खैराही	1248.78	1840
66.	करसुआलाल	356.05	2475
67.	करसुआराजा	518.96	2845
68.	नगवा	842.50	4298
69.	चुरवाही	164.40	602
70.	धूनी	633.06	951
71.	बेतरिया	492.10	2584
72.	कोटिया	404.44	1154
73.	रैला	729.23	2039
74.	चौरा	272.53	981
75.	रजमिलान	826.46	6015

76.	रम्पा	599.94	1566
77.	घुडकुड	585.83	1673
78.	बसोडा	867.04	2718
79.	चॉचर	859.65	3386
80.	नौढ़िया	189.04	377
81.	मझौली	535.29	2146
82.	परसदेही	695.46	1306
83.	तियरा	1846.96	4807
84.	विलासपुर	212.02	429
85.	काम	677.24	3543
86.	पिपरा	331.28	5782
87.	दूसाखांड	376.44	1369
88.	पतुलखी	311.36	जलप्लावित क्षेत्र
89.	सासन	617.45	2026
90.	गडहरा	241.44	1115
91.	सिद्धीखुर्द	1102.98	2817
92.	सिद्धीकला	924.76	2636
93.	हर्रहवा	2152.40	5151
94.	अमरहा	1099.97	2539
95.	झाँझी टोला	544.20	1202
96.	कुल्हुई	146.74	675
97.	मलगा	315.12	1528
98.	कनई	511.72	1802
99.	डगा	693.30	3328
100.	बरगवाँ	214.91	3435
101.	बरहवा टोला	545.04	3420
102.	चतरी	937.50	2362
103.	चुरकी	2826.12	5449
104.	कन्हुड	262.80	753
105.	खिरवाह	1471.54	3990
106.	कठास	131.50	476
107.	टिकरी टोला	180.47	496
108.	करैला	706.38	3350
109.	गोरबी	1701.98	2369
110.	नौढ़िया	573.62	6533
111.	फुलझर	35.57	89
112.	ईगुरा	132.89	346

113.	लोटान	482.18	987
114.	कसर	621.95	3145
115.	महदेइया	323.92	1520
116.	हर्रइया	42.18	321
117.	रामगढ़	67.03	419
118.	बस्ताली आबाद	19.94	177
119.	बस्ताली वीरान	45.61	96
120.	उसका	141.37	465
121.	जमुअल	57.56	84
122.	सेमुआर	453.05	1418
123.	अंजनी	103.12	408
124.	पाली	157.62	500
125.	खरकटा	243.94	1398
126.	गांगी	216.33	482
127.	बरहटी	324.01	1259
128.	भोंडार	527.74	1794
129.	बरमानी	306.06	1616
130.	गोंदवाली	803.26	4228
131.	चकदादर	2.48	गोंदवाली में सम्मिलित है
132.	दादर	557.15	1001
133.	रमपुरवा	203.17	671
134.	भालुगढ़	779.34	2840
योग		**57453.09**	**214287**
निवेश क्षेत्र का महायोग (अ+ब)		**86285.10**	**434544**
निवेश क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल (जी.आई. एस. पद्धति गणना अनुसार)		**82650.03**	

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

टीपः सिंगरौली निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना–2031 जी.आई.एस. पद्धति से ही तैयार की गई, परन्तु विकास योजना के निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 86285.10 हेक्टेयर अंकित किया गया था। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 82650.03 हेक्टेयर प्राप्त होता है। यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 82650.03 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं।


SINGRAULI
1.3 PLANNING AREA
Legend
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Builtup Area
Waterbody
Forest
Power Corridor
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area
Municipal Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Rerrote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Bhukti Nagar
To Bijpur
To Markhar
To Mada
To Amiliya
To Sidhi
To Katni
To Chitrangi
GORVI PF
DUDHUCHUA PF
MUHER RF
REHAND RESERVOIR
MOHANBAN RF
NH 135
NH 39

1.5.1 नगर निगम क्षेत्र

सिंगरौली क्षेत्र के विकास को सुनियोजित रूप दिए जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1975 में साडा का गठन किया गया था, जिसमें 133 ग्राम सम्मिलित किये गये थे। साडा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गनियारी शॉपिंग कॉम्पलेक्स, नवजीवन विहार शॉपिंग कॉम्पलेक्स, बस स्टैण्ड बैढ़न, कार्यालय परिषद् आदि का विकास किया गया। वर्ष 1995 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा साडा विघटित किया जाकर 27 मई 1995 को नगर निगम सिंगरौली की स्थापना की गई। इसमें प्रथमतः 80 ग्रामों को सम्मिलित किया गया तथा 20 मार्च 1996 को 15 ग्रामों को पृथक कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 65 ग्राम ही रह गए, जो 288.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं।

अध्याय–2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

सम्पूर्ण पर्यावरण में भूमि भी एक घटक है एवं मानव जीवन यापन हेतु, मानव बस्तियाँ बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। नगर की बसाहट एवं उसका विस्तार होने से संलग्न भूमि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे भूमि उपयोग/प्रयोजन परिवर्तन होता है। पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात भूमि का उपयोग मानव सभ्यता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नियोजित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्र के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि, द्रुतगति से एवं नियोजन सिद्धांतों के विपरीत नगरीय क्षेत्र का अव्यवस्थित फैलाव का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि का दबाव है। सिंगरौली नगर में वर्तमान परिपेक्ष्य में अधोसंरचना सुविधाओं की कमी हुई है। प्रदेश के मध्य श्रेणी के प्रमुख नगरों में से एक सिंगरौली नगर तेजी से विकसित हो रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग, सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्यक संशोधन जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया जाता है।

सिंगरौली एवं आसपास का क्षेत्र अपार खनिज संपदा में संपन्न होने से कोयला उत्खनन एवं ताप विद्युत संयंत्र के स्थापित होने के पश्चात्, सिंगरौली देश–विदेश में ख्याति प्राप्त कर ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। सिंगरौली के जिला मुख्यालय होने से आसपास स्थित उपक्षेत्र की आबादी को समाहित करने हेतु यहां संसाधन उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय संदर्भ में आसपास स्थित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। सिंगरौली नगर रेल मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 एवं 135–सी से जुड़ा होने के कारण भी इसका एक विशिष्ट महत्व है। पॉलीटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तथा वृहद, मध्य एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकसित हो जाने से इस क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास में काफी परिवर्तन आने की संभावना है। शैक्षणिक संस्थाओं तथा प्रमुख सिंचाई योजना के कार्य प्रारंभ होने एवं इस क्षेत्र के आर्थिक व औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण निवेश क्षेत्र के सुनियोजित भावी विकास हेतु विकास योजना तैयार की गई है।

भारत सरकार, आवासन और शहरी मार्ग मंत्रालय द्वारा **"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT)** योजना की शुरूआत जून 2015 में राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएँ, अर्थात् जल आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, शहरी एवं ग्रामीण परिवहन, सुरक्षित हरित क्षेत्र इत्यादि, एवं सुख–सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करने, जिससे विशेषतया गरीबों, वंचितों और सभी के जीवन स्तर में सुधार हो, प्रदान करने हेतु की गई। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्य–प्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिए गए

है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है, एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इनके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों के अनुसार प्रयोजन व गतिविधियों को प्रस्तावित करने में, तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।

2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. यू.आर.डी.पी.एफ.आई. गाईड लाईन के मानकों को समाहित करना।

2.1.2 सुदूर संवेदन

इस अध्ययन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू II (World View II) के उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत आधार मानचित्र 1:4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया है। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक का विवरण सारणी 2–सा–1 में दर्शाए गए हैं।

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2–सा–1

S. No.	Description	Value	Remarks
1.	2.	3.	4.
1.	Spatial Resolution	0.5 metres or better	
2.	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3.	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	
4.	Radiometry	10 bit or better	
5.	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	
6.	Monoscopic/ Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data View angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximumof upto 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height(B/H) ratio: 0.6<B/H< 0.8
7.	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho - kit data with RPCs

स्त्रोतः एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक स्थितियों की जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने हेतु उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स (spatial layers) को क्लासेस एवं सब–क्लासेस (classes and sub classes) में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है जो कि सारणी 2–सा–2 में दर्शाया गया है।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब–क्लासेस

सारणी 2–सा–2

S. No.	Spatial Layers	Source for spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Base layers Road Bridges Water Bodies	Very high resolution satellite data	3	16
2.	Urban Land Use/ Land Cover	Very high resolution satellite data	22	48
3.	Building Footprints	Very high resolution satellite data	16	46
4.	Digital Elevation Model (DEM) Type: Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5.	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	
6.	Boundaries			
	Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1
	Hazard Prone Areas	NHDC, Department of Seismology	1	

स्त्रोतः एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त नगरीय विकास हेतु उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना है। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो कि विद्यमान है। भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे कि बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने में नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव

भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर रखे जाएँ। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:

- **धरातल विशेषताएँ**: भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, जलप्लावित क्षेत्र, कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।
- **भूमि उपयोग वितरण**: नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू–दृश्यीकरण, स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, आदि, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध है, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।
- **जनसंख्या विशेषताएँ**: आयु समूह, लिंगानुपात, आर्वजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना।
- **आर्थिक गतिविधियाँ**: कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।
- **यातायात विशेषताएँ**: वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधाएँ एवं यातायात संरचना।
- **आवास विशेषताएँ**: उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रीय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।
- **सार्वजनिक सेवाएँ**: पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मल निकास प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ
- **सार्वजनिक सुविधाएँ**: शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद–प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र, धार्मिक/पूजा/अर्चना स्थल।

अतः जो जानकारी एकत्रित की गयी, वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू II (World View II) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें यू.आर.डी.पी.एफ.आई. गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

2.2.1 उद्देश्य

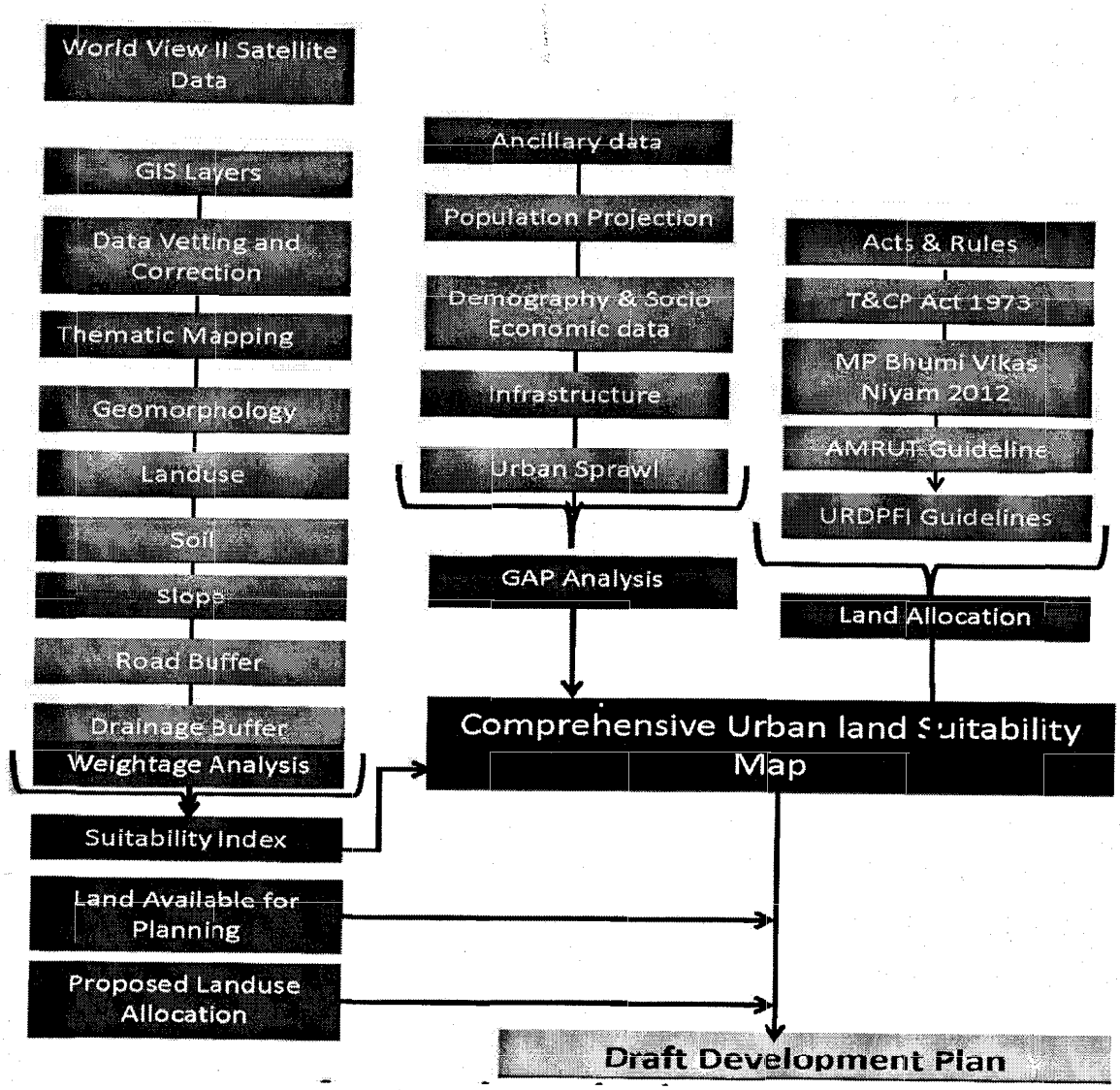
भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना: वर्ल्ड व्यू II (World View II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी से, जो श्रेणी II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हों।

- बसाहट के विस्तार का मानचित्रः विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर नगर का विकास क्रमशः किस विभिन्न समयावधि में हुआ है, उसका मानचित्र तैयार करना।
- संपूर्ण सिंगरौली नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना।
- नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
- जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
- नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना, एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
- प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

जनगणना के आँकड़ेः सिंगरौली निवेश क्षेत्र एवं सिंगरौली नगर निगम का गठन वर्ष 1991–2001 के बीच किया गया। अतः अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु जनगणना वर्ष 2001 एवं 2011 के आँकड़ों का विकास योजना में उपयोग किया गया है।

2.2.2 कार्यप्रणाली

सिंगरौली नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली नीचे दी गई है। अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर. एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार हैः



2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अुनसार शहर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किए गए। इन आँकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आँकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, जल प्रदाय, जल–मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व से संबधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गए हैं जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मान वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2–सा–3 में दर्शाया गया है।

जियो स्पेशियल डाटा

सारणी 2–सा–3

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	01-09	Road	Major City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village Road
	01-16		Foot Path
2.	03-01	Bridges	Culvert
	03-03		Bridge across River

2.3.1.2 भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, सिंगरौली शहर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दी गई वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–4 में उल्लेखित है।

बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा

सारणी 2–सा–4

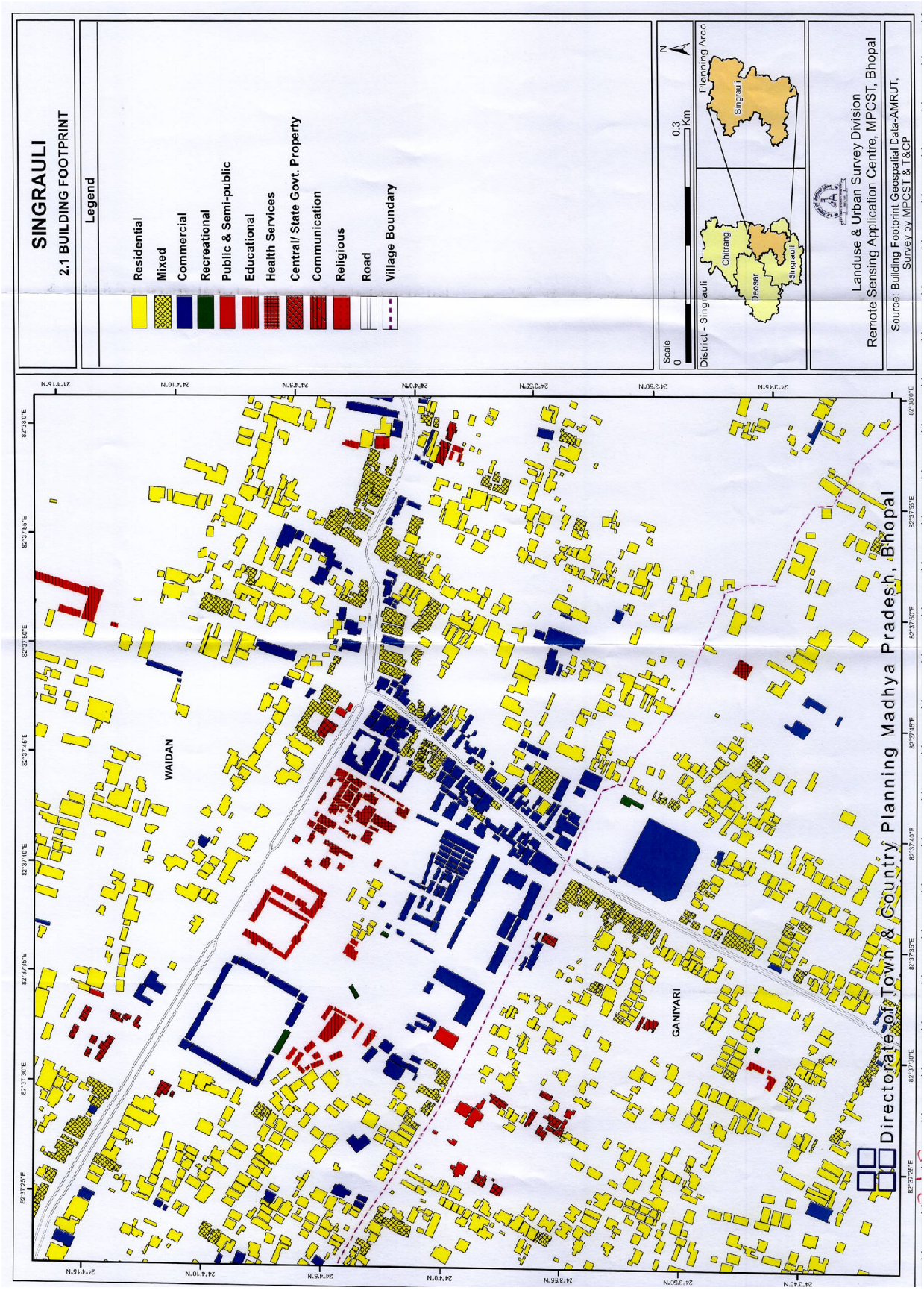
S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
2.	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3.	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4.	09-01	Mixed	Residential, Commercial & Public Semi Public
5.	10-01	Educational	School
			Anganwadi
	10-05		College
			Polytechnic
6.	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-04		Clinic/ Dispensary
7.	12-01	Central Govt. Property	Office
	12-02		Quarter
8.	13-01	State Govt. Property	Office
9.	15-02	Public & Semi- public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium/ Burial Ground /Graveyard
	15-09		Guesthouse/ Resthouse
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/ Community Toilet
	15-28		Old Age Home

	15-30		Fire Station
10.	16-01	Religious	Temple
	16-05		Gurudwara
	16-09		Aashram/ Math/ Bhojanshala
11.	17-01	Recreational	Garden
12.	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13.	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14.	24-01	Transportation	Bus stand/ Terminus
15.	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16.	26-02	Rural	House
	26-03		Group of Houses
17.	33-09	Others	Farm House
	33-10		Dairy Farm
	33-17		Gaushala

2.3.1.3 ग्राम/वॉर्ड सीमा

भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई। नगर निगम से प्राप्त वॉर्ड मानचित्रों के आधार पर नगर निगम सीमा का वॉर्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:30000 तथा 1:25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया। उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वॉर्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है। जनसंख्या के आँकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए, उनका ग्राम मानचित्रों से संबंद्ध स्थापित किया गया।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर सिंगरौली निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं। क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–5 में उल्लेखित है।


SINGRAULI
2.1 BUILDING FOOTPRINT
Legend
Residential
Mixed
Commercial
Recreational
Public & Semi-public
Educational
Health Services
Central/ State Govt. Property
Communication
Religious
Road
Village Boundary
Scale
0
0.3
Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Building Footprint Geospatial Data-AMRUT,
Survey by MPCST & T&CP
WAIDAN
GANIYARI
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2–सा–5

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3.	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary

2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर, एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर/दूरी में अंतर) X 100

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2–सा–6 में दिया गया है।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–6

S. No.	Slope	Area (Ha.)
1.	2.	3.
1.	0-1	35577.89
2.	1-3	21349.20
3.	3-5	9533.02
4.	5-10	10998.14
5.	10-15	3005.99
6.	15-35	2183.62
7.	>35	2.17
Total		**82650.03**

स्त्रोतः भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.5 मृदा

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land use Survey of India (SLUSI), जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया। उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया।

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्त्रोत एन. बी.एस.एस. एवं एल.यू.पी.) द्वारा अध्ययन कर प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया। इससे मिट्टी का संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया। मृदा विश्लेषण निम्नानुसार सारणी 2–सा–7 में है।

मृदा विश्लेषण

सारणी 2–सा–7

S. No.	Soil Texture	Area (Ha)
1.	2.	3.
1.	Coarse Loamy	8462.46
2.	Fine	13347.03
3.	Fine Loamy	23703.03
4.	Habitation Mask	3767.58
5.	Loamy	22832.25
6.	Loamy Skeletal	7116.47
7.	Waterbody Mask	3421.21
Total		**82650.03**

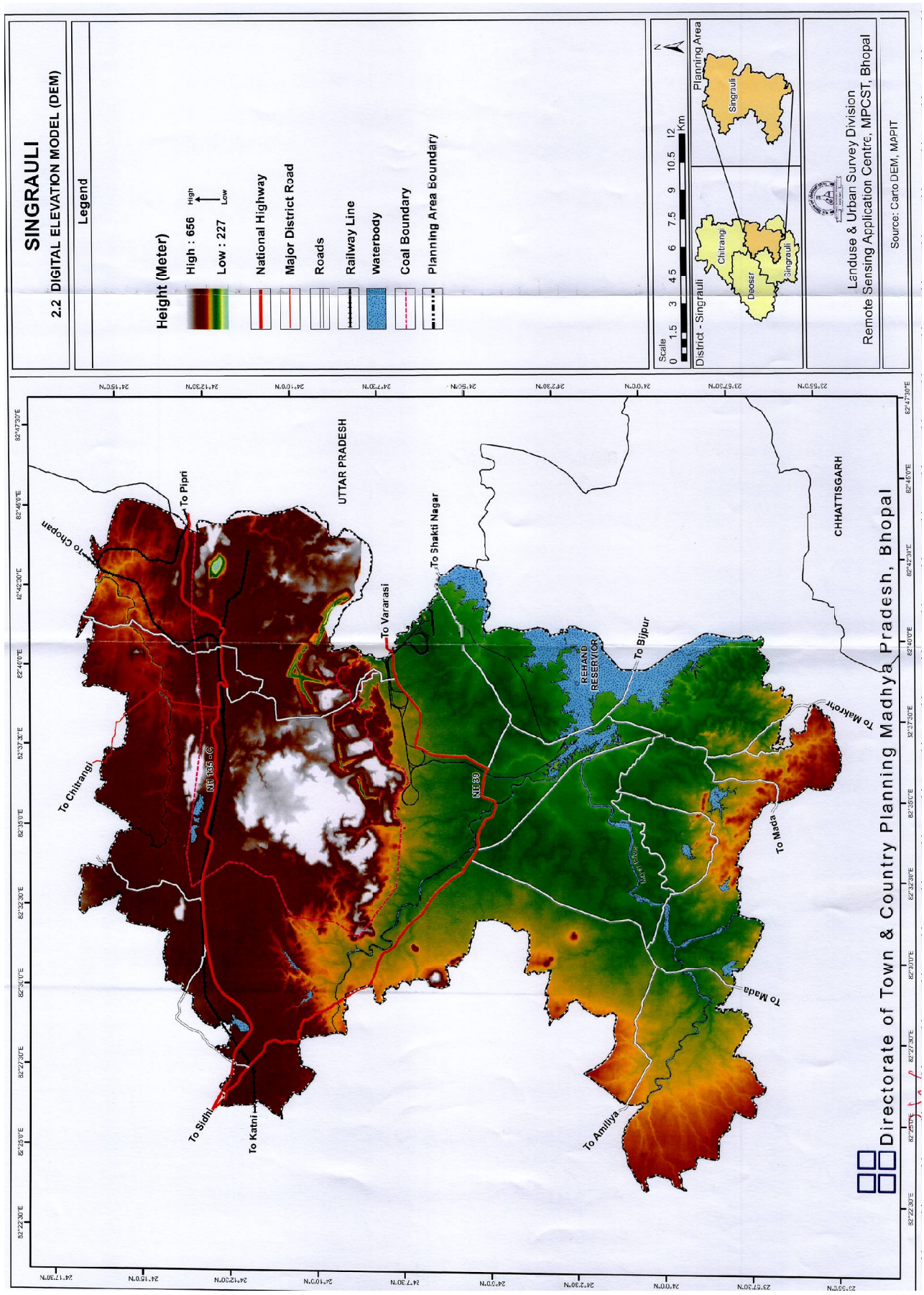
स्त्रोतः भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

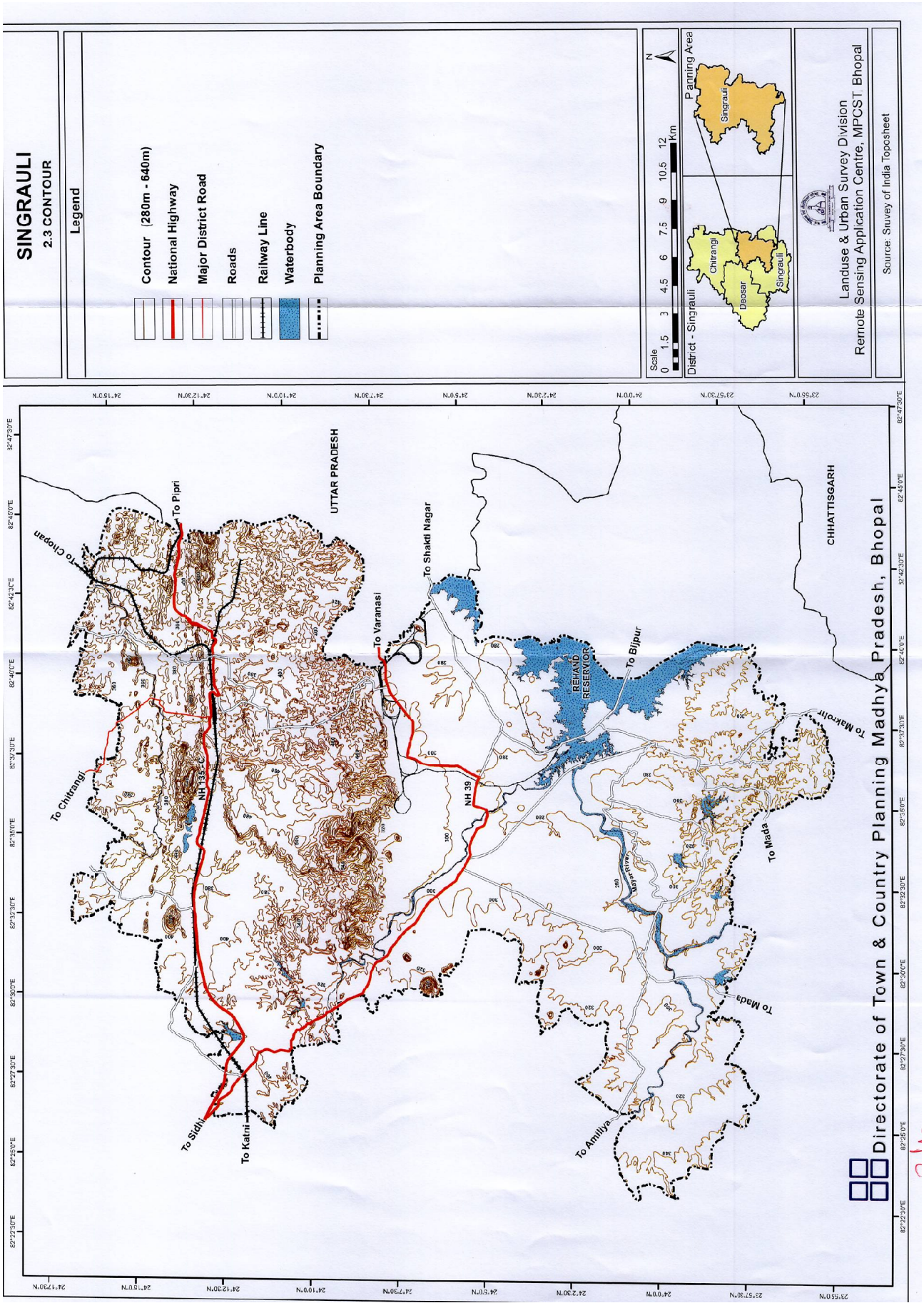
2.3.1.6 बाढ़ आपदा

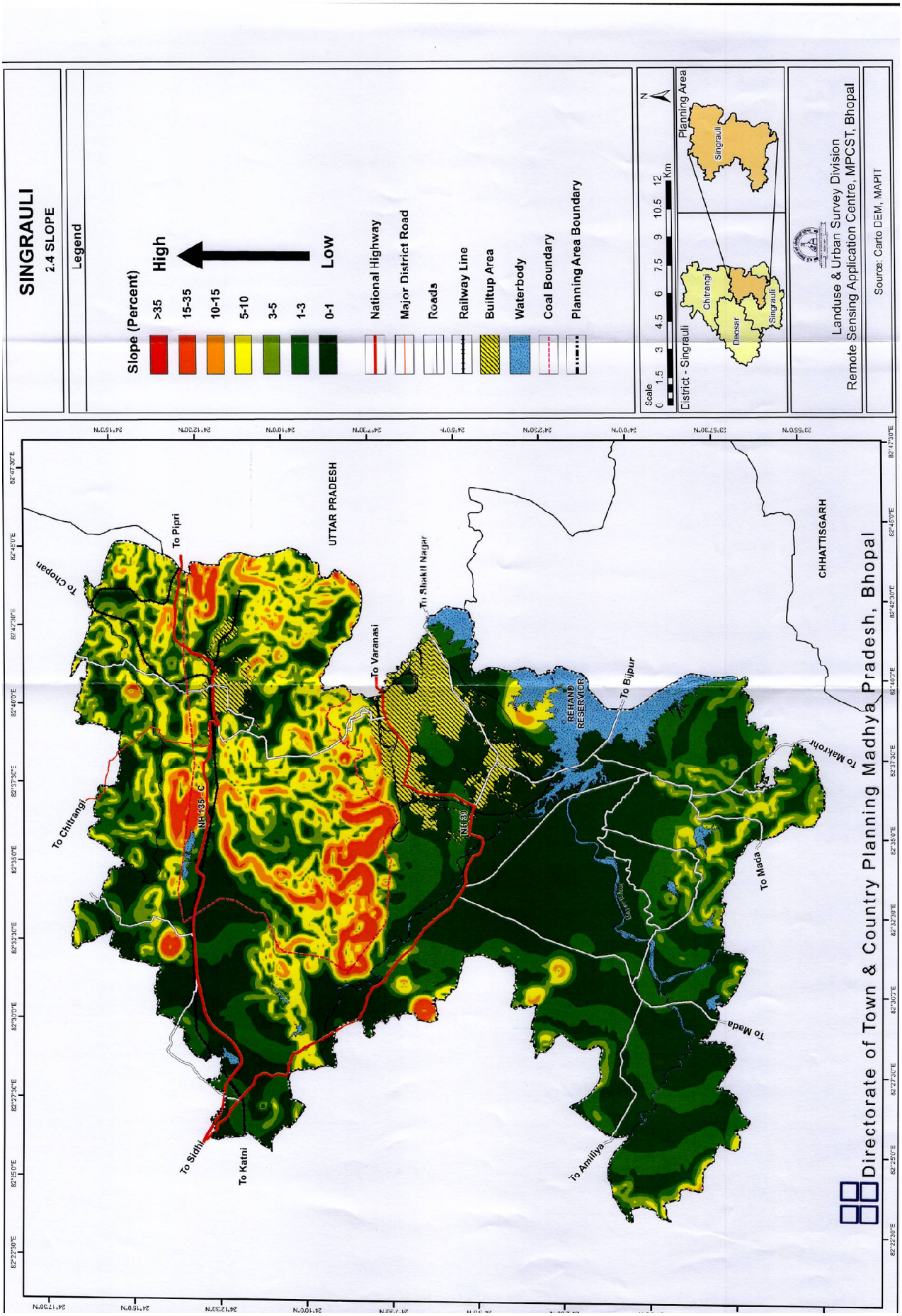
इस जानकारी हेतु ढलान तथा जलाशय मानचित्र से प्राप्त आँकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्रों का निर्धारण कर मानचित्र तैयार किया गया।

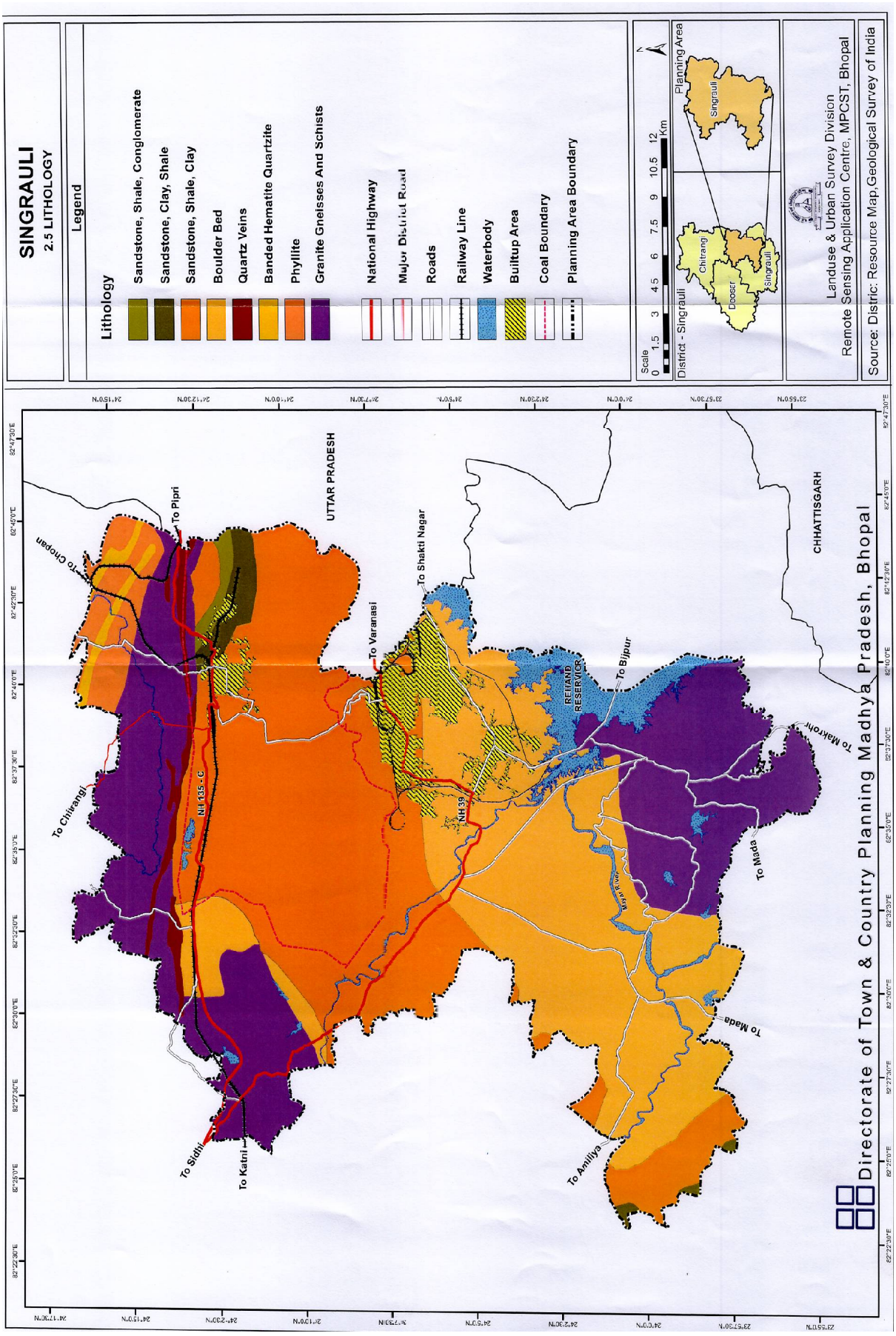
2.3.1.7 जलाशय

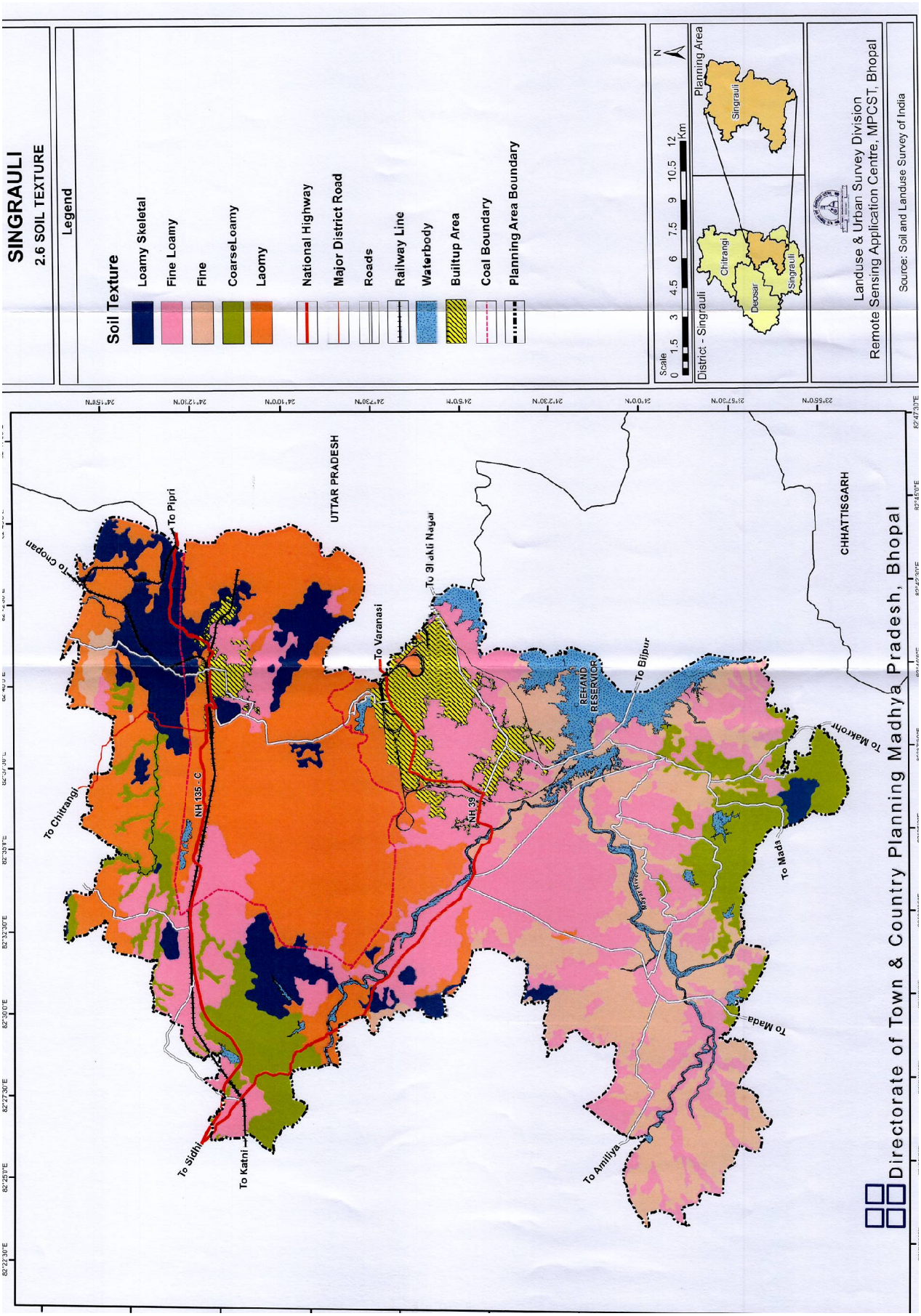
वर्ल्डव्यू–II (World View) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर सिंगरौली शहर मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2–सा–8 में उल्लेखित है।

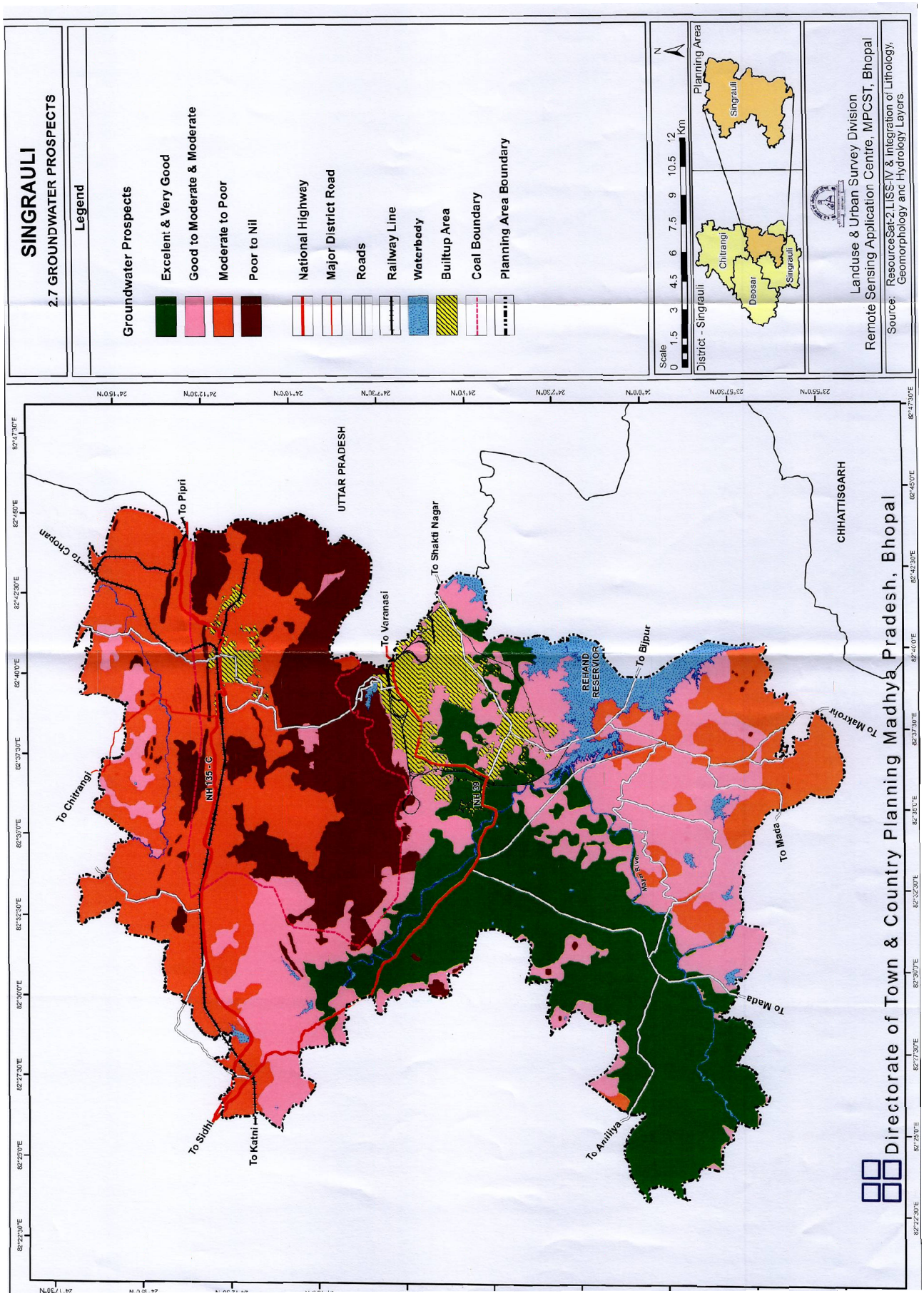

SINGRAULI
2.2 DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM)
Legend
Height (Meter)
High : 656
Low : 227
High
Low
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
Planning Area
Singrauli
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Carto DEM, MAPIT
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Vararasi
To Bijpur
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
To Mada
To Makrohr
REHAND RESERVOIR
NH 39
SH 136
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

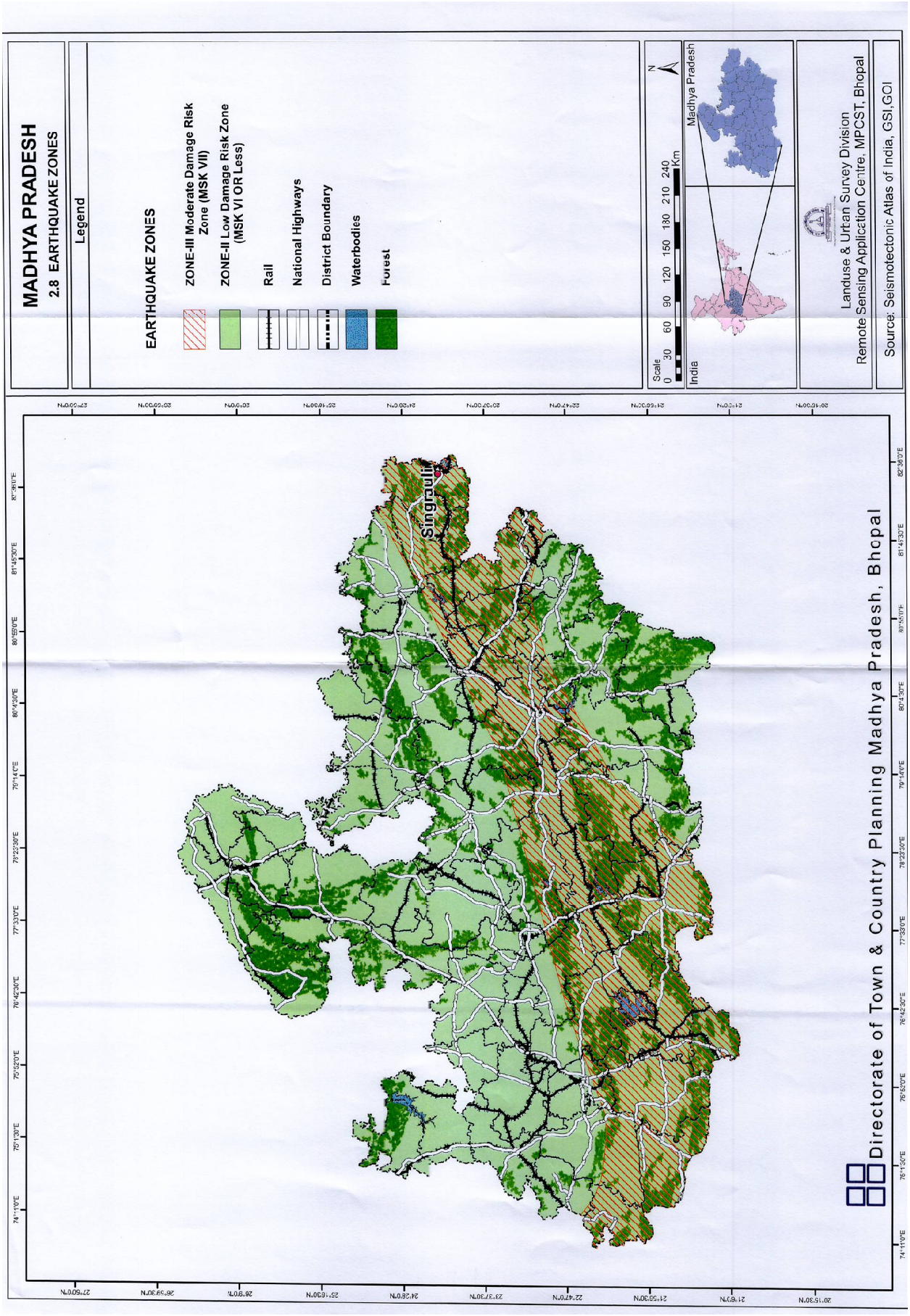

SINGRAULI
2.3 CONTOUR
Legend
Contour (280m - 640m)
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Panning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Sruvey of India Toposheet
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
To Mada
To Makrohr
NH 135 C
NH 39
REHAND RESERVOIR
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

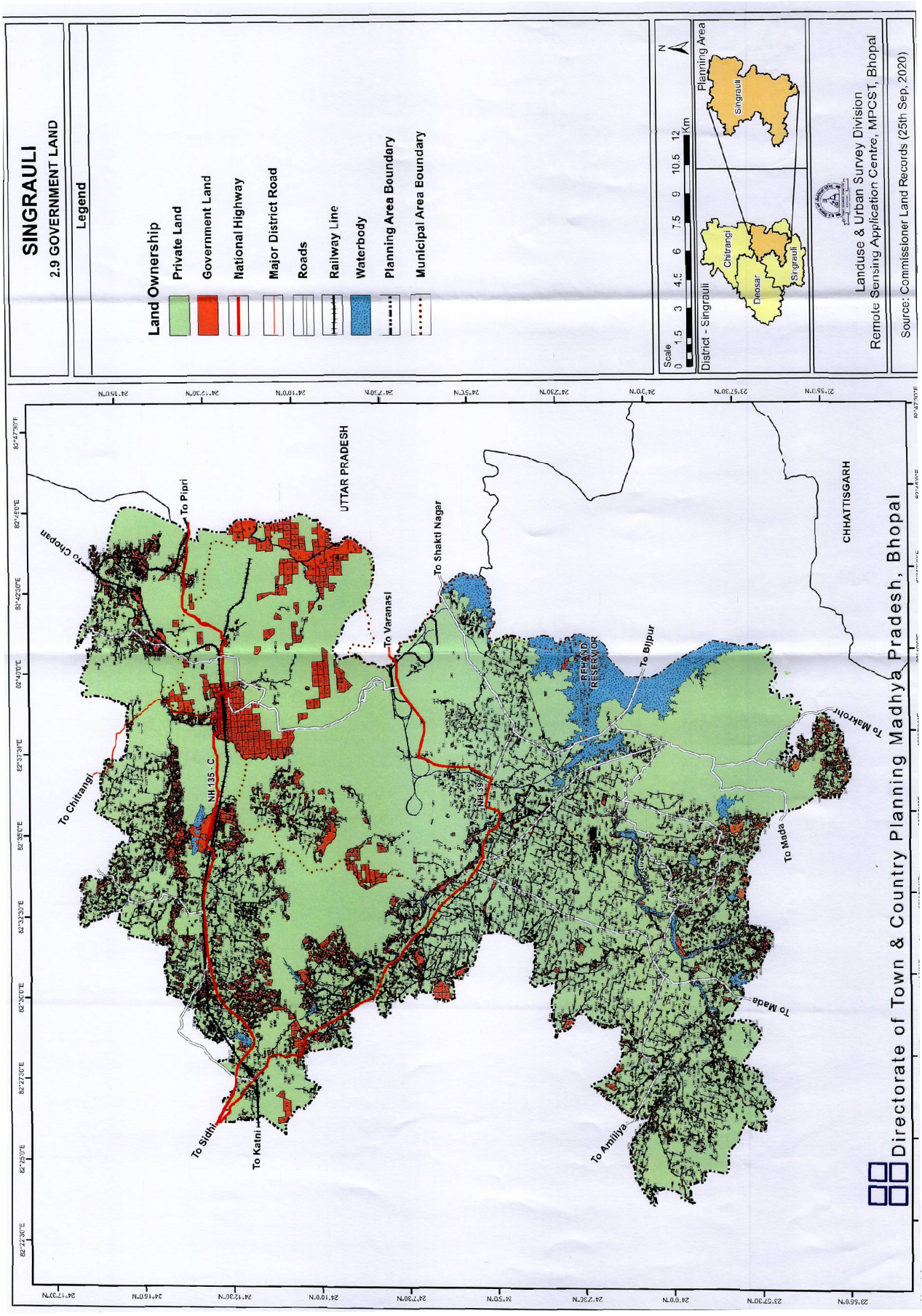

SINGRAULI
2.4 SLOPE
Legend
Slope (Percent)
>35
15-35
10-15
5-10
3-5
1-3
0-1
High
Low
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Carto DEM, MAPIT
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Chitrangi
To Bijpur
To Markoni
To Mada
To Wada
To Amiliya
To Sidhi
To Katni
NH-135-C
NH-39
REHAND RESERVOIR
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SINGRAULI
2.5 LITHOLOGY
Legend
Lithology
Sandstone, Shale, Conglomerate
Sandstone, Clay, Shale
Sandstone, Shale, Clay
Boulder Bed
Quartz Veins
Banded Hematite Quartzite
Phyllite
Granite Gneisses And Schists
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup Area
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
District - Singrauli
Chitrangi
Deoser
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Distric: Resource Map,Geological Survey of India
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Makroni
To Chitrangi
NH 135 - C
NH 39
REHAND RESERVIOR
To Mada
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SINGRAULI
2.6 SOIL TEXTURE
Legend
Soil Texture
Loamy Skeletal
Fine Loamy
Fine
CoarseLoamy
Laomy
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup Area
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Scale 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Soil and Landuse Survey of India
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Varanasi
To Bijpur
To Makrohr
To Mada
To Amiliya
NH 135 - C
NH 39
REHAND RESERVIOR


SINGRAULI
2.7 GROUNDWATER PROSPECTS
Legend
Groundwater Prospects
Excelent & Very Good
Good to Moderate & Moderate
Moderate to Poor
Poor to Nil
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup Area
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Scale 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Chitrangi
Singrauli
Deosar
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: ResourceSat-2,LISS-IV & Integration of Lithology, Geomorphology and Hydrology Layers
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Bijpur
To Makroh
To Mada
To Amiliya
To Sidhi
To Katni
To Chitrangi
NH 135 - C
NH 39
REHAND RESERVIOR


MADHYA PRADESH
2.8 EARTHQUAKE ZONES
Legend
EARTHQUAKE ZONES
ZONE-III Moderate Damage Risk Zone (MSK VII)
ZONE-II Low Damage Risk Zone (MSK VI OR Less)
Rail
National Highways
District Boundary
Waterbodies
Forest
Scale 0 30 60 90 120 150 180 210 240 Km
N
India
Madhya Pradesh
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Seismotectonic Atlas of India, GSI,GOI
Singrauli
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SINGRAULI
2.9 GOVERNMENT LAND
Legend
Land Ownership
Private Land
Government Land
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Commissioner Land Records (25th Sep, 2020)
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Chitrangi
NH 135 - C
To Sidhi
To Katni
REHAND RESERVOIR
To Bijpur
To Makrohi
To Mada
To Amiliya
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2–सा–8

S. No.	Code	Class	Sub Class
1.	2.	3.	4.
1.	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds
	05-08		Island (River/ Lake)
	05-09		Reservoir

स्त्रोतः भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् (Fractures and Faults), मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया।

सिंगरौली क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन से भूकम्प (आपदा) परिक्षेत्र का मानचित्र छोटे, मध्यम एवं वृहद फ्रेक्चर परिक्षेत्र, मिट्टी की स्थिति तथा भूगर्भीय फॉल्टस् का अध्ययन एवं विश्लेषण कर तैयार किया गया। सिंगरौली निवेश क्षेत्र भूकंप तीवृता की दृष्टि से ज़ोन में वगीकृत किया गया है।

2.3.1.9 शसकीय भूमि

सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित शसकीय भूमि का विवरण मानचित्र क्रमांक 2.9 में दर्शित है।

2.3.1.10 भूमि मूल्य

मध्य–प्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से कुल वॉर्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई, एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया। सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम सिंगरौली में 45 वॉर्ड सम्मिलित हैं। जिला पंजीयक विभाग सिंगरौली से प्राप्त जानकारी सारणी 2–सा–9 में दर्शाई गई है।

विभिन्न भूमि मूल्य श्रेणी अन्तर्गत क्षेत्र (वर्ष 2018–19)

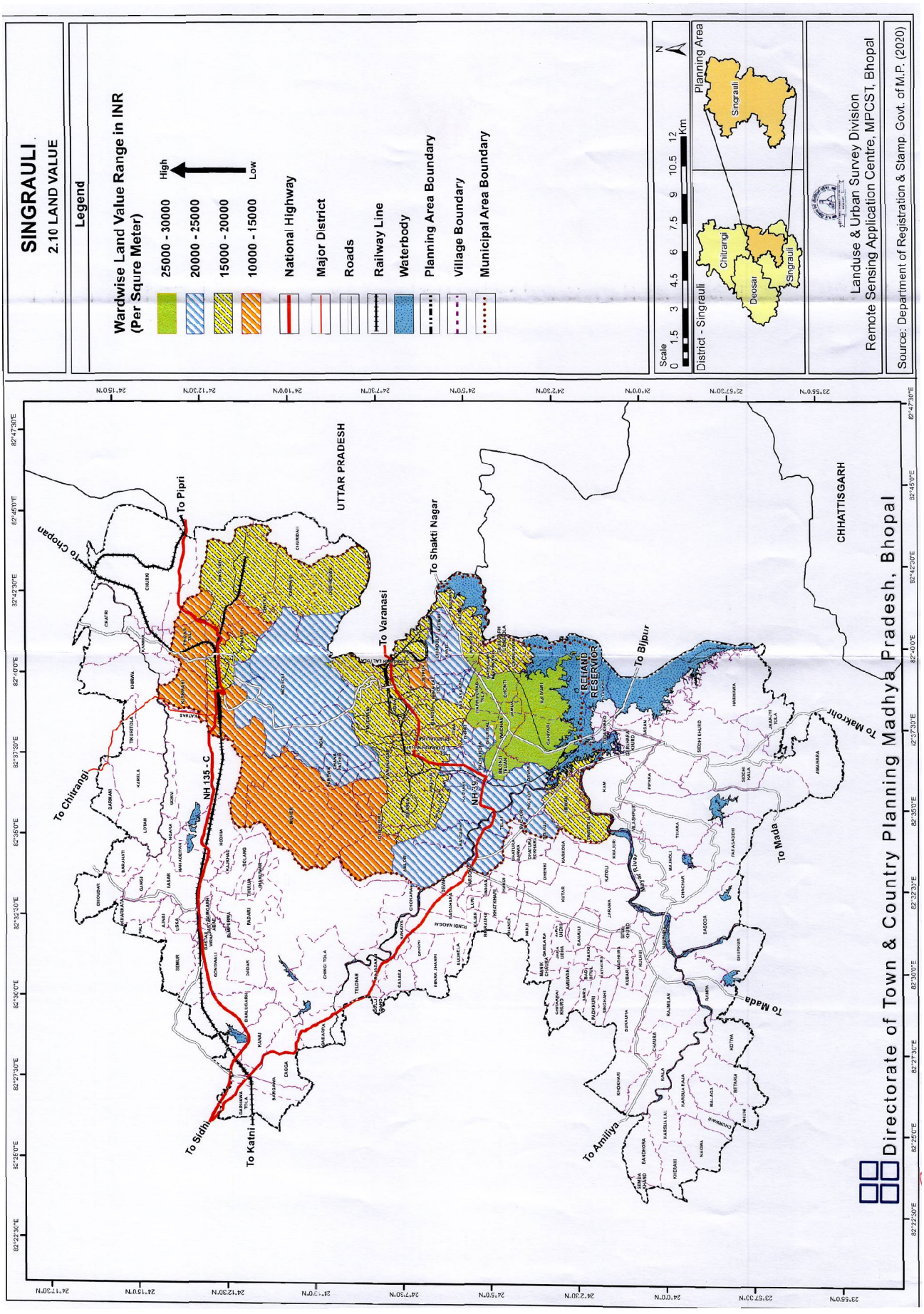
सारणी 2–सा–9

Ward No.	Ward Name	Plot (sqm.)			Building Residential (sqm)				Building Commercial (sqm)			Building Multi (sqm)		Agriculture Land Plot (hectare/ sqm)			
		Residential	Commercial	Industrial	RCC	RBC	Tin Shade	Kaccha Kabelu	Shop	Office	Godown	Residential	Commercial	Irrigated	Unirrigated	Sub Clause Wise Residential	Sub Clause Wise Commercial
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Gautam Buddha Ward	2900 5200	4350 7800	2900 5200	11900 14200	10900 13200	8900 11200	6900 9200	17850 21300	15850 19300	15850 19300	10900 13200	11900 14200	3249000 4883000	1710000 2570000	2900 5200	4350 7800
2.	Laxmi Bai Ward	3200 5300	4800 7950	3200 5300	12200 14300	11200 13300	9200 11300	7200 9300	18300 21450	16300 19450	16300 19450	11200 13300	12200 14300	5377000 7790000	2830000 4100000	3200 5300	4800 7950
3.	Indrapuri Ward	4200 6700	6300 10050	4200 6700	13200 15700	12200 14700	10200 12700	8200 10700	19800 23550	17800 21550	17800 21550	12200 14700	13200 15700	6935000 10203000	3650000 5370000	4200 6700	6300 10050
4.	Talstay Ward	4700 9400	7050 1400	4700 9400	13700 18400	12700 17400	10700 15400	8700 13400	20550 27600	18550 25600	18550 25600	12700 17400	13700 18400	6175000 9310000	3250000 49500000	4700 9400	7050 14100
5.	Ahilya Ward	4700 9600	7050 14400	4700 9600	13700 18600	12700 17600	10700 15600	8700 13600	20550 27900	18550 25900	18550 25900	12700 17600	13700 18600	6156000 8930000	3240000 4700000	4700 9600	7050 14400
6.	Prathviraj Ward	3700 4900	5550 7350	3700 4900	12700 13900	11700 12900	9700 10900	7700 8900	19050 20850	17050 18850	17050 18850	11700 12900	12700 13900	3325000 4940000	1750000 2600000	3700 4900	5550 7350
7.	Kabir Ward	3100 5100	4650 7650	3100 5100	12100 14100	11100 13100	9100 11100	7100 9100	18150 21150	16150 19150	16150 19150	11100 13100	12100 14100	6175000 9120000	3250000 4800000	3100 5100	4650 7650
8.	Ajmila Ward	6600 9500	9000 14250	6000 9500	15000 18500	14000 17500	12000 15500	10000 13500	22500 27750	20500 25750	20500 25750	14000 17500	15000 18500	6213000 9215000	3270000 4850000	6000 9500	9000 14250
9.	Tagore Ward	6200 11000	9300 16500	6200 11000	15200 20000	14200 19000	12200 17000	10200 15000	22800 30000	20800 28000	20800 28000	14200 19000	15200 20000	4940000 7391000	2600000 3890000	6200 11000	9300 16500
10.	Tansen Ward	6300 11000	9450 16500	6300 11000	15300 20000	14300 19000	12300 17000	10300 15000	20950 30000	20950 28000	20950 28000	14300 19000	15300 20000	7125000 10260000	3750000 5400000	6300 11000	9450 16500
11.	Dayanand Ward	5800 8300	8700 12450	5800 8300	14800 17300	13800 16300	11800 14300	9800 12300	22200 25950	20200 23950	20200 23950	13800 16300	14800 17300	3277500 4940000	1725000 2600000	5800 8300	8700 12450
12.	Madhuvan Ward	4700 8100	7050 12150	4700 8100	13700 17100	12700 16100	10700 14100	8700 12100	20550 25650	18550 23650	18550 23650	12700 16100	13700 17100	4085000 6175000	2150000 3250000	4700 8100	7050 12150
13.	Vikas Ward	4700 9800	7050 14700	4700 9800	13700 18800	12700 17800	10700 15800	8700 13800	20550 2800	18550 26200	18550 26200	12700 17800	13700 18800	4132500 6194000	2175000 3260000	4700 9800	7050 14700
14.	Sulochna Ward	4900 8400	7350 12600	4900 8400	13900 17400	12900 16400	10900 14400	8900 12400	20850 26100	18850 24100	18850 24100	12900 16400	13900 17400	3800000 5700000	2000000 3000000	4900 8400	7350 12600
15.	Nutan Ward	4700 8500	7050 12750	4700 8500	13700 17500	12700 16500	10700 14500	8700 12500	20550 26250	18550 24250	18550 24250	12700 16500	13700 17500	3800000 5719000	2000000 3010000	4700 8500	7050 12750

16.	Anusuiya Ward	4800 7800	7200 11700	4800 7800	13800 16800	12800 15800	10800 13800	8800 11800	20700 25200	18700 23200	18700 23200	12800 15800	13800 16800	4275000 6270000	2250000 3300000	4800 7800	7200 11700
17.	Pragati Warc	4800 8400	7200 12600	4800 8400	13800 17400	12800 16400	10800 14400	8800 12400	20700 26100	18700 24100	18700 24100	12800 16400	13800 17400	3458000 5130000	1820000 2700000	4800 8400	7200 12600
18.	Sudarshan Ward	4900 8400	7350 12600	4900 8400	13900 17400	12900 16400	10900 14400	8900 12400	20850 26100	18850 24100	18850 24100	13900 16400	13900 17400	3467500 5092000	1825000 2680000	4900 8400	7350 12600
19.	Mahatma Gandhi Ward	4500 7800	6750 11700	4500 7800	13500 16800	12500 15800	10500 13800	8500 11800	20250 25200	18250 23200	18250 23200	12500 15800	13500 15800	34675000 51490000	1825000 2710000	4900 7800	6750 11700
20.	Ambedkar Ward	2700 4700	4050 7050	2700 4700	11200 13700	10700 12700	8700 10700	6700 8700	17550 20550	15550 18550	15550 18550	10700 12700	11700 13700	4180000 6270000	2200000 3300000	2700 4700	4050 7050
21.	Bhagat Singh Ward	4200 8400	6300 12600	4200 8400	13200 17400	12200 16400	10200 18800	8200. 12400	19800 25100	17800 24100	17800 24100	12200 16400	13200 17400	4940000 7272000	2600000 3800000	4200 8400	6300 12600
22.	Maharana Pratap Ward	4700 8400	7050 12600	4700 8400	13700 17400	12700 16400	10700 14400	8700 12400	20550 26100	18550 24100	18550 24100	12700 16400	11700 17400	3277500 4845000	1725000 2550000	4700 8400	7050 12600
23.	Shiva Ji Ward	4935 8820	7403 13230	4935 8820	13935 17820	12935 16820	10935 14820	8935 12820	20900 26700	18900 24700	18900 24700	12900 16800	13800 19600	3470625 5625900	1968750 2961000	4935 8820	7403 13230
24.	Kalinga Ward	5000 8500	7500 12750	5000 8500	14000 17500	13000 16500	11000 14500	9000 12500	21000 26250	19000 24250	19000 24250	13000 16500	14000 17500	6156000 8930000	3240000 4700000	5000 8500	7500 12750
25.	Upwan Ward	4700 8500	7050 12750	4700 8500	13700 17500	12700 16500	10700 14500	8700 12500	20550 26250	18550 24250	18550 24250	12700 16500	13700 17500	3705000 5700000	1950000 3000000	4700 8500	7050 7500
26.	Nalanda Ward	4800 8900	7200 13350	4800 8900	13800 17900	12800 16900	10800 14900	8800 12900	20700 26850	18700 24850	18700 24850	12800 16900	13800 17900	5557500 8265000	2925000 4350000	4800 8900	7200 13350
27.	Shubhash Chand Ward	6000 8800	9000 13200	6000 8800	15000 17800	14000 16800	12000 14800	10000 12800	22500 26700	20500 26700	20500 26700	14000 16800	15000 17800	8075000 11780000	4250000 6200000	6000 8800	9000 13200
28.	Ashok Ward	7300 14300	10950 21450	7300 14300	16300 23300	15300 22300	13300 20300	11300 18300	24450 34950	23450 32950	22450 39950	15300 22300	16300 23300	9500000 14440000	5000000 7600000	7300 14300	10950 21450
29.	Akbar Ward	7300 14000	10950 21000	7300 14000	16300 23000	15300 22000	13300 20000	11300 18000	24450 34500	2500 22450	22450 32500	15300 22000	16300 23000	9405000 14250000	4950000 7500000	7300 14000	10950 21000
30.	Chanakya Ward	7560 14700	11340 22050	7560 14700	16560 23700	15560 22700	13560 20700	11560 18700	24800 33500	22800 35500	22800 33500	22800 33500	15500 22700	17700 27500	6503700 9775500	3423000 5145000	7560 14700
31.	Tilak Ward	8500 13500	12750 20250	8500 13500	17500 22500	16500 21500	14500 19500	12500 17500	26250 33750	24250 31750	24250 31750	16500 21500	17500 32500	5700000 8569000	3000000 5410000	8500 13500	12750 20250
32.	Neharu Ward	6300 11500	9450 17250	6300 11500	15300 20500	14300 19500	12300 17500	16300 10300	22950 30750	20950 28750	20950 28750	14300 19500	15300 20500	5842500 8550000	3075000 4500000	6300 11500	9450 17250
33.	Maulana Ward	6200 10700	9300 10050	6200 10700	15200 16700	14200 18700	12200 16700	10200 14700	22800 25550	20800 27550	20800 27550	14200 18700	15200 19700	5605000 8436000	2950000 4440000	6200 10700	9300 16050
34.	Ekta Ward	6700 13500	10050 20250	6700 13500	15700 22500	14700 21500	12700 19500	10700 17500	23550 33750	21550 31750	21550 31750	14700 21500	15700 22500	6251000 9405000	3290000 4950000	6700 13500	10050 20250

35.	Surya Ward	6800 15000	10200 22500	6800 15000	15800 24000	14800 23000	12800 21000	10800 19000	23700 36000	21700 34000	21700 34000	14800 23000	15800 24000	6270000 9348000	3300000 4920000	6800 15000	10200 22500
36.	Lal Bahadur Ward	6300 9300	9450 13950	6300 9300	15300 18300	14300 17300	12330 15300	10300 13300	22950 27450	20950 25450	20950 24450	14300 17300	15300 18300	4275000 6308000	2250000 3320000	6300 9300	9450 13950
37.	Deen Dayal Ward	6515 8820	9923 13230	6615 8820	15615 17820	14615 16820	12615 14820	10615 12820	23400 26700	21400 24700	21400 24700	14600 16800	16300 19600	6184500 7780500	325000 409500	6615 8820	9923 13230
38.	Tulsi Ward	7770 15435	11655 23153	7770 15435	16770 24435	15770 23435	13770 21435	11770 19435	25200 36700	23200 34700	23200 34700	15600 23500	18100 28500	6583500 9775500	3465000 5145000	7770 15435	11655 23153
39.	Rajiv Ward	8800 18300	13200 27450	8800 18300	17800 27300	16800 26300	14800 24300	12800 22300	26700 40950	24700 38950	24700 38950	16800 26300	17800 27300	10260000 15200000	5400000 8000000	8800 18300	13200 27450
40.	Aadarsh Ward	9400 19000	14100 28500	9400 19000	18400 28000	17400 27000	15400 25000	13400 23000	27600 42000	25600 40000	25600 40000	17400 27000	18400 28000	10279000 15390000	5410000 8100000	9400 19000	14100 28500
41.	Indira Ward	8400 17000	12600 25500	8400 17000	17400 26000	16400 25000	14400 23000	12400 21000	26100 39000	24100 37000	24100 37000	16400 25000	17400 26000	9215000 13680000	4850000 7200000	8400 17000	12600 25500
42.	Sardar Wallabh Bhai Ward	9500 18000	14250 27000	9500 18000	18500 27000	17500 26000	15500 24000	18500 22000	27750 40500	25750 38500	25750 38500	17500 26000	18500 27000	8550000 13015000	4500000 6850000	9500 18000	14250 27000
43.	Vivekanand Ward	5000 7400	7500 11100	5000 7400	14000 16400	13000 15400	11000 13400	9000 11400	21000 24600	19000 22600	19000 22600	13000 15400	14000 16400	4750000 7362500	2500000 3875000	5000 7400	7500 11100
44.	Azad Ward	5200 11500	7800 17250	5200 11500	14200 20500	13200 19500	11200 17500	9200 15500	21300 30750	19500 28750	19300 28750	13200 19500	14200 20500	4940000 7410000	2600000 3900000	5200 11500	7800 17250
45.	Vinobha Ward	6200 11500	9300 17250	6200 11500	15200 20560	14200 19500	12200 17500	10200 15500	22500 30750	20800 28750	20800 28750	14200 19500	15200 20500	8645000 13300000	4550000 7000000	6200 11500	9300 17250

स्त्रोतः जिला पंजीयक कार्यालय सिंगरौली


SINGRAULI
2.10 LAND VALUE
Legend
Wardwise Land Value Range in INR
(Per Squre Meter)
25000 - 30000
20000 - 25000
15000 - 20000
10000 - 15000
High
Low
National Highway
Major District
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Registration & Stamp Govt. of M.P. (2020)
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Markoli
To Chitrangi
NH 135 - C
NH 39
REHAND RESERVOIR
To Mada
To Mada
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

2.3.1.11 भू–आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

सिंगरौली निवेश क्षेत्र को भू आकृति की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन तथा शेष भाग विच्छेदित पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। यह जानकारी सारणी 2–सा–10 में दर्शाई गई है।

भू–आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–10

S. No.	Geomorphology	Area (Ha.)
1.	2.	3.
1.	Active Quarry	6412.33
2.	Abandoned Quarry	152.33
3.	Dam and Reservoir	3502.72
4.	Butte	12.47
5.	Gullied Land	1841.72
6.	Hill	497.34
7.	Inselberg	29.03
8.	Lateral Bar	114.04
9.	Pediment	33886.00
10.	Pediplain	30448.54
11.	Point Bar	49.38
12.	Moderately Dissected Hills and Valleys	5704.13
Total		**82650.03**

स्त्रोतः भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.12 जल स्त्रोत बफर

जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2–सा–11 में दर्शाई गई है।

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2–सा–11

क्र.	बफर (मी. में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
1.	60	437.88	23.76
2.	45	450.14	24.44
3.	30	464.94	25.24
4.	15	489.33	26.56
कुल		**1842.29**	**100**

स्त्रोतः भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.13 भूमि अवक्रमण (Land Degradation)

सिंगरौली निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2–सा–12 में दर्शाई गई है।

भूमि अवक्रमण

सारणी 2–सा–12

S. No.	Land Degradation Class	Area (Ha.)
1.	2.	3.
1.	Mining & Dump Areas	6482.37
2.	Sheet - Moderate	5218.02
3.	Sheet - Severe	4833.98
4.	Gullies	72.06
Total		16606.43

स्त्रोतः भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.14 मार्ग संरचना बफर

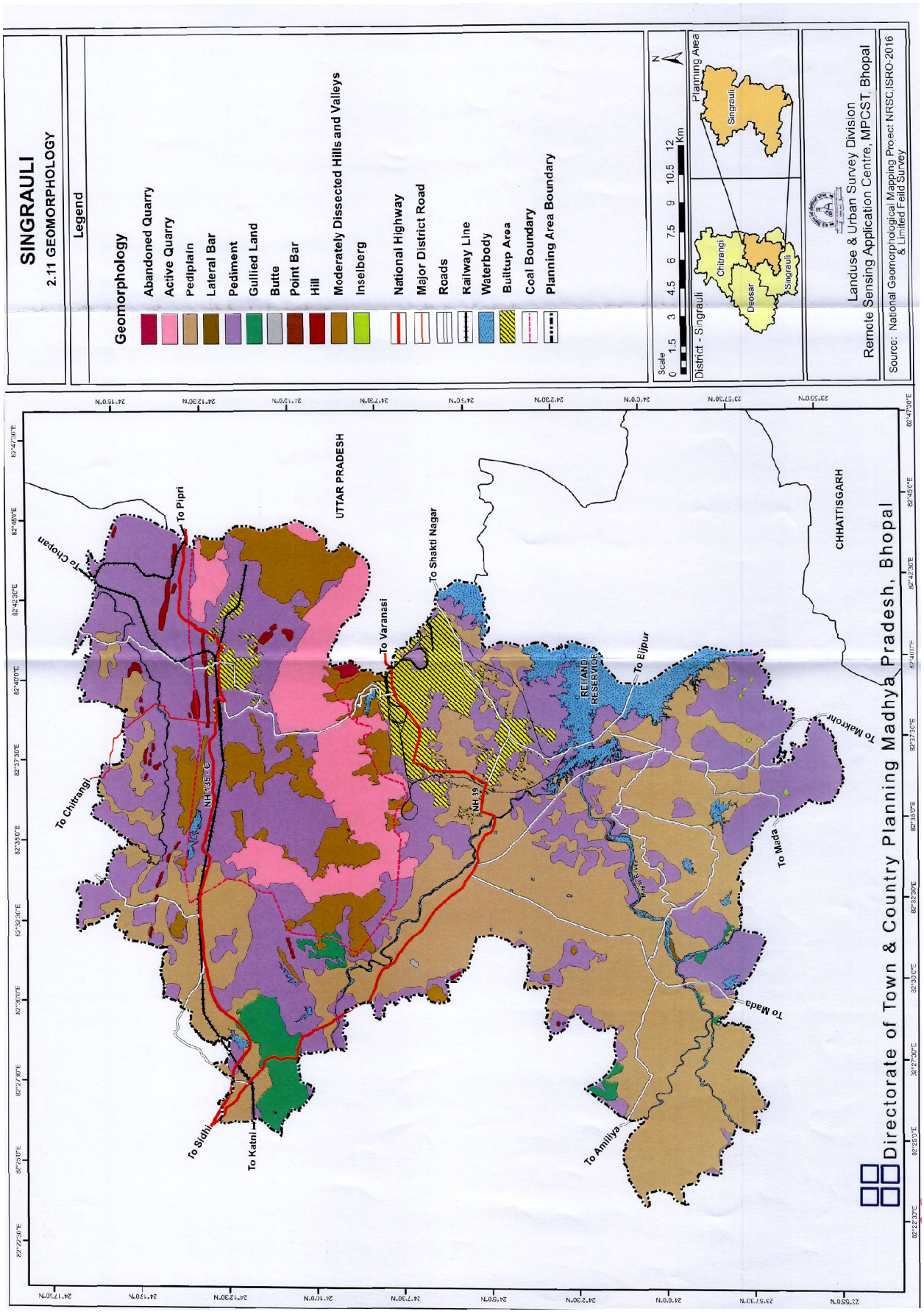
मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह विभिन्न निवेश इकाईयों को समन्वित करती है। सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग 39 एवं 135–सी पर स्थित है जो शहर को सीधी, प्रयागराज, रीवा एवं शहडोल से जोड़ते हैं। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु इन मार्गों को सम्मिलित किया गया है, एवं बफर ज़ोन मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गए हैं। मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी सारणी 2–सा–13 में दर्शाई गई है।

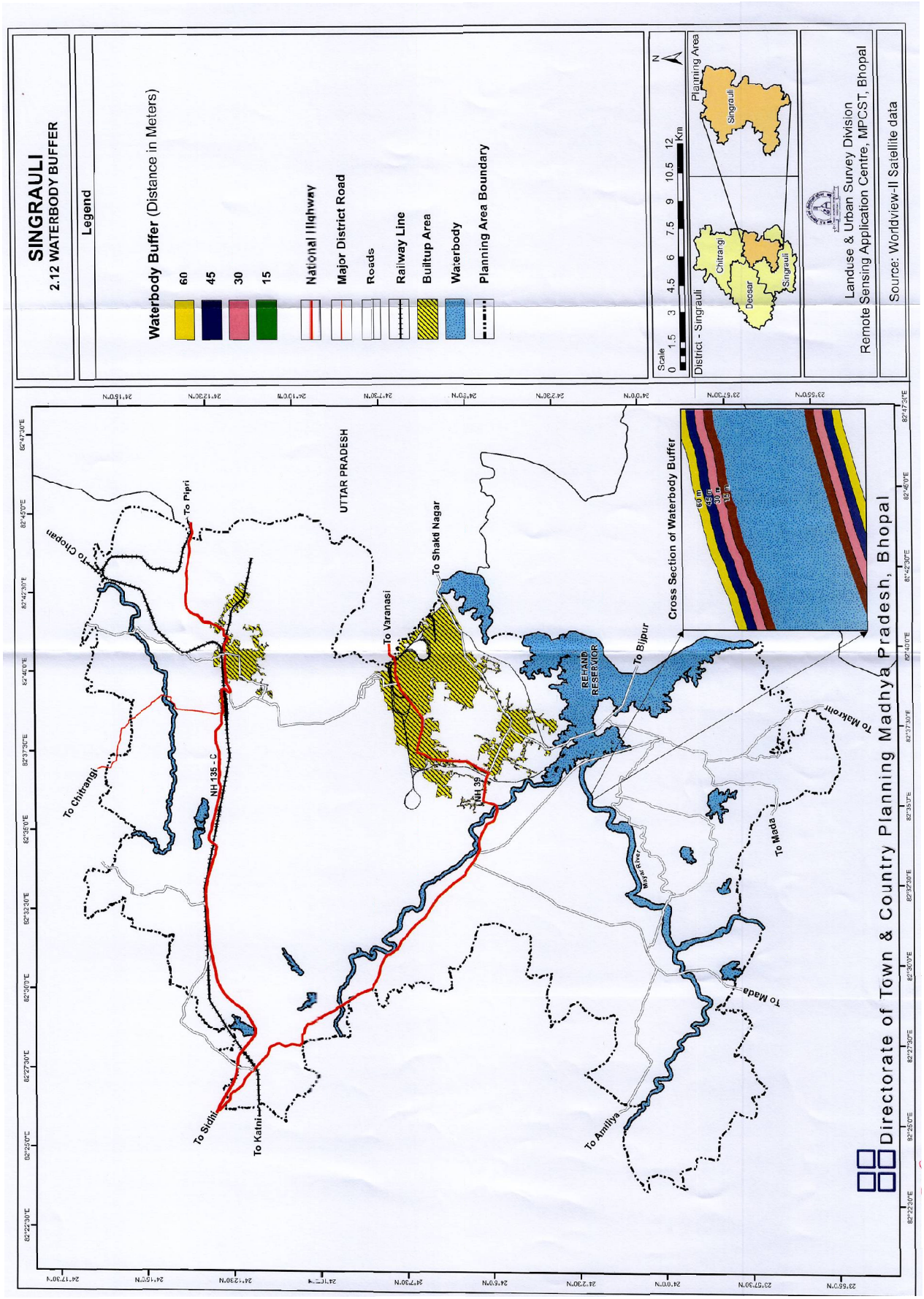
मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल

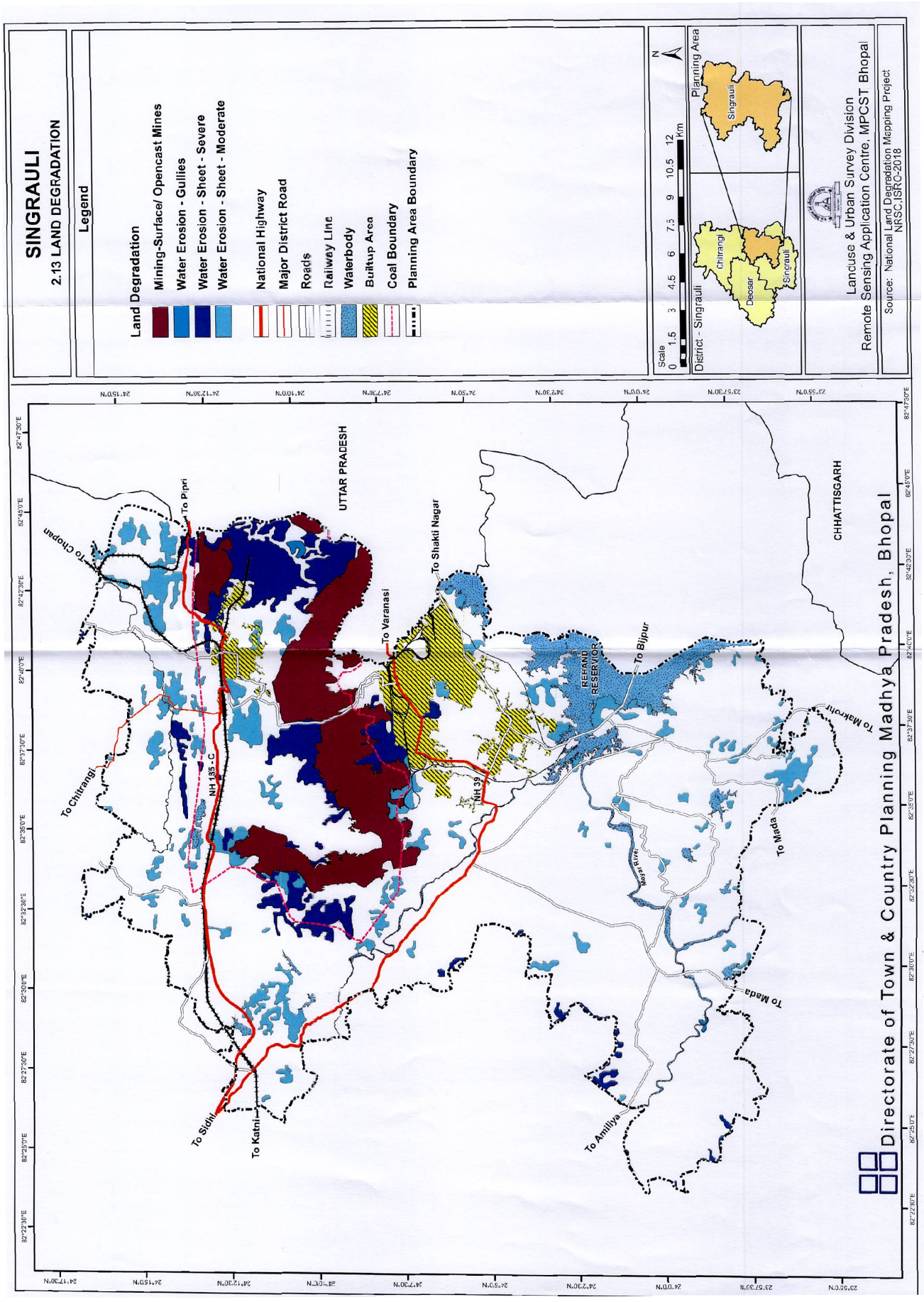
सारणी 2–सा–13

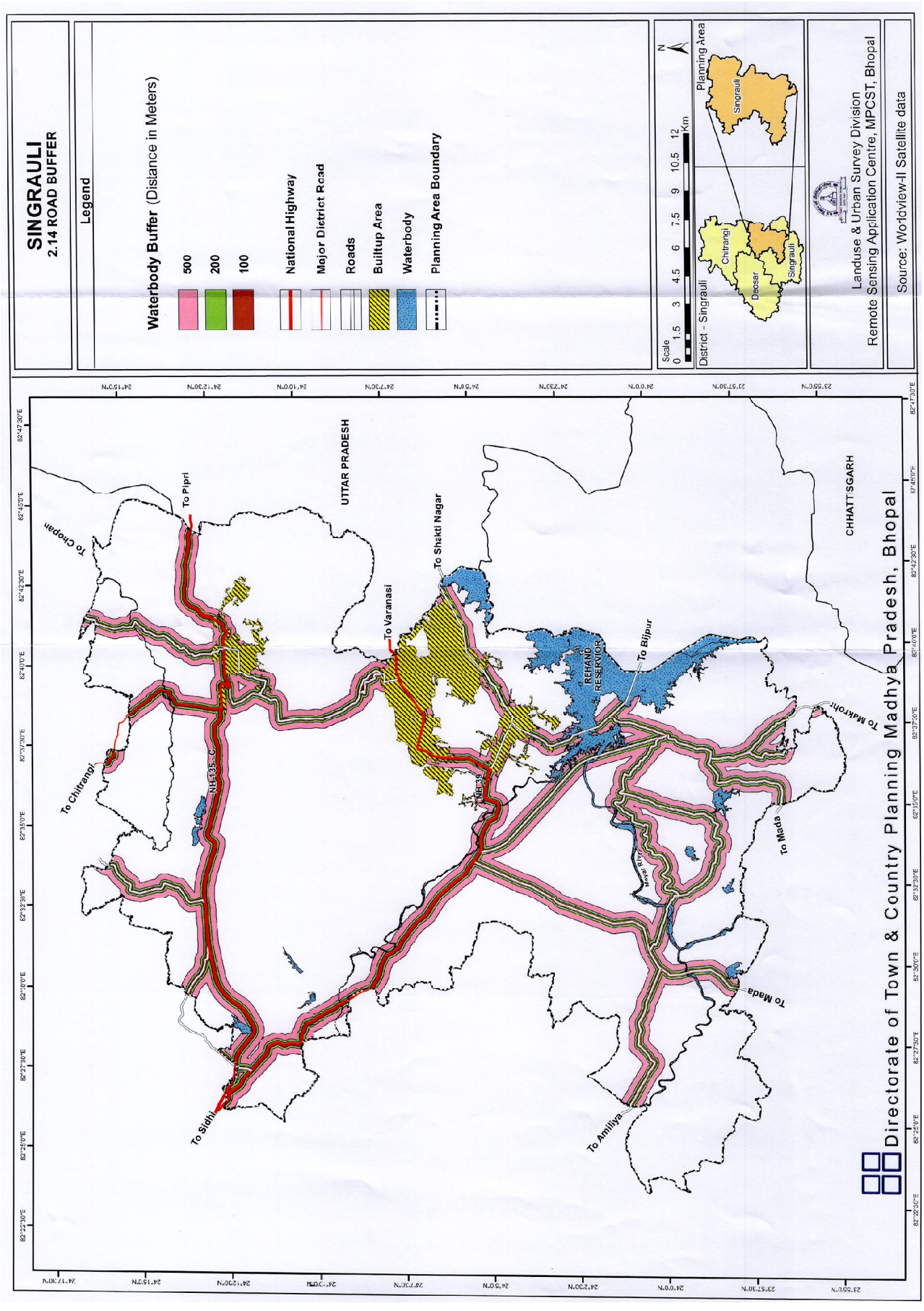
क्र.	मार्ग बफर (मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
1.	100	4662.81	21.34
2.	200	4487.14	20.53
3.	500	12702.83	58.13
4	>500	—	—
कुल		21852.78	100

स्त्रोतः भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण


SINGRAULI
2.11 GEOMORPHOLOGY
Legend
Geomorphology
Abandoned Quarry
Active Quarry
Pediplain
Lateral Bar
Pediment
Gullied Land
Butte
Point Bar
Hill
Moderately Dissected Hills and Valleys
Inselberg
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup Area
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Scale 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: National Geomorphological Mapping Project NRSC,ISRO-2016
& Limited Feild Survey
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
To Mada
To Makroh
To Eijpur
REHAND RESERVOIR
NH 135 C
NH 39


SINGRAULI
2.12 WATERBODY BUFFER
Legend
Waterbody Buffer (Distance in Meters)
60
45
30
15
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
Cross Section of Waterbody Buffer
60 m
45 m
30 m
15 m
UTTAR PRADESH
To Piprī
To Chopan
To Chitrangi
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Makroni
To Mada
To Amiliya
To Sidhi
To Katni
NH 135 - C
NH 39
REHAND RESERVOIR
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SINGRAULI
2.13 LAND DEGRADATION
Legend
Land Degradation
Mining-Surface/ Opencast Mines
Water Erosion - Gullies
Water Erosion - Sheet - Severe
Water Erosion - Sheet - Moderate
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Builtup Area
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Scale 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST Bhopal
Source: National Land Degradation Mapping Project
NRSC,ISRO-2018
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Chopan
To Pipri
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Chitrangi
NH 135 C
NH 39
REHAND RESERVOIR
To Bijpur
To Makrohi
To Mada
To Mada
To Amiliya
To Sidhi
To Katni
Mayar River


SINGRAULI
2.14 ROAD BUFFER
Legend
Waterbody Buffer (Distance in Meters)
500
200
100
National Highway
Major Dietrict Road
Roads
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shekti Nagar
To Varanasi
To Chitrangi
To Sidhi
To Bijpur
To Makrohi
To Mada
To Amiliya
To Wada
REHAND RESERVIOR
NH-135 - C
NH-39

2.3.1.15 रेलवे स्टेशन

सिंगरौली रेल्वे स्टेशन एवं बरगवाँ रेल्वे स्टेशन कटनी – जमशेदपुर लाईन पर स्थित हैं। यहाँ से कटनी, राँची एवं टाटानगर के लिये यात्री रेल सेवा मेल एवं पैसेन्जर गाड़ियों द्वारा उपलब्ध है।

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया मे यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैरार्गिक क्षमता पर निर्भर है। भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता हैः

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है
2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है, एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया, जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ। सिंगरौली नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है, एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा, विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखा जाना चाहिए। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वॉर्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है। उदाहरण स्वरूप, यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2–सा–14 में दिया गया है।

Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2–सा–14

[Model-1]

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1.	2.	3.	4.	5.
1	Land Use	25	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Builtup	1
4			Wasteland	8
5			Forest	1
6			Water Body	1
1	Geomorphology	20	Badland	1
2			Fluvial Older Alluvial Plain	9
3			Water Body	1
1	Ground Water Prospects	10	Moderate To Poor	4
2			Excellent	9
3			Water Bodies	1
1	Soil Texture	05	Fine Loamy	9
2			Fine	7
3			Water Bodies	1
4			Builtup	1
1	Road Buffer	10	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	10	15 m	1
2			30 m	2
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	10	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	5
1	Land Value	10	2800-10000	9
2			10000-25000	8
3			25000-40000	7
4			40000-55000	6
5			55000-70000	5
6			70000-85000	4

[Model-2]

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1.	2.	3.	4.	5.
1	Land Use	20	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Builtup	1
4			Wasteland	8
5			Forest	1
6			Waterbody	1
1	Geomorphology	10	Badland	1
2			Fluvial - Older Alluvial Plain	9
3			Waterbody	1
1	Ground Water Prospects	10	Moderate To Poor	4
2			Excellent	9
3			Water Bodies	1
1	Soil Texture	05	Fine Loamy	9
2			Fine	7
3			Water Bodies	1
4			Builtup	1
1	Road Buffer	10	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	10	15 m	1
2			30 m	2
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	10	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	5
1	Land Value	10	2800-10000	9
2			10000-25000	8
3			25000-40000	7
4			40000-55000	6
5			55000-70000	5
6			70000-85000	4

[Model-3]

S. No.	Theme	Theme Weight	Class	Class Weight
1.	2.	3.	4.	5.
1	Land Use	14	Agriculture	7
2			Vacant Land	9
3			Builtup	1
4			Wasteland	8
5			Forest	1
6			Waterbody	1
1	Geomorphology	12	Badland	1
2			Fluvial - Older Alluvial Plain	9
3			Waterbody	1
1	Ground Water Prospects	12	Moderate To Poor	4
2			Excellent	9
3			Water Bodies	1
1	Soil Texture	12	Fine Loamy	9
2			Fine	7
3			Water Bodies	1
4			Builtup	1
1	Road Buffer	14	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	Water Bodies Buffer	12	15 m	1
2			30 m	2
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	Slope	12	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	5
1	Land Value	12	2800-10000	9
2			10000-25000	8
3			25000-40000	7
4			40000-55000	6
5			55000-70000	5
6			70000-85000	4

स्त्रोतः भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

टीप: भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफ़र को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। 8 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम, सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डिविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है। अंततः संयुक्त श्रेणी के संयुक्त परिणाम हेतु नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 4 श्रेणियों में विभाजित है।

Land Suitability Area

सारणी 2–सा–15

[Model-1]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1.	2.	3.
Highly Suitable	25033.25	30.29
Moderately Suitable	37162.03	44.96
Less Suitable	14258.25	17.25
Not Suitable	6196.50	7.50
Grand Total	**82650.03**	**100.00**

[Model-2]

Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1.	2.	3.
Highly Suitable	17241.03	20.86
Moderately Suitable	43667.25	52.83
Less Suitable	19449.00	23.53
Not Suitable	2292.75	2.78
Grand Total	**82650.03**	**100.00**

[Model-3]

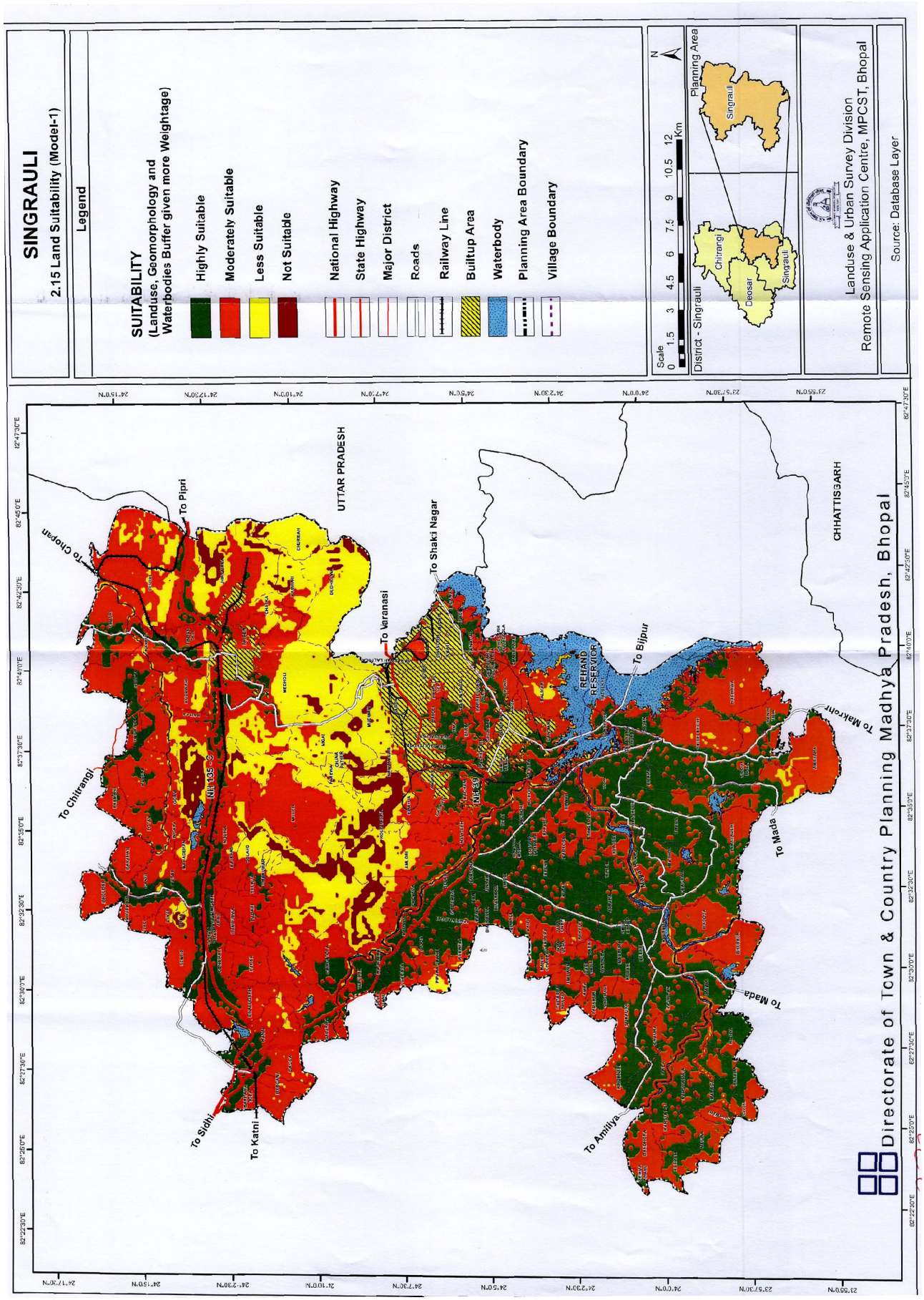
Suitability Class	Area (Ha.)	Percentage
1.	2.	3.
Highly Suitable	11961.00	14.47
Moderately Suitable	52782.03	63.86
Less Suitable	15702.03	19.00
Not Suitable	2204.97	2.67
Grand Total	**82650.03**	**100.00**

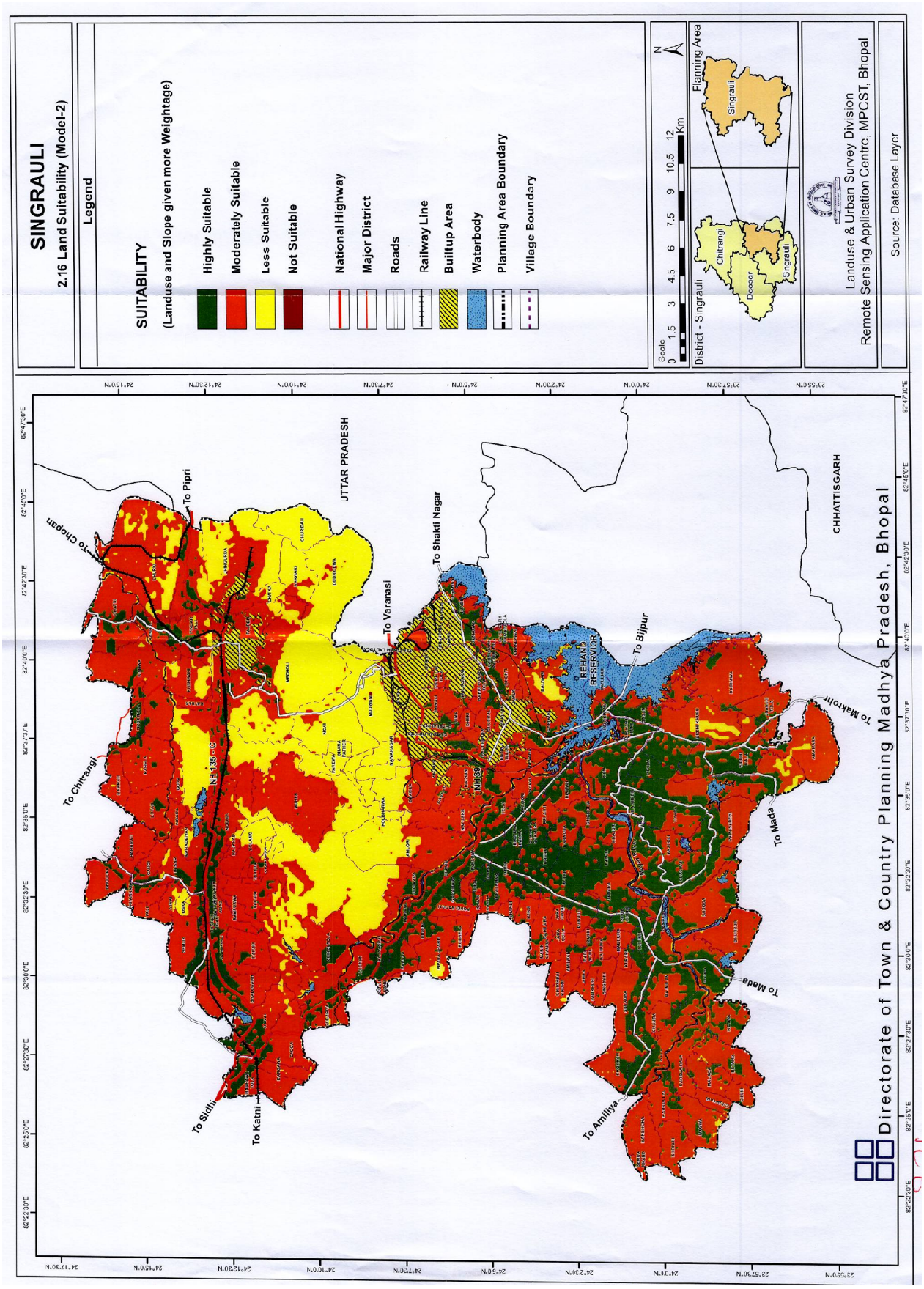
नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार किए गए, जिन्हें सारणी 2 सा 15 में दर्शाया गया है। निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-3] में अधिकतम उपयुक्त भूमि 64743.03 हेक्टेयर (78.33 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [Model-3] का चयन अंतिम रूप से सिंगरौली विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया। यह देखा गया है कि उपयुक्त क्षेत्र पूर्वी, उत्तरपूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी में विरतरित है, एवं नगर का आगामी विकास इन दिशाओं में होना उपयुक्त है।

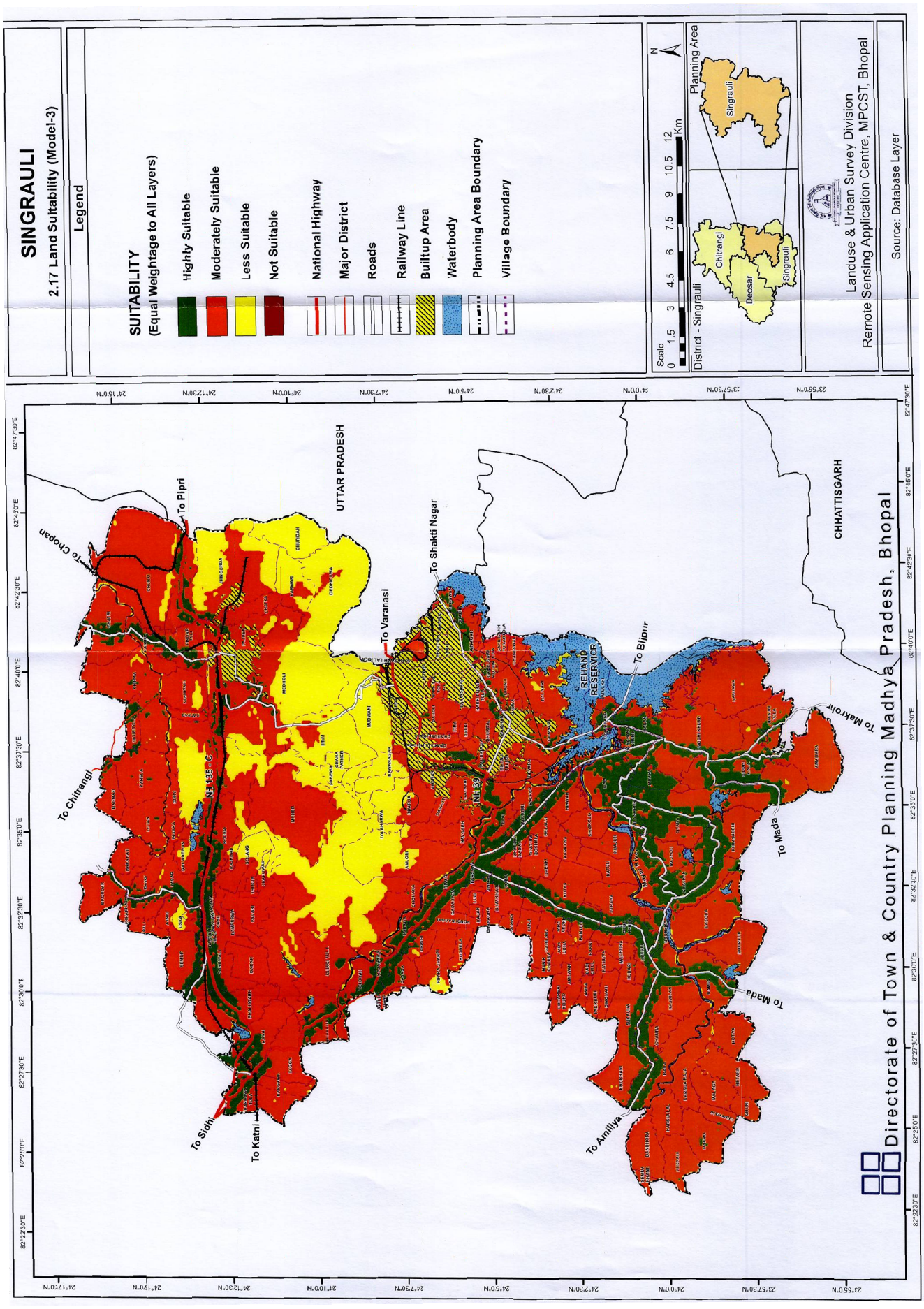
2.5 भूम उपयाग का आवटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित यू.आर.डी.पी.एफ. आई. गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वरतुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर सिंगरौली निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।


SINGRAULI
2.15 Land Suitability (Model-1)
Legend
SUITABILITY
(Landuse, Geomorphology and Waterbodies Buffer given more Weightage)
Highly Suitable
Moderately Suitable
Less Suitable
Not Suitable
National Highway
State Highway
Major District
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Scale 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layer
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Bijpur
To Makroni
To Mada
To Amiliya
REHAND RESERVOIR
NH 135
NH 39
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SINGRAULI
2.16 Land Suitability (Model-2)
Legend
SUITABILITY
(Landuse and Slope given more Weightage)
Highly Suitable
Moderately Suitable
Less Suitable
Not Suitable
National Highway
Major District
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layer
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Chitrangi
To Bijpur
To Makrohr
To Mada
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
REHAND RESERVOIR
NH39
NH135


SINGRAULI
2.17 Land Suitability (Model-3)
Legend
SUITABILITY
(Equal Weightage to All Layers)
Highly Suitable
Moderately Suitable
Less Suitable
Not Suitable
National Highway
Major District
Roads
Railway Line
Builtup Area
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Database Layer
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Chitrangi
To Bijpur
To Makroh
To Mada
To Wada
To Amilliya
To Sidhi
To Katni
REHAND RESERVOIR
NH 135 G
NH 39
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

अध्याय–3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 क्रियान्वयन परिदृश्य

सिंगरौली विकास योजना 2031 में क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर नागरिकों की सक्रीय सहभागिता अर्जित किया जाना है। वर्तमान आवश्यकताओं, नागरिकों की सुख–सुविधाओं में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार को ध्यान में रखते हुए विकास योजना का मध्यावधि पुनर्विलोकन अत्यावश्यक है। विकास योजना 2031 मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं के प्रबन्धन के अभाव में प्रभावित हुई:–

1. मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित न होना।
2. नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए स्थानीय निकाय के पास संसाधनों की पर्याप्त रूप से एवं समय पर अनुपलब्धता।
3. निवेश के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली के विकास का अभाव।
4. पर्यावरण सुधार के लिए प्रबंधन का अभाव।
5. योजना क्रियान्वयन का सतत् पर्यवेक्षण न होना।
6. विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के विपरीत विकास/ निर्माण।

3.2 विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

भूमि उपयोग मूल्यांकन (विकास योजना 2031 पुस्तक अनुसार)

सारणी 3–सा–1

क्र.	भूमि उपयोग का प्रकार	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि (हे. में)	वर्तमान विकसित क्षेत्र (2019) (हे. में)	उच्चावचन/ निम्नावन (+)/(–)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आवासीय	4960.30	2952.63	(+) 2007.67	59.53
2.	वाणिज्यिक	600.00	88.14	(+) 511.86	14.69
3.	औद्योगिक	2987.67	2160.50	(+) 827.17	72.31
4.	मिश्रित	–	101.81	(–) 101.81	–
5.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाएँ – सुविधाएँ	680.00	404.96	(+) 275.04	59.55
6.	आमोद–प्रमोद	656.90	209.20	(+) 447.70	31.85
7.	यातायात एवं परिवहन	2360.00	1865.00	(+) 495.00	79.03
योग		**12244.87**	**7782.24**	**(+) 4462.63**	**63.56**

वर्ष 2019 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि निवेश क्षेत्र में कुल 7782.24 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास हुआ है। सिंगरौली विकास योजना 2031 में प्रस्तावित विकास हेतु 15214.16 हेक्टेयर भूमि निहित थी। वर्ष 2012 के भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार नगर में 6223.00 हेक्टेयर विकसित क्षेत्र था। अर्थात् गत 7 वर्षों में मात्र 1559.24 हे. भूमि का विकास हुआ है। उक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन को सारणी 3–सा–1 एवं 3–सा–2 में दर्शाया गया है।

भूमि उपयोग मूल्यांकन (विकास योजना 2031 मानचित्र अनुसार)

सारणी 3–सा–2

क्र.	भूमि उपयोग का प्रकार	विकास योजना 2031 मानचित्र अनुसार क्षेत्र (हे. में)	वर्तमान विकसित क्षेत्र (2019) (हे. में)	उच्चावचन / निम्नावन (+) / (–)	क्रियान्वयन स्तर का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आवासीय	7471.62	2952.63	(+) 4518.99	39.52
2.	वाणिज्यिक	643.24	88.14	(+) 555.10	13.70
3.	औद्योगिक	2323.58	2160.50	(+) 163.08	92.98
4.	मिश्रित	–	101.81	(–) 101.81	–
5.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाएँ – सुविधाएँ	659.21	404.96	(+) 254.26	61.43
6.	आमोद–प्रमोद	1743.93	209.20	(+) 1534.73	12.00
7.	यातायात एवं परिवहन	2372.58	1865.00	(+) 507.57	78.61
योग		**15214.16**	**7782.24**	**(+) 7431.92**	**51.15**

टीपः सारणी 3–सा–1 में विकास योजना 2031 की पुस्तक अनुसार विभिन्न भूमि उपयोगों का क्षेत्रफल कॉलम–3 में दिया गया है, परन्तु वास्तविक क्षेत्रफल मानचित्र अनुसार सारणी 3–सा–2 के कॉलम–3 में उल्लेखित है, तदनुसार विकास योजना 2035 में भूमि उपयोगों के क्षेत्रफलों का विश्लेषण किया गया है।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 51.15 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किए जा चुके हैं। कुछ भूमि उपयोगों का क्रियान्वयन कम हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार क्षेत्र की जनसंख्या 4.34 लाख है। निवेश क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या (वर्ष 2019) 5.18 लाख के मान से विकसित भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 15.03 हेक्टेयर है।

3.2.1 आवासीय

विकास योजना 2031 में 7471.62 हेक्टेयर भूमि आवासीय क्षेत्र में विकसित करना प्रस्तावित था, जिसमें से वर्ष 2019 में किए गए अद्यतन सर्वेक्षण अनुसार 2952.63 हेक्टेयर भूमि का आवासीय विकास हुआ है, जो कि 39.52 प्रतिशत है। नगर के लिए विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु सिंगरौली विकास प्राधिकरण क्रियान्वयन संस्था है। अतः यह स्पष्ट है कि सिंगरौली नगर का विकास तीव्रगति से हो रहा है। शहरी गरीबों हेतु आई.एच. एस.डी.पी. योजनांतर्गत नगर निगम द्वारा मोरबा में 200 एवं बैढ़न में 100 आवास का निर्माण किया गया।

3.2.2 वाणिज्यिक

विकास योजना 2031 में वाणिज्यिक उपयोग हेतु भूमि उपयोग दर 0.80 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या के लिये 643.24 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 88.14 हे. भूमि का विकास हुआ। योजना में विशिष्ट वाणिज्यिक विकास केन्द्रों हेतु 147.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी। वाणिज्यिक क्षेत्र का अधिकांश विकास प्रमुख मार्गों पर, एवं पुराने आवासीय उपयोग की भूमि को वाणिज्यिक रूप में परिवर्तित करने से हुआ है। यू.आर.डी.पी. एफ.आई के मापदण्डों के अनुसार 4 से 6 प्रतिशत भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित की गई है।

3.2.3 औद्योगिक

उच्चकोटि का कोयला एवं जल संसाधन के अतुल भण्डार को अपने गर्भ में संजोए ऊर्जाधानी के नाम से ख्याति प्राप्त सिंगरौली में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्युत संयंत्रों से संबंधित औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के कारण नगरीय समूह में विकास हुआ है। विकास योजना 2031 में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु कुल 2323.58 हेक्टेयर भूमि के विकास की परिकल्पना के आधार पर प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें से 2160.50 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ, जो कि 92.98 प्रतिशत आता है। इसमें से मुख्यतः ग्राम सिध्दी खुर्द एवं हर्रहवा में नगर निगम द्वारा औद्योगिक विकास पूर्ण किया गया। क्षेत्र में 163.08 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि का विकास होना शेष है। प्रस्तावित औद्योगिक भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 15.83 प्रतिशत थी। यू.आर.डी.पी.एफ.आई के मापदण्डों के अनुसार 7 से 9 प्रतिशत भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित की गई है।

3.2.4 मिश्रित

विकास योजना 2031 में मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित नहीं की गई थी, परन्तु 2019 की स्थिति में 101.81 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग में विकसित हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्ताव एवं मापदण्ड आवश्यक हैं।

3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाएँ–सुविधाएँ

विकास योजना 2031 में क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय एवं उपखण्ड स्तरीय गतिविधियों के विकास हेतु 659.21 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 404.96 हेक्टेयर

भूमि पर इस उपयोग के अन्तर्गत विकास हुआ है, जो कि 61.43 प्रतिशत है। 254.26 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास होना शेष है। प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाएँ–सुविधाएँ की भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 4.49 प्रतिशत थी।

3.2.6 आमोद–प्रमोद

नगरीय सौन्दर्यीकरण को दृष्टिगत रखते हुये विकास योजना 2031 में 1743.93 हे. भूमि के अंतर्गत उद्यान, पिकनिक स्थल, खेल का गैदान आदि के विकास हेतु स्थल निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में इस उपयोग के अंतर्गत कुल 209.20 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 12.00 प्रतिशत है। 1534.73 हेक्टेयर आमोद–प्रमोद क्षेत्र का विकास होना शेष है। प्रस्तावित आमोद–प्रमोद भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 11.88 प्रतिशत थी। बैढ़न बस स्टेण्ड तथा विन्ध्यनगर में थाने के समीप नगर निगम द्वारा पार्क का विकारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से संलग्न भूमि पर स्टेडियम का विकास भी पूर्ण हो गया है।

3.2.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2031 में 2372.58 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 1865.00 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 78.61 प्रतिशत है। प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भूमि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 16.16 प्रतिशत थी। नगर निगम द्वारा ग्राम मेढ़ौली में 4.00 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित मैकेनिक नगर का विकास किया जा चुका है।

3.3 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है। नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिए किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। सिंगरौली विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि के उपरान्त भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा, विकास योजना प्रस्ताव के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

3.4 अधिनियम की धारा 23–क(1) के अंतर्गत उपांतरण

म.प्र. शासन द्वारा अंगीकृत सिंगरौली विकास योजना 2031 में ग्राम बैढ़न एवं गनियारी में पुनर्घनत्वीकरण योजना हेतु प्रस्तावित स्थल के कुल रकबे 5.473 हेक्टेयर में से 3.36 हे.

का प्रस्तावित भू–उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, वर्तमान आवासीय, वर्तमान मार्ग आदि उपयोगों को यथानुरूप उपांतरित कर वाणिज्यिक एवं मार्ग किया गया। म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना को राजपत्र में दिनांक 25 सितंबर 2020 में प्रकाशित किया गया। उपांतरित भूमि का वर्णन सारणी 3–सा–3 में दिया गया है।

भूमि उपयोग उपांतरण

सारणी 3–सा–3

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	बैढ़न	247	1.093	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
2.	बैढ़न	248	0.471		वाणिज्यिक एवं मार्ग
3.	बैढ़न	254/2	1.376		वाणिज्यिक एवं मार्ग
कुल			**2.94 में से 1.12**		
4.	गनियारी	817	0.373	वर्तमान आवासीय + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
5.	गनियारी	819/2	0.498		वाणिज्यिक एवं मार्ग
6.	गनियारी	822	0.534	वर्तमान आवासीय + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
7.	गनियारी	823	0.890 में से 0.597	वर्तमान आवासीय + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
8.	गनियारी	824/1	0.032	प्रस्तावित आवासीय + वर्तमान मार्ग	वाणिज्यिक
9.	गनियारी	824/2	0.093		वाणिज्यिक
10.	गनियारी	824/3	0.032		वाणिज्यिक
11.	गनियारी	824/5	0.081		वाणिज्यिक
कुल			**2.533 में से 2.24**		
योग			**3.36**		

स्त्रोतः म.प्र. राजपत्र भाग–1 पृ.क्र. 3610 दिनांक 25 सितंबर 2020

3.5 असंगत भूमि उपयोग

विभिन्न गतिविधियों के पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्ताव सारणी 3–सा–4 में दर्शाए गए हैं।

असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

सारणी 3–सा–4

क्र.	वर्तमान भू–उपयोग	वर्तमान स्थिति	समस्या का प्रकार	प्रस्तावित स्थल
1.	2.	3.	4.	5.
1.	बरगवाँ दाल मिल एवं आरामशीन	बरगवाँ बस स्टेण्ड के पास	ध्वनि एवं धूल प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बरगवाँ
2.	अनाज/सॉ–मिल	जमुआ ग्राम	ध्वनि एवं धूल प्रदूषण	औद्योगिक क्षेत्र गनियारी
3.	दोटी एसीटलनी गेस प्लांट	नवजीवन विहार के पास	आवासीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक	औद्योगिक क्षेत्र गनियारी
4.	दाल मिल	बैढ़न सिंचाई कार्यालय के पीछे	ध्वनि प्रदूषण	औद्योगिक क्षेत्र गनियारी
5.	आरा मशीन	भरतसिंह कॉलोनी मेढ़ौली, दुधीचुआँ रोड	ध्वनि प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बरगवाँ
6.	आरा मशीन	सर्किट हाउस रोड मेढ़ौली	ध्वनि प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र बरगवाँ
7.	वेयर हाउस	बाली गाँव थाने के पास	पर्यावरण समस्या	बैढ़न बस स्टेण्ड के पास
8.	आवासीय बस्ती	पावर कोरीडोर एवं कोयला खनिज धारी क्षेत्र	आकस्मिक भावी दुर्घटना की संभावना	कोल धारित क्षेत्र मरोबा, पावर कॉरीडोर का प्रभार क्षेत्र
9.	ग्राम खजुरी, कटौली, सिंगरौलिया	प्रस्तावित हवाई पट्टी क्षेत्रांतर्गत	दुर्घटना की संभावना	ग्राम हिरवाह के आवासीय परिसर से संलग्न
10.	ग्राम मेढ़ौली एवं पंजरेह में संचालित उद्योग	मेढ़ौली, पंजरेह	पर्यावरण एवं ध्वनि प्रदूषण	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र कुशवई
11.	मोहन छविगृह	बैढ़न सघन आबादी क्षेत्र	–	नवजीवन विहार के पास

3.6 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.6.1 जनसंख्या विश्लेषण

सिंगरौली नगर मध्यप्रदेश राज्य के रीवा संभाग का एक जिला मुख्यालय है। सिंगरौली के निकटस्थ छः अन्य जिला मुख्यालयों एवं प्रदेश की जनसंख्या का विवरण नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है। इसका विवरण सारणी 3–सा–5 में दर्शाया गया है।

राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3–सा–5

क्र.	राज्य/जिला	कुल जनसंख्या–2011	पुरूष	महिला	लिंगानुपात
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	मध्यप्रदेश (राज्य)	72626809	37612306	35014503	931
2.	रीवा	2365106	1225100	1140006	931
3.	सतना	2228935	1157495	1071440	926
4.	सिंगरौली	1178273	613637	564636	921
5.	सीधी	1127033	575912	551121	957
6.	शहडोल	1066063	540021	526042	975
7.	अनुपपूर	749237	379114	370123	977
8.	उमरिया	644758	330674	314084	950

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

सिंगरौली जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1178273 थी। सिंगरौली नगर की वॉर्ड वार कुल जनसंख्या, शिशुओं (0–6 वर्ष के बालक–बालिका) की जनसंख्या, अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या एवं साक्षरता के आँकड़े सारणी 3–सा–6 में दिए गए हैं।

सारणी 3–सा–6

Ward	Population			Child Population (06)			SC Population			ST Population			Literates		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	2758	2545	5303	490	477	967	314	280	594	1710	1577	3287	1489	901	2390
2.	2533	2288	4821	412	395	807	512	486	998	684	640	1324	1463	855	2318
3.	2489	2210	4699	308	285	593	147	135	282	133	129	262	1926	1531	3457
4.	2440	2190	4630	294	243	537	416	379	795	167	189	356	1871	1474	3345
5.	2549	2227	4776	324	267	591	395	338	733	330	305	635	1999	1433	3432
6.	1539	1420	2959	210	200	410	153	139	292	405	407	812	988	731	1719
7.	1324	1271	2595	220	225	445	500	498	998	130	135	265	827	551	1378
8.	2479	2253	4732	319	332	651	316	297	613	53	51	104	1935	1524	3459
9.	3187	2860	6047	450	398	848	90	83	173	245	244	489	2346	1792	4138
10.	2546	2389	4935	401	433	834	284	249	533	943	942	1885	1571	908	2479
11.	1669	1443	3112	177	152	329	270	245	515	258	227	485	1329	897	2226
12.	2095	1804	3899	367	339	706	165	120	285	470	455	925	1082	628	1710
13.	2202	1912	4114	261	214	475	185	138	323	304	300	604	1673	1213	2886
14.	1218	1068	2286	88	89	177	128	115	243	75	76	151	1081	840	1921
15.	2585	2201	4786	302	256	558	152	139	291	168	153	321	2085	1460	3545
16.	1770	1580	3350	149	108	257	215	187	402	133	120	253	1567	1239	2806
17.	2043	1730	3773	238	211	449	190	152	342	286	265	551	1568	1104	2672
18.	2675	2427	5102	243	208	451	355	322	677	279	251	530	2162	1707	3869
19.	2997	2762	5759	232	211	443	460	435	895	159	143	302	2649	2116	4765
20.	2973	2630	5603	478	424	902	543	533	1076	157	133	290	2081	1393	3474
21.	2816	2576	5392	367	325	692	834	772	1606	75	79	154	2075	1471	3546

22.	2750	2469	5219	248	219	467	203	194	397	118	103	221	2286	1722	4008
23.	3753	3337	7090	411	363	774	573	523	1096	326	296	622	2936	2107	5043
24.	2273	1915	4188	353	288	641	81	70	151	422	376	798	1662	1142	2804
25.	2737	2363	5100	418	364	782	438	415	853	198	170	368	1881	1101	2982
26.	1986	1738	3724	210	185	395	286	263	549	102	75	177	1617	1110	2727
27.	1377	1302	2679	111	79	190	94	89	183	55	51	106	1217	1060	2277
28.	3154	2947	6101	486	446	932	685	693	1378	137	144	281	1841	1148	2989
29.	2521	2300	4821	385	340	725	294	263	557	43	36	79	1557	947	2504
30.	3427	3062	6489	510	489	999	487	483	970	79	67	146	2435	1512	3947
31.	2754	2525	5279	401	385	786	508	503	1011	44	37	81	2040	1455	3495
32.	3636	3031	6667	526	381	907	389	311	700	268	235	503	2698	1895	4593
33.	2994	2855	5849	526	515	1041	1106	1060	2166	154	145	299	1858	1142	3000
34.	2643	2352	4995	227	180	407	283	235	518	145	111	256	2335	2010	4345
35.	2005	1540	3545	153	123	276	158	138	296	136	138	274	1812	1328	3140
36.	3055	2298	5353	417	411	828	364	285	649	420	365	785	1936	940	2876
37.	2787	2397	5184	431	350	781	567	514	1081	80	81	161	1880	1071	2951
38.	2339	2039	4378	340	305	645	198	180	378	105	110	215	1720	1123	2843
39.	3217	2927	6144	545	476	1021	232	222	454	235	225	460	2097	1486	3583
40.	3531	2926	6457	442	376	818	284	284	568	137	105	242	2827	2045	4872
41.	4070	3675	7745	621	554	1175	275	281	556	38	21	59	2976	2193	5169
42.	2266	1826	4092	264	233	497	152	117	269	84	71	155	1785	1183	2968
43.	2977	2639	5616	541	503	1044	436	381	817	204	181	385	1857	915	2772
44.	2105	1693	3798	294	294	588	187	134	321	109	52	161	1424	742	2166
45.	3623	3448	7071	637	601	1238	469	478	947	563	543	1106	2234	1325	3559
Total	**116867**	**103390**	**220257**	**15827**	**14252**	**30079**	**15373**	**14158**	**29531**	**11366**	**10559**	**21925**	**84678**	**58470**	**143148**

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.6.2 जनसंख्या लिंगानुपात

सिंगरौली नगर निगम के वॉर्ड क्रमांक 1, 2, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 33, 39, 41 एवं 45 में लिंगानुपात 900 से अधिक था, तथा वॉर्ड क्रमांक 35 एवं 36 में लिंगानुपात 800 से भी कम था। वॉर्ड क्रमांक 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43 एवं 44 में लिंगानुपात 800 से 900 के बीच था। जनसंख्या लिंगानुपात का विवरण सारणी 3–सा–7 में दिया गया है।

वॉर्ड जनसंख्या लिंगानुपात

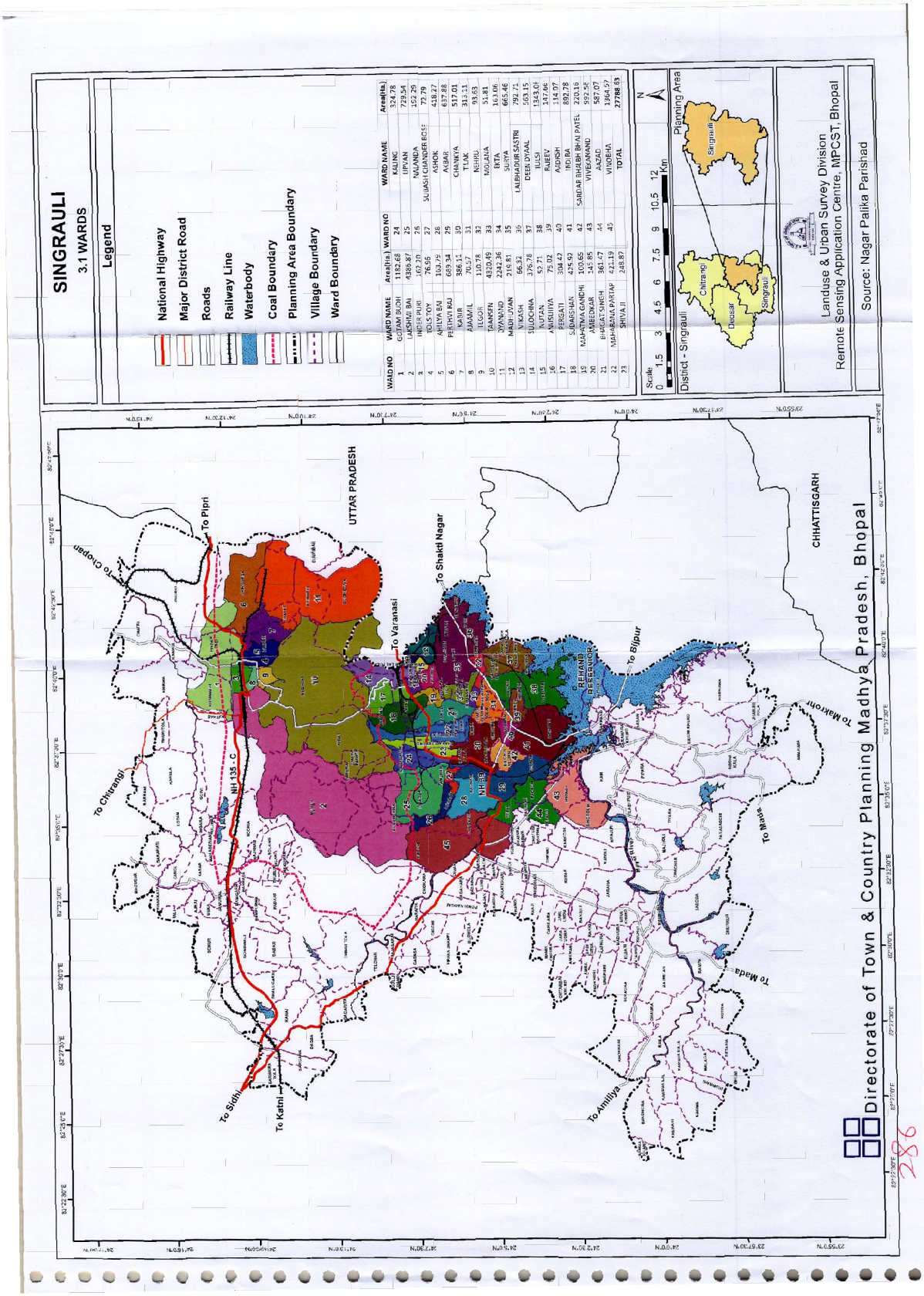
सारणी 3–सा–7

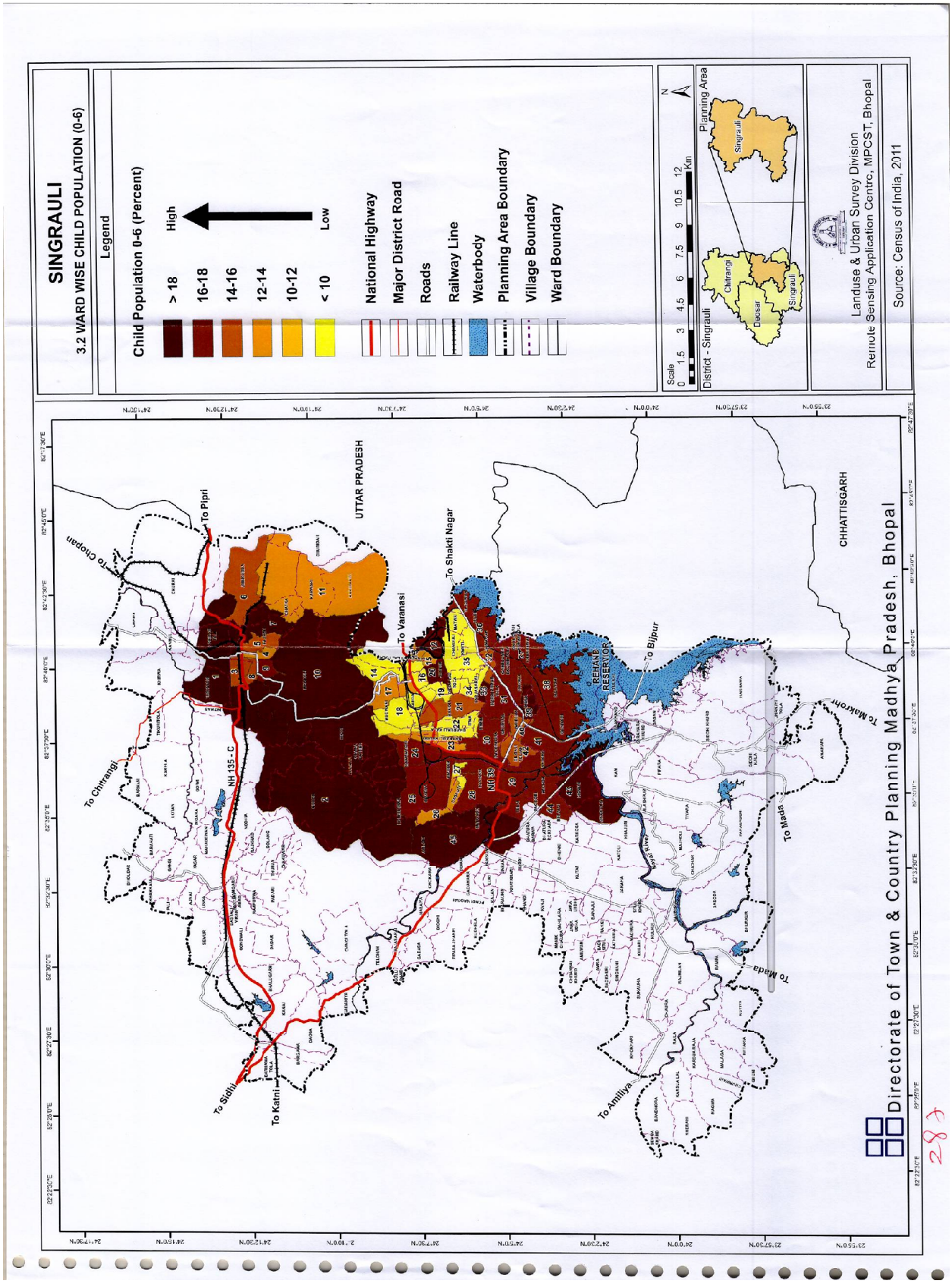
क्र.	जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)	वॉर्ड क्रमांक	कुल वॉर्डों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	901–1000	1, 2, 6, 7, 8, 10, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 33, 39, 41, 45	17
2.	801–900	3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44	26
3.	701–800	35, 36	2
योग			45

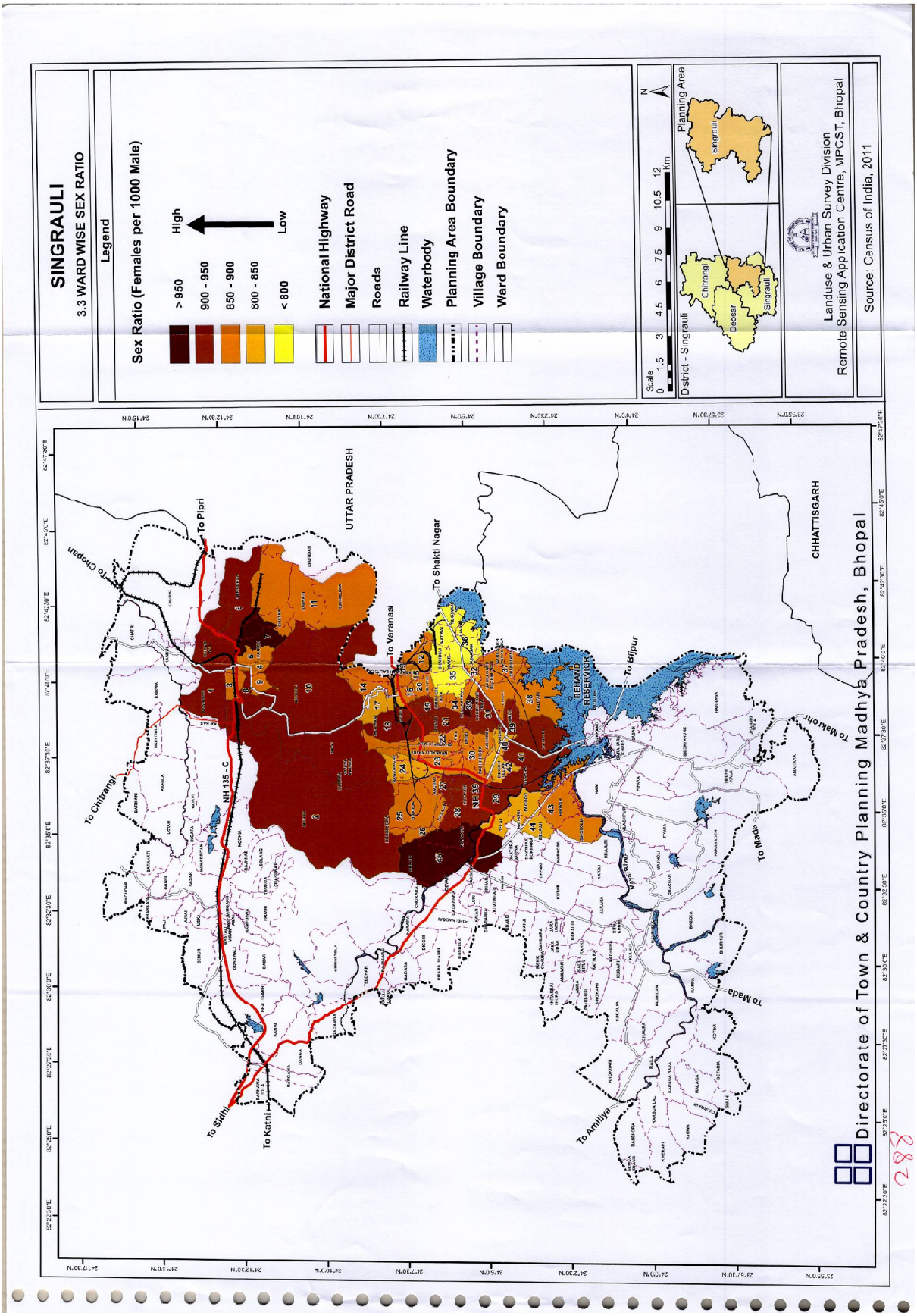
स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.6.3 शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सिंगरौली शहर का लिंगानुपात 885 था, जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 900 था। सिंगरौली में शिशु जनसंख्या लिंगानुपात वॉर्ड क्रमांक 7, 8, 10 एवं 14 में सबसे अधिक, तथा वॉर्ड क्रमांक 16, 27, 32 एवं 34 के अन्तर्गत सबसे कम था। शिशु जनसंख्या लिंगानुपात का विवरण सारणी 3–सा–8 में दिया गया है।


SINGRAULI
3.1 WARDS
Legend
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Village Boundary
Ward Boundary
WARD NO | WARD NAME | Area(Ha.) | WARD NO | WARD NAME | Area(Ha.)
1 GOTAM BUDH 1182.68 24 KALING 324.78
2 LAKSHMI BAI 4386.87 25 UPVAN 729.54
3 INDER PURI 162.20 26 NALANDA 155.79
4 TOLSTOY 76.96 27 SUBASH CHANDER BOSE 72.78
5 AHILYA BAI 163.79 28 ASHOK 418.27
6 PRITHVI RAJ 689.34 29 AMBA 657.88
7 KABIR 386.11 30 CHANKYA 517.01
8 AJAAIVIL 70.57 31 TILAK 313.11
9 TEGOR 110.78 32 NEHRU 93.63
10 GANDHI 4130.49 33 MOLANA 51.81
11 DYANAND 4242.36 34 BETA 163.06
12 MAHARANA 216.81 35 SURYA 665.46
13 VIKASH 66.32 36 LALBHADUR SASTRI 792.71
14 SILOCHNA 376.78 37 DEER DYAAL 563.15
15 RUTAN 52.71 38 TULSI 1343.61
16 ANUSUIYA 75.02 39 RAJEEV 147.66
17 BERGATI 304.42 40 AUDISH 114.97
18 SUDARSHAN 425.92 41 INDIRA 892.78
19 KAMATMA GANDHI 100.65 42 SARDAR BHABH BHAI PATEL 220.16
20 AMBEDKAR 145.85 43 VIVEKANAND 537.07
21 BHAGAT SINGH 361.47 44 AAZAD 537.07
22 MAHARANA PARTAP 421.19 45 VINOBHA 1364.57
23 SHIVAJI 248.87 TOTAL 27788.63
Scale 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
Planning Area
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Nagar Palika Parishad
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
To Majhauli
To Mada
To Maktori
NH 135 - C
NH 39
REHAND RESERVOIR
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SINGRAULI
3.2 WARD WISE CHILD POPULATION (0-6)
Legend
Child Population 0-6 (Percent)
> 18 High
16-18
14-16
12-14
10-12
< 10 Low
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Ward Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Bijpur
To Makrohi
To Mada
To Amiliya
NH 135 - C
REHAND RESERVOIR


SINGRAULI
3.3 WARD WISE SEX RATIO
Legend
Sex Ratio (Females per 1000 Male)
High
Low
> 950
900 - 950
850 - 900
800 - 850
< 800
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Ward Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Mahroni
To Maihar
To Amiliya
To Katni
To Sidhi
To Chitrangi
NH 135 - C
NH 39
REHAND RESERVOIR
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3–सा–8

क्र.	शिशु जनसंख्या (0–6) लिंगानुपात	वॉर्ड क्रमांक	कुल वॉर्डों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	>1000	7, 8, 10, 14	4
2.	901–1000	1, 2, 3, 6, 12, 19, 28, 30, 31, 33, 36, 43, 44, 45	14
3.	801–900	4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42	23
4.	701–800	16, 27, 32, 34	4
योग			45

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.6.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

सिंगरौली में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 23.36 प्रतिशत थी। उक्त जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित थी, किन्तु वॉर्ड क्रमांक 1 में उक्त श्रेणी की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 70 प्रतिशत से अधिक एवं वॉर्ड क्रमांक 9, 27, 41, 42 में कुल जनसंख्या के 11 प्रतिशत से भी कम थी। अनुसूचित जाति/जनजाति का विवरण सारणी 3–सा–9 में दिया गया है।

अनुसूचित जाति, जनजाति जनसंख्या

सारणी 3–सा–9

क्र.	अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या प्रतिशत	वॉर्ड क्रमांक	कुल वॉर्डों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	>70	1	1
2.	31–50	2, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 33	8
3.	11–30	3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45	32
4.	<11	9, 27, 41, 42	4
योग			45

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.6.5 साक्षरता

सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में साक्षरता दर 65 प्रतिशत थी। शहर के वॉर्ड क्रमांक 1, 2, 7, 10, 12, 28, 29, 33, 36, 43, 45 में साक्षरता दर सबसे कम, एवं वॉर्ड क्रमांक 34, 35 में अधिक थी। साक्षरता का विवरण सारणी 3–सा–10 में दिया गया है।

साक्षरता प्रतिशत

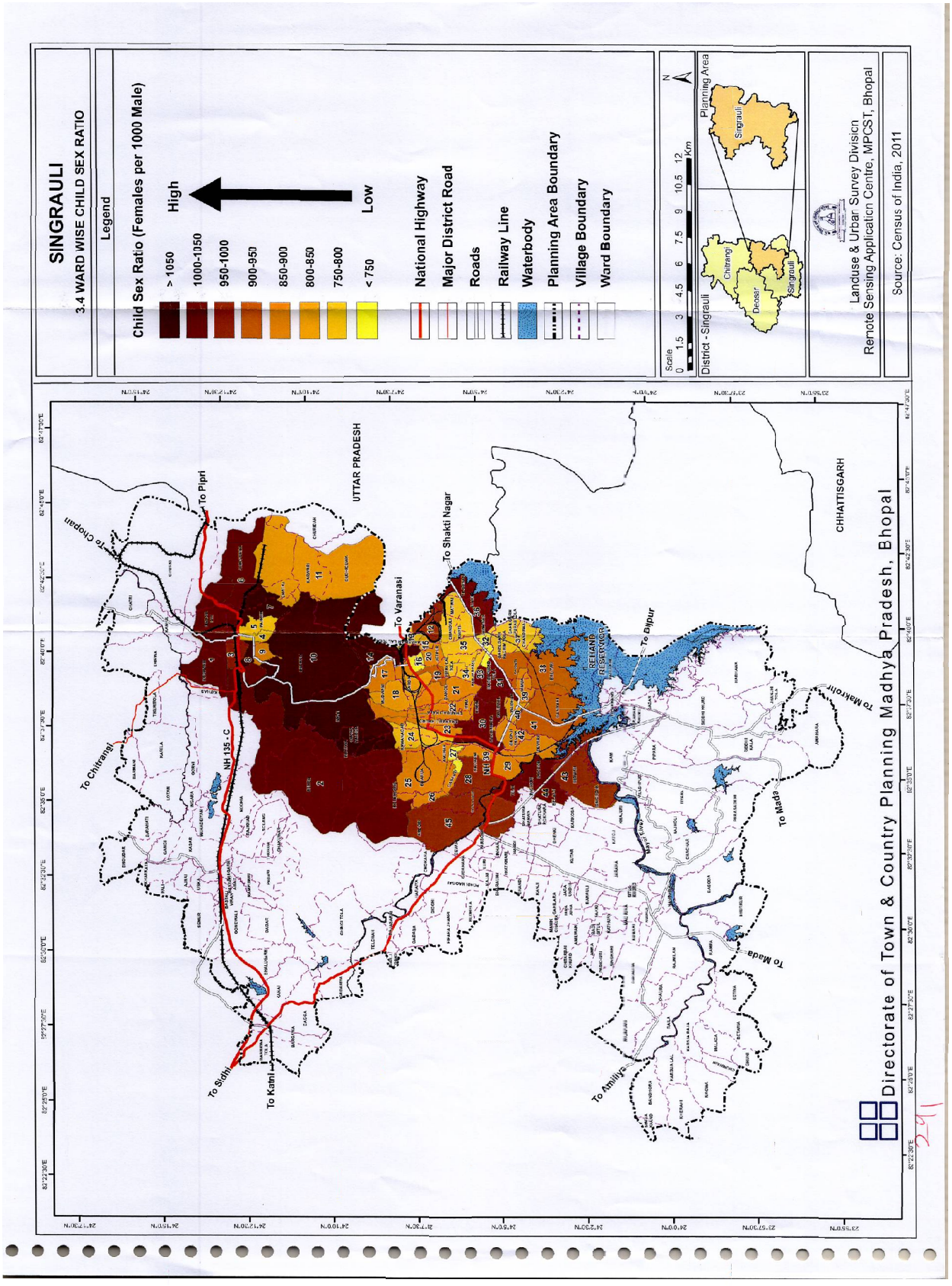
सारणी 3–सा–10

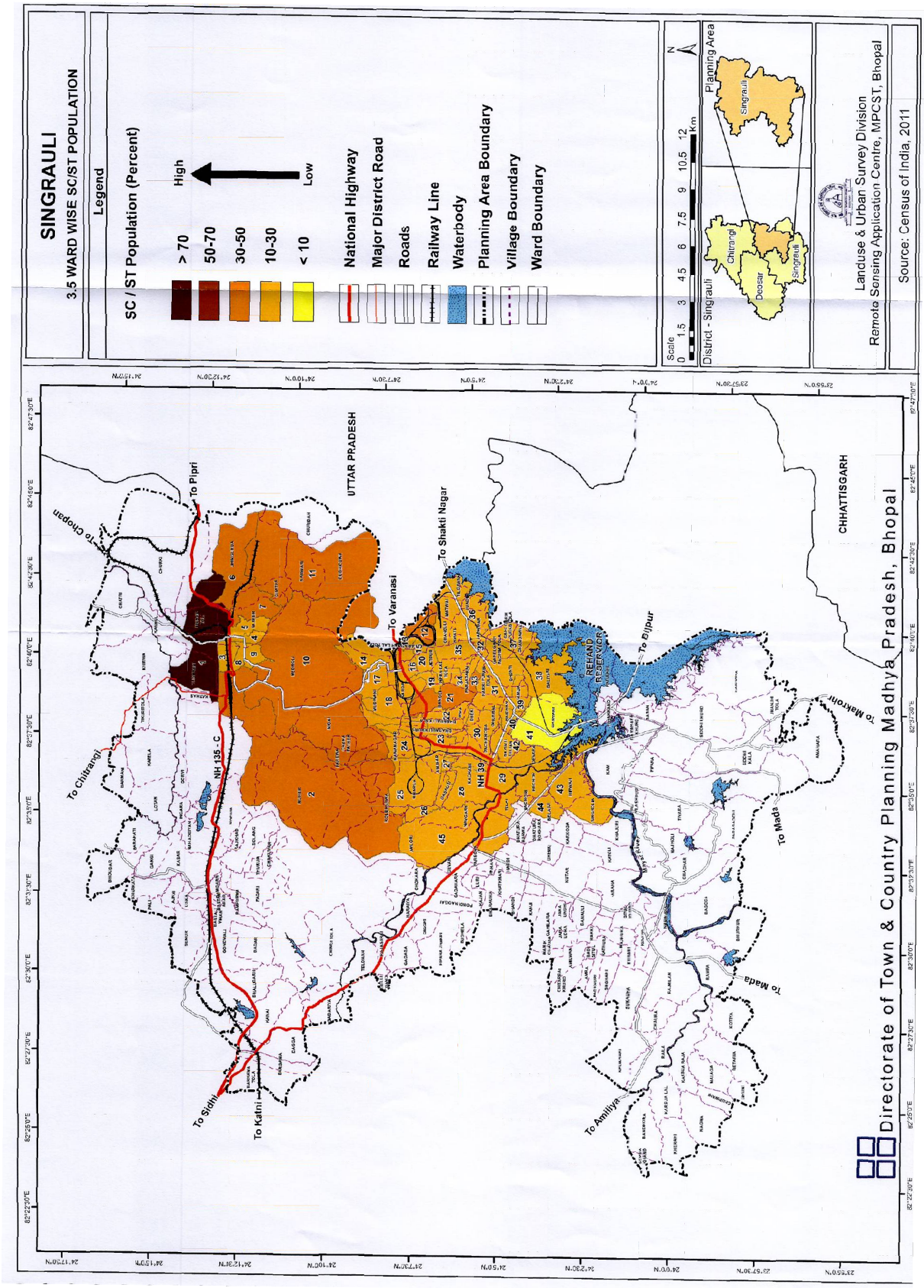
क्र.	साक्षरता प्रतिशत	वॉर्ड क्रमांक	कुल वॉर्डों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	>85	34, 35	2
2.	71–85	3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 40, 42	16
3.	56–70	6, 9, 13, 17, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41, 44	16
4.	55 तक	1, 2, 7, 10, 12, 28, 29, 33, 36, 43, 45	11
योग			45

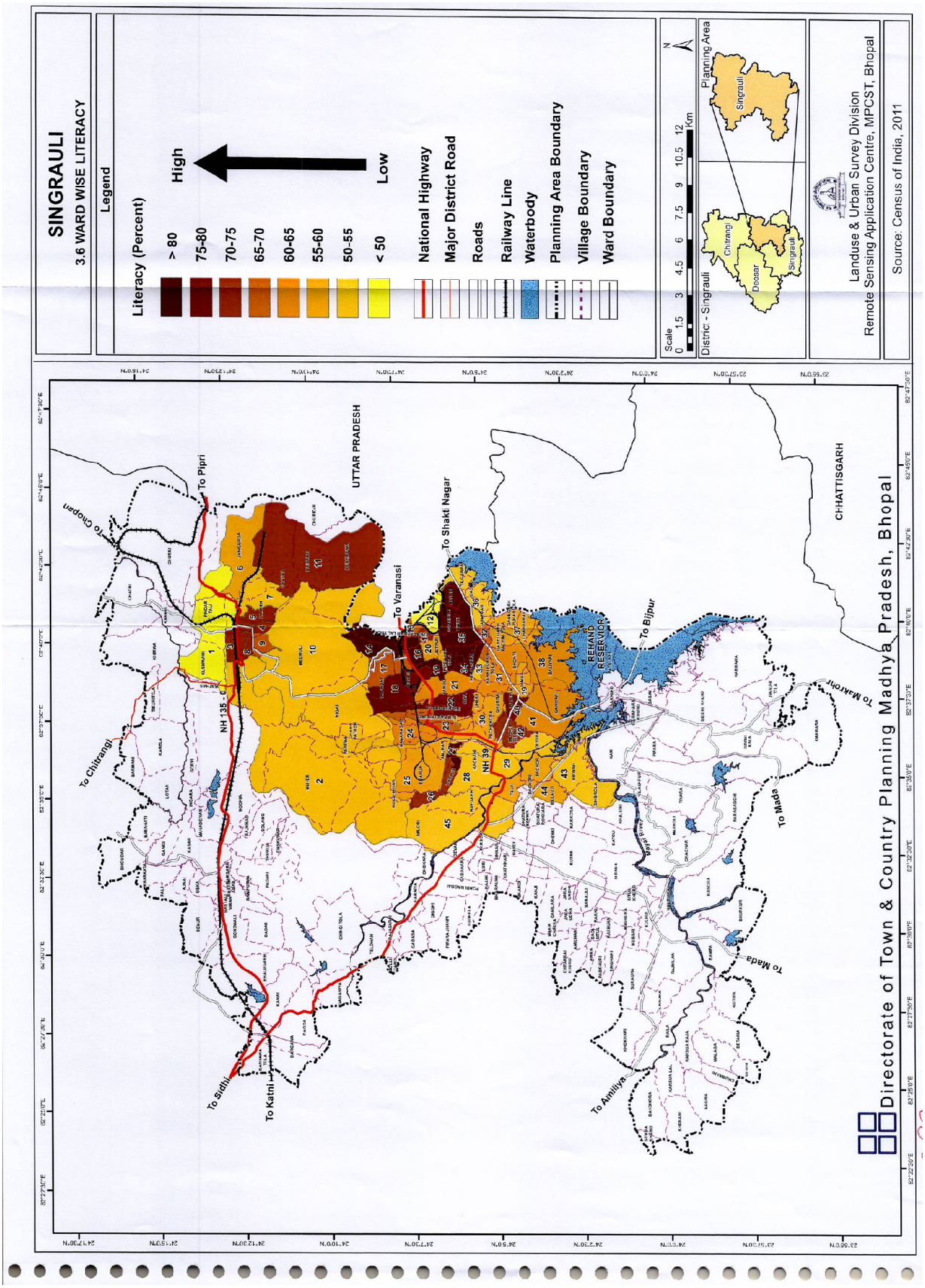
स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.6.6 कार्यशील जनसंख्या

सिंगरौली नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों (कार्य सहभागिता) की संख्या के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि नगर में विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में कितने व्यक्ति वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार कार्यशील थे। सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वॉर्ड क्रमांक 36, 12, 24, 28, 35 एवं सबसे कम प्रतिशत वॉर्ड क्रमांक 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 में प्राप्त हुआ था। सिंगरौली में प्रमुख व्यवसायिक कार्य के तौर पर दुकानों में पूजन सामग्री, माला, प्रसाद, मूर्तियाँ, फोटो, धार्मिक पुस्तकें, भोजनालय तथा होटल आदि की संख्या अधिक है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3–सा–11 में दर्शाया गया है।


SINGRAULI
3.4 WARD WISE CHILD SEX RATIO
Legend
Child Sex Ratio (Females per 1000 Male)
> 1050 High
1000-1050
950-1000
900-950
850-900
800-850
750-800
< 750 Low
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Ward Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
REHAND RESERVOIR
NH 135 - C
NH 39
To Pipri
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Bilpur
To Makroli
To Mada
To Amiliya


SINGRAULI
3.5 WARD WISE SC/ST POPULATION
Legend
SC / ST Population (Percent)
High
Low
> 70
50-70
30-50
10-30
< 10
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Ward Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
REHAND RESERVOIR
NH 135 - C
NH 39
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Mada
To Amiliya
To Mahroni
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SINGRAULI
3.6 WARD WISE LITERACY
Legend
Literacy (Percent)
> 80
75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
< 50
High
Low
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Ward Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Bijpur
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
To Mada
To Mada
To Mahroli
NH 135
NH 39
REHAND RESERVOIR

सिंगरौली कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011

सारणी 3–सा–11

क्र.	कार्य सहभागिता प्रतिशत	वॉर्ड क्रमांक	कुल वॉर्डों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	>40	36	1
2.	36–40	12, 24, 28, 35	4
3.	30–35	1, 2, 6, 13, 17, 18, 21, 29, 32, 33, 34, 38, 45	13
4.	<30	3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44	27
योग			45

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

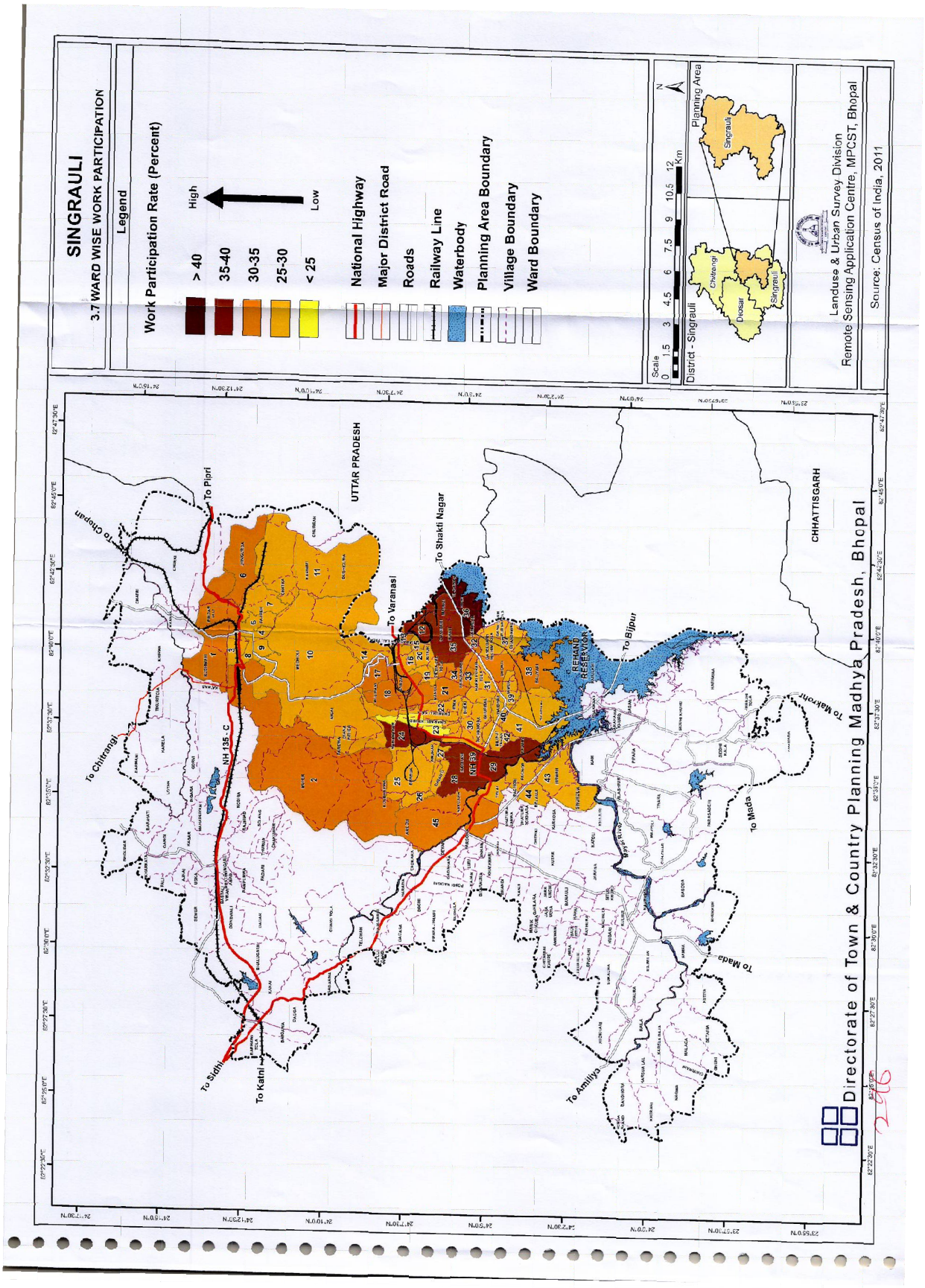
3.6.7 जनसंख्या घनत्व

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में सकल जनसंख्या घनत्व मुख्यतः न्यूनतम ढलान युक्त घाटियों एवं समतल क्षेत्र के कारण मध्यम है। शहर की वॉर्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3–सा–12 में दिया गया है।

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3–सा–12

क्र.	वॉर्ड का नाम	वॉर्ड का कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि. मी.)	जनसंख्या वर्ष 2011	घनत्व
1.	2.	3.	4.	5.
1.	गौतम बुद्ध वॉर्ड	8.1	5309	655
2.	लक्ष्मीबाई वॉर्ड	11.2	4827	431
3.	इन्द्रपुरी वॉर्ड	5.1	4709	923
4.	टालस्टाय वॉर्ड	4.6	4636	1008
5.	अहिल्या बाई वॉर्ड	6.5	4779	735
6.	पृथ्वीराज वॉर्ड	6.3	2965	471
7.	कबीर वॉर्ड	4.2	2596	618
8.	अजामिल वॉर्ड	7.2	4741	658
9.	टैगोर वॉर्ड	7.3	6050	829
10.	तानसेन वॉर्ड	9.1	4943	543
11.	दयानंद वॉर्ड	20.1	3117	155
12.	मधुवन वॉर्ड	6.2	3903	630
13.	विकास वॉर्ड	4.7	3647	776
14.	सुलोचना वॉर्ड	3.5	2761	789
15.	अनुसूईयां वॉर्ड	6.3	3351	532
16.	सुदर्शन वॉर्ड	6.3	5107	811
17.	महात्मा गांधी वॉर्ड	4.7	5762	1226
18.	अम्बेडकर वॉर्ड	2.2	5617	2553
19.	भगत सिंह वॉर्ड	4.5	5392	1198
20.	महाराणा प्रताप वॉर्ड	3.0	5227	1742
21.	शिवाजी वॉर्ड	4.4	7092	1612
22.	कालिंग वॉर्ड	2.1	4067	1937
23.	उपवन वॉर्ड	2.0	5107	2554
24.	नालन्दा वॉर्ड	4.0	3771	943
25.	सुभाषचन्द्र वॉर्ड	3.1	2682	865
26.	अशोक वॉर्ड	4.2	6046	1440
27.	अकबर वॉर्ड	3.6	4826	1341
28.	चाणक्य वॉर्ड	5.2	6493	1249
29.	तिलक वॉर्ड	5.1	5281	1035


SINGRAULI
3.7 WARD WISE WORK PARTICIPATION
Legend
Work Participation Rate (Percent)
High
> 40
35-40
30-35
25-30
< 25
Low
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Ward Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Chopan
To Piori
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Mahroni
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Mada
To Amiliya
NH 135 - C
NH 39
REHAND RESERVOIR

30.	नेहरू वॉर्ड	3.2	6669	2084
31.	मौलाना वॉर्ड	1.9	5858	3083
32.	नूतन वॉर्ड	2.4	4793	1997
33.	प्रगति वॉर्ड	1.6	3775	2359
34.	सूर्या वॉर्ड	4.3	3547	825
35.	एकता वॉर्ड	4.9	4994	1019
36.	लालबहादुर शास्त्री वॉर्ड	5.6	5348	955
37.	दीनदयाल वॉर्ड	36.7	5184	141
38.	तुलसी वॉर्ड	15.9	4383	276
39.	राजीव वॉर्ड	5.8	6148	1060
40.	आदर्श वॉर्ड	2.5	6462	2585
41.	इंदिरा गांधी वॉर्ड	7.9	7744	980
42.	सरदार वल्लभ भाई वॉर्ड	2.5	4099	1640
43.	विवेकानंद वॉर्ड	5.9	5609	951
44.	आजाद वॉर्ड	6.5	3802	585
45.	विनोबा वॉर्ड	8.4	7076	842
योग		**288.32**	**220257**	**785**

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.6.8 व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में सिंगरौली नगर में प्रति हजार जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 303 थी। व्यवसायिक संरचना का विवरण सारणी 3–सा–13 में दिया गया है।

व्यवसायिक संरचना 2011

सारणी 3–सा–13

क्र.	श्रेणी/वर्ग	क्षेत्र के अंतर्गत कार्यशील श्रमिक	प्रतिशत	सहभागिता दर (प्रति 1000 जनसंख्या)
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	कृषक	6096	9.14	28
2.	खेतीहर मजदूर	5505	8.25	25
3.	गृह उद्योग	1903	2.85	9
4.	अन्य मजदूर	53199	79.76	242
योग		**66703**	**100.0**	**303**

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.6.9 जनसंख्या परिवर्तन

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सिंगरौली नगर की औसतन दशकीय जनसंख्या में 18.94 प्रतिशत वृद्धि 2001 से 2011 के दशक में पाई गई। सारणी 3–सा–14 में नगर की जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि दर्शाई गई है।

सिंगरौली जनसंख्या वृद्धि

सारणी 3–सा–14

वर्ष	जनसंख्या नगर निगम क्षेत्र	वृद्धि दर	जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र	वृद्धि दर	जनसंख्या निवेश क्षेत्र	वृद्धि दर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2001	185190		163959		349149	
2011	220257	18.94	214287	30.69	434544	24.00

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

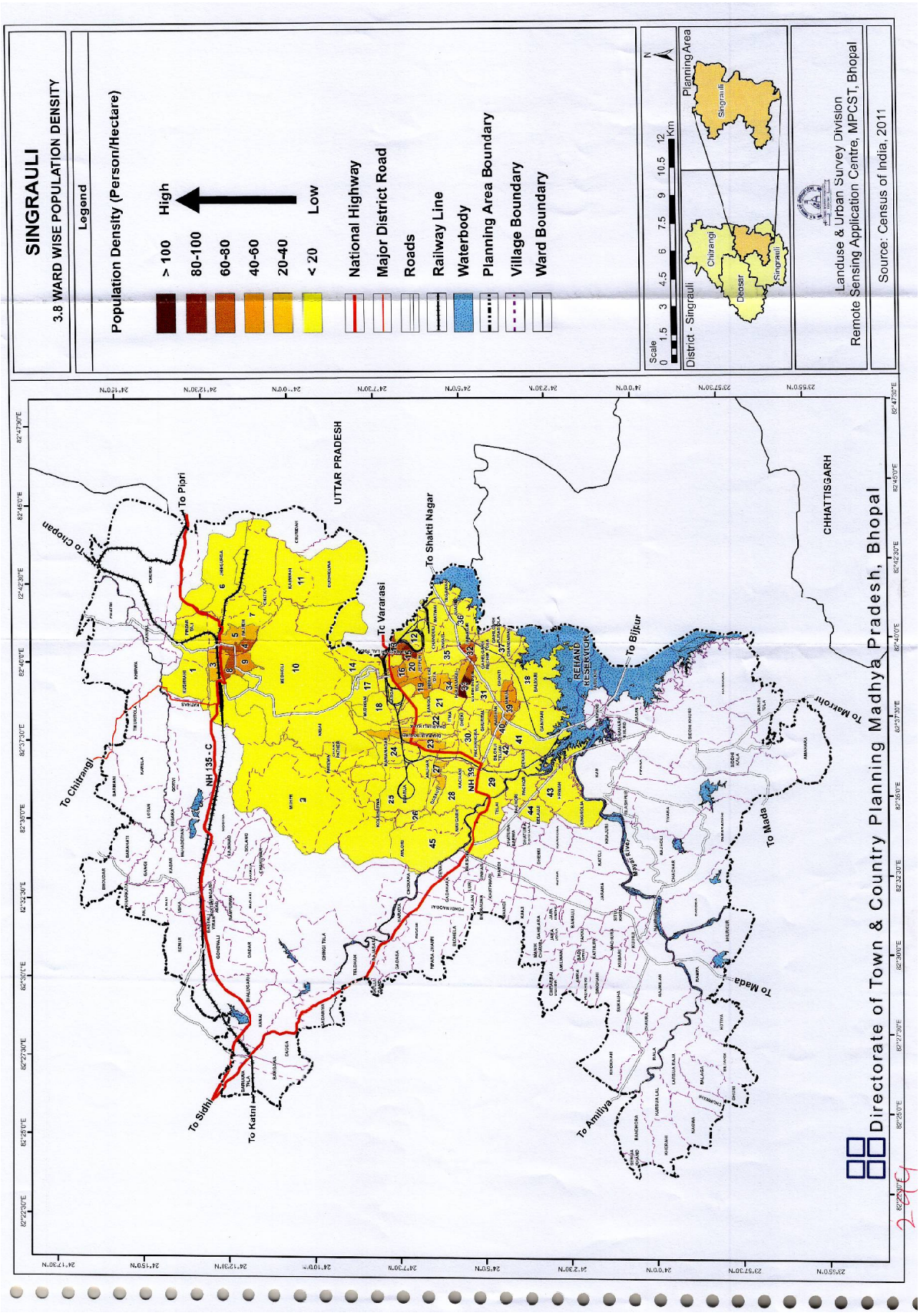
3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तथा विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नगर के वर्तमान कार्यकलाप, क्षेत्रीय संसाधनों आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर के अपेक्षित कार्यकलापों का निर्धारण किया जा सकता है। इस परिवेश में सिंगरौली नगर के वर्तमान कार्यकलापों का अध्ययन किया गया है, जो निम्नानुसार है:

1. कोयला भण्डारण, उत्खनन एवं समुचित दोहन।
2. ताप विद्युत उत्पादन।
3. जिला स्तर के प्रशासनिक केन्द्रों की स्थापना।
4. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास।
5. राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास।
6. औद्योगिक विकास।
7. कृषि कार्यों को प्रोत्साहन।

3.8 नगरीय विस्तार

सिंगरौली निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम अलग–अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकासक्रम एवं दिशा दर्शाई गई है। प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3–सा–15 में स्पष्ट किया गया है। सारणी में दर्शाया गया है कि नगर विकास/विस्तार का क्रम वर्ष 2010 के संपन्न विस्तार की तुलना में वर्ष 2011–2019 की समयावधि में अधिक था, जिसका प्रमुख कारण सिंगरौली शहर में हुए विकास कार्य थे।


SINGRAULI
3.8 WARD WISE POPULATION DENSITY
Legend
Population Density (Person/Hectare)
> 100
80-100
60-80
40-60
20-40
< 20
High
Low
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Ward Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Census of India, 2011
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Chopan
To Pipri
To Vararasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Markoh
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
To Mada
NH 135 - C
NH 39
REHAND RESERVOIR

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3–सा–15

क्र.	नगरीय विस्तार	क्षेत्रफल (हे. में.)	विस्तार प्रतिशत
1.	2.	3.	4.
1.	2010 तक	3540	—
2.	2011–2015	3677	3.87
3.	2015–2019	3807	7.54

3.9 अनुमानित जनसंख्या

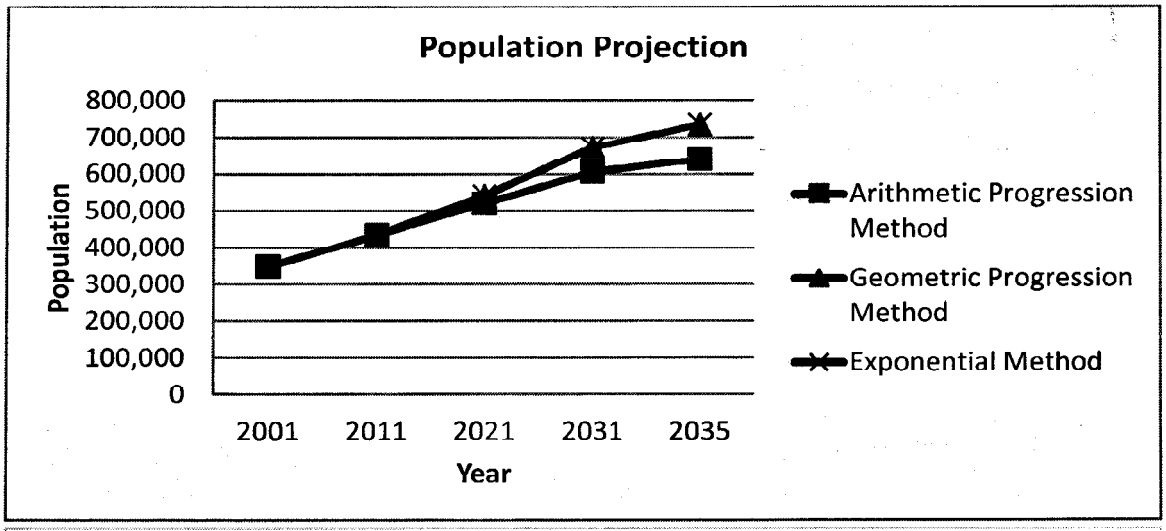
अनुमानित जनसंख्या

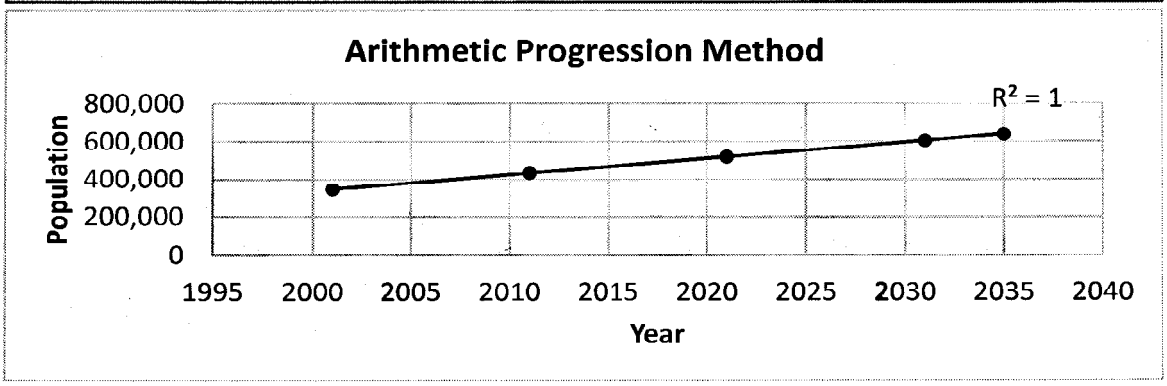
सारणी 3–सा–16

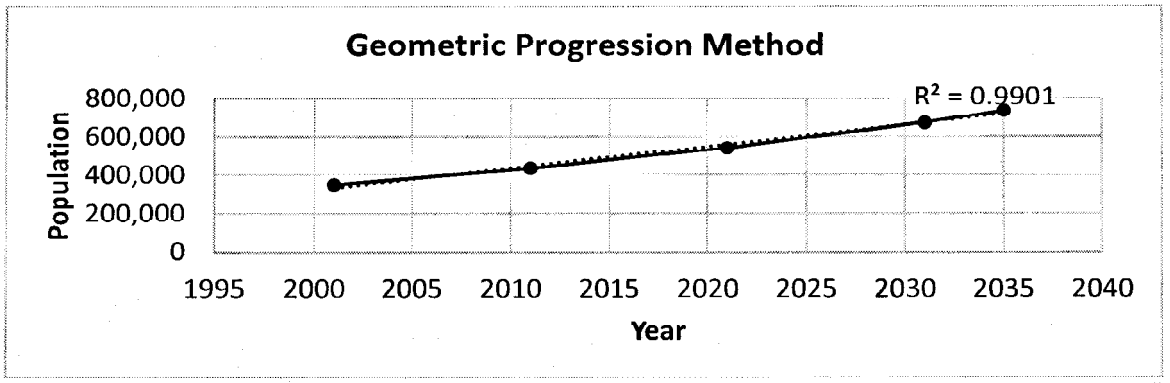
वर्ष	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति	घातांकीय पद्धति
1.	2.	3.	4.
2021	519939	540825	540825
2031	605334	673101	673101
2035	639492	734665	734665

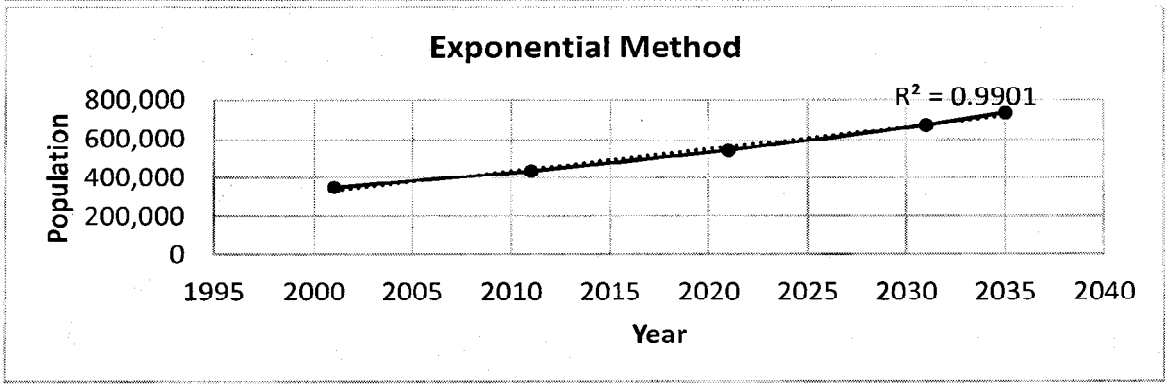
सन् 2035 की भावी जनसंख्या का आंकलन करने हेतु वर्ष 2001 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्रित कर विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर (I) अंकगणितीय वृद्धि पद्धति (II) ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (III) घातांकीय पद्धति प्रगणित की गई है।

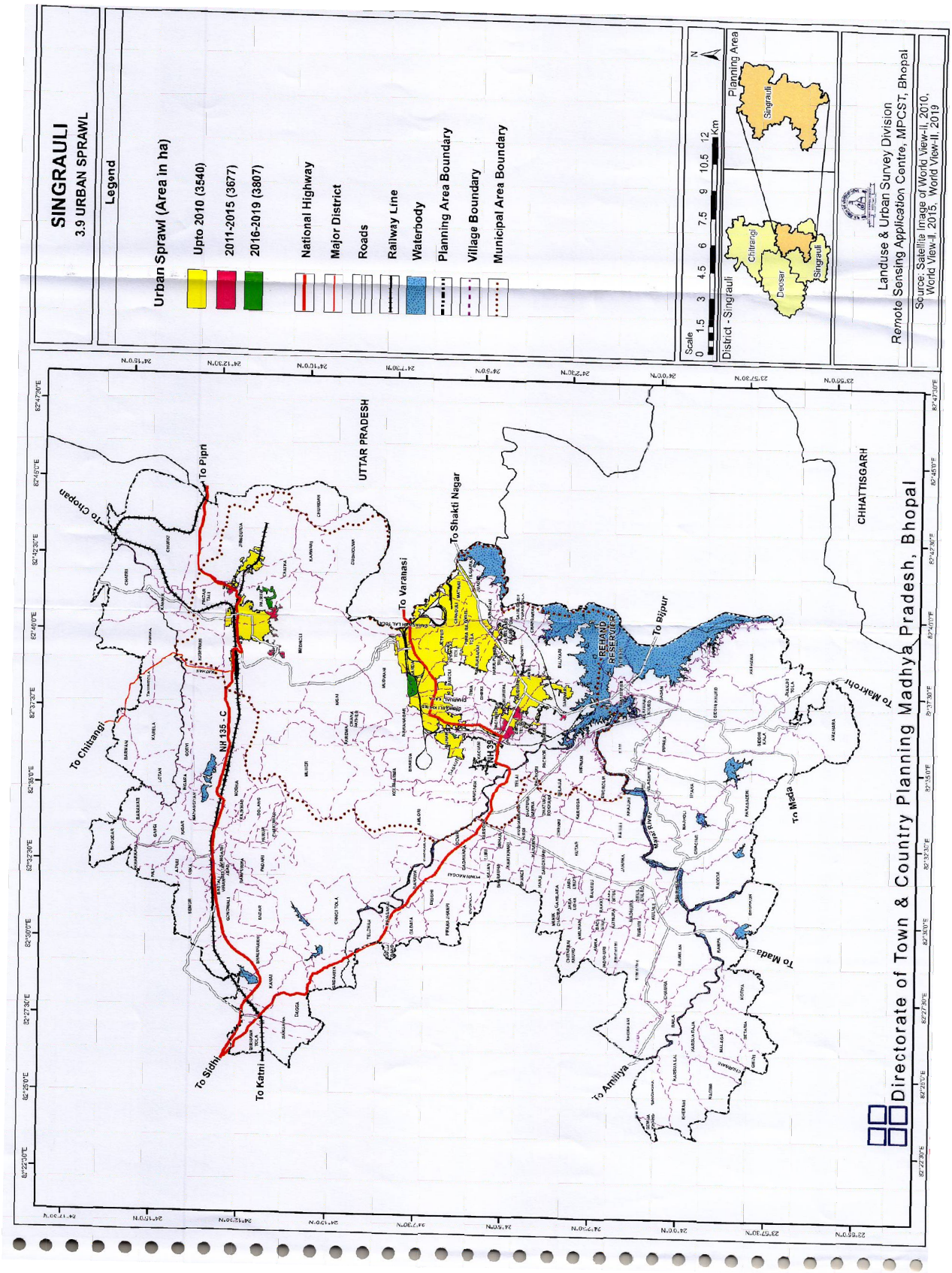
सारणी 3–सा–16 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि संपूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2035 की जनसंख्या 734665 अनुमानित है। घातांकीय, अंकगणितीय एवं ज्यामितीय पद्धतियों में R^2 (R squared) का मान क्रमशः 0.9901, 1 तथा 0.9901 है। सांख्यिकी के अभाव में अंकगणितीय पद्धति में R^2 का मान 1 प्राप्त हुआ, परन्तु घातांकीय एवं ज्यामितीय पद्धतियों द्वारा अनुमानित जनसंख्या अधिक है। निवेश क्षेत्र में समाहित नगर समूह बैढ़न, बरगवाँ, मोरबा एवं रजमिलान आदि के विकसित होने, राष्ट्रीय स्तर की ताप विद्युत उत्पादन कम्पनियाँ एस्सार, सासन पावर एवं विंध्याचल थर्मल पावर जैसी वृहद् औद्योगिक इकाईयों के संचालन, एवं निवेश क्षेत्र से संलग्न महान कोल परियोजना, हिन्डालको कम्पनियों की स्थापना तथा सिंगरौली जिला मुख्यालय होने से भावी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से क्षेत्रीय जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, सिंगरौली निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 8.0 लाख होने की संभावना के आधार पर विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2031 की विकास योजना भी 8.0 लाख की प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर तैयार की गई थी, किन्तु विकास की दर एवं जनसंख्या वृद्धि अनुमान के अनुसार कम होने से वर्ष 2035 की विकास योजना 8.0 लाख की ही प्रक्षेपित जनसंख्या हेतु तैयार की जा रही है।


Population Projection
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Population
2001
2011
2021
2031
2035
Year
Arithmetic Progression Method
Geometric Progression Method
Exponential Method


Arithmetic Progression Method
R² = 1
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Population
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Year


Geometric Progression Method
R² = 0.9901
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Population
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Year


Exponential Method
R² = 0.9901
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Population
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Year


SINGRAULI
3.9 URBAN SPRAWL
Legend
Urban Sprawl (Area in ha)
Upto 2010 (3540)
2011-2015 (3677)
2016-2019 (3807)
National Highway
Major District
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Satellite Image of World View-II, 2010,
World View-II, 2015, World View-II, 2019
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Bijpur
To Majhauli
To Mada
To Amiliya
REHAND RESERVOIR
NH 135 - C
NH 39
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

3.10 गंदी बस्तियाँ

गंदी बस्तियाँ

सारणी 3–सा–17

क्र.	वॉर्ड क्र.	गंदी बस्ती का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	मकानों की संख्या	जनसंख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	1	कुशवई	6.00	299	2807
2.	2	निगाही टोला	2.50	42	216
3.	3	जगमोरबा बस्ती	0.80	40	210
4.	4	सी.ई.टी.आई. के पूर्व की बस्ती	1.05	272	1360
5.	5	चन्द्रपुर, हरिजन बस्ती भूसा मोड़	1.73	209	736
6.	7	कोईरानी टोला चटका ग्रामीण बस्ती चटका झुग्गी बस्ती	2.60	311	2300
7.	9	नई बस्ती	0.60	61	210
8.	10	तानसेन वार्ड	1.60	82	2610
9.	14	सरसवाह बस्ती	1.50	276	1781
10.	19	हरिजन बस्ती बनौली	0.20	176	9710
11.	20	हरिजन बस्ती इटमा	0.40	56	311
12.	26	कचनी	4.00	848	4005
13.	27	चन्द्रमा टोला	2.50	421	1560
14.	28	माजन कला, माजन खुर्द	1.20	306	1455
15.	29	ढेकी, हर्रई पश्चिम	2.00	355	3650
16.	30	स्वीपर बस्ती	2.80	15	60
17.	31	पुनर्वास कालोनी	0.50	430	1260
18.	36	जुआंडी, तेलगवां, जयनगर	2.00	750	3900
19.	37	चन्दावल सेमरिया	0.50	55	330
20.	38	ढोटी पुरानी बस्ती बलियरी हरिजन बस्ती	1.10	60	370
21.	39	केवटान मोहल्ला	1.80	58	350
22	41	पहाड़ी टोला गनियारी हरिजन बस्ती चौरा टोला गनियारी	2.90	147	828
23.	42	बसोर बस्ती, बिलौजी तेलियन बस्ती	1.90	133	641
24.	43	हिर्रवाह पूर्व टोला	0.70	391	1470
25.	44	पचौर पुरानी बस्ती	1.60	600	3000
26.	45	नौगढ़ हरिजन बस्ती	3.00	450	2500
योग			47.48	6843	47630

स्त्रोतः नगर निगम सिंगरौली 2011

मूलभूत नियम सेवा–सुविधाओं रहित क्षेत्र जहाँ पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ विद्यमान हो, उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहा जाता है। नगर में 38 बस्तियों को गंदी बस्ती क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया गया। यह बस्तियाँ लगभग 47.48 हेक्टेयर भूमि पर स्थित होकर इनमें लगभग 47630 निवासी पाए गए। गंदी बस्तियों की जानकारी सारणी 3–सा–17 में दी गई है।

3.11 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता

आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति आदि पर आधारित होता है। जनगणना 2011 के अनुसार सिंगरौली निवेश क्षेत्र में 88972 परिवार निवास करते थे, एवं औसत परिवार आकार 4.88 व्यक्ति था। नगर में 6843 झुग्गी–झोपड़ियाँ, गंदी बस्ती क्षेत्रों में पाई गईं। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 8.0 लाख के लिए परिवार आकार 4.5 व्यक्ति के आधार पर आवासीय इकाईयों का अनुमान लगाया गया है, जिसका विवरण सारणी 3–सा–18 में दर्शाया गया है।

अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ

सारणी 3–सा–18

क्र.	विवरण	2011	2035 (अनुमानित)
1.	2.	3.	4.
1.	जनसंख्या	434544	800000
2.	अतिरिक्त जनसंख्या		365456
3.	औसत परिवार का आकार	4.88	4.50
4.	अतिरिक्त परिवार		81213
5.	वर्ष 2035 में 80 प्रतिशत परिवारों को आवास की आवश्यकता		64970
6.	वर्ष 2011 की आवासीय कमी को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता		71813
7.	निवास योग्य रहवास इकाईयों की पुनर्स्थापना		7181
कुल आवास आवश्यकता			**78994**

उक्त अध्ययन के आधार पर अनुमानित है कि वर्ष 2035 तक 78994, अर्थात् लगभग 79000 नीवन आवासों की आवश्यकता होगी। आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा। भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू–स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है।

2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो।
3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जो रहे प्रयत्नों को बढ़ावा देना।
4. भूमि के पुर्नउपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल/सतत् आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना।
5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड), जिससे भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी, तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो।

3.11.1 आवासों का प्रकार

वर्ष 2035 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 79000 होगी, जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी। यह प्रासंगिक है कि अनौपचारिक वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के परिपेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जाए। अतः आय वर्ग अनुसार अनुमानित आवास आवश्यकता का विवरण सारणी 3–सा–19 में दिया गया है।

आय समूह अनुसार आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

सारणी 3–सा–19

क्र.	आय समूह	आवास आवश्यकता	
		प्रतिशत	संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग	40	31600
2.	निम्न आय वर्ग	30	23700
3.	मध्यम आय वर्ग	25	19750
4.	उच्च आय वर्ग	5	3950
योग		**100**	**79000**

उक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु 60 आवासीय इकाई प्रति हे. के मान से लगभग 1316.67 हे. भूमि की आवश्यकता होगी।

3.12 अनुमानित व्यवसायिक संरचना

वर्ष 2011 में सिंगरौली निवेश क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात अर्थात् सहभागिता दर 351 थी। वर्ष 2035 की व्यवसायिक संरचना का अनुमान करने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी आवश्यक है। इस संबंध में पर्याप्त आँकड़ों के अभाव में व्यवसायिक संरचना का अनुमान करना कठिन है। तथापि उपलब्ध

आँकड़ों एवं विकास योजना प्रस्तावों के आधार पर अनुमानित है कि वर्ष 2035 तक नगर में प्रति 1000 जनसंख्या में 360 व्यक्ति कार्यरत होंगे।

3.13 भौतिक अधोसंरचना

3.13.1 जल प्रदाय

सिंगरौली (बैढ़न) से नगर में जल वितरण किया जाता है। काँचन नदी सिंगरौली से 3 की. मी. एवं गोविन्द वल्लभ पंत सागर 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। नगर में ट्यूबवेलों की संख्या 35 है, तथा कुल 45 वॉर्डों में 9 शिरोपरी टंकियाँ हैं। ट्यूबवेलों के माध्यम से 1.5 घंटे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर के मान से 88.7 लाख लीटर जल नगर निगम कुल 325 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 900 कनेक्शन के द्वारा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नगर में 2490 हैण्डपम्प हैं, जिनके माध्यम से नगरवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति होती है। सिंगरौली नगर का भू–जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है।

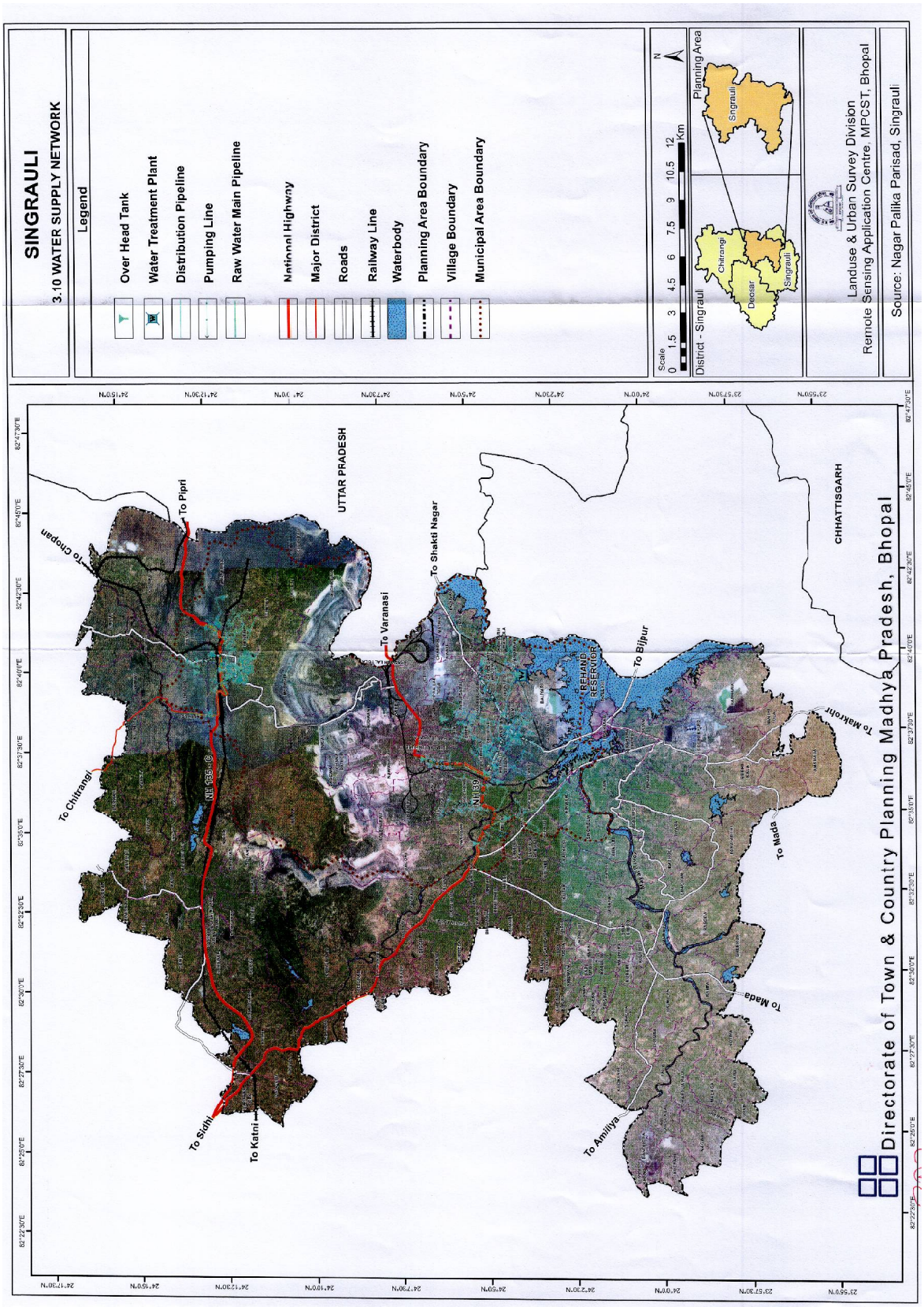
यू.आर.डी.पी.एफ.आई. के मान से 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। नगर की वर्ष 2035 तक की पेयजल आवश्यकता 120 एम.एल.डी. अनुमानित की गई है। नगर निगम द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (UIDSSMT) एवं अमृत योजना के अन्तर्गत जलप्रदाय परियोजना के द्वारा जल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के क्रियान्वयन द्वारा भूमिगत जल स्त्रोत की क्षमता बढ़ाया जाना भी प्ररतावित है। गोविन्द वल्लभ पंत सागर जलाशय जल का समीपस्थ तथा स्थाई स्त्रोत है, जहाँ से पाईप लाईन द्वारा जल प्रदाय की व्यवस्था की जा सकती है।

3.13.2 जल–मल निकास एवं स्वच्छता

वर्तमान में जल–मल निकासी हेतु नगर में 50 कि. मी. लम्बा सीवरेज नेटवर्क है, परन्तु यह केवल 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही फैला हुआ है, और सिर्फ 40000 जनसंख्या के लिए ही उपयुक्त है। 50 कि. मी. में से 32 कि. मी. नेटवर्क भूमिगत है।

नगर के 8404 परिवार पाईप सीवरेज नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, 13709 परिवारों के आवास में सेप्टिक टैंक हैं, एवं 12400 परिवारों के आवास गृह में पिट शौचालय हैं। इनके अतिरिक्त नगर में 14 सार्वजनिक शौचालय भी हैं, जिनमें से 8 पे एंड यूज की तर्ज पर संचालित हैं। सिंगरौली में 6 दूषित जल उपचार संयंत्र हैं। नगर में प्रतिदिन 32 एम. एल. डी. जल–मल निकास होता है, जिसमें से सिर्फ 26 एम. एल. डी. का ही शुद्धिकरण होता है। अतः योजनाकाल तथा वर्तमान जनसंख्या हेतु भूमिगत जल–मल प्रवाह की नालियों की व्यवस्था सम्पूर्ण क्षेत्र में की जाकर इसके उपचार हेतु जल–मल शोधन संयंत्र की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जल स्त्रोतों के प्रदूषण को रोका जाकर शोधित जल पुनः उपयोग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। जल–मल निकास आवश्यकता की पूर्ति हेतु सीवरेज नेटवर्क की लम्बाई बढ़ाना तथा बैढ़न में जल–मल शोधन संयंत्र प्रस्तावित है।

शहर में जल–मल निकासी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:


SINGRAULI
3.10 WATER SUPPLY NETWORK
Legend
Over Head Tank
Water Treatment Plant
Distribution Pipeline
Pumping Line
Raw Water Main Pipeline
National Highway
Major District
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Nagar Palika Parisad, Singrauli
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Bijpur
To Makrohr
To Nadia
To Mada
To Amiliya
To Katni
To Sidhi
To Chitrangi
REHAND RESERVIOR
NH 39
NH 39

1. खुले में शौच से मुक्त शहर हेतु सभी मकानों/भवनों में शौचालय
2. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था
3. शुद्धिकृत गंदे पानी का पुनः उपयोग
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सःशुल्क शौचालय
5. नगर में एकत्रित मल का उपयोग शोधन विधि से उपचार उपरान्त खाद के रूप में कृषि कार्य हेतु किया जाना।

3.13.3 वर्षा जल निकासी

वर्षा जल प्राकृतिक रूप से बहता हुआ काँचन नदी एवं अन्य नालों से होता हुआ गोविन्द वल्लभ पंत सागर में मिल जाता है। नगर में नालियों की कुल लंबाई 524 कि. मी. है, जो 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं, जिसमें से 25 कि. मी. ढंकी नालियाँ हैं। जल निकास की समुचित व्यवस्था के अभाव में नगर का निचला क्षेत्र वर्षाकाल में जलमग्न हो जाता है। वर्षा जल के साथ नगर का कूड़ा–कचड़ा प्रवाहित होकर नालियों एवं नालों के संकरे भाग में जमा हो जाता है, जिससे प्रवाह अवरुद्ध हो जाने के कारण आस–पास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है।

शहर की नालियों तथा प्राकृतिक नालों को सुदृढ़ किया जाना, जल निकासी की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। नालियों एवं प्राकृतिक नालों की निरन्तर सफाई, तथा प्राकृतिक नालों के आसपास के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण भी जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्रस्तावित है।

3.13.4 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में सिंगरौली नगर से 8 कि.मी. की दूरी पर मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का सब स्टेशन स्थापित है, जिससे विद्युत आपूर्ति की जाती है। सारणी 3–सा–20 में क्षेत्र की विद्युत खपत दर्शाई गई है।

विद्युत खपत

सारणी 3–सा–20

प्रकार	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक	कृषि	अन्य	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
विद्युत कनेक्शन	25860	5031	220	3897	409	35417
विद्युत खपत (KWH)	42.50	14.62	2.61	8.44	15.23	83.40

स्त्रोतः मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बैढ़न 2018

सिंगरौली नगर में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के साथ वाणिज्यिक एवं आवासीय आबादी का विस्तार होगा, जिसके लिए विद्युत उपभोग में निरन्तर वृद्धि होने की संभावना है। सिंगरौली में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लान्ट पूर्व से ही संचालित है, तथा एस्सार एवं

सासन पावर जैसी राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियों के विद्युत उत्पादन एवं मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के माध्यम से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट एक अवांछित पदार्थ है, जो रहवासी क्षेत्र, वाणिज्यिक एवं व्यापार केन्द्रों, कृषि, उद्योगों, अस्पतालों तथा सार्वजनिक सेवाओं से उत्पन्न होता है। नगर में आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों की वृद्धि एवं विकास होने से ठोस अपशिष्ट का नगर के विभिन्न खुले क्षेत्रों में निस्तारण कर दिया जाता है, जो पर्यावरण एवं नगरवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

नगर में प्रतिदिन लगभग 50 टन अपशिष्ट 40000 घरों से डोर–टू–डोर माध्यम से संग्रहित कर भरण स्थल में निस्तारित किया जाता है। यह भरण स्थल 5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 14 सफाई निरीक्षक, 3 स्वास्थ्य सहायक तथा 329 स्वास्थ्य कर्मी के साथ 100 अन्य व्यक्ति भी कार्यरत हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। नगरीय निकाय स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत इस कार्य को वैज्ञानिक विधि से संचालित कर रहे हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु दो कचरा संयंत्र इकाईयाँ जैविक खाद उत्पादन हेतु स्थापित की गई, तथा 488249 किलोग्राम जैविक खाद का उत्पादन फरवरी 2012 तक किया गया। इन संयंत्रों के 200 मीटर तक की परिधि में आवासीय विकास प्रतिबंधित होगा।

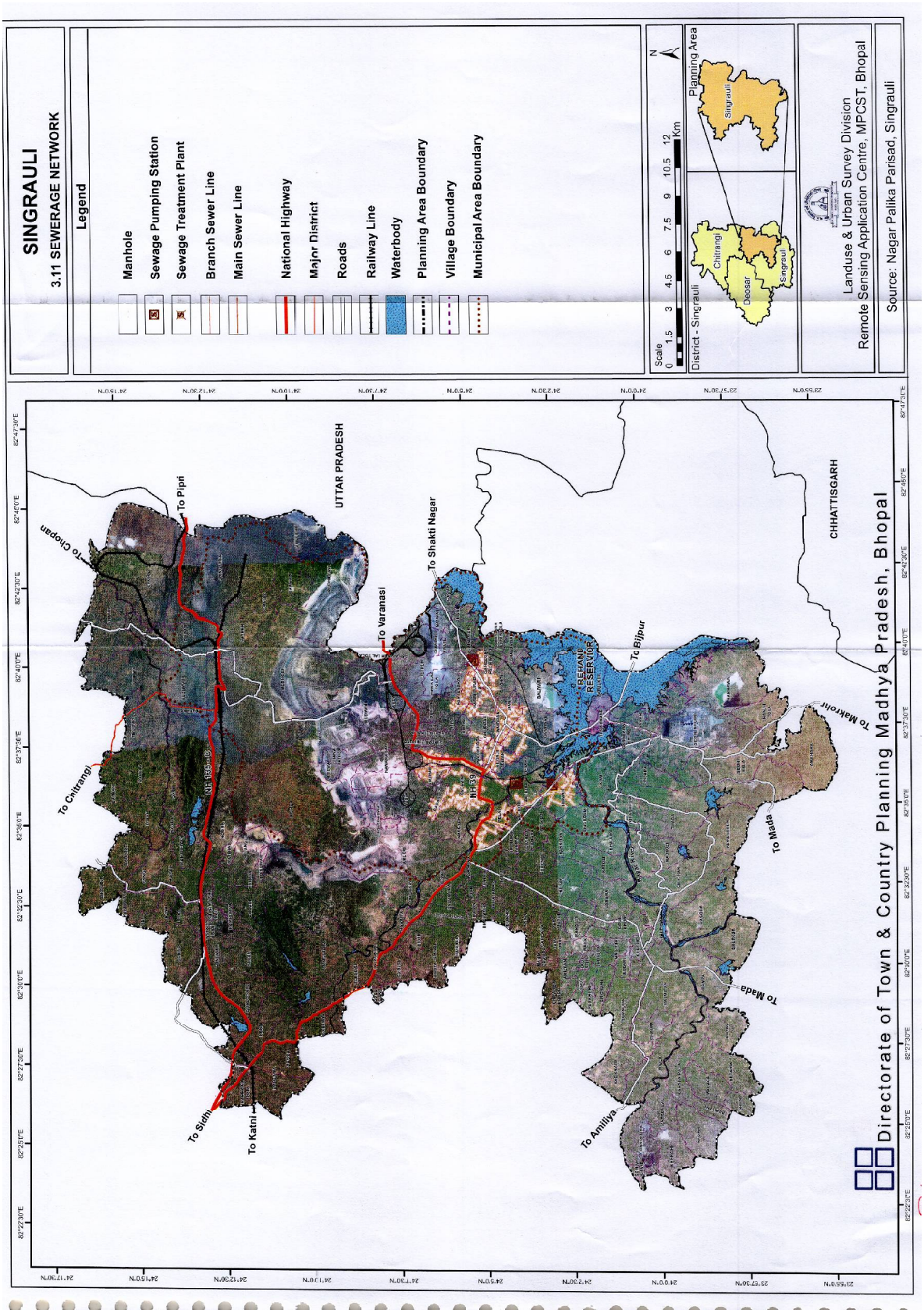
3.14 सामाजिक अधोसंरचना

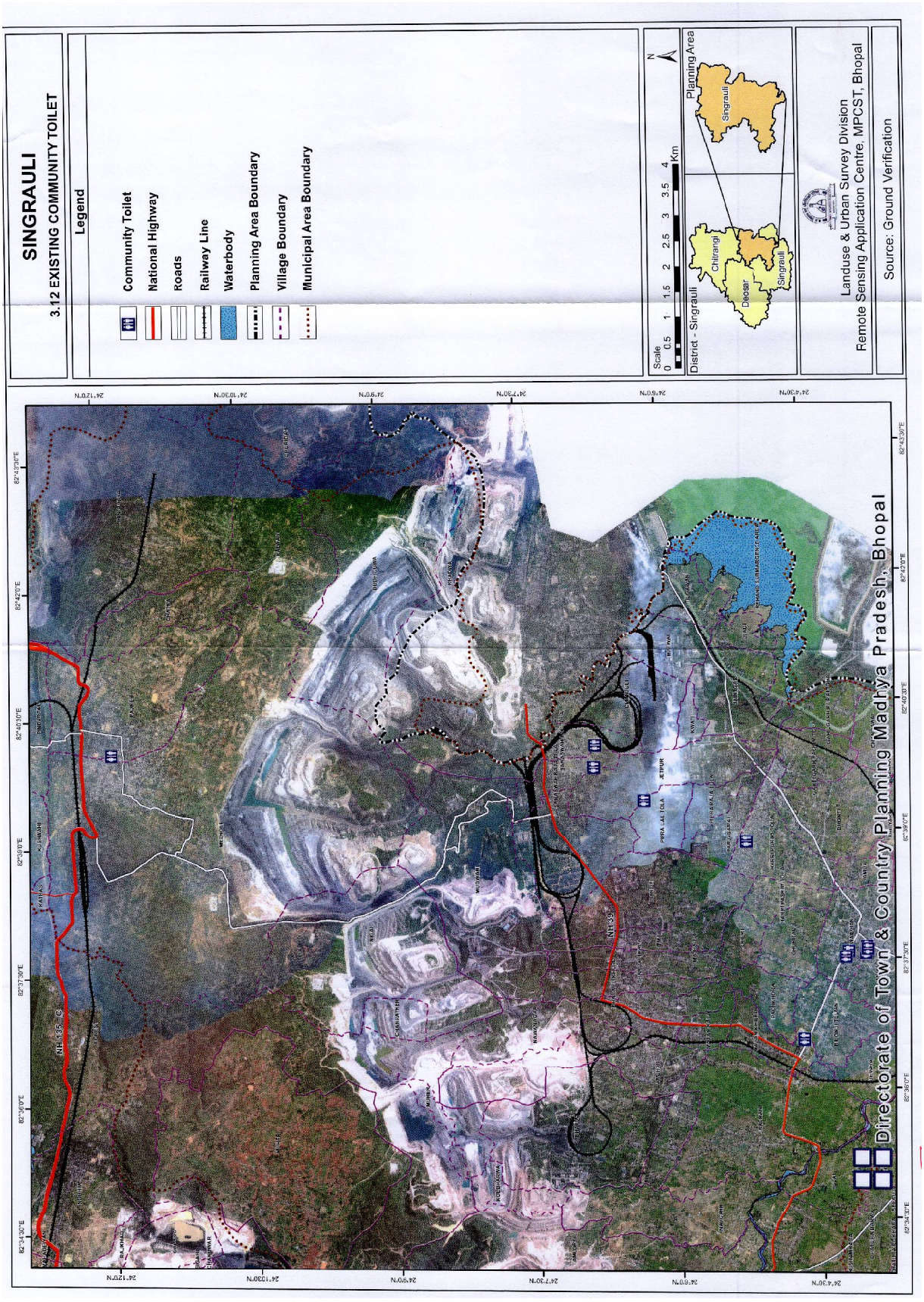
3.14.1 शासकीय कार्यालय

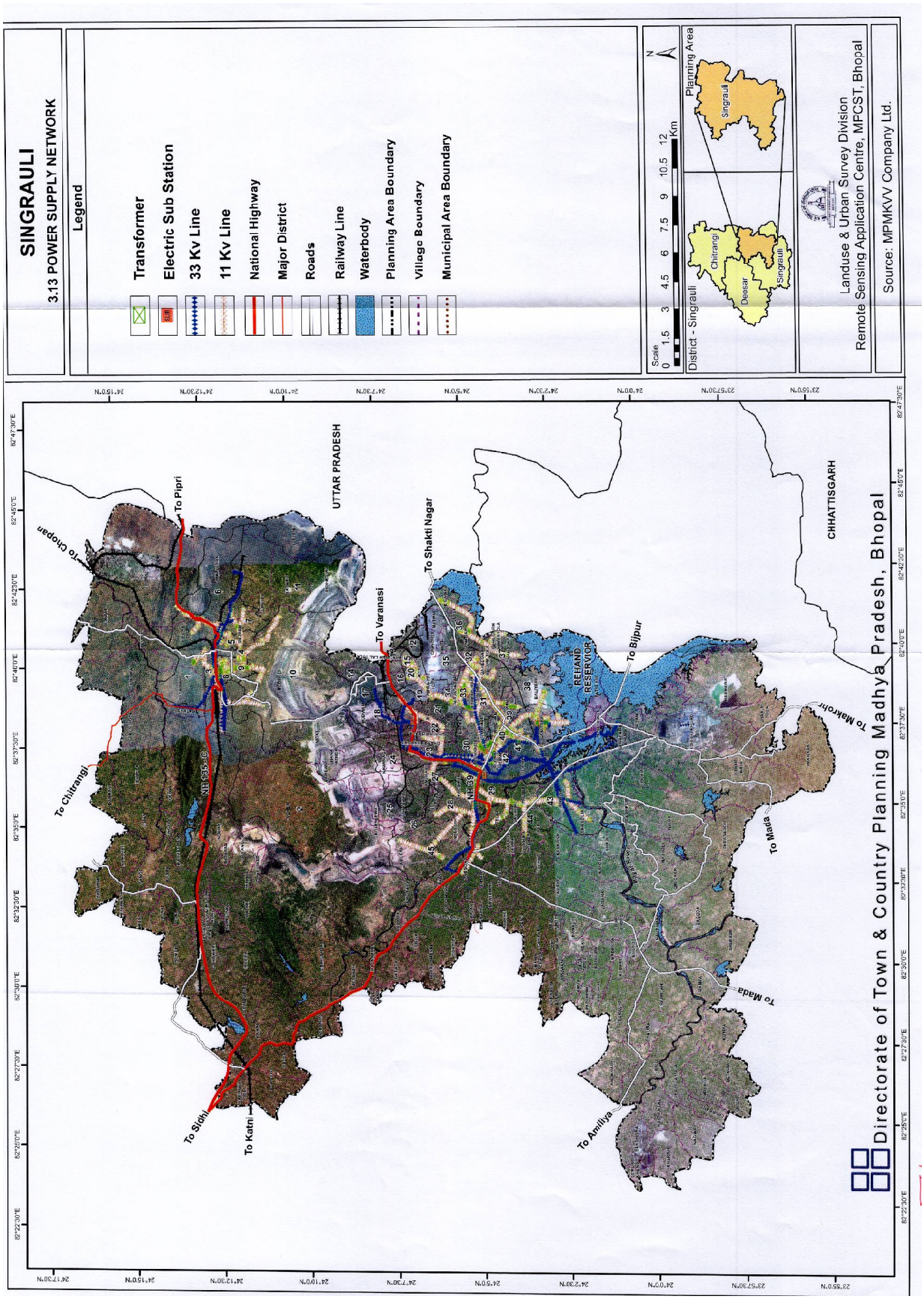
सिंगरौली नगर जिला मुख्यालय होकर नगर में लगभग सभी विभागों के जिला कार्यालय स्थापित हैं। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यालय संचालित हैं, जिससे नगरवासियों को काफी असुविधा होती है। अतः जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए माजन खुर्द एवं बिलौजी तेलियान में निर्माणाधीन संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर की 12.88 हेक्टेयर भूमि एवं उससे संलग्न एम.पी.ई.बी. भाग तथा एन.सी.एल. को आवंटित भूमि, नगर निगम के समीप, आदि को संलग्न करते हुए लगभग 50.00 हेक्टेयर भूमि कार्यालयों के विकास हेतु प्रस्तावित है। इसके साथ ही देवरा में कृषि अनुसंधान केन्द्र हेतु लगभग 35.00 हेक्टेयर, गहिलगढ़ पश्चिम एवं पूर्व दोनों ग्रामों में एम.जी.आर. लाइन एवं शहर के मध्य लगभग 35.00 हेक्टेयर तथा मोरबा में ग्राम चटका के अंतर्गत नाले से संलग्न 24.00 हेक्टेयर भूमि, इस प्रकार निवेश क्षेत्र के अंतर्गत तीनों नगर समूहों में लगभग 140.00 हेक्टेयर भूमि भविष्य में स्थापित एवं पुनर्स्थापित होने वाले कार्यालयों के लिए प्रस्तावित की गई है।

3.14.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

सिंगरौली में 4 शासकीय अस्पतालों में 490 बिस्तरों की उपलब्धता के साथ 47 चिकित्सक, 88 नर्सें तथा 64 पैराचिकित्सीय कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त


SINGRAULI
3.11 SEWERAGE NETWORK
Legend
Manhole
Sewage Pumping Station
Sewage Treatment Plant
Branch Sewer Line
Main Sewer Line
National Highway
Major District
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale 0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Nagar Palika Parisad, Singrauli
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Chopan
To Pipri
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
To Mada
To Makrohi
REHAND RESERVOIR
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SINGRAULI
3.12 EXISTING COMMUNITY TOILET
Legend
Community Toilet
National Highway
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Singrauli
Chirangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal


SINGRAULI
3.13 POWER SUPPLY NETWORK
Legend
Transformer
Electric Sub Station
33 Kv Line
11 Kv Line
National Highway
Major District
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: MPMKVV Company Ltd.
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Bijpur
To Amiliya
To Mada
To Mada
To Markoh
REHAND RESERVOIR
NH-39
NH-39
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

3 निजी अस्पताल भी नगर में स्थित हैं। इनमें 55 चिकित्सक 145 नर्सें एवं 29 पराचिकित्सीय कर्मचारी कार्यरत हैं। निजी अस्पतालों में 160 बिस्तरों की उपलब्धता है। नगर में कुल 7 नर्सिंग होम में 140 बिस्तर उपलब्ध हैं। 30 चिकित्सक 64 नर्सें एवं 31 पैराचिकित्सीय कर्मचारी इनमें कार्य संपादित करते हैं।

कार्मिक नगरी सिंगरौली में जिला स्तर के स्वास्थ्य केन्द्र एवं मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। अतः जिला स्तरीय स्वास्थ्य एवं मेडिकल कॉलेज हेतु ग्राम नौगढ़ एवं पचौर में 20.00 हे. भूमि, तथा विभिन्न नगर समूह में एक–एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

3.14.3 शैक्षणिक संस्थाएँ

नगर के भावी शैक्षणिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए बैढ़न नगरीय क्षेत्र में ग्राम तेलाई, पचौर, परसौना तिराहा एवं नौगई में पॉलीटेक्निक कॉलेज, आई.टी.आई. एवं जेल के निकटस्थ 121.00 हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के विकास हेतु स्थल प्रस्तावित है, तथा मोरबा के ग्राम मेढौली में प्रस्तावित बस स्टैण्ड के दक्षिण में 8.00 हेक्टेयर भूमि का विकास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु प्रस्तावित है।

3.14.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

नगर में वर्तमान में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान को यथावत नियोजन में समाहित किया गया है। नगर के भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए नये श्मशान एवं कब्रिस्तान कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इनके स्थलों का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर, स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति से किया जाएगा। वर्तमान में स्थित कब्रिस्तान/श्मशान घाट निम्नानुसार हैं:

1. बैढ़न में तालाब के पास बस्ती के समीप
2. देवरा नाले के पास
3. मोरबा विश्राम गृह के पीछे नाले के किनारे।
4. बरगवाँ हायर सेकेण्डरी स्कूल के दक्षिण में तालाब के पास।
5. मोरबा में ज्योति कॉन्वेन्ट स्कूल के पास।

ऐसे स्थल जो अत्याधिक जन सामान्य की अन्य सुविधाओं को प्रभावित करेंगे, उन्हें सार्वजनिक हित में पर्यावरण की दृष्टि से सघन वृक्षारोपण कर वर्तमान उपयोग को बंद करने का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा। क्योंकि नगर में आधुनिक संसाधनों से युक्त विद्युत चलित शवदहन केन्द्र उपलब्ध नहीं है, इसकी पूर्ति के लिए विकास योजना में काँचन नदी का तटवर्ती स्थल प्रस्तावित है। गनियारी में भी एक कब्रिस्तान/श्मशान घाट प्रस्तावित है।

3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र

नगर में अग्निशमन सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु 2 लाख जनसंख्या पर एक फायर स्टेशन आवश्यक होता है। प्रति अग्निशमन स्टेशन हेतु 1 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है, ताकि आपात स्थिति के समय अग्निशमन प्रबंधन में कार्यरत कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

इस हेतु इनके आवास भी इसी स्थान पर उपलब्ध हो सकें। अग्निशमन हेतु स्थापित केन्द्र एवं उपकेन्द्र ऐसे स्थानों पर नियोजित होना चाहिए, जहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र अग्निशमन वाहन अग्नि दुर्घटना के समय अपने गंतव्य तक पहुँच सके। वर्तमान में वृहद् राष्ट्रीय औद्योगिक इकाईयों के पास, तथा मोरबा एवं स्थानीय नगर निगम बैढ़न के पास यह सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगर निगम के वर्तमान अग्निशमन केन्द्र को अधिक सशक्त, आधुनिक एवं कार्यशील बनाना प्रस्तावित है। भावी औद्योगिक विकास एवं जनसंख्या की वृद्धि तथा नगर के विकास को ध्यान में रखते हुए इसका आधुनिक उपकरणों के साथ वर्तमान स्थलों पर ही विस्तार एवं विकास किया जाना प्रस्तावित है।

3.14.6 क्रीडांगन/ खेल परिसर

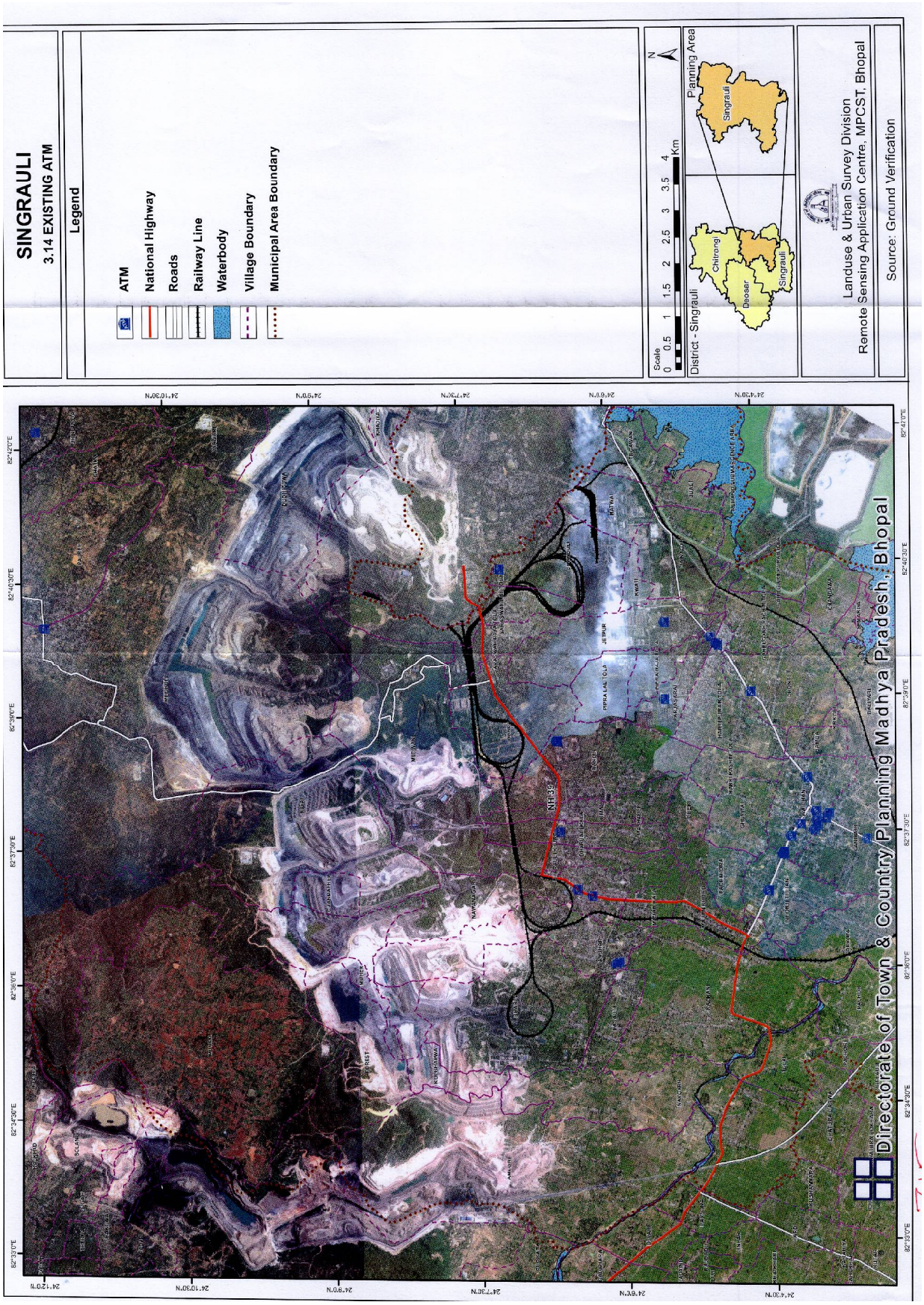
नगर में बैढ़न एवं विन्ध्यनगर में स्टेडियम होने से इसकी सुविधा नगरवासियों को प्राप्त हो रही है, इसके अलावा नगर में खेल के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र के भावी विकास को देखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर क्रीडांगन/ खेल परिसर हेतु ग्राम देवरा में 24.92 हे. भूमि प्रस्तावित है। ऐसे परिसर का विकास स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार होगा।

3.14.7 डेयरी फार्म/पशु पालन

वर्तमान में बैढ़न में एक दुग्ध संग्रहण एवं वितरण केन्द्र संचालित है, जो अपर्याप्त है तथा डेयरी सह पशुपालन नगर के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में अन्य प्रमुख उपयोगों के साथ मिश्रित होकर संचालित है। नगरीय क्षेत्र में यत्र–तत्र फैला हुआ डेयरी व्यवसाय स्वच्छ पर्यावरण को प्रदूषित एवं यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में सिंगरौली नगर के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पर्यावरण एवं सुगम यातायात संचालन के लिए डेयरी व्यवसाय को नगरीय क्षेत्र से बाहर उपयुक्त स्थल पर स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः नगरीय बसाहट के क्षेत्र में फैले हुए वर्तमान डेयरी एवं पशु पालन को कृषि उपयोग के अंतर्गत शासकीय भूमि पर नगर विकास समिति की सहमति से सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

3.14.8 स्लॉटर हाउस

वर्तमान में न्यायालाय के आगे विंध्यनगर जाने वाले रोड के पास तथा मस्जिद, मंदिर एवं सर्किट हाउस रोड पर मांस विक्रय कार्य संचालित है, जो उपयुक्त स्थल नहीं है। अतः ग्राम गनियारी में एम.जी.आर. के पास 1.50 हेक्टेयर, बरगवाँ के ग्राम डगा में औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले मार्ग पर नाले के किनारे 1.00 हेक्टेयर तथा मोरबा मुख्य मार्ग पर एम.पी.ई.बी. से संलग्न नाले से लगकर 1.00 हेक्टेयर भूमि पर स्लॉटर हाउस विकसित किया जाना प्रस्तावित है।


SINGRAULI
3.14 EXISTING ATM
Legend
ATM
National Highway
Roads
Railway Line
Waterbody
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Singrauli
Deosar
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
NH 39
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

3.14.9 पिकनिक स्थल

व्यस्ततम जीवन में कुछ क्षणों के लिए विश्रान्ति पाने हेतु मानव जीवन शान्तिप्रद स्थलों की तलाश करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नगरवासियों को निवेश क्षेत्र के अंतर्गत झिंगुरदा कोल माईन्स के पास, टिप्पा झरिया, हनुमान मंदिर, ग्राम पचौर में प्राचीन शिव मंदिर एवं उससे संलग्न क्षेत्र, तथा जयन्त से मोरबा जाने वाले मार्ग पर ग्राम मुडवानी में बांध एवं पहाड़ी क्षेत्र से संलग्न स्थल को पिकनिक/मेला स्थल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। माडा की गुफाओं का विकास पर्यटक दृष्टि से किया जाना उचित है।

3.14.10 अन्य सेवाएँ–सुविधाएँ

वर्तमान में दूरभाष सुविधा तथा डाकघर बैढ़न, मोरबा एवं बरगवाँ में उपलब्ध हैं। विन्ध्यनगर के अंतर्गत 2 क्लब और 2 सामुदायिक भवन, एन.सी.एल. के अंतर्गत 22 क्लब व 6 सामुदायिक भवन, तथा बैढ़न में 03 क्लब एवं 1 सामुदायिक भवन नगरवासियों की सुविधा हेतु उपलब्ध हैं। इनके साथ एन.सी.एल. के अंतर्गत 12, विन्ध्यनगर में 1, बैढ़न एवं जयन्त में 1–1 पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा उपलब्ध है।

डाकघर, दूरभाष केन्द्र, आरक्षी/उपआरक्षी केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र, जल वितरण केन्द्र, इत्यादि की क्षमता एवं जनसंख्या के आधार पर भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृद्धि करना होगी। प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त स्थल का चयन कर नगर विकास समिति के सुझाव से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर विकास किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय–4 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना

4.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

सक्षम परिवहन संरचना नगर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सिंगरौली नगर रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर, कटनी (मध्यप्रदेश) तथा अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) एवं मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) से सड़क मार्ग द्वारा तथा कटनी, जबलपुर (मध्यप्रदेश) एवं चोपन, शक्तिनगर (उत्तरप्रदेश) से रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 एवं 135–सी नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। अतः क्षेत्रीय मार्ग संरचना में सुधार आवश्यक है। सिंगरौली नगर की यातायात संरचना निम्नानुसार हैः

1. विकसित क्षेत्र के बाहर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 तथा 135–सी हेतु बायपास एवं रिंग रोड का प्रस्ताव।
2. सीधी, रीवा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, अम्बिकापुर मार्गों से उतपन्न क्षेत्रीय यातायात हेतु प्रमुख मार्ग का प्रस्ताव।
3. वृहद स्तर की औद्योगिक इकाईयों में सम्पर्क स्थापित करना।
4. प्रमुख आवासीय क्षेत्रों का रेलवे स्टेशन से मार्गों द्वारा सीधा सम्पर्क स्थापित करना।
5. कार्यात्मक दृष्टि से मार्गों का श्रेणीबद्ध विकास।
6. नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात का पृथक्करण।
7. प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गों का नगरीय मार्गों से सम्पर्क स्थापित करना।
8. यातायात समस्याएँ, मार्ग अवरोध, अंधे मोड़ आदि में सुधार।
9. मिश्रित वाहन यातायात हेतु उपयुक्त मार्ग संरचना का प्रस्ताव।
10. कार्य केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्र के बीच सीधे मार्गों का निर्माण कर मितव्ययी सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था।

4.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास मूलतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है। कार, टैम्पो, ऑटो रिक्शा एवं साइकिल रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन हैं। तीव्रगति एवं मन्दगति वाहनों द्वारा नगर मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए गंभीर समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने की आवश्यकता है। सिंगरौली में अभी भी सामान्य नागरिकों द्वारा यातायात के साधन के रूप में साइकिल का उपयोग अधिक किया जाता है। अन्य वाहनों में कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड आदि हैं। नगर की वर्तमान यातायात समस्या के सुधार हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव दिए गए हैं:

1. गिचली रपटा रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 से ऊँचाई कम होने के कारण वर्षाकाल में यातायात में रुकावट आती है। अतः उक्त रोड की ऊँचाई बढ़ाना आवश्यक है।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 के नगर से गुजरने वाले यातायात को कम करने के लिये बायपास।
3. लगभग सभी मुख्य मार्गों के मार्ग उपस्कर में सुधार आवश्यक है।
4. बस स्टैण्ड को सुविधाजनक स्थल पर स्थानान्तरित करना।
5. कार्य केन्द्रों के समीप पार्किंग का प्रावधान।
6. कार्य केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर परिवहन व्यवस्था सृदृढ़ करना।

4.2.1 सार्वजनिक परिवहन

वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन के रूप में ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा संचालित हैं, जो कि कार्य केन्द्रों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व कॉलोनियों तक यात्रियों को पहुँचाते हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव में नागरिकों को गन्तव्य स्थलों तक पहुँचने हेतु प्रतिदिन समस्याएँ आती हैं। अतः नगर में सार्वजनिक परिवहन (बस) प्रणाली की आवश्यकता है।

4.3 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना

वर्तमान में क्षेत्रीय मार्ग सीधी, माडा, पिपरी आदि को जाने वाले मार्गों के मध्य से गुजरते हैं। इन मार्गों में अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करने हेतु बायपास एवं प्रमुख नगरीय मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं।

4.4 यातायात के प्रस्ताव

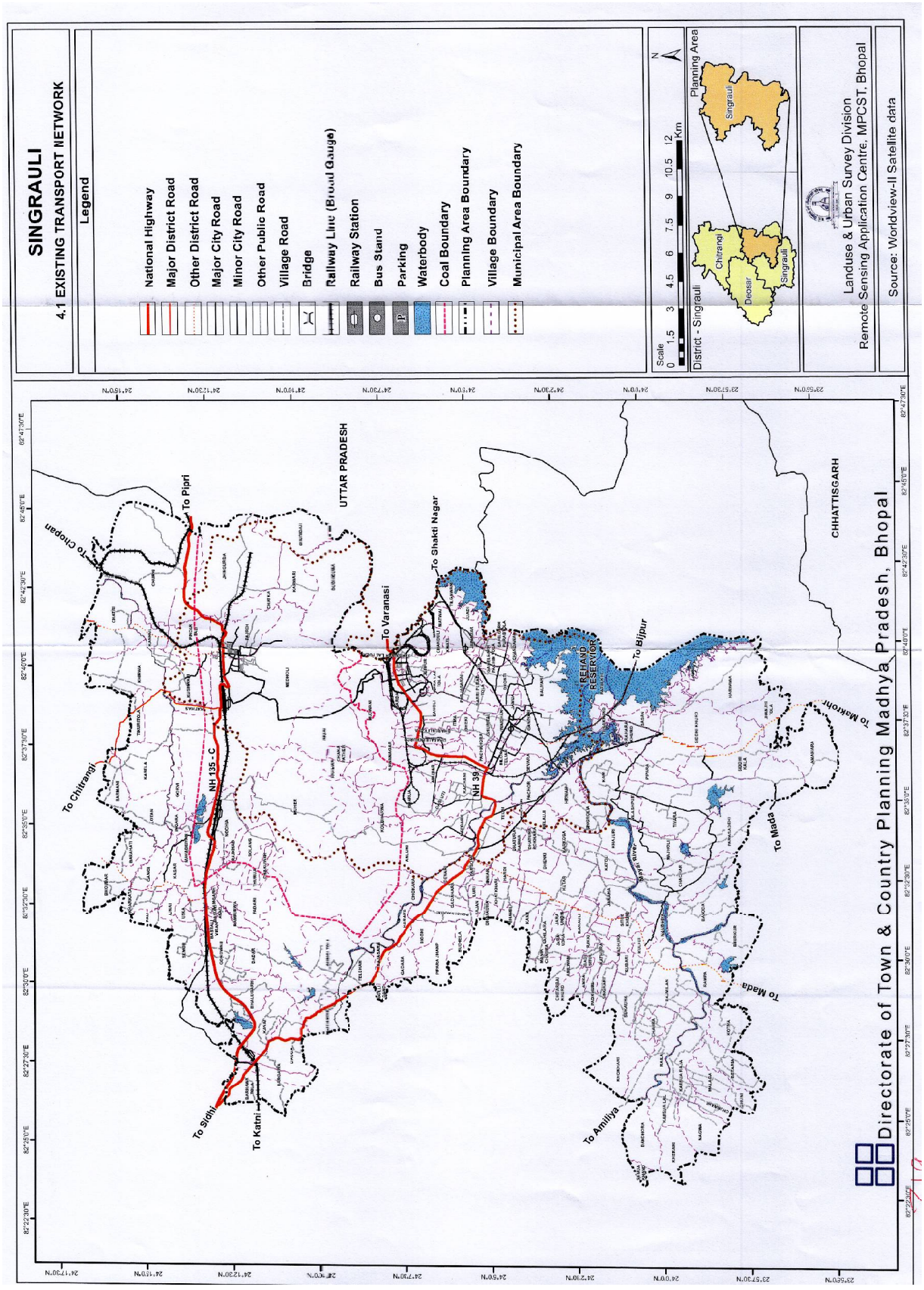
सिंगरौली विकास योजना 2035 में वर्णित यातायात प्रस्ताव निम्न मार्गों की श्रेणी पर आधारित हैं:

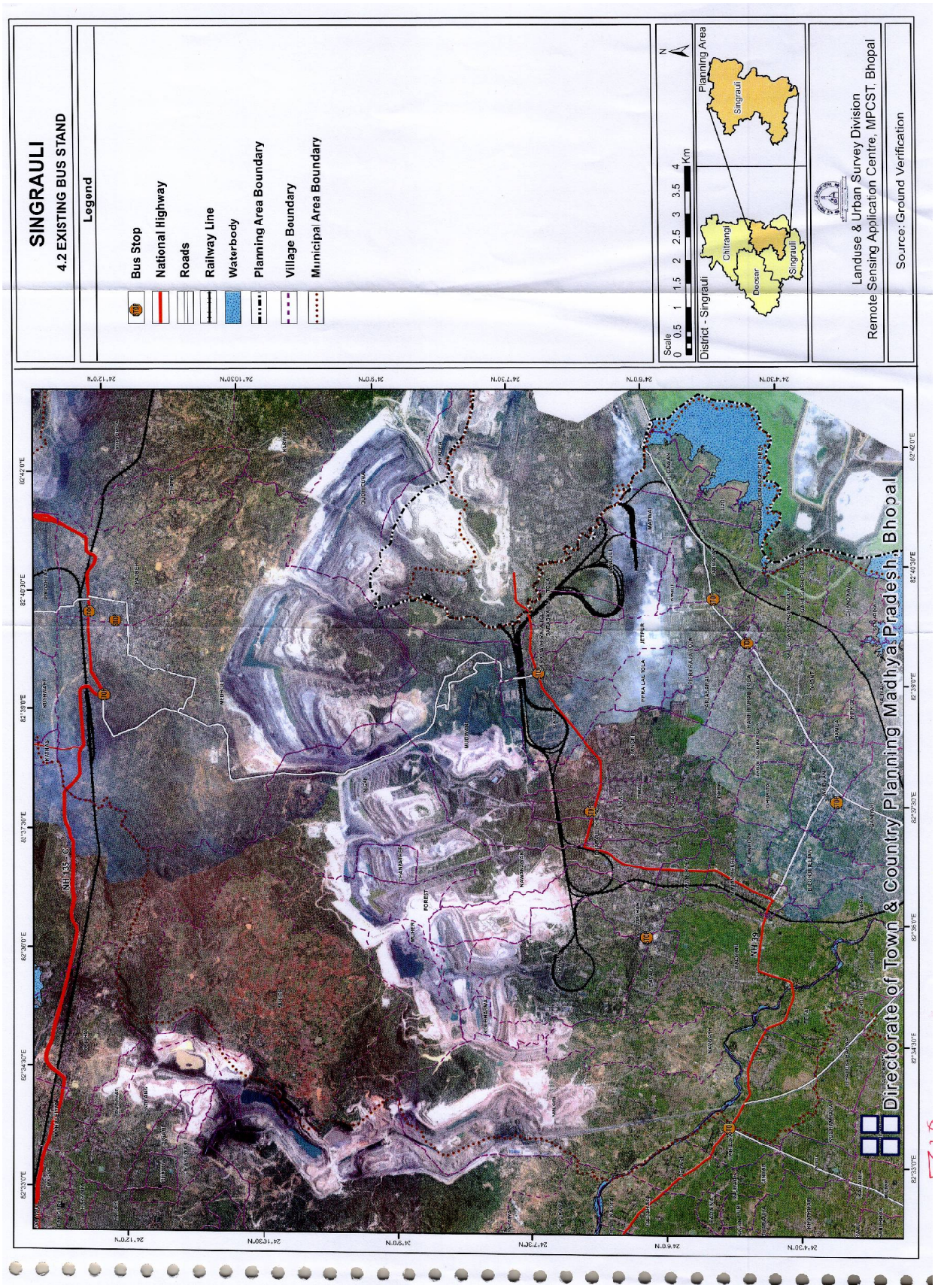
1. क्षेत्रीय मार्ग
2. मुख्य नगरीय मार्ग
3. खण्ड स्तरीय मार्ग
4. उपखण्ड स्तरीय मार्ग
5. स्थानीय मार्ग
6. साइकिल मार्ग
7. पदचारी मार्ग

4.4.1 क्षेत्रीय मार्ग

4.4.1.1 बैढ़न बायपास मार्ग (दक्षिणी)

नगरीय क्षेत्र से गुजरने वाला, रीवा और सीधी से बैढ़न होते हुए शक्तिनगर (बनारस) की ओर जाने वाले राजमार्ग पर यातायात का भारी दबाव रहता है, जिससे अधिकांशतः मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति निर्मित होती है। दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए


SINGRAULI
4.1 EXISTING TRANSPORT NETWORK
Legend
National Highway
Major District Road
Other District Road
Major City Road
Minor City Road
Other Public Road
Village Road
Bridge
Railway Line (Broad Gauge)
Railway Station
Bus Stand
Parking
Waterbody
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Chopan
To Pipri
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
To Mada
To Mahoh
NH 135 - C
NH 39
REHAND RESERVOIR


SINGRAULI
4.2 EXISTING BUS STAND
Legend
Bus Stop
National Highway
Roads
Railway Line
Waterbody
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Ground Verification
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
NH 135-C
NH-39

क्षेत्रीय यातायात को परिवर्तित करने हेतु सीधी राजमार्ग पर ग्राम देवरी से प्रारम्भ कर माडा मार्ग होकर बिलौजी–भटवा होते हुए गनियारी तथा एम.जी.आर. लाईन के बगल से होते हुए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर के पास शक्तिनगर (बनारस) को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 25.41 किलोमीटर लंबा बायपास मार्ग प्रस्तावित है, जिसकी चौड़ाई क्रमशः 40 व 60 मीटर है।

4.4.1.2 बरगवाँ, गोरबी, मोरबा बायपास मार्ग (उत्तरी)

बरगवाँ, गोरबी एवं मोरबा के घनी आबादी क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 135–सी गुजरता है, जिस पर यातायात का भारी दबाव रहता है। इसके सुगम यातायात हेतु सड़क विकास निगम (आर.डी.सी.) द्वारा बायपास मार्ग का प्रस्ताव दिया गया तथा उसको विकास योजना 2035 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

4.4.1.3 बरगवाँ बायपास मार्ग (दक्षिणी)

ग्राम बरगवाँ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 39 नगरीय क्षेत्र के अंदर से गुजरता है जिससे यातायात अवरूद्ध होने एवं दुर्घटनाओं की संभावना व्याप्त रहती है। इसके लिए विकास योजना 2035 में 5.25 किलोमीटर लंबा एवं 60 मीटर चौड़ा बायपास मार्ग प्रस्तावित किया गया है।

4.4.2 मुख्य नगरीय मार्ग

4.4.2.1 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39

बैढ़न से तेलदाह होकर बरगवाँ को जोड़ते हुए सीधी, रीवा की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई निवेश क्षेत्र के बाहर दोनों ओर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित चौड़ाई के अनुरूप यथावत रहेगी, किन्तु तेलदाह, बैढ़न एवं बरगवाँ नगरीय क्षेत्र में घनी आबादी होने से मार्ग की चौड़ाई कम है, जिसको ध्यान में रखते हुए निवेश क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग की चौड़ाई 40 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

4.4.2.2 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 135–सी

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 135–सी ग्राम बरहवा टोला से बरगवाँ, गोरबी, मोरबा, झिंगुरदा होते हुए पिपरी को जोड़ता है, जिसकी चौड़ाई 40 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र के बाहर दोनों ओर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित चौड़ाई यथावत रहेगी।

4.4.2.3 प्रमुख नगरीय मार्ग

नगर के प्रमुख वर्तमान नगरीय मार्गों के विस्तार हेतु, यातायात के दबाव एवं वर्तमान चौड़ाई को दृष्टिगत रखते हुए, नगरीय यातायात संरचना एवं विभिन्न वर्तमान एवं भावी कार्यकलापों के सुगम यातायात हेतु विस्तारित एवं प्रस्तावित मार्गों का विवरण सारणी 4–सा–1 में दर्शाया गया है।

प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई

सारणी 4–सा–1

क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)
1.	2.	3.
अ.	**राष्ट्रीय राजमार्ग 39**	
1.	बैढ़न से तेलदाह होकर बरगवाँ	40
2.	बरगवाँ प्रस्तावित बायपास के बाद	60
3.	बैढ़न प्रस्तावित बायपास	60
ब.	**राष्ट्रीय राजमार्ग 135–सी**	
1.	बरगवाँ से मोरबा (गोरबी होकर)	40
2.	सीधी मार्ग प्रस्तावित बायपास के बाद	60
3.	बरहवा टोला डगा प्रस्तावित बायपास	60
स.	**क्षेत्रीय मार्ग**	
1.	**बैढ़न–सीधी मुख्य मार्ग**	
	बरहवा टोला से रेलवे क्रॉसिंग तक	35
	रेलवे क्रॉसिंग से प्रस्तावित बायपास तक (बरगवाँ)	40
	बरगवाँ बायपास से बैढ़न बायपास तक	60
	1. बायपास से माजन मोड़	40
	2. माजन मोड़ से ताली पुलिया तक	35
	बिलौजी ताली पुलिया से तहसील कार्यालय तक	30
	तहसील कार्यालय से अयाज सॉ मिल तक	18
	अयाज सॉ मिल से विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लान्ट (बायपास) तक	35
	प्लान्ट से आगे	60
2.	**माडा मार्ग**	
	परसौना तिराहा से प्रस्तावित बायपास तक	35
	निवेश सीमा से माडा की ओर	45
स.	**नगरीय मार्ग**	
1.	मोड़ से नवानगर, जयन्त मार्ग होकर शक्तिनगर की ओर	35
2.	नवजीवन विहार सेक्टर 4 से होते हुये जयन्त चौराहे तक	24
3.	तेलाई तिराहा से आई.टी.आई. होकर हिरवाह को जोड़ने वाला मार्ग	30
4.	कचनी तिराहा से नौगढ़ मोड़ को जाने वाला मार्ग (तिराहे) तक	30

5.	पुराने तहसील कार्यालय से गनियारी औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाला मार्ग	18
6.	ग्राम बिलौजी से देवरा में बायपास मार्ग तक	18
7.	एस.ई.सी.एल. औषधालय से बस स्टैण्ड होकर आई.टी.आई. (मोरबा) तक	18
8.	मुख्य मार्ग मोरबा सर्किट हाउस से मुख्य बाज़ार तक	18
9.	गनियारी तिराहे होकर बीजपुर को जाने वाला मार्ग	18–24
10.	ग्राम देवरी मुख्य मार्ग से अमलोरी नौगढ़ होते हुए अमलोरी तिराहे को जाने वाले वर्तमान मार्ग तक तथा नवानगर मोड़ तक एम.आर. –1	40
11.	गनियारी से हिरवाह होकर हवाई पट्टी जाने वाला मार्ग	18
12.	बस स्टैण्ड बैढ़न से बिलौजी होकर माजन तिराहे के पास तक	18
13.	सेक्टर–4, नवजीवन विहार, हर्रई पश्चिम तालाब के पास तक	18
14.	वर्तमान स्टेडियम के सामने से घुरीताल होते हुए जयन्त मार्ग तक एम.आर.–4	30
15.	ग्राम माजन में माजन बगीचे के दक्षिण हर्रई मुख्य मार्ग तक एम. आर.–3	30
16.	माजन मोड़ से हिरवाह तक बायपास मार्ग होकर हवाई पट्टी जाने वाले मार्ग तक एम.आर.–2	30
17.	अमिलिया दूखाखांड मार्ग	30

टीप: जिला मुख्यालय बैढ़न से निवेश क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों एवं प्रमुख स्थानों को जोड़ने हेतु प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई 18–24 मीटर होगी।

4.4.3 खण्ड / उपखण्ड स्तरीय मार्ग

यह मार्ग वृत्त स्तर के यातायात हेतु प्रस्तावित हैं। इन मार्गों हेतु मार्गाधिकार निवेश क्षेत्र में 20–24 मीटर एवं नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 12–18 मीटर प्रस्तावित है।

4.4.4 स्थानीय मार्ग

समीपस्थ आवासीय क्षेत्रों में आवागमन हेतु मार्ग श्रृंखला है, जिसकी चौड़ाई विकास नियमन में निर्धारित है। प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में प्रमुख सड़कों की चौड़ाई 20 मीटर प्रस्तावित है, तथा वर्तमान विकसित क्षेत्र में 12–15 मीटर चौड़ाई प्रस्तावित है। वर्तमान एवं प्रस्तावित क्षेत्रों में अनुशंसित चौड़ाई स्थल पर उपलब्धता के अनुरूप नियंत्रित होगी। बाज़ार, परिसर, दुकानें एवं अन्य गैर आवासीय गतिविधियों के क्षेत्रों में विकास अनुमति, सेवा मार्ग एवं पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थल छोड़ने के पश्चात् दी जा सकेगी।

4.4.5 प्रस्तावित मार्ग, सेक्शन एवं विकास के चरण

विभिन्न स्तर के मार्गों के विकास एवं निर्माण हेतु मार्ग सेक्शन का निर्धारण किया गया है। विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों का विकास/निर्माण दो चरणों में किया जा सकता है, जिसका विवरण सारणी 4–सा–2 में दर्शाया गया है।

सिंगरौलीः मार्ग सेक्शन

सारणी 4–सा–2

क्र.	मार्ग	यातायात प्रबंधन के विचारणीय बिन्दु	यातायात लेन की संख्या		
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**राष्ट्रीय राजमार्ग**	पूर्णरूपेण सीधा यातायात, स्थानीय यातायात मार्ग विभाजक द्वारा अलग–अलग किया जाएगा। नए विकास क्षेत्रों में सीधा प्रवेश पर नियंत्रण, केवल सेवा मार्गों द्वारा क्षेत्रीय यातायात	3	3	6
	स्थानीय यातायात				
2.	**अन्य क्षेत्रीय मार्ग (जयन्त, अमलोरी, मोरबा)**	पूर्णरूपेण आने–जाने वाले यातायात को मार्ग विभाजक द्वारा अलग किया जाएगा। केवल सेवा मार्गों द्वारा ही पहुँच, क्षेत्रीय यातायात, स्थानीय यातायात	3	3	6
3.	**वृत्तीय (बायपास मार्ग)**	सार्वजनिक यातायात मार्ग एवं स्थानीय यातायात पृथक होना, सीधा प्रवेश नियंत्रण, क्षेत्रीय यातायात, स्थानीय यातायात	4	4	8
4.	**प्रमुख नगरीय मार्ग (एम.आर.)**	सार्वजनिक यातायात मार्ग एवं स्थानीय मार्ग यातायात पृथक होना, सीधा प्रवेश नियंत्रण, क्षेत्रीय यातायात	2	2	4
5.	**वृत्त खण्ड मार्ग/ उपखण्ड मार्ग (एम.आर.)**	वाहन यातायात एवं रहवासी यातायात	1	1	2

1. पादचारी सेवा मार्गों को लेन की विभाजक पट्टी के साथ मार्गों के विस्तृत रूपांकन आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

2. जहाँ आवासीय क्षेत्रों के भूखण्ड मुख्य मार्ग के सम्मुख हैं और मार्ग की सुगमता है, वहाँ धमनीय मार्गों एवं वृत्त खण्ड मार्गों पर प्रत्येक दिशा में कम से कम एक लेन हल्के वाहन यातायात के लिए अलग से प्रदान की जाएगी।
3. सम्पर्क मार्गों पर आवश्यकता के अनुरूप साइकिल, दो पहिया वाहनों के लिए मार्ग उपलब्ध कराया जायेगा।

4.4.6 मार्ग संगमों का सुधार

नगर के निम्न मार्ग संगमों को सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सुधारा जाना प्रस्तावित है। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मार्ग संगमों को नगरीय रूपांकन एवं नियंत्रण की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित है। कुछ चौराहे जैसे माजन मोड़, सर्किट हाउस चौक, बिलौजी, तेलाई आदि का विकास यातायात की दृष्टि से किया जा चुका है। निम्न चौराहों का विकास प्राथमिकता के क्रम में किया जाना प्रस्तावित है:

1. बरगवां–गोरबी तिराहा
2. परसौना मोड़ तिराहा
3. तेलाई मोड़ तिराहा
4. नवानगर तिराहा
5. अमलोरी तिराहा
6. गनियारी चौक
7. शाहपुर/गहिलरा तिराहा
8. शुक्ला मोड़ (मोरबा)
9. एन.सी.एल. अस्पताल तिराहा (मोरबा)

4.4.7 रेलवे एवं ओव्हर ब्रिज

बैढ़न तथा बरगवाँ के मध्य रेल सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से रेल लाईन प्रस्तावित की गई है। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से सम्पर्क स्थापित होगा और बरगवाँ को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विभाजन से भी बचाया जा सकेगा। इससे प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक और क्षेत्रीय मार्ग के साथ ही अतिरिक्त रेलवे सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे उद्यमी भी लाभान्वित होंगे। जयन्त से मोरबा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बरगवाँ में औद्योगिक क्षेत्र से लगे हुए भालुगढ़ ग्राम में रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है, जिसमें वाहन विराम स्थल, यात्री प्रतीक्षालय एवं आवश्यक सुविधाएँ शामिल हैं।

4.4.8 बस स्थानक एवं बस डिपो

बरगवाँ से बैढ़न मुख्य मार्ग के दक्षिण में तेलाई तिराहे के उत्तर की ओर प्रस्तावित 30 मीटर मार्ग के दक्षिण की ओर बस स्टैण्ड तथा डिपो के लिए ग्राम तेलाई में स्थान प्रस्तावित किया गया था, किंतु नगरीय विकसित क्षेत्रान्तर्गत होने से केवल बस स्टैण्ड हेतु प्रस्ताव दिया गया है। बस स्थानक एवं बस डिपो ग्राम गड़रिया में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 39

पर 7.88 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है। इसी प्रकार ग्राम बरगवाँ में वन विभाग के उत्तर में बस स्थानक प्रस्तावित है, जो नागरिकों के लिए सुविधाजनक रहेगा। विन्ध्यनगर के प्रमुख मार्ग के दक्षिण की ओर प्रस्तावित बायपास के उत्तर में बस स्थानक का प्रस्ताव दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से आने वाली बसों के लिए सुविधाजनक होगा। मोरबा के ग्राम मेढौली में काली मंदिर एवं मुख्य मार्ग तिराहे से लगकर 2.64 हेक्टेयर भूमि नए बस स्टैण्ड हेतु प्रस्तावित है।

4.4.9 हवाई पट्टी

सिंगरौली का प्रदेश एवं देश से वायु सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से बैढ़न के दक्षिण भाग में ग्राम सिंगरौलिया, खजुरी एवं कटौली में हवाई पट्टी का प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए शासकीय एवं निजी सम्मिलित करते हुए 83 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है।

4.4.10 क्षेत्रीय पिकअप स्टेशन एवं टैक्सी स्टैण्ड

क्षेत्रीय बस स्थानक की क्षमता बढ़ाने एवं यातायात के दबाव को कम करने के लिए नगर के अन्दर क्षेत्रीय मार्गों पर पिकअप स्टेशन का होना अत्यावश्यक है। सभी क्षेत्रीय मार्गों के नगर में प्रवेश बिन्दुओं पर बस स्थानकों का प्रस्ताव निम्नानुसार हैः

1. बरगवाँ औद्योगिक क्षेत्र वन विभाग कार्यालय के पास।
2. माजन मोड़ के पास
3. नवानगर मोड़ के पास
4. जयन्त तिराहा
5. रेलवे स्टेशन के पास (मोरबा)
6. गोंदवली रेलवे क्रॉसिंग के पास
7. विन्ध्यनगर मुख्य मार्ग पर
8. परसौना तिराहे पर

4.4.11 नगर बस अवसान केन्द्र

वर्ष 2035 तक सिंगरौली नगर के विकास एवं विस्तार की गति तीव्र होने की संभावना है। अतः एक तीव्र यातायात प्रणाली का होना अत्यावश्यक है। इस हेतु नगर बस सेवा अवसान केन्द्रों को निम्न स्थानों पर प्रस्तावित किया गया हैः

1. बस स्टैण्ड के पास
2. विन्ध्यनगर बस डिपो के पास
3. मोरबा बस स्टैण्ड
4. परसौना मोड़ के पास
5. माजन मोड़ के पास
6. नवानगर मोड़ के पास
7. नवजीवन विहार
8. अमलोरी तिराहे के पास, नवानगर मोड़

9. गनियारी मार्ग तिराहे के पास
10. एन.सी.एल. तिराहे के पास (जयन्त)

4.4.12 अवसान केन्द्र (माल)

सिंगरौली नगर मुख्यतः औद्योगिक एवं वाणिज्यिक नगर के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा माल ले जाने में वृद्धि होगी। अतः निम्नलिखित स्थानों पर माल अवसान केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं:

1. तेलाई चौराहा
2. माजन बगीचे के पास
3. परसौना मोड़ के पास
4. बरगवाँ चौराहे के पास
5. मोरबा में शुक्ला मोड़ के पास
6. अमलोरी तिराहा के पास
7. गनियारी तिराहा के पास
8. नवजीवन तिराहा
9. नवानगर मोड़ के पास

4.4.13 यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर

नगर विकास की कड़ी में यातायात प्रमुख समस्या है। वाहन मरम्मत एवं पार्किंग प्रमुख मार्गों के किनारे होने से यातायात आवागमन बाधित होता है, तथा दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं। नगर की भावी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित स्थानों में वाहन पार्किंग हेतु स्थल विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

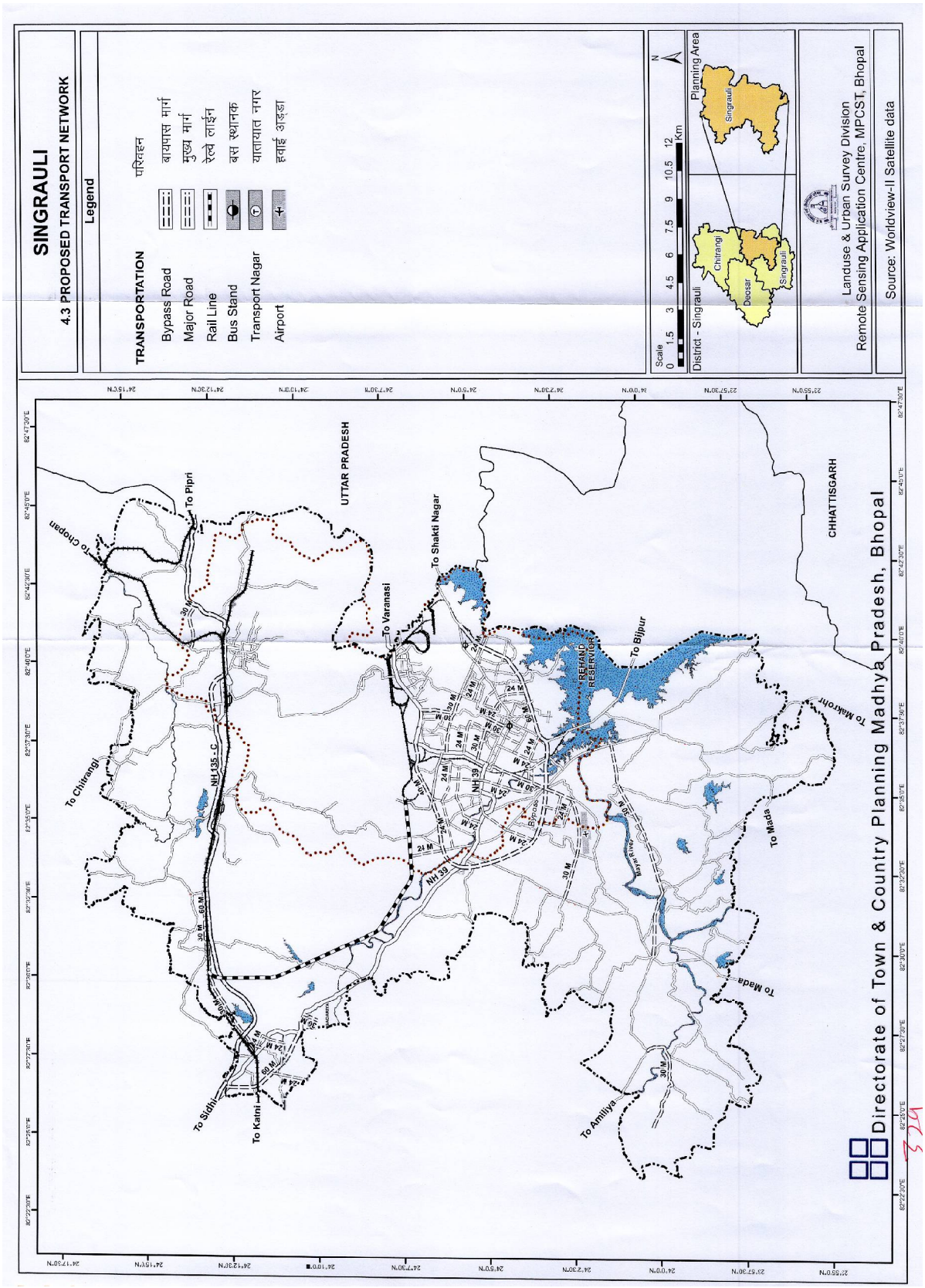
1. बैढ़न नगर में ग्राम हिरवाह के अंतर्गत 19.00 हेक्टेयर
2. नौगढ़ में प्रस्तावित बस स्टैण्ड के पास 10.00 हेक्टेयर
3. बरगवाँ में बरहवा टोला में प्रस्तावित गोदाम से संलग्न 4.00 हेक्टेयर
4. मोरबा में रेलवे स्टेशन के पश्चिम में 3.00 हेक्टेयर
5. बैढ़न–शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर 5.00 हेक्टेयर
6. गड़रिया में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 पर 19.97 हेक्टेयर का यातायात नगर

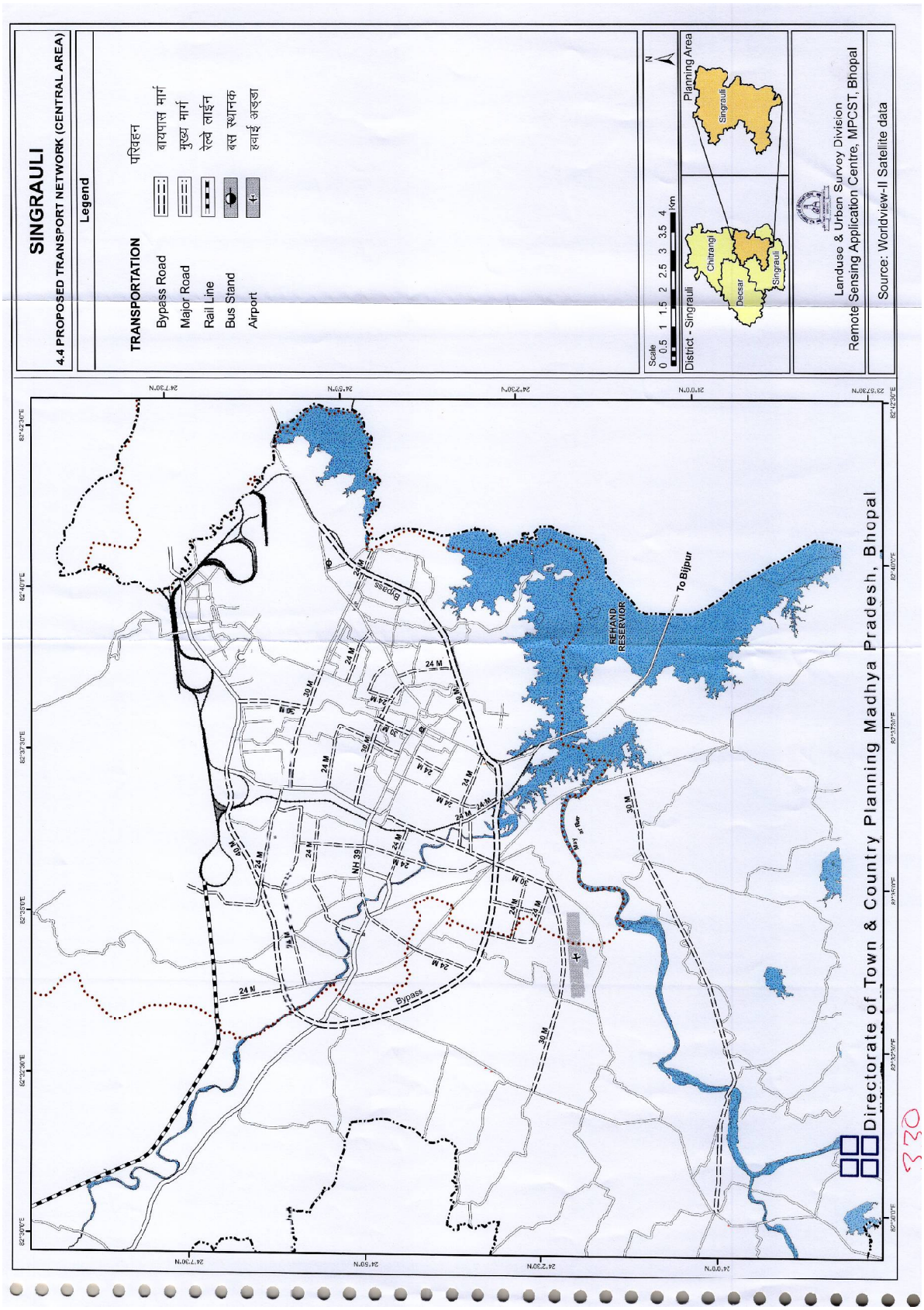
4.4.14 प्रस्तावित वाणिज्यिक मार्ग

1. माजन मोड़ तिराहे से मोरबा रोड की ओर नवानगर मोड़ तक।
2. बरगवाँ, बैढ़न मुख्य मार्ग में परसौना तिराहा से तेलाई मोड़ होकर माजन मोड़ होते हुए नवजीवन विहार तक।
3. पुराने तहसील तिराहे से गनियारी चौक तक।
4. मोरबा शुक्ला मोड़ से एन.सी.एल. मुख्यालय तक।
5. सर्किट हाउस मोरबा से मुख्य बाज़ार तक।
6. एन.सी.एल. तिराहे से एम.आई.जी. चौक तक।
7. बरगवाँ थाने से रेलवे क्रॉसिंग तक, मोरबा मार्ग पर वर्तमान बसाहट तक।

4.4.15 वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

1. बिलौजी मार्ग
2. कॉलेज मार्ग
3. बस स्टैण्ड मार्ग (वर्तमान अस्पताल के पास में)
4. गनियारी चौक से गनियारी औद्योगिक क्षेत्र मार्ग।


SINGRAULI
4.3 PROPOSED TRANSPORT NETWORK
Legend
TRANSPORTATION
परिवहन
Bypass Road
बायपास मार्ग
Major Road
मुख्य मार्ग
Rail Line
रेल्वे लाईन
Bus Stand
बस स्थानक
Transport Nagar
यातायात नगर
Airport
हवाई अड्डा
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Chitrangi
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Makronr
To Mada
To Amiliya
To Sidhi
To Kaini
REHAND RESERVIOR
NH 135 - C
NH 39
24 M
30 M
60 M
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal


SINGRAULI
4.4 PROPOSED TRANSPORT NETWORK (CENTRAL AREA)
Legend
TRANSPORTATION
परिवहन
Bypass Road
बायपास मार्ग
Major Road
मुख्य मार्ग
Rail Line
रेल्वे लाईन
Bus Stand
बस स्थानक
Airport
हवाई अड्डा
Scale
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Km
N
District - Singrauli
Planning Area
Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Worldview-II Satellite data
REHAND RESERVOIR
To Bijpur
Bypass
NH 39
24 M
30 M
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

अध्याय–5 विकास योजना प्रस्ताव–2035

5.1 विकास योजना–2031 का पुनर्विलोकन

किसी भी नगर का स्वरूप एवं आकार प्राकृतिक संरचना से प्रभावित होता है। क्षेत्रीय विकास का प्रमुख आधार वहाँ पर उपलब्ध भौतिक एवं नैसर्गिक संसाधन नदी, नाले, पहाड़ तथा परिवहन संरचना पर निर्भर होता है। सिंगरौली क्षेत्र मुख्यतः कोयला खदानों, ताप विद्युत संयंत्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। धरातल की स्थिति असमतल है। मोरबा से बैढ़न एवं बैढ़न से बरगवां को जाने वाले मार्ग नगरीय बसाहट के रूप में उभर रहे हैं। क्षेत्र की अधिकांश बराहट एवं विकास की प्रमुख गतिविधियाँ इन्हीं मार्गों पर विकसित हो रही हैं। अतः इस क्षेत्र का भौतिक विकास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं से प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त समतल, मैदानी एवं उपयुक्त स्थलों पर किया जाना उचित होगा।

वर्तमान में बैढ़न, मोरबा, विन्ध्यनगर तथा बरगवाँ नगरीय केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं, तथा बिलौजी, मोरबा, पोंडी नौगई, परसौना, खुटार एवं रजमिलान ग्रामीण सेवा केन्द्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं। मोरबा कोल धारित क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण इन बसाहटों को यथावत् रखते हुये अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देना प्रस्तावित है। सिंगरौली निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगरीय समूह के क्षेत्र बैढ़न, बरगवाँ एवं मोरबा हैं, जिसमें से बरगवाँ में रेलवे लाईन एवं रेलवे स्टेशन होने के कारण विकास हो रहा है, तथा मोरबा माइनिंग सर्वेक्षण के अनुसार कोलधारित क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें सामान्य विकास हेतु प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। इनमें से मुख्यतः बैढ़न ही नगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है, एवं यहाँ जिला स्तर की समस्त गतिविधियाँ विकसित हो रही हैं। इसी आधार पर सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नगर के भावी विकास हेतु आवश्यकतानुसार मोरबा एवं बरगवाँ एवं अन्य विकासशील ग्रामों में प्रस्ताव दिए गए हैं।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा अनुशंसित परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए सिंगरौली निवेश क्षेत्र की क्षेत्रीय एवं नगरीय स्तर पर एकीकृत योजना का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार योजनाएँ तैयार करने का प्रावधान है:

1. क्षेत्रीय योजना, सिटी डेव्हलपमेंट प्लान (सी.डी.पी.) विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समन्वय।
2. नगर को बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना।
3. नगर की सघन आबादी वाले मध्यवर्ती क्षेत्र के दबाव को कम करने हेतु नगर के बाह्य क्षेत्रों में विकास हेतु प्रस्ताव।
4. आवासीय क्षेत्रों की अन्य कार्य केन्द्रों से निकटता।
5. क्षेत्रीय मार्गों के सुगम यातायात का नगरीय मार्गों से समन्वय के लिए बायपास (रिंग रोड) का निर्माण।
6. वृहत्तर नगरों की समन्वित एकीकृत योजना।

5.2 योजना अवधारणा

सिंगरौली विकास योजना 2031 में मुख्य रूप से विकास योजना 2011 एवं संपूर्ण निवेश क्षेत्र में समाहित वर्तमान विकास, औद्योगिक विकास के परिवेश, कोयला धारित क्षेत्र, कोयला खदानें, विद्युत संयंत्र तथा अन्य स्थापनाधीन विद्युत एवं औद्योगिक संस्थानों को प्रमुख आधार मानते हुए, निवेश क्षेत्र की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को समाहित करते हुए भावी कार्यकलापों, प्रशासनिक तंत्र, संवेदनशील क्षेत्रों एवं नगर समूह क्षेत्रों, खण्ड, उपखण्ड स्तरीय यातायात की सुगमता, भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना का उपयुक्त प्रबंधन तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सेवा–सुविधाओं का समुचित प्रावधान किया गया था, ताकि सिंगरौली नगरीय समूह के भावी विकास को एक सुनियोजित रूप प्राप्त हो सके। इस विकास योजना में नगर के भावी विकास से संबंधित गतिविधियों एवं बहुआयामी समन्वित विकास नीति का समावेश किया गया।

सिंगरौली विकास योजना 2031 में नियोजन की मूल अवधारणा को सिंगरौली विकास योजना 2035 के लिए भी यथावत रखा गया है। मुख्य मार्गों पर मिश्रित उपयोग को भी सम्मिलित किया गया है। योजना अवधारणा के बिन्दु निम्नानुसार हैं:

1. नगर में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में नवीन प्रस्ताव।
2. वर्तमान एवं भावी यातायात को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना।
3. प्रमुख व्यापारिक–वाणिज्यिक एवं कृषि उत्पाद आधारित औद्योगिक केन्द्र।
4. नगर के कार्यकेन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के मध्य सुविधाजनक मार्ग संरचना।
5. नगर के पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण हेतु नियंत्रित विकास।
6. निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नालों, जलाशयों के किनारे वृक्षारोपण।
7. प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन।
8. बरगवाँ एवं बैढ़न बायपास तथा बैढ़न सीधी रोड के आस–पास मिश्रित गतिविधीयाँ हेतु प्रस्ताव

सिंगरौली विकास योजना 2035 में पदक्रम नियोजन प्रणाली के अनुसार निवेश इकाई वृत्तखण्ड एवं उपवृत्तखण्ड केन्द्र को प्रावधानित न करते हुए केवल नगर स्तर के थोक एवं विशेषीकृत वाणिज्यिक केन्द्र, प्रशासनिक एवं मनोरंजन केन्द्र आदि के प्रस्ताव दिए गए हैं। मार्ग संरचना में सुगम यातायात की दृष्टि से विशेष ध्यान दिया गया है। 18 मीटर एवं चौड़े मार्गों के दोनों ओर मिश्रित गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं, जिससे निजी क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा।

5.3 वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण एवं नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल

सिंगरौली शहर का भूमि उपयोग मानचित्र नगर में निर्मित इकाईयों एवं रिक्त भूमि के वर्तमान उपयोग पर आधारित है। पूर्व में उल्लेखित वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर डिजीटल विश्लेषण तकनीकी एवं स्थल सत्यापन करने के पश्चात निवेश क्षेत्र का भूमि उपयोग मानचित्र

तैयार किया गया है। भूमि उपयोग के प्रकार एवं व्याप्त क्षेत्रफल सारणी 5–सा–1 में उल्लेखित हैं।

वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण

सारणी 5–सा–1

क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हे. में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
1.	वृक्षारोपण	85.88	0.10
2.	कृषि	52123.43	63.07
3.	कृषि क्षेत्र अंतर्गत खनन (माईनिंग)	2267.83	2.74
4.	वाणिज्यिक	88.14	0.11
5.	वन क्षेत्र	11430.24	13.83
6.	वन क्षेत्र अंतर्गत खनन (माईनिंग)	3334.52	4.03
7.	पहाड़ी	229.62	0.28
8.	औद्योगिक	2160.50	2.61
9.	मिश्रित	101.81	0.12
10.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	353.25	0.43
11.	सार्वजनिक सेवाएँ – सुविधाएँ	51.71	0.06
12.	आमोद प्रमोद	123.33	0.15
13.	आवासीय	2952.63	3.57
14.	मार्ग	1396.69	1.69
15.	परिवहन	468.31	0.57
16.	जलाशय	5482.15	6.63
योग		**82650.03**	**100.00**

जी.आई.एस. आधारित वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों का भू–सत्यापन (Ground Truthing) वर्ष 2019 में किया गया था, तत्समय की अनुमानित जनसंख्या 5.18 लाख आंकलित कर वर्तमान विकसित क्षेत्र 7782.24 हेक्टेयर के आधार पर भूमि उपयोग दर 15.03 हे. प्रति 1000 व्यक्ति प्राप्त होती है।

5.3.1 निर्मित क्षेत्र

प्राकृतिक विस्तार अंतर्गत कुल निर्मित क्षेत्र में 7782.24 हेक्टेयर भूमि है। निर्मित क्षेत्र को विभिन्न श्रेणिओं में वर्गीकृत किया है, जैसे वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आवासीय, ग्रामीण, परिवहन आदि।

5.3.2 कृषि भूमि

नगरीय क्षेत्र के बाहर कृषि भूमि उपयोग प्रमुख है। कृषि उपयोग के अंतर्गत 54391.26 हेक्टेयर भूमि व्याप्त है। उक्त श्रेणी में फसल युक्त कृषि भूमि तथा रिक्त भूमि सम्मिलित है। फसल युक्त कृषि भूमि में खरीफ मौसम में सोयाबीन एवं रबी मौसम में गेहूँ तथा दाल की फसलों का उत्पादन होता है।

5.3.3 जलाशय

सिंगरौली शहर में जलाशय के अंतर्गत मुख्य रूप से गौरी सरोवर एवं नहरों को सम्मिलित किया गया है। निवेश क्षेत्र में जलाशय का कुल क्षेत्रफल 5482.15 हेक्टेयर है, एवं प्रतिशत 6.63 है।

5.3.4 खनन (माईनिंग) क्षेत्र

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में वन क्षेत्र 14764.24 हेक्टेयर है, जिसमें से 3334.52 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला खदानों के अंतर्गत पाई गईं। 2267.83 हेक्टेयर कोयला खदानें कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत पाई गईं।

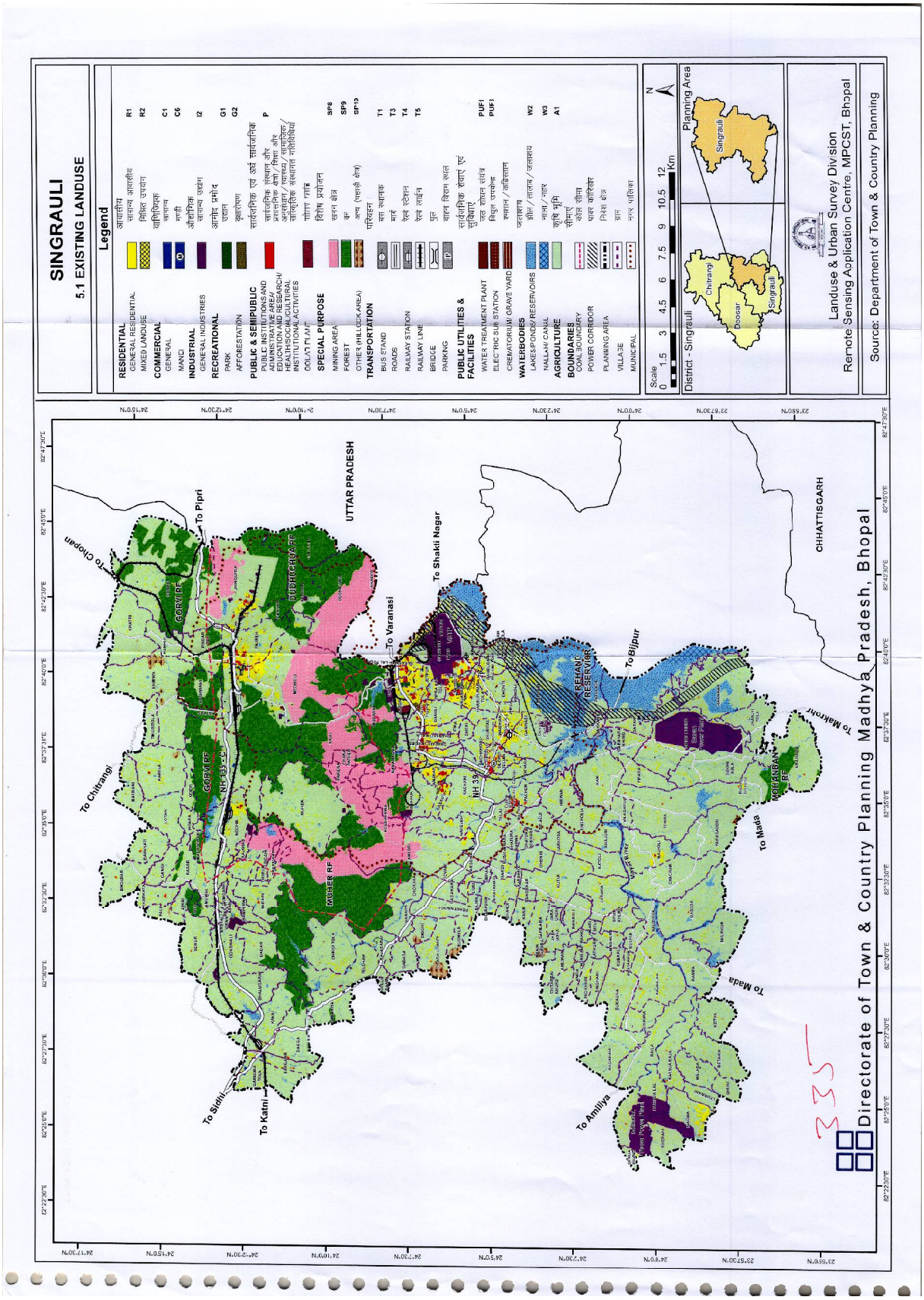
5.4 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

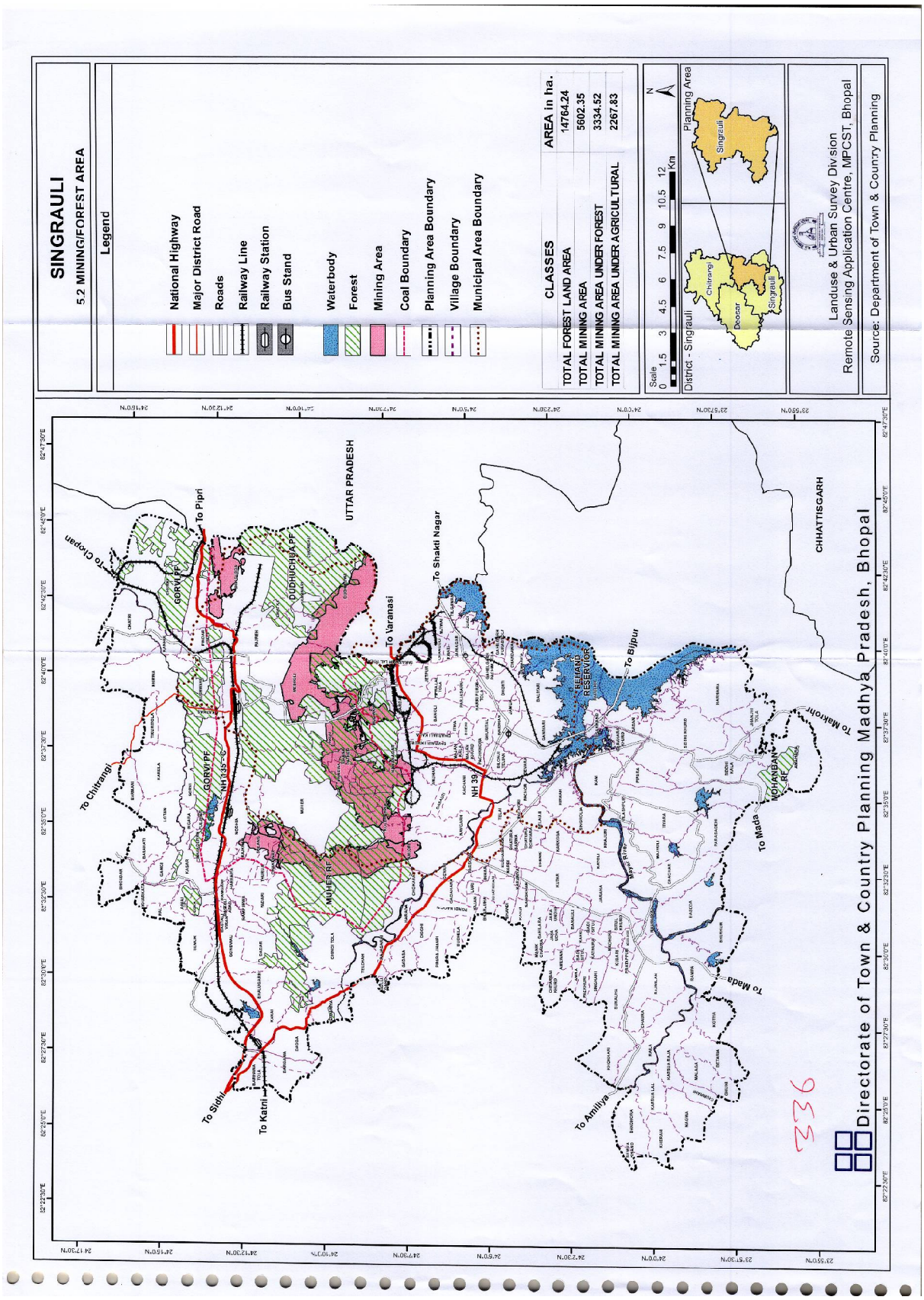
विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सावर्जनिक सुविधाएँ एवं सेवाएँ, परिवहन एवं आमोद–प्रमोद निवेश क्षेत्र में शामिल हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिये 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है। सिंगरौली मध्यम श्रेणी का नगर होकर इसकी प्राकृतिक संरचना के कारण यहाँ पर कम एवं मध्यम ऊँचाई के भवन निर्मित हैं। भवनों की वर्तमान प्रकृति अनुसार सकल आवासीय घनत्व 66.52 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, जो अनुशंसित घनत्व के अनुसार है। सिंगरौली निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने के लिये समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएं एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण किया गया है।

5.5 भूमि उपयोग विवरण 2035

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में भावी विकास योजना को दृष्टिगत रखते हुए इसके अंतर्गत उपलब्ध भूमि का नियोजन की दृष्टि से भू–उपयोग निर्धारण किया गया है। सिंगरौली विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक में 8.00 लाख जनसंख्या के लिये कुल 17109.67 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। सारणी 5–सा–2 में प्रस्तावित भूमि उपयोग आवंटन दिया गया है।


SINGRAULI
5.1 EXISTING LANDUSE
Legend
RESIDENTIAL
GENERAL RESIDENTIAL
MIXED LANDUSE
COMMERCIAL
GENERAL
MANDI
INDUSTRIAL
GENERAL INDUSTRIES
RECREATIONAL
PARK
AFFORESTATION
PUBLIC & SEMIPUBLIC
PUBLIC INSTITUTIONS AND ADMINISTRATIVE AREA/
EDUCATION AND RESEARCH/
HEALTH/SOCIAL/CULTURAL
INSTITUTIONAL ACTIVITIES
SPECIAL PURPOSE
MINING AREA
FOREST
OTHER (HILLOCK AREA)
TRANSPORTATION
BUS STAND
ROADS
RAILWAY STATION
RAILWAY LINE
BRIDGE
PARKING
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES
WATER TREATMENT PLANT
ELECTRIC SUB STATION
CREMATORIUM/ GRAVE YARD
WATERBODIES
LAKES/PONDS/RESERVOIRS
NALLAH/ CANAL
AGRICULTURE
BOUNDARIES
COAL BOUNDARY
POWER CORRIDOR
PLANNING AREA
VILLAGE
MUNICIPAL
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Doosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Chopan
To Pipri
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Markoni
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
To Mada
To Mada
GORV RF
DUDHICHUA RF
MOHER RF
MOHANBAN RF
REHAND RESERVOIR
NH 39
NH 39


SINGRAULI
5.2 MINING/FOREST AREA
Legend
National Highway
Major District Road
Roads
Railway Line
Railway Station
Bus Stand
Waterbody
Forest
Mining Area
Coal Boundary
Planning Area Boundary
Village Boundary
Municipal Area Boundary
CLASSES
AREA in ha.
TOTAL FOREST LAND AREA 14764.24
TOTAL MINING AREA 5602.35
TOTAL MINING AREA UNDER FOREST 3334.52
TOTAL MINING AREA UNDER AGRICULTURAL 2267.83
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Chitrangi
To Sidhi
To Katni
To Amiliya
To Mada
To Makronr
GORVI PF
DUDHICHUA PF
MUHER RF
MOHANBAN RF
NH 39
RIHAND RESERVOIR

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

सारणी 5–सा–2

क्र.	भूमि उपयोग	विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि (हे. में)	वर्तमान विकसित क्षेत्र 2019			उच्चावचन / निम्नावन (+)/(–)	प्रस्तावित क्षेत्र वर्ष 2035		
			क्षेत्रफल (हे. में)	प्रतिशत	उपयोगिता दर		क्षेत्रफल (हे. में)	प्रतिशत	उपयोगिता दर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आवासीय	7471.62	2952.63	37.94	5.70	+4518.99	7471.62	43.67	9.34
2.	वाणिज्यिक	643.24	88.14	1.13	0.17	+555.10	569.75	3.33	0.71
3.	औद्योगिक	2323.58	2160.50	27.76	4.17	+163.08	2760.91	16.14	3.45
4.	मिश्रित	–	101.81	1.31	0.20	–101.81	505.29	2.95	0.63
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	659.21	353.25	4.54	0.68	+254.26	893.63	5.22	1.12
6.	सार्वजनिक सेवाएँ–सुविधाएँ		51.71	0.66	0.10		55.27	0.32	0.07
7.	आमोद–प्रमोद	1743.93	209.20	2.69	0.40	+1534.73	2450.74	14.32	3.06
8.	यातायात एवं परिवहन	2372.58	1865.00	23.96	3.60	+507.57	2402.45	14.04	3.00
योग		15214.16	7782.24	100.00	15.03	+7431.92	17109.67	100.00	21.39

5.5.1 आवासीय

विकास योजना में नए आवासीय क्षेत्रों का आंकलन निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आवास गृहों की मांग की पूर्ति तथा नगर की भावी जनसंख्या के अधिवास को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। निवेश क्षेत्र के अंतर्गत योजना अवधि 2035 के अंतकाल में आवासीय उपयोग हेतु 7471.62 हेक्टेयर भूमि वर्तमान आवासीय उपयोग को समाहित कर प्रस्तावित की गई है, जो प्रस्तावित कुल क्षेत्र का 43.67 प्रतिशत है, जिसकी उपयोगिता दर 9.34 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति है। वर्तमान ग्रामीण आबादी क्षेत्र के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में आवासीय एवं उसमें स्वीकार्य गतिविधियों हेतु अनुमतियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेंगी।

नगर के विभिन्न आय वर्गों के लोगों की क्रय क्षमता के अनुरूप सभी के लिए आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराने की नीति विकास योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इस प्रकार के प्रावधान आश्रय गृह उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नगरवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन मूल्यों के उत्थान में सहायक होंगे। नगरीय संरचना के संदर्भ में आवासीय क्षेत्र का विभिन्न कार्यकेन्द्रों तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों से सशक्त स्थलीय संबंध है। किसी भी नगरीय क्षेत्र के लिए कार्यकेन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं विभिन्न सुविधाओं की सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्षेत्रों में उचित संरचना प्रदान करना सफल नगर विकास योजना की कुंजी है।

आवास का तात्पर्य केवल आवासीय स्थल अथवा आवासीय इकाईयाँ प्रदान करना ही नहीं, बल्कि वृहत्तर सुधार कार्यक्रम से है। प्रत्येक आवासीय क्षेत्र रहवासी अतिरिक्त आवास से प्रासंगिक अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिनमें निम्न सम्मिलित हैं:

1. पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय क्षेत्र एवं आसान शर्तों पर आवंटन का प्रावधान।
2. जल, विद्युत एवं निस्तार जैसी जन उपयोगी सुविधाओं की सुगमता तथा वहन करने योग्य व्यवस्था का प्रावधान।
3. शासकीय सुविधाएँ जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य, आमोद–प्रमोद आदि का प्रावधान।
4. सामाजिक एवं सामुदायिक संगठन में प्रोन्नति करने वाली सक्षम आवासीय इकाईयों का प्रावधान।
5. यातायात के साधन एवं सुविधाएँ जो कार्य केन्द्रों, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं से उचित ढंग से सम्बद्ध हों, की उपलब्धता।

5.5.2 वाणिज्यिक

नगर में वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 88.14 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जो कि नगर की आवश्यकताओं के मान से कम है। अतः इस उपयोग हेतु 481.61 हेक्टेयर अविकसित भूमि प्रस्तावित की जा रही है।

सिंगरौली का मुख्य बाज़ार बैढ़न बस स्टैण्ड के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त नव जीवन विहार, मोरबा, नवानगर, विन्ध्यनगर एवं बरगवाँ में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाज़ार क्षेत्र हैं। सिंगरौली में विशेषीकृत बाज़ार का अभाव है। नगर निगम द्वारा वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण कराया गया है। नगर के प्रमुख मार्गों के किनारे वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालित होने से वाहन विराम स्थल एवं यातायात समस्या उत्पन्न होती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए नगर के भावी वाणिज्यिक विकास के प्रस्ताव निम्न बिन्दुओं के आधार पर दिए गए हैं:

1. सुविधाजनक वाणिज्यिक विकास हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन।
2. सुगम यातायात हेतु मार्गों का विकास।
3. थोक, विशिष्ट खण्ड एवं उपखण्ड स्तरीय बाज़ारों का विकास।

वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु 569.75 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जिसका विवरण सारणी 5–सा–3 में दर्शाया गया है।

वाणिज्यिक गतिविधियाँ

सारणी 5–सा–3

क्र.	विवरण	स्थिति	क्षेत्रफल (हे. में)
1.	2.	3.	4.
1.	थोक एवं विशिष्ट बाज़ार	धतुरा पोखरा, ढेंकी	21.00
		परसौना तिराहा	36.00
		मोरबा (मेढौली)	13.00
		बरगवाँ (डगा)	77.00
2.	माल गोदाम एवं शीतगृह	सिंगरौली (मेढौली) रेलवे स्टेशन के पास	29.00
		बरगवाँ (बरहवा टोला)	54.00
		गोंदवाली	38.00
		धतुरा पोखरा	20.00
		बैढ़न, पोंडी नौगई	40.00
		बैढ़न (कचनी)	18.00
3.	कोल एवं ऑयल डिपो	बरगवाँ में रेलवे स्टेशन के पास	22.00
4.	सब्ज़ी मण्डी, फल बाज़ार एवं ग्रेन मार्केट	मोरबा विद्युत मंडल कार्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण (मेढौली)	5.00
		बरगवाँ में प्रस्तावित बस स्टैण्ड के सामने	5.00
		तेलाई मोड़ के पास	6.00
		बैढ़न (तेलाई) में प्रस्तावित सब्ज़ी मण्डी से संलग्न	5.00
5.	मीट मार्केट	गनियारी एम.जी.आर. लाईन के पास	1.00
		बरगवाँ में औद्योगिक से संलग्न प्रमुख मार्ग के किनारे	1.00
		मोरबा में एम.पी.ई.बी. से संलग्न	1.00
6.	स्लॉटर हाउस	विन्धयनगर में थाने के पीछे नाले से लगकर	2.00
7.	लोहा मण्डी एवं कबाड़ी बाज़ार	बैढ़न (नौगढ़) में	15.00
8.	काष्ठागार (लकड़ी टाल)	मोरबा में वन क्षेत्र के अंतर्गत	10.00
		औद्योगिक क्षेत्र गनियारी से संलग्न	5.00
		ग्राम बलियारी में	10.00
		बरगवाँ में वन विभाग के पास	10.00

		बरगवाँ बरहवा टोला में प्रस्तावित गोदाम क्षेत्र में	5.00
9.	कृषि उपज मण्डी	माडा/बरगवाँ मार्ग कृषि प्रक्षेत्र	20.00
10.	नगर स्तरीय	नगर के प्रमुख वाणिज्यिक मार्गों पर	20.00
11.	खण्ड स्तरीय		14.00
12.	उपखण्ड स्तरीय		11.00

5.5.2.1 थोक विशिष्ट बाज़ार

नगर में थोक एवं विशिष्ट बाज़ार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए नागरिकों को कटनी, जबलपुर एवं बिलासपुर के थोक बाज़ारों पर आश्रित रहना पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठानों की स्थापना एवं जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर भविष्य में थोक एवं विशिष्ट बाज़ार की आवश्यकता होगी। थोक एवं विशिष्ट बाज़ार के अंतर्गत समस्त किराना एवं कपड़े का थोक क्रय–विक्रय आता है। इसके भावी विकास हेतु बैढ़न में परसौना तिराहा के पारा 36.00 हेक्टेयर, ग्राम धतुरा पोखरा, ढेंकी में 21.00 हेक्टेयर, मोरबा में 13.00 हेक्टेयर एवं बरगवाँ में 77.0 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 147.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5.5.2.2 माल गोदाम एवं शीतगृह

माल गोदाम एवं शीतगृह हेतु नगर की भावी आवश्यकताओं के अनुसार मोरबा में मेढौली रेलवे स्टेशन के पास 29.00 हेक्टेयर, मोरबा से बैढन जाने वाले मार्ग पर 13.00 हे.. बरगवाँ (बरहवा टोला) में 54.00 हेक्टेयर, गोंदवाली में 38.00 हेक्टेयर तथा धतुरा पोखरा, ढेंकी, बैढ़न, कचनी, पोंडी नौगई के अंतर्गत माल गोदाम एवं शीतगृह उपयोग हेतु कुल 225.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.5.2.3 कोल एवं ऑयल डिपो

कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता तथा ऑयल की आवश्यकता होने के बावजूद भी नगर में भण्डारण की समुचित व्यवस्था नहीं है। अतः बरगवाँ में रेलवे स्टेशन के पास 22.00 हेक्टेयर भूमि कोल एवं आयल डिपो हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.5.2.4 सब्ज़ी मण्डी, फल बाज़ार एवं ग्रेन मार्केट

नगर में सब्ज़ी मण्डी एवं फल बाज़ार असंगठित रूप में प्रमुख मार्गों के किनारे बैढ़न, बरगवाँ एवं मोरबा में संचालित हैं, जिससे यातायात समस्या उत्पन्न होती है। सब्ज़ी मण्डी एवं फल बाज़ार हेतु 6.00 हेक्टेयर भूमि तेलाई में, मोरबा (मेढौली) में 3.00 हेक्टेयर, तथा बरगवाँ में 5.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान सब्ज़ी मण्डियाँ बैढ़न, मोरबा, नवजीवन विहार तथा जयन्त में फुटकर सब्ज़ी बाज़ार के रूप में यथावत रहेंगी। ग्रेन मार्केट के विकास हेतु मोरबा में विद्युत मण्डल कार्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक

39 के दक्षिण में, बरगवाँ में वन कार्यालय के पास सीधी मार्ग के उत्तर में, तथा बैढ़न में तेलाई मोड़ के पास 5.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5.5.2.5 मीट मार्केट

औद्योगिक क्षेत्र गनियारी में एम.जी.आर. लाईन के पास 1.00 हेक्टेयर, मोरबा मुख्य मार्ग पर एम.पी.ई.बी. के समीप नाले से लगकर 1.00 हेक्टेयर, तथा बरगवाँ में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न 1.00 हेक्टेयर भूमि मीट मार्केट विकास हेतु प्रस्तावित है।

5.5.2.6 लोहा मण्डी एवं कबाड़ी बाज़ार

नगर में व्यवस्थित रूप से लोहा मण्डी विकसित नहीं है तथा विभिन्न क्षेत्रों में यत्र–तत्र लोहे का विक्रय किया जाता है। अतः व्यवस्थित रूप से लोहा मण्डी के विकास हेतु ग्राम नौगढ़ सीधी प्रमुख मार्ग पर 15.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए कबाड़ को संग्रहित करने हेतु ग्राम नौगढ़ में लोहा मण्डी से संलग्न 10.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

5.5.2.7 काष्ठागार (लकड़ी टाल)

वन बाहुल्य क्षेत्र होने एवं इमारती तथा जलाऊ लकड़ी के समुचित रख रखाव हेतु निवेश क्षेत्र के अंतर्गत बरगवाँ में वन कार्यालय के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न उत्तर की ओर 10.00 हेक्टेयर, तथा मोरबा में वन क्षेत्र के अंतर्गत 10.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। इनके अतिरिक्त गनियारी औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न 5.00 हेक्टेयर एवं ग्राम बलियारी में 10.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

5.5.2.8 कृषि उपज मण्डी

वर्तमान में बैढ़न में कलेक्ट्रेट के पास कृषि उपज मण्डी संचालित है जिसके आसपास कई कार्यालय संचालित होने के कारण स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से भविष्य में माडा तिराहा के पास प्रस्तावित कृषि भूमि आधारित उद्योग से संलग्न क्षेत्र में 20.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5.5.2.9 फुटकर बाज़ार

इनके अंतर्गत नगर, खण्ड एवं उपखण्डीय स्तर के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान समायोजित हैं। बैढ़न–सीधी प्रमुख मार्ग एवं माजन मोड़ से नवानगर जाने वाले मार्ग के दोनों ओर 50 मी. की गहराई तक वाणिज्यक उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमतियाँ दी जा सकेंगी। सारणी 5–सा–4 में दिए गए विवरण अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजना को भी समायोजित किया जा सकेगा।

स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित वाणिज्यिक योजना

सारणी 5–सा–4

क्र.	संस्था का नाम	स्थल का नाम	वाणिज्यिक विकास का प्रकार
1.	2.	3.	4.
1.	नगर पालिका निगम	नवजीवन विहार	शॉपिंग मॉल
		बैढ़न	बस स्टैण्ड के पास
		पुराने पोस्ट ऑफिस के पास	शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
2.	सिंगरौली विकास प्राधिकरण	पंजरेह	आवासीय सह वाणिज्यिक
		नौगढ़	–
		बरहवा टोला	–

5.5.3 औद्योगिक

भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करती है। सिंगरौली में उद्योग हेतु पर्याप्त मात्रा में जल एवं विद्युत, यातायात, संचार व्यवस्था, कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन एवं वितरण की पर्याप्त व्यवस्था, तथा आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सिंगरौली क्षेत्र इन सुविधाओं का धनी है, जिससे प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाईयाँ यहाँ स्थापित हुईं, तथा स्थापना हेतु प्रयासरत हैं। इनके लिए पर्याप्त जल, कोयला, शासन द्वारा प्रोत्साहन, वन प्रक्षेत्र तथा सड़क एवं रेल यातायात की सुविधा के कारण सिंगरौली का देश के बड़े नगरों से सम्पर्क स्थापित होता है। वर्तमान में सिंगरौली निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 2160.50 हेक्टेयर भूमि का उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा किया जा रहा है। अतिरिक्त आवश्यकता हेतु 600.41 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलाकर कुल 2760.91 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल क्षेत्र का 16.14 प्रतिशत है। सिंगरौली में 9 वृहद, 35 मध्यम एवं 975 लघु उद्योग स्थापित हैं। इनमें क्रमशः 7216, 2350 एवं 1109 कर्मचारी कार्यरत हैं। उद्योगों में सासन पावर, एस्सार पावर एवं विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रमुख हैं।

5.5.3.1 कृषि आधारित उद्योग

नगर में परम्परागत कृषि कार्य आज भी सम्पादित हो रहा है, जिसको प्रोत्साहित करने एवं कृषि उत्पाद को आधुनिक संयंत्रों के माध्यम से किए जाने के आशय से कृषि आधारित उद्योग जैसे– ऑयल मिल, दाल मिल, राईस मिल आदि प्रमुख हैं। इनके विकास हेतु परसौना तिराहे के पास नौगढ़ में 35.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5.5.3.2 सामान्य उद्योग

प्रदूषण रहित सामान्य उद्योगों की स्थापना हेतु ग्राम गनियारी में 53.00 हेक्टेयर वर्तमान औद्योगिक प्रक्षेत्र से संलग्न भूमि भावी विकास हेतु प्रस्तावित है। ग्राम गनियारी प्रक्षेत्र में ग्रामीण आबादी से संलग्न 34.00 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत हानिकारक उद्योग संचालित थे, जिसमें ज्वलनशील पदार्थों के कारण विस्फोट हुआ, जिससे फैक्ट्री क्षेत्र के साथ ग्रामीण आबादी क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। अतः ऐसे विस्फोटक उद्योगों को बरगवाँ में हानिकारक एवं विस्फोटक पदार्थों के संग्रहण हेतु प्रस्तावित स्थल के अंतर्गत पुनर्स्थापना प्रस्तावित है।

5.5.3.3 हानिकारक एवं विस्फोटक उद्योग

सिंगरौली कोयला धारित क्षेत्र में कोयला उत्खनन हेतु विस्फोटक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिसके लिये बरगवाँ नगर के ग्राम डगा में 74.48 हेक्टेयर, ग्राम बरहवा टोला में 52.86 हेक्टेयर भूमि हानिकारक उद्योगों के विकास हेतु प्रस्तावित है। गनियारी के विस्फोटक उद्योग भी यहाँ स्थापित हो सकेंगे।

5.5.3.4 वन आधारित उद्योग

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में एवं उससे संलग्न क्षेत्र में घना जंगल है, जो कई प्रकार के वृक्ष एवं बहुमूल्य जड़ी–बूटियाँ एवं फलदार वृक्षों से आच्छादित है। अतः वन उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु वन क्षेत्र के समीप मोरबा एवं कुशवई में 15.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

5.5.4 मिश्रित

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक/ अर्धसार्वजनिक उपयोग अनुज्ञेय हैं। विकास योजना 2035 में इस उपयोग के अंतर्गत 505.29 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, जो कुल क्षेत्र का 2.95 प्रतिशत है।

5.5.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

इस उपयोग के अंतर्गत केन्द्र शासन, राज्य शासन, स्थानीय निकाय एवं अन्य निजी कार्यालय, शिक्षण, स्वास्थ्य आदि गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इस उपयोग हेतु कुल 893.63 हे. भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5.5.6 सार्वजनिक सेवाएँ–सुविधाएँ

स्थल सत्यापन, सुदूर संवेदन प्रणाली तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली के आधार पर वर्तमान में सार्वजनिक सेवाएँ– सुविधाएँ भूमि उपयोग के अंतर्गत 51.71 हेक्टेयर भूमि विकसित हो चुकी है। प्रस्तावित योजना में सार्वजनिक सेवाएँ– सुविधाएँ के अंतर्गत कुल 55.27 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

5.5.7 आमोद–प्रमोद

खुले स्थान, उद्यान, बगीचे, सघन वृक्षारोपण आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिनके सहारे नगर जीवन प्राणवायु ग्रहण करता है। नगर में इस उपयोग हेतु

2450.74 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जिसमें प्रमुख मार्गों तथा नदी, नाले एवं तालाबों के किनारे दोनों ओर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सघन वृक्षारोपण कर हरित पट्टी निर्मित करने का प्रस्ताव है, जिससे नगर के घने बसे हुए क्षेत्रों में भी हरित क्षेत्र का लाभ प्राप्त हो सके। गोविन्द वल्लभ पंत सागर से संलग्न निचले डूब प्रभावित क्षेत्र सघन वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हैं। निजी एवं औद्योगिक क्षेत्र में भी बगीचे तथा उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं नगर स्तरीय उद्यानों का विकास नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

5.5.7.1 वनस्पति उद्यान

प्राकृतिक औषधियों का सेवन मानव जीवन को निरोगी बनाता है। जड़ी–बूटियों के उत्पादन से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। अतः निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गनियारी में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से संलग्न 20.00 हेक्टेयर भूमि वनस्पति उद्यान हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.5.7.2 क्षेत्रीय उद्यान

सिंगरौली में देश–विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के व्यक्तियों का आवागमन होता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए माजनकला से ढेंकी जाने वाले प्रस्तावित मार्ग के दक्षिण में ग्राम पचखोरा में स्थित 3 तालाबों को सम्मिलित करते हुए 20.00 हेक्टेयर भूमि में राष्ट्रीय स्तर का उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.5.7.3 नगर उद्यान

निवेश क्षेत्र अंतर्गत बैढ़न, मोरबा, विन्ध्यनगर तथा एन.सी.एल. द्वारा अपने–अपने परिसरों में एक–एक उद्यान वर्तमान में विकरित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। अतः आवासीय क्षेत्रों में, खुले स्थानों में छोटे–छोटे उद्यानों के साथ नगरीय एवं स्थानीय उद्यानों के रूप में, नगर की भावी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, लगभग 5.00 हेक्टेयर भूमि का विकास नगर उद्यान के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। इन उद्यानों में वाहन पार्किंग/अत्यावश्यक दुकानें, जन–सुविधाओं का विकास सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से मान्य होगा।

5.5.8 यातायात एवं परिवहन

इस उपयोग के अंतर्गत मार्ग, रेल क्षेत्र, बस स्टैण्ड, यातायात अवसान केन्द्र एवं पार्किंग स्थल आदि परिवहन संबंधी सेवा सुविधाओं का समावेश होता है। विकास योजना में इस उपयोग हेतु कुल 2402.45 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, जो कुल क्षेत्रफल का 14.04 प्रतिशत है।

5.5.9 परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र

परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से तालाब, जल विस्तार, डूब में आने वाले क्षेत्र इत्यादि संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः तालाबों के आसपास का क्षेत्र, नालों का जल

फैलाव क्षेत्र एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र आता है। इन क्षेत्रों के संरक्षण एवं व्यवस्थापन की विशिष्ट अनुशंसाएँ निम्नानुसार हैं:

1. नालों एवं जलाशयों के किनारे सघन वृक्षारोपण कर प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठोस निस्तार वस्तुओं एवं उनके निस्तारण के प्रबंधन का सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ताकि ये पर्यावरण एवं जल स्त्रोतों को प्रदूषित न करें। बायोगैस उत्पादन, धुआँ रहित ईंधन व भवन निर्माण सामग्री जैसे फ्लाईएश/कॉंक्रीट ब्लॉक्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
2. अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जल स्त्रोतों का प्रबंधन स्थानीय विकास प्राधिकारी के द्वारा होना चाहिए, जो विधि–विधानों के प्रावधानों के अध्यधीन इसके संरक्षण की जवाबदारी से युक्त हो।
3. आसपास के क्षेत्र की भवन निर्माण गतिविधियों के लिए पृथक से नियमन का प्रावधान।

5.5.9.1 जल स्त्रोतों का विकास एवं संरक्षण

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत तालाबों का उपयोग कपड़े धोने, पशुओं के पानी पीने एवं नहाने के लिए होता है। इन तालाबों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। जलशयों का विवरण सारणी 5–सा–5 में दिया गया है।

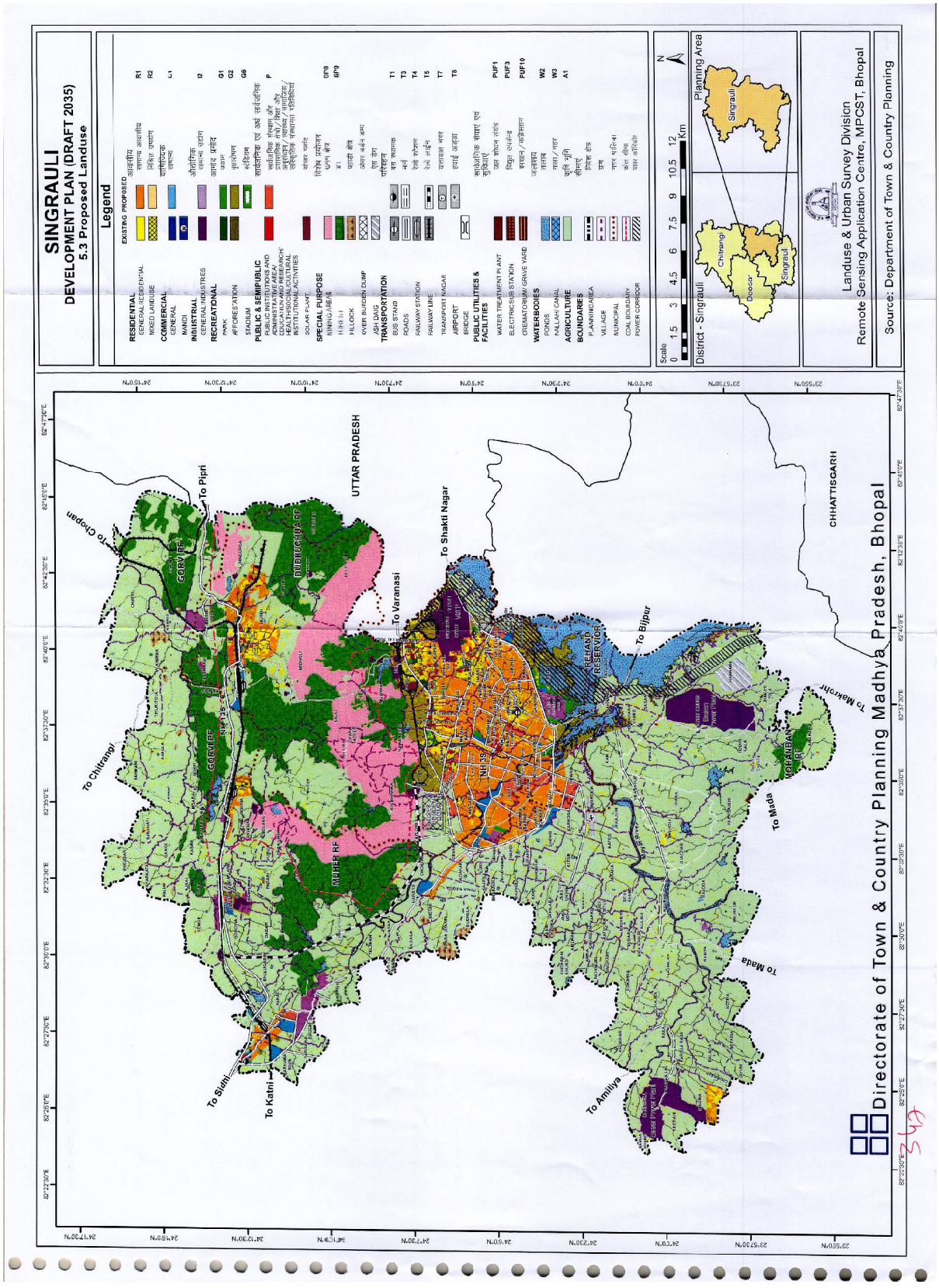
जलाशयों का विकास

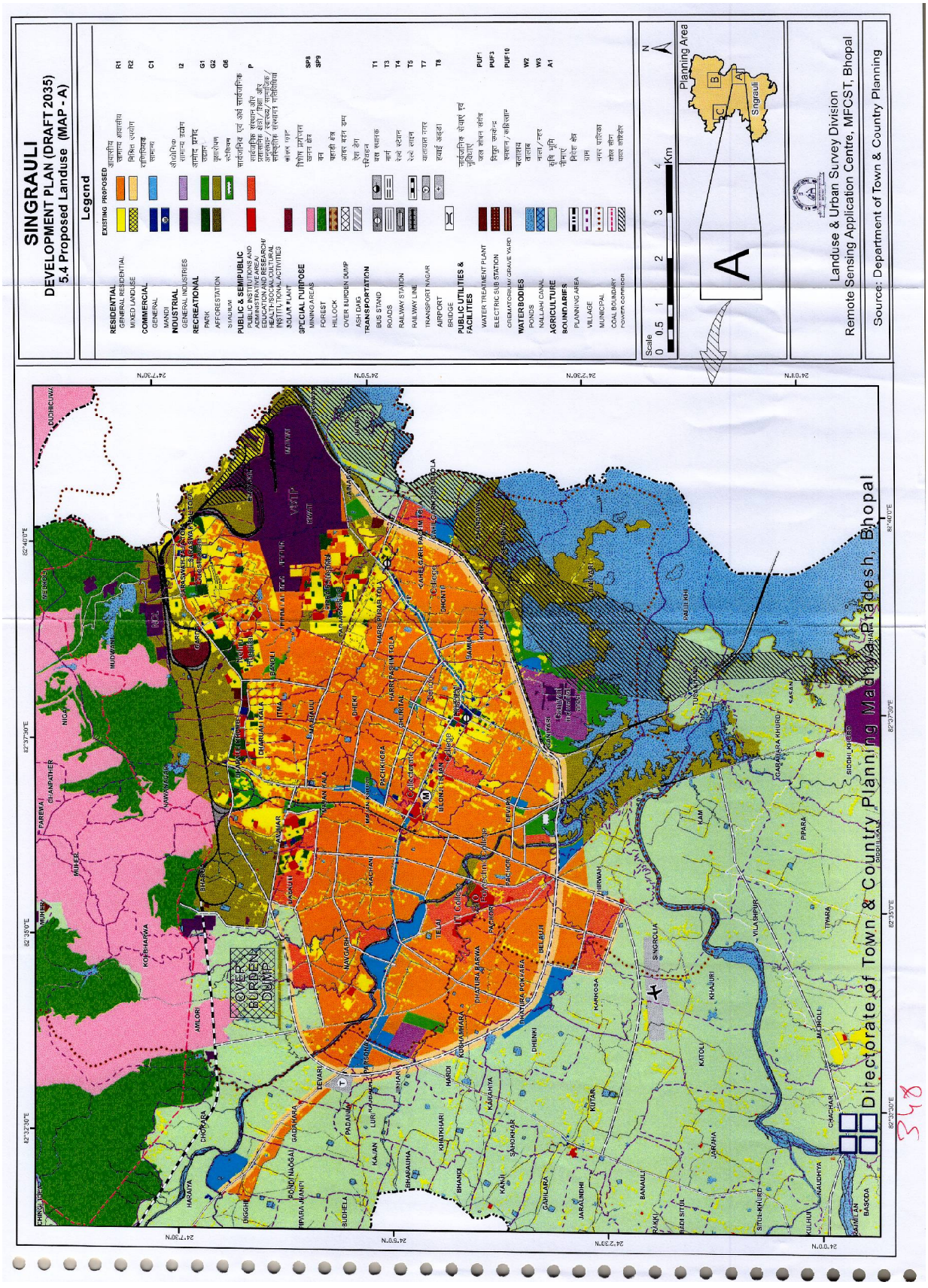
सारणी 5–सा–5

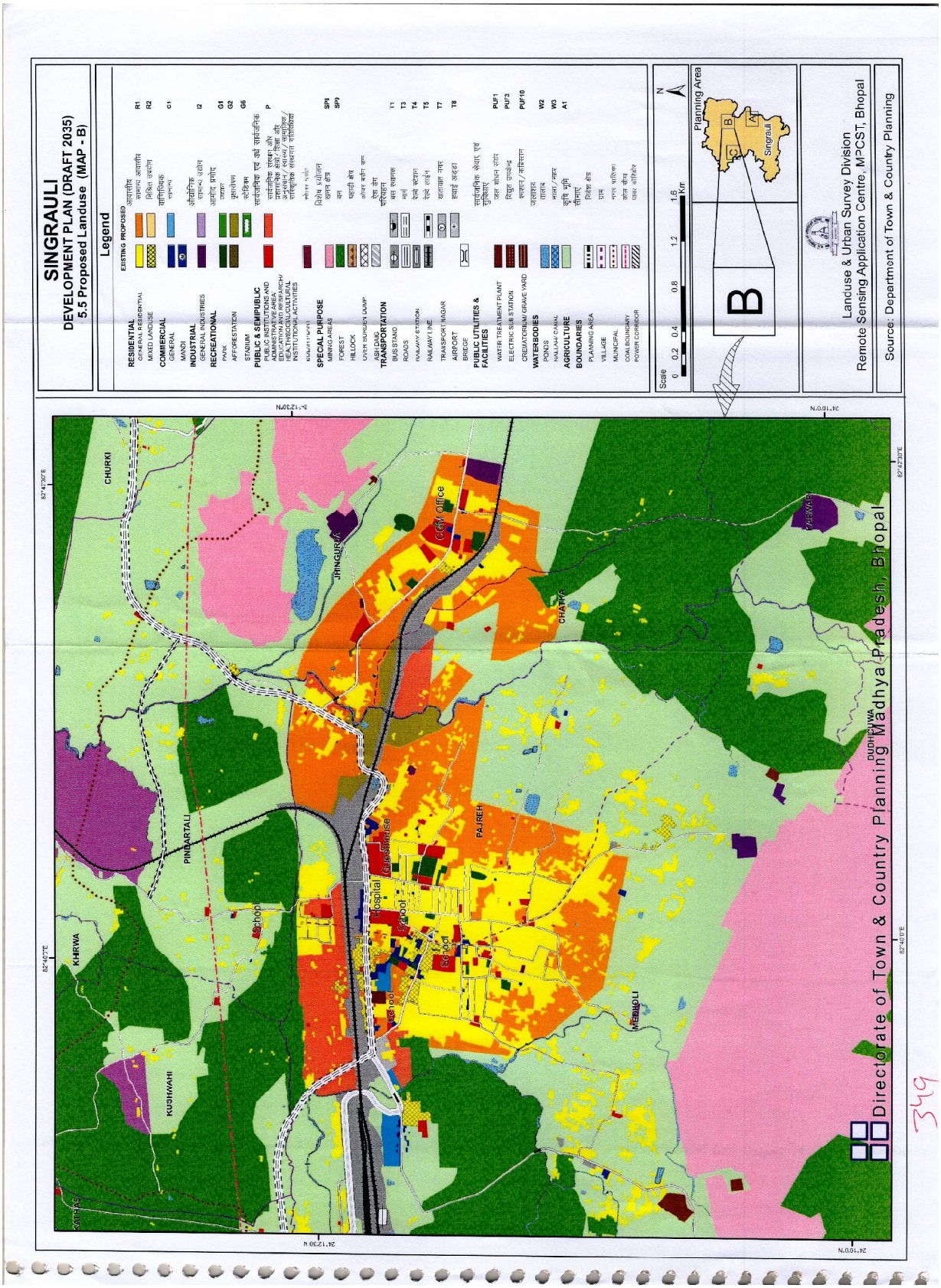
क्र.	तालाब का नाम	स्थिति	प्रस्ताव
1.	2.	3.	4.
1.	बैढ़न तालाब क्र. 1 एवं 2	बैढ़न	सौन्दर्यीकरण एवं आमोद–प्रमोद हेतु विस्तार
2.	हर्रई तालाब	हर्रई पश्चिम	–„ „–
3.	ढोंटी तालाब	ढोंटी	–„ „–
4.	कचनी तालाब	कचनी	–„ „–
5.	मुहेर तालाब	मुहेर	–„ „–
6.	घुरीताल तालाब	घुरीताल	–„ „–
7.	ढेंकी तालाब	ढेंकी	–„ „–
8.	भरूहा तालाब	भरूहा	–„ „–
9.	नवानगर तालाब	नवानगर	–„ „–
10.	बिलौजी भटवा तालाब	बिलौजी भटवा	–„ „–
11.	तेलाई तालाब	तेलाई	–„ „–
12.	चन्दावल तालाब	चन्दावल	–„ „–
13.	पचखोरा तालाब	पचखोरा	–„ „–
14.	इटवा तालाब	इटवा	–„ „–
15.	सरसवाह तालाब	सरसवाह	–„ „–
16.	घुरौली तालाब	घुरौली	–„ „–
17.	सिंगरौलिया तालाब	सिंगरौलिया	–„ „–
18.	माजन तालाब	माजन	–„ „–
19.	गनियारी तालाब	गनियारी	–„ „–
20.	करूआरी तालाब	करूआरी	–„ „–
21.	दसौती तालाब	दसौती	–„ „–
22.	दुधीचुआँ तालाब	दुधीचुआँ	–„ „–
23.	अमझर तालाब	अमझर	–„ „–

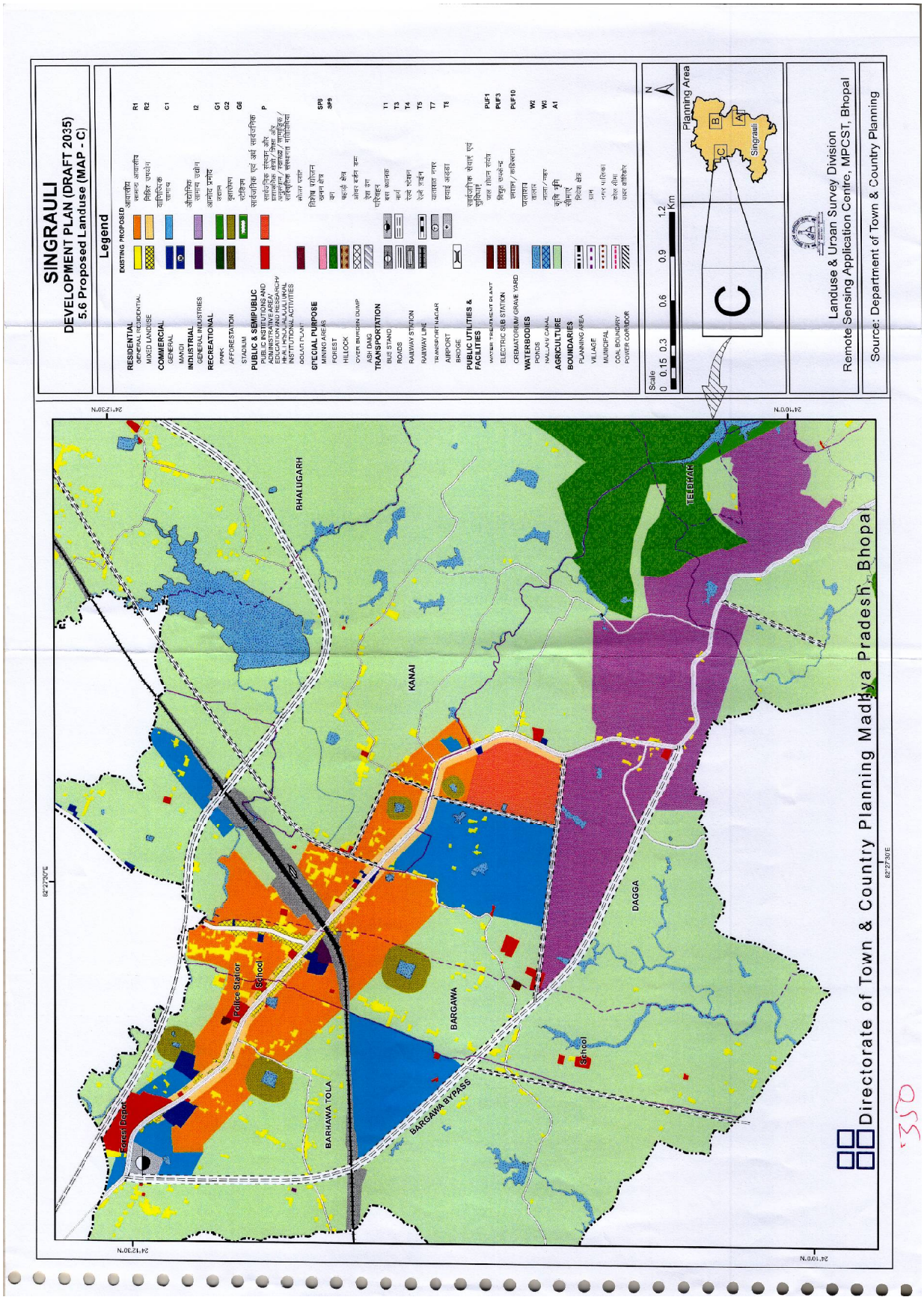
5.5.9.2 तरण–ताल

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बड़े तालाबों को तरण–ताल के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही ग्राम बलियारी में करौदी घाट, तथा गोविन्द वल्लभ पंत सागर का नौका विहार हेतु विकास किया जाना प्रस्तावित है।


SINGRAULI
DEVELOPMENT PLAN (DRAFT 2035)
5.3 Proposed Landuse
Legend
EXISTING PROPOSED
RESIDENTIAL
CENTRAL RESIDENTIAL
MIXED LANDUSE
COMMERCIAL
GENERAL
MANDI
INDUSTRIAL
GENERAL INDUSTRIES
RECREATIONAL
PARK
AFFORESTATION
STADIUM
PUBLIC & SEMIPUBLIC
PUBLIC INSTITUTIONS AND ADMINISTRATIVE AREA
EDUCATIONAL/RESEARCH/ HEALTH/SOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONAL ACTIVITIES
SOLAR PLANT
SPECIAL PURPOSE
MINING AREA
HILLOCK
OVER BURDEN DUMP
ASH DAG
TRANSPORTATION
BUS STAND
ROADS
RAILWAY STATION
RAILWAY LINE
TRANSPORT NAGAR
AIRPORT
BRIDGE
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES
WATER TREATMENT PLANT
ELECTRICISE STATION
CREMATORIUM/ GRAVE YARD
WATERBODIES
PONDS
NALLAH/ CANAL
AGRICULTURE
BOUNDARIES
PLANNING AREA
VILLAGE
NUNICIPAL
COAL BOUNDARY
POWER CORRIDOR
Scale
Km
District - Singrauli
Chitrangi
Dudhi
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Varanasi
To Shakti Nagar
To Bijpur
To Mahroor
To Mada
To Amiliya
To Sidhi
To Katni
To Chitrangi
GORVI RF
BUDHUCHUA RF
MUHER RF
MOHANAN RF
NH 135
NH 39
RIHAND RESERVOIR


SINGRAULI
DEVELOPMENT PLAN (DRAFT 2035)
5.4 Proposed Landuse (MAP - A)
Legend
EXISTING PROPOSED
RESIDENTIAL
GENERAL RESIDENTIAL
MIXED LANDUSE
COMMERCIAL
GENERAL
MANDI
INDUSTRIAL
GENERAL INDUSTRIES
RECREATIONAL
PARK
AFFORESTATION
STADIUM
PUBLIC & SEMIPUBLIC
ADMINISTRATIVE AND
ADMINISTRATIVE AREA
EDUCATION AND RESEARCH
HEALTH SOCIAL ACTIVITIES
INSTITUTIONAL
SOLAR PLANT
SPECIAL PURPOSE
MINING AREAS
FOREST
HILLOCK
OVER BURDEN DUMP
ASH DAS
TRANSPORTATION
BUS STAND
ROADS
RAILWAY STATION
RAILWAY LINE
TRANSPORT NAGAR
AIRPORT
BRIDGE
PUBLIC UTILITIES &
FACILITIES
WATER TREATMENT PLANT
ELECTRIC SUB STATION
CREMATORIUM / GRAVE YARD
WATERBODIES
PONDS
NALLAH / CANAL
AGRICULTURE
BOUNDARIES
PLANNING AREA
VILLAGE
MUNICIPAL
COAL BOUNDARY
Scale
0 0.5 1 2 3 4 Km
N
Planning Area
A
B
C
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MFCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
OVER BURDEN DUMP
348


SINGRAULI
DEVELOPMENT PLAN (DRAFT 2035)
5.5 Proposed Landuse (MAP - B)
Legend
EXISTING PROPOSED
RESIDENTIAL
GENERAL RESIDENTIAL
MIXED LANDUSE
COMMERCIAL
GENERAL
MANDI
INDUSTRIAL
GENERAL INDUSTRIES
RECREATIONAL
PARK
AFFORESTATION
STADIUM
PUBLIC & SEMIPUBLIC
PUBLIC INSTITUTIONS AND
ADMINISTRATIVE OFFICES
EDUCATION AND RESEARCH/
HEALTH/SOCIO-CULTURAL/
INSTITUTIONAL ACTIVITIES
SPECIAL PURPOSE
MINING AREAS
FOREST
HILLOCK
OPEN DUMPEN GROUND
ASH DAMS
TRANSPORTATION
BUS STAND
ROADS
RAILWAY STATION
RAILWAY LINE
TRANSPORT NAGAR
AIRPORT
BRIDGE
PUBLIC UTILITIES &
FACILITIES
WATER TREATMENT PLANT
ELECTRIC SUB STATION
CREMATORIUM/ GRAVE YARD
WATERBODIES
PONDS
NALLAH/ CANAL
AGRICULTURE
BOUNDARIES
PLANNING AREA
VILLAGE
MUNICIPAL
COAL BOUNDARY
POWER CORRIDOR
Scale
0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 Km
N
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
CHURKI
JHINGURDA
CGM Office
KHAIRWAR
PINDARTALI
KUSHWAHI
KHRWA
PAJREH
CHATRA
DUDHICHUWA
MEHOLI
School
Hospital
Guesthouse
24°12'30"N
24°10'0"N
82°42'30"E
82°40'0"E
349


SINGRAULI
DEVELOPMENT PLAN (DRAFT 2035)
5.6 Proposed Landuse (MAP - C)
Legend
EXISTING PROPOSED
RESIDENTIAL
GENERAL RESIDENTIAL
MIXED LANDUSE
COMMERCIAL
GENERAL
MANDI
INDUSTRIAL
GENERAL INDUSTRIES
RECREATIONAL
PARK
AFFORESTATION
STADIUM
PUBLIC & SEMIPUBLIC
PUBLIC INSTITUTIONS AND ADMINISTRATIVE AREA
EDUCATIONAL/RESEARCH/ HEALTH/CULTURAL/CIVIL INSTITUTIONAL ACTIVITIES
GOLAN PLANT
SPECIAL PURPOSE
MINING AREAS
FOREST
HILLOCK
OVER BURDEN DUMP
ASH DAM
TRANSPORTATION
BUS STAND
ROADS
RAILWAY STATION
RAILWAY LINE
TRANSPORT NAGAR
AIRPORT
BRIDGE
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES
WATER TREATMENT PLANT
ELECTRIC SUB STATION
CREMATORIUM/ GRAVE YARD
WATERBODIES
PONDS
NALLAH/ CANAL
AGRICULTURE
BOUNDARIES
PLANNING AREA
VILLAGE
MUNICIPAL
COAL BOUNDRY
POWER CORRIDOR
Scale
0 0.15 0.3 0.6 0.9 1.2 Km
N
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
RHALUGARH
KANAI
TELIHAR
DAGGA
BARGAWA
BARGAWA BYPASS
BARHAWA TOLA
Police Station
School
Forest Depot
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal

5.5.10 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों का अध्ययन करने पर पाया गया कि कोलाहल उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों के साथ–साथ माल उतारने–चढ़ाने की सुविधा से रहित भीड़–भाड़ एवं कार्यशीलता में अक्षमता वाले कुछ उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल से स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। साथ ही ऐसी गतिविधियाँ जो आस–पास के उपयोगों से भिन्न होने के कारण असंगत उपयोग के अंतर्गत आती हैं, उन्हें भी स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। असंगत भूमियों की पुनर्स्थापना का विवरण सारणी 5–सा–6 में दिया गया है।

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

सारणी 5–सा–6

क्र.	स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित गतिविधियाँ	वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित स्थान	रिक्त होने पर उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.
1.	फल–सब्ज़ी मण्डी बैढ़न	बस स्टैण्ड के पास बैढ़न	ग्राम तेलाई	फुटकर सब्ज़ी मण्डी
2.	सब्ज़ी तथा गल्ला मण्डी मोरबा	मध्य क्षेत्र मोरबा	ग्राम मेढौली	फुटकर सब्ज़ी मण्डी
3.	माँस एवं मछली दुकानें	न्यायालय के आगे विन्ध्यनगर रोड बैढ़न	ओद्यौगिक क्षेत्र मार्ग पर	सामान्य वाणिज्यिक
4.	माँस एवं मछली दुकानें	मस्जिद के पास सर्किट हाउस रोड मोरबा	एम.पी.ई.बी के पास मुख्य मार्ग पर	सामान्य वाणिज्यिक
5.	कृषि उपज मण्डी	बिलौजी मेन रोड बैढ़न	कृषि क्षेत्र	शासकीय कार्यालय
6.	पशु चिकित्सालय	रेस्ट हाउस के पास बैढ़न	कृषि क्षेत्र	शासकीय कार्यालय
7.	अयाज सॉ मिल एवं अन्य	मुख्य मार्ग बैढ़न एवं मोरबा तथा बरगवाँ	विकास योजना प्रस्तावानुसार	सामान्य वाणिज्यिक

5.6 अनौपचारिक वर्ग

रोजगार की तलाश में अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित बेरोज़गार सीमित रूप से रोज़गार से जुड़े कर्मी अनौपचारिक वर्ग का निर्माण करते हैं। यह वर्ग बहुत कम अधोसंरचना एवं नगरीय स्थल की अपेक्षा रखता है लेकिन नगर की आर्थिक गतिविधियों में इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस वर्ग के लोग प्रमुख कार्य केन्द्रों एवं बड़े आवास समूहों तथा औद्योगिक क्षेत्रों, कम्पनियों, खदानों के समीपस्थ क्षेत्रों में निवास करते हैं। अतः विकास योजना प्रस्ताव तैयार करते समय इस वर्ग के लिए क्षमता निर्माण एवं आर्थिक गतिविधियाँ समाहित करने की नीति अपनाई गई है। सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों, खण्ड स्तरीय दुकानों एवं सुलभ दुकानों का प्रावधान, सेवा संबंधी थोक व्यापार, माल लादने व उतारने के लिए प्रावधान, औद्योगिक क्षेत्रों, खदानों तथा कम्पनियों के समीपस्थ आवागमन एवं रहवास की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

अध्याय–6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

ये नियमन निम्न गतिविधियों पर लागू होंगे:

1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग शामिल है।
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
5. ऐसे क्षेत्र में, जो निवेष क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण/परिवर्तन एवं तोड़ना।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किए जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने में सक्षम हो।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी, प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी एवं यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि कोई विवाद/विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।
4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाए अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।
6. आस–पास विद्यमान/निर्मित एवं धारा–30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा–27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उपदर्शित नहीं हैं अथवा उपदर्शित हैं, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएगी।
7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो स्वीकार्य होगी।
9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है, तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जाएगा।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है, भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
11. ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिए आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी।
12. विकास अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाएगा।
13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएँ उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होंगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुए एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।
14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दी जाएगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
15. विकास योजना में नदी/नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक, एवं नालों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50(ख) में निहित प्रावधानों

के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।

16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी–झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों, आमोद–प्रमोद तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी–झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।

17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा /बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई–चौड़ाई नापी जाए, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाए। लंबाई–चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू–उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाए। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किया जाए, तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग–अलग विकास नियमन, परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जाएगा।

20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होगा। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग अधिमान्य होंगे।

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिए गए हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा, तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरों के आधार पर ही किया जाएगा।

23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किए जा सकेंगे।

24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।

6.3 परिभाषाएँ

1. उपयोग परिक्षेत्रः मुख्य भू–उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।
2. उपयोग परिसरः ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो, एवं जिसे की अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
3. अभिन्यासः उपविभाजित योजना जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार दिए हों।
4. भूमि उपयोग मानचित्रः सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र
5. परिक्षेत्रिक योजनाः निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।
6. नगरीय ग्रामः भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाए एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण आबादी
7. नगरीय विरासत का क्षेत्रः ऐसा परिसर जिसमें पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उराके आरापारा का परिसर सम्मिलित हो।
8. विकसित क्षेत्रः विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
9. एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकासः परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप–विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार/संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
10. मिश्रित उपयोगः इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी।
11. ऊँचे भवनों का विकासः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित।
12. फर्शी क्षेत्रानुपातः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
13. भवन की ऊँचाईः म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
14. संवेदनशील क्षेत्रः पारिस्थितिजन्य, पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र। इनके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

अन्य परिभाषायएँ व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

उपयोग परिक्षेत्रों में तत्संबंधी विभिन्न स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए उपयोग परिक्षेत्रों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार उपपरिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किए गए हैं। निर्धारित मुख्य भू–उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे, यथा आवासीय,

वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद–प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएँ, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6–सा–1 में दिया गया हैए एवं नगर की आवश्यकतानुसार उपयोग की गई श्रेणियों का विवरण सारणी 6–सा–2 में उल्लेखित है।

मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6–सा–1

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1.	2.	3.	4.
1.	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू–तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2.	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3.	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
4.	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्रीय उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू–दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ	(पी)
6.	विशेष प्रयोजन	पर्यटन प्रबंधन परिक्षेत्र	(एस पी 1)

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एरा पी 2)
		ड्राय पोर्ट या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		रोज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
		अन्य	(एस पी 10)
7.	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई अड्डा	(टी 8)
		मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)
8.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेंचिंग ग्राउण्ड्स	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल, अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें, पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएँ	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/ अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/श्मशान घाट	(पीयूएफ 10)
9.	जल निकाय	नदियाँ	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
10.	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

सिंगरौली निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को निम्न सारणी में दर्शाए अनुसार उपपरिक्षेत्रों में विभक्त कर प्रस्ताव दिए गए हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, उसका नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू–उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा।

सिंगरौली: मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6–सा–2

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
1.	2.	3.	4.
1.	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू–तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
2.	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3.	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
4.	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)
		क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्रीय उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू–दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील/ जलाशय के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ	(पी)

क्र.	भू–उपयोग परिक्षेत्र	भू–उपयोग उपपरिक्षेत्र	नाम पद्धति
6.	विशेष प्रयोजन	तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 1)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 2)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 3)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 4)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 5)
		अन्य	(एस पी 6)
7.	परिवहन	बस स्टैण्ड या टर्मिनस	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई पट्टी	(टी 8)
8.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ	जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आक्सीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेंचिंग ग्राउण्ड्स	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल, अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें, गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएँ	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/ अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/श्मशान घाट	(पीयूएफ 10)
9.	जल निकाय	नदियाँ	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
10.	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6–सा–3 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनाएँ, जल प्रदाय, जल–मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जाएगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू–तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित हैं, एवं सारणी में दर्शाए भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक हैं।
4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईज़र का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किए जाएँगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट–ञ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए।
6. मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

सिंगरौलीः आवासीय भूखण्ड विकास नियमन

सारणी 6–सा–3

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू–आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए.आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में)	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयाँ
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.25	3.0	0.0	0.0	0.0	6.0	9.5	2
2.	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6.0	9.5	2
3.	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	6.0	9.5	2
4.	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.25	3.0	1.5	0.0	0.0	7.5	9.5	2
5.	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6.	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.0	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7.	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8.	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9.	12.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10.	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11.	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12.	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13.	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14.	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

नोटः

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाए भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।
4. वे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शाई श्रेणियों के मध्य का है, उनको पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस., आच्छादन तथा एफ.ए.आर. के अनुसार, अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जाएगी, किन्तु भवन रेखा निर्धारित करने के पश्चात्।
5. सार्वजनिक उपयोगिताओं, सेवाओं एवं सुविधाओं के निर्धारण के उद्देश्य से घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जाएगा।

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयाँ मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो रिटल्ट फ्लोर की ऊँचाई, तथा ऐरो निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6–सा–4 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगाः

आवासीय विकास हेतु भू–खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6–सा–4

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रनुपात
1.	2.	3.
90 वर्गमीटर से कम	75%	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66%	1.00
180 वर्गमीटर से	60%	1.00

टीपः मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6–सा–5

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मी. में)	मार्ग की चौड़ाई (मी. में)	भवन रेखा (मी. में मार्ग के मध्य से)	अग्र कॉरीडोर	भू–आच्छादन	फर्शी क्षेत्रानुपात
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	6.0 X 9.0	54	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
2.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
3.	9.0 X 15.0	135	12 या अधिक	9.0	3.0	80	1.5
4.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
5.	12.0 X 18.0	216	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
6.	18.0 X 30.0	540	12 या अधिक	9.0	3.0	60	1.5
7.	30.0 X 33.0	990 से अधिक	12 या अधिक	9.0	3.0	40	1.5

टीपः

1. 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के अनुसार एफ.ए.आर. देय होगा।

   - 18 मीटर तक 1.75
   - 24 मीटर से अधिक 2.0

2. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी 6–सा–5 में दर्शाए गए क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांकों के मानक लागू होंगे।

3. अभिन्यास में पार्किंग हेतु प्रावधान एकीकृत रूप से समस्त भूखण्डों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग लॉटरूप में दिए जाने की स्थिति में प्रत्येक परिसर हेतु पार्किंग

की बाध्यता नहीं होगी। वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।

4. 12.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी।

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
12.0 मीटर	09.0 मीटर
18.0 मीटर	13.5 मीटर
24.0 मीटर	15.0 मीटर

5. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।
6. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6–सा–6 में वर्णित हैं।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6–सा–6

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1.	2.	3.
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत
4.	**मार्गों की चौड़ाई**	
	बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर
	दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिए न्यूनतम चौड़ाई	18 मीटर
	दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई	7.5 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी:

1. मार्गों की चौंड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
2. अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हों, तो आवासीय क्षेत्र, भू–तल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा।

3. प्रस्तावित फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित होगा।
4. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौंड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा।

1. 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू–खण्ड	100 प्रतिशत
2. 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू–खण्ड	80 प्रतिशत
3. फर्शी क्षेत्र अनुपात	1:1.50

टीपः

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी।
2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू–खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू–खण्ड का निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।

6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतम वाणिज्यिक गतिविधियाँ मार्गों पर संचालित हैं, अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है:

1. वाणिज्यिक मार्ग
2. वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6–सा–7 में दर्शाए गए हैं।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

सारणी 6–सा–7

क्र.	मार्ग का नाम	मार्गों की चौड़ाई (मीटर में)	एफ.ए.आर.
1.	2.	3.	4.
1.	बरहवा टोला से रेलवे क्रासिंग (बरगवाँ)	35	2.0
2.	परसौना तिराहा से माजन मोड़	40	2.0
3.	माजन मोड़ से ताली पुलिया	35	2.25
4.	ताली पुलिया से तहसील कार्यालय	30	2.50
5.	तहसील कार्यालय से अयाज सॉ मिल	18	2.50
6.	अयाज सॉ मिल से नवजीवन विहार मील	35	2.50
7.	पुराने पोस्ट ऑफिस से गनियारी चौक	18	2.50
8.	गनियारी चौक से बिलौजी मार्ग नाले तक	18	2.25
9.	माजन मोड से नवानगर	35	2.00
10.	सिंगरौली स्टेशन से शुक्ला मोड़ होकर सी.एम.डी. कार्यालय तक	35	2.25
11.	सर्किट हाउस मोरबा से मुख्य बाजार तक	18	2.25
12.	एम.पी.ई.बी. हॉस्पीटल से बस स्टैण्ड होकर एल.आई.जी. चौक तक	18	2.25

नोटः

1. भू–खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
2. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक–सह–आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग, प्रस्तावित मार्ग की चौंड़ाई से दो गुना या 30 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो स्वीकार्य होगा।

निर्मित क्षेत्र

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू–तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	66 प्रतिशत
200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है।

6.4.4.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किए जाने से है।
2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से अलग–अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आएगी, किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़ भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पड़ना भी संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

6.4.4.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिए भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।

6.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपक्षेत्र

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 6–सा–8 में दर्शाए गए हैं।

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन

सारणी 6–सा–8

क्र.	विवरण	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रानुपात
1.	2.	3.	4.
1.	महाविद्यालय	30 प्रतिशत	1.00
2.	उच्चतर माध्यमिक शाला	30 प्रतिशत	1.00
3.	प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
4.	पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25
5.	चिकित्सालय	30 प्रतिशत	1.00
6.	स्वास्थ्य केन्द्र	40 प्रतिशत	1.25
7.	पुलिस थाना	30 प्रतिशत	1.00
8.	अग्निशमन स्थल	30 प्रतिशत	1.00
9.	सामुदायिक भवन	30 प्रतिशत	1.00
10.	शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय	30 प्रतिशत	1.25

टीप: 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन गैरेज तथा सायकिल स्टैण्ड के लिए अनिवार्य होगा।

6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 के परिशिष्ट–ञ में दिए गए अनुसार होगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जाए।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट–छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6–सा–9 में दर्शाए गए हैं।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

सारणी 6–सा–9

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ. ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	**शैक्षणिक भवन**					
	1. नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	40 प्रतिशत	1.25	12.0	6.0	3.0
	2. प्राथमिक विद्यालय	33 प्रतिशत	1.25	12.0	7.5	3.5
	3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	30 प्रतिशत	1.00	18.0	12.0	5.0
	4. महाविद्यालय	25 प्रतिशत	1.00	24.0	15.0	6.0
2	**स्वास्थ्य**					
	हास्पिटल – 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल – 30 से 100 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	24.00	15.00	06.00
	हास्पिटल – 0 से 30 बिस्तर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नेचरोपेथी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	हेल्थ सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	नर्सिंग होम	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पालीक्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	18.00	12.00	04.50
	पेट क्लीनिक	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	ब्लड बैंक/पैथालाजी सेन्टर इत्यादि	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
	फिजियोथेरेपी सेन्टर	30 प्रतिशत	1.25	12.00	12.00	04.50
3	**जनउपयोगिता एवं सेवायें**					
	पुलिस चौकी	35 प्रतिशत	1.00	–	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे।
	पुलिस स्टेषन आवास गृह सहित	25 प्रतिशत	1.00	12.0		
	सामुदायिक भवन	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	उप अग्निषमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	अग्निषमन केन्द्र	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	डाक एवं तार	35 प्रतिशत	1.00	12.0		
	विद्युत सब स्टेषन	–	–	–		

क्र.	श्रेणी	अधिकतम निर्मित क्षेत्र	एफ. ए. आर.	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)	अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)	अन्य तीन ओर (मी. में)
1	2	3	4	5	6	7
4	धार्मिक भवन	30 प्रतिशत	1.00	12.0		
5	शासकीय/अर्द्ध–शासकीय कार्यालय	35 प्रतिशत	1.00	18.0		

नोट– उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं उनके भू–आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे। जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे। किंतु ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिये यह मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3) के अनुसार रहेगा जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

6.5.2 बहुविध बहुमंज़िली इकाई निर्माण

बहुविध बहुमंज़िली इकाई निर्माण म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 6–सा–10 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6–सा–10

क्र.	विवरण	मानक
1.	2.	3.
1.	फुटपाथ व्यापार	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
	वृत्त खण्ड केन्द्र	
	उपवृत्त खण्ड केन्द्र	
	सुलभ शॉपिंग	
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	**विद्यालय**	
	प्राथमिक	3 से 4 इकाई
	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक	5 से 6 इकाई
6.	**उद्यान**	
	नगर उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार
	स्थानीय उद्यान	2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक/रेल्वे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किए गए सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप: प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह–सेवा केन्द्र म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई–वाहन चार्जिंग/ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर के मानक

इस हेतु आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि के अंतर्गत स्थल का चयन किया जा सकेगा जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी– ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पार्टर्स, सुधार की दुकानें, रात्रि विश्राम गृह, बोर्डिंग/लॉजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टॉरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं आनुषंगिक गतिविधियाँ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं।

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक एवं मिश्रित भू उपयोग में मान्य होगी। खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू–आच्छादन, फर्शी क्षेत्रानुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा परिक्षेत्रिक योजना तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक परिक्षेत्रिक योजना लागू नहीं होगी तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/गेस्ट हाउस, लाजिंग/बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1 : 1.0
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	33 प्रतिशत
अधिकतम ऊँचाई	12.00 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र

1. सम्मुख 6.0 मीटर
2. अन्य तीन ओर 4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर, पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार।

6.5.10 मैरिज गार्डन

विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

6.5.11 बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मण्डपम/कम्युनिटी हाल

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल	500 वर्गमीटर
अधिकतम एफ.ए.आर.	1:0.5
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)	15 प्रतिशत
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग	25.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र

सम्मुख	6.0 मीटर
अन्य तीन ओर	4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण

- भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर।
- भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा।
- इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी।

टीप: शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी।

6.5.12 शीतकेन्द्र/वेयर हाउस /गोदाम/अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे।

1. भू–खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल– 1000 वर्गमीटर
2. अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात– 1:0.40
3. अधिकतम निर्मित क्षेत्र– 40 प्रतिशत
4. भू–खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई– 12.0 मीटर
5. सीमांत खुला क्षेत्र – 6.0 मीटर

6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53(3) के प्रावधान लागू होंगे।

6.5.14 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे। मल्टीप्लेक्स आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू–उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो।

6.5.15 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद–प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषंगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

6.5.16 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं:

1. नदी, नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला खुला क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।

2. नहर की स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों से दोनों ओर 3.0–3.0 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
3. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा।
4. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को भवन निर्माण पश्चात् ग्रिडल मल लाईन से जोड़ना अनिवार्य होगा।
5. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
6. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
7. निम्न श्रेणी के संवदेनशील क्षेत्रों में रख–रखाव से संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र:

- नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
- प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी।
- समय–समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।

8. पुरातात्विक महत्व के स्मारकों से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र खुला रखा जायेगा।

6.5.17 अन्य सुविधाएँ

सिंगरौली निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

6.6 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसरों का वर्णन सारणी 6–सा–11 में दिया गया है।

उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग

सारणी 6–सा–11

S. no.	Activity	Residential	Commercial		Industrial	Recreational	Agriculture		Transport	Public & Semi Public	Public Utilities and Facilities		
		R1	C2	C6	I2	G1	A1	A2	T7	P	PUF1	PUF3	PUF4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Apartment housing	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP
2	Residential Plot/Plotted Housing	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP
3	Group Housing/Row Housing/Cluster Housing	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP
4	Reidential Dweling units	P	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP
5	Children Home	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	p	NP	NP	NP
6	Old age Home	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	p	NP	NP	NP
7	Beauty Parlours	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
8	Gymnasium	P	P	NP	NP	C	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
9	Open/Play ground	P	P	NP	P	P	P	P	P	P	NP	NP	NP
10	Hotels	P	P	NP	P	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

11	Whole sale market	NP	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
12	C & F Agencies	NP	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
13	F.M.C.G. Go downs	NP	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
14	Pharmaceutical Market, Chemical Market	NP	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
15	Paper Stationary/ Book market	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
16	Automobile and Spare part market	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
17	Fire works Market	NP	NP	NP	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP
18	Gold, Silver Market/ Crockery market	NP	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
19	Retail Shops	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
20	Repair/Service Shop	C	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
21	Weekly Market/Hat bazar	C	P	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP
22	Restaurant/ Café taria	C	P	NP	C	C	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP
23	Conference Hall / Convention Centre/Community Centre	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
24	Shopping Mails	C	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
25	Super Market/ Departmental Stores	C	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
26	Call Centres	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
27	BanK /ATM	C	P	NP	P	NP	P	NP	P	P	NP	NP	NP

28	Cinema	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP
29	MultiFlex	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP
30	Fuel Filling Station / Fuel Filling cum Service Station / Battery Swapping Station	C	P	NP	P	P	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP
31	Auto Service Station	C	P	NP	P	NP	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP
32	Vocational Trg. Institute/ Management Institute	C	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
33	Coaching Institute	C	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
34	Baarat Ghar / Mangalik Bhawan / Marriage Garden	P	P	NP	NP	NP	C	C	NP	P	NP	NP	NP	NP
35	Ware housing/ Storage other than Agricultral Products	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
36	Depot for inflammable substance	NP	NP	NP	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
37	Cold storage/ Agriculture based product storage	NP	NP	NP	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
38	Milk Chilling Plant/Dairy Plant	NP	NP	NP	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
39	Junk Yard	NP	NP	NP	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
40	Petroleum Product Depot	NP	NP	NP	P	NP	C	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP
41	Gas Godown	NP	NP	NP	P	NP	C	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP
42	Coal Yard/ fuel Yard/ Steel Yard	NP	NP	NP	P	NP	C	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP
43	Building Material/ (Brick, sand, and Gitti market) Yard	NP	NP	NP	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
44	Timber Market	NP	NP	NP	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP

45	E-Chaupal	NP	NP	NP	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
46	Agro Based ndustry	NP	NP	NP	P	NP	C	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP
47	Cbnoxious /Hazardous Industry	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
48	I. T Industry	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
49	Stone Crusher/ Mining & Quary	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
50	Hostels/Working Women hostel	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
51	Juvenile Correction Home	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
52	Rest house	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
53	Lodging houses	P	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
54	Guest house	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
55	Night Shelter	P	P	NP	C	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP	NP
56	Dharmashala	P	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
57	E ectric Charging Station	P	P	P	P	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
58	University	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
59	Law College/management collage/other professional college/ sport/ Training Insititute/ Hotel management Insititute/Physical Training Centre	C	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
60	Pre Primary School/ Nursery School Primary School	P	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
61	Secondary School/ Senior Sec. School	P	P	NP	C	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP	NP

62	Hospital 100+	P	P	NP	C	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
63	Hospital 30-100	C	P	NP	C	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
64	Hospital 0-30	C	P	NP	C	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
65	Naturapathy Centre	C	P	NP	NP	C	C	C	NP	P	NP	NP	NP
66	Health Centre	C	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
67	Nursing Home / Maternity Home	C	P	NP	C	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP
68	Poly Clinic / Clinic / Dispensary	C	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
69	Pet Clinic	P	NP	NP	C	NP	P	P	NP	P	NP	NP	NP
70	Blood/ Plasma bank/ Semen bank/ Pathology Centres/Clinical Laboratory	C	P	NP	P	NP	NP	NF	NP	P	NP	NP	NP
71	Physiotherapy Centres	C	P	NF	NP	NP	VP	NP	NP	P	NP	NP	NP
72	Govt. And Semi Govt. Offices	C	P	NP	P	C	C	C	NP	P	P	P	P
73	Professional Offices/ Chambers	C	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
74	Jail	NP	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	P	NP	NP	NP
75	Police Station/ Chowki	P	P	NP	P	P	P	P	P	P	P	P	P
76	Post Offices	P	P	NP	P	NP	P	NP	NP	P	NP	NP	NP
77	Radio/ TV Station	C	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
78	Museum/ Art Gallery	P	P	NP	P	C	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP

79	Community Centre	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
80	Library	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
81	Science Centres	P	P	NP	P	C	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
82	Exhibition Centre	P	P	NP	P	C	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
83	Bus Stop/ Pick up Station	P	P	NP	P	P	P	NP	P	P	P	P	P	NP	NP
84	Parking Lots	P	P	NP	P	P	P	NP	P	P	P	P	P	NP	NP
85	Cargo/ container yard	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
86	Swimming pool	P	P	NP	P	C	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
87	Club/ Resort	P	P	NP	NP	C	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
88	Golf Course	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
89	Water Park/ Amusement Park	P	P	NP	NP	C	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
90	Zoo	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
91	Horse Riding school	NP	NP	NP	NP	C	C	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
92	Velodrome/ Stadium	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
93	Motels	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
94	Apiary	NP	NP	NP	NP	C	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
95	Floriculture	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

96	Nursery	P	P	NP	P	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP
97	Telephone Exchanges	P	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	NP
98	Wire less Stations	P	P	NP	P	P	P	NP	P	NP	P	NP	P
99	Fire Station	P	P	NP	P	P	P	NP	P	NP	P	NP	P
100	Telecom Tower & Station	P	P	NP	P	P	P	NP	P	NP	P	NP	P
101	Waste water Treatment Plant	P	P	NP	P	C	P	NP	NP	NP	P	NP	P
102	Sewage Treatment Plant	C	P	NP	P	P	P	NP	P	NP	P	NP	P
103	Water storage Tanks & Pumping Station	P	P	NP	P	P	P	NP	P	NP	P	NP	P
104	Sewage Pumping station	P	P	NP	P	C	P	NP	NP	NP	P	NP	P
105	Water Treatment Plant	P	P	NP	P	C	P	NP	NP	NP	P	NP	P
106	Slaughter house	NP	NP	NP	P	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	P
107	Cremation / burial ground /Cemetery/ Electri Crematorium	NP	NP	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	P	P	P
108	Electric Sub-Station	P	P	NP	P	P	P	P	P	P	NP	P	P
109	Non polluting Industry	P	NP	NP	P	NP	P	P	P	P	NP	NP	P
110	Agricultural Tourist Facilities	NP	NP	NP	NP	NP	P	P	P	NP	NP	NP	P
111	Religious Premises / Building.	P	P	NP	C	NP	P	P	NP	P	NP	NP	NP
112	Social welfare Centre	P	P	NP	NP	NP	C	C	NP	P	NP	NP	NP

113	Music/Dance/Drama Trainning Centre	P	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
114	Club House	P	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
115	Flour Mill	P	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
116	Convenient shopping	P	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
117	Loca shopping Centre	P	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
118	Crecne, cay care centre	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
119	Open air theatre Cultura & information Centre	P	P	P	P	NP	P	P	P	P	P	P	P	P
120	Orphanage, yoga centre, meditation, Spiritual Centre	P	P	NP	NP	NP	C	C	NP	P	NP	NP	NP	NP
121	SEZ,SEDZ	P	P	P	P	NP	P	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
122	Dairy product market	NP	P	P	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
123	Printing press	NP	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
124	private sector business establishment attached to ind. Unit	NP	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
125	flatted factories	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
126	Motor garage&workshop	NP	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
127	Storage/Godown													
	a) Noniflammable	NP	P	NP	P	NP	P	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
	b) Inflammable	NP	NP	NP	P	NP	P	P	P	P	NP	NP	NP	NP

128	Fuel storage Extensive, specific extractive industry	NP	NP	NP	P	VP	P	P	NP	NP	NP	NP	NP
129	cargo booking office	NP	P	P	P	NP	NP	NP	P	P	NP	NP	NP
130	working women Hostel/lodging & boarding	P	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
131	Hospital	P	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
132	Veterinary Hospital	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	P	NP	NP	NP
133	Geriatric Centre	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
134	Academic college	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
135	medical/Engineering college	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
136	polytechnic	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
137	Higher secondary school	P	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	P	NP	NP	NP
138	computer training centre	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
139	Nursing & Paramedical Institute	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
140	veterinary institute	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
141	school for Specially abled Person	P	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	P	NP	NP	NP
142	integrated residential school	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
143	Social & cultural institute	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
144	industrial training Institute	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP

145	Sport training Institute	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
146	research and development centre	P	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
147	Music dance and drama centre	P	P	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
148	Motor driving training centre	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
149	voluntary Health service	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP
150	Telecommunication centre	P	P	NP	P	P	NP	P	P	NP	NP	NP	P
151	Observatroy & weather office	P	P	NP	P	P	P	NP	P	NP	NP	NP	P
152	Shooting range	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	C	NP	NP	NP
153	Forensic science lab	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP
154	Fire station	P	P	NP	P	NP	P	NP	NP	P	NP	NP	P
155	Social welfare centre	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
156	Brick Kiln, refectories	NP	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
157	Agriculture operation (not based on use of chemical fertilizers)	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
158	Stud farm	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
159	Poultry/dairy/piggery farm	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
160	Forest house	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
161	Non poluted industries	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

162	Agro based Tourism	NP	NP	NP	NP	NP	p	NP	NP	NP	NP	NP	NP
163	Recreational Club	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
164	Indoor/Out door stadium	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
165	Sports complex	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
166	Regional park/city level park	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
167	Orchard/nursery	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP
168	Zoological garden/park playground, stadium &	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
169	Sports complex	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

T-1 Bus Stand: .

कुल भूमि का 30 प्रतिशत क्षेत्रफल बस स्टैण्ड से संबंधित वाणिज्यिक एवं प्राशासनिक उपयोग के लिये मान्य होगा। शेष 70 प्रतिशत भूमि केवल बस पार्किंग हेतु उपयोग में लानी होगी।

Mixed: .

मिश्रित भूमि उपयोग में आवासीय, वाणिज्यक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग के अंतगर्त स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी।

नोटः

1. P: स्वीकार्य गतिविधि
2. C: ये गतिविधियाँ इस अध्याय में दिए गए नियमनों के अध्याधीन स्वीकार्य हो सकेंगी तथा गुण–दोष के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्वीकार्य की जा सकेंगी।
3. NP: अस्वीकार्य गतिविधि

4. उपरोक्त सारणी में जो गतिविधियां सम्मिलित नहीं है, उन गतिविधियों के लिए स्वीकार्यता एवं नियमन उनके समकक्ष गतिविधियों के अनुरूप होंगे।
5. आमोद–प्रमोद भूमि उपयोग के अंतर्गत जिन गतिविधियों को C से दर्शाया गया है, इन गतिविधियों के मापदण्ड आमोद–प्रमोद के पैरा में दिए मापदण्ड ही लागू होंगे।

व्याख्याः

1. सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्य–प्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाएँ।
2. गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है मध्य–प्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
3. कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य–प्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के निमय 17(क) में वर्णित अनुसार।

टीपः उपरोक्त व्याख्या 1 एवं 2 के भू–खण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर हो

अध्याय–7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रगामशील करने हेतु सार्थक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा। यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य, चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः सिंगरौली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम सिंगरौली, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं आधोसंरचना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य को विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की प्रगामरथा तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं। वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 624363.02 लाख का व्यय अनुमानित है। इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 9327.43 हेक्टेयर भूमि, आवास हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय, नए मार्गों का निर्माण, आदि शामिल हैं। भूमि अर्जन की औसत दर रुपये 50.00 लाख प्रति हेक्टर मानी गई है। जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है, यह भूमि उपयोग के अनुसार अलग अलग माना गया है। सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7–सा–1 में दर्शाया गया है। क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी।

सिंगरौली: योजना क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7–सा–1

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)		भू–अर्जन लागत (रू. 60 लाख प्रति है. की दर से)	कुल उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास			कुल लागत (रू. लाख में)
		विकास हेतु उपलब्ध भूमि	भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र		क्षेत्र है. में	विकास दर प्रति है. (रू. लाख में)	लागत (रू. लाख में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	आवासीय	4518.99	45.50	2275.00	2771.39	90.00	24-1025.20	246300.20
2.	वाणिज्यिक	461.61	260.00	13000.00	288.96	120.00	34675.68	47675.68
3.	औद्योगिक	600.11	760.00	37600.00	360.26	120.00	43299.52	80799.52
4.	मिश्रित	103.19	302.00	15100.00	242.09	90.00	21788.19	36888.19
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	640.39	250.00	12500.00	321.23	90.00	29180.77	41680.77
6.	सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएँ	3.57	3.57	178.50	2.14	90.00	192.59	370.90
7.	आमोद प्रमोद	2241.54	904.49	45224.50	1344.92	55.00	73970.61	119195.31
8.	यातायात एवं परिवहन	537.46	450.00	22500.00	322.47	90.00	29022.26	51522.26
	कुल क्षेत्र	9327.43	2965.56	148277.82	5596.46	–	476086.20	624363.02

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है। निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ती हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी:

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्द्धन भू–रूपरूप।
2. भूमि का कुशलतम उपयोग।
3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संधारण।
4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव।
5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है:

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं रोधा सम्बन्धी कार्यक्रम।
2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू–उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इसकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू–स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबन्धित हैं। अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण, इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है।

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है।

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल–मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू–उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में "रूट पः क्षेत्र" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्त्रोतों को जल फैलाव क्षेत्रों से प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय विषयों के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा–

1. संस्था का गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
3. भौतिक एवं सिविल आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं सार्वजनिक योजनाओं के स्थान तथा रूपांकन में आवश्यकतानुसार सशर्त भूमि उपयोग।
4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का सुनियोजित प्रावधान।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व:

1. नियंत्रित विकास
2. अधोसंरचना शुल्क बैंक का गठन
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण
5. सशर्त विकास अनुज्ञा हेतु मार्ग उपलब्ध कराना।

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा। यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु जवाबदायी होगी।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में शामिलित भूमि में से आनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाग राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा।

वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर स्तरीय तंत्र तथा मुख्य सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी।

इस हेतु सशक्त तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जावेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के खण्डों की पहचान।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए कार्यसाध्य विषय सूची की पहचान।
3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण।

4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना।
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों।
6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय/एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुनर्भाषित किया जाए। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय–6 में विकास नियमन दिए गए हैं।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 3 चरणों में प्रावधान हैं। प्रथम चरण वर्ष 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु, द्वितीय चरण 2026 से 2030 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा तृतीय चरण 2031 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है।
3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगा:
   1. भूमि प्रबंधन सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
   2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूप दे सके।
   3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना।
   4. योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं संभाव्य स्त्रोतों का विकास।
   5. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास।

6. भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए।
7. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है। ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके।
8. मुख्य आय स्त्रोतों की वृद्धि एवं कर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना।

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं-

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
2. उपलब्ध व्यवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध करना।
4. अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का सन्निवेशन।
5. भू स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7–सा–2

क्र.	विकास के घटक	क्षेत्रफल हे.	प्रस्तावित स्थल
1.	2.	3.	4.
1.	आवासीय	15.11	ग्राम परसौना में प्रस्तावित मार्ग से लगकर
2.	वाणिज्यिक	88.62	ग्राम परसौना, गोगड़, बरहवा टोला में प्रस्तावित मार्ग से लगकर प्रस्तावित
3.	औद्योगिक	249.79	गनियारी औद्योगिक क्षेत्र से लगकर, ग्राम डगा एवं गढ़रिया में प्रस्तावित
3.	मिश्रित	100.43	ग्राम बरहवा टोला, देवरी, परसौना, जिन्हर, गनियारी, एवं बनियारी में प्रस्तावित मार्ग से लगकर प्रस्तावित
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	65.81	कलेक्ट्रेट परिसर एवं उससे संलग्न क्षेत्र, ग्राम डगा, पचौर, गाजन खुर्द, बिलौजी होलियाना, जैसरा एवं हिरवा में प्रस्तावित
5.	आमोद प्रमोद	303.88	प्रस्तावित रतलिंगन, ग्राम गनियारी, आदि में
6.	यातायात	140.00	प्रस्तावित बैरुन एवं बरगवाँ बायपास, व अन्य

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7 सा 2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है।

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत आदि होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संशाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा। विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 989.64 हेक्टेयर शुद्ध अभिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 208177.07 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7–सा–3 में दिया गया है।

सिंगरौली: प्रथम चरण लागत

सारणी 7–सा–3

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	भू-अर्जन हेतु भौतिक लक्ष्य (है. में)	भू-अर्जन की लागत (रू. 50.0 लाख प्रति है. के मान से)	विकास हेतु उपलब्ध भूमि का 20 प्रतिशत			कुल लागत (रू. लाख में)
				क्षेत्र है. में	विकास दर प्रति है. (रू. लाख में)	लागत (रू. लाख में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आवासीय	15.11	755.50	803.80	90.00	81341.76	82097.26
2.	वाणिज्यिक	86.62	4331.00	96.32	120.00	11553.56	15884.56
3.	औद्योगिक	249.79	12489.50	120.08	120.00	14403.37	26892.87
4.	निश्चित	100.43	5021.50	80.70	90.00	7262.73	12284.23
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	85.81	4290.50	108.06	90.00	9726.92	14017.42
6.	सार्वजनिक सेवाएँ सुविधाएँ			0.71	90.00	64.19	64.19
7.	आमोद प्रमोद	313.88	15694.00	449.31	55.00	24656.94	39850.94
8.	यातायात एवं परिवहन	118.00	7400.00	107.49	90.00	9674.09	17074.09
	कुल क्षेत्र	989.64	49482.00	1965.49	–	153695.07	208177.07

7.8 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग–अलग प्रयास नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है।

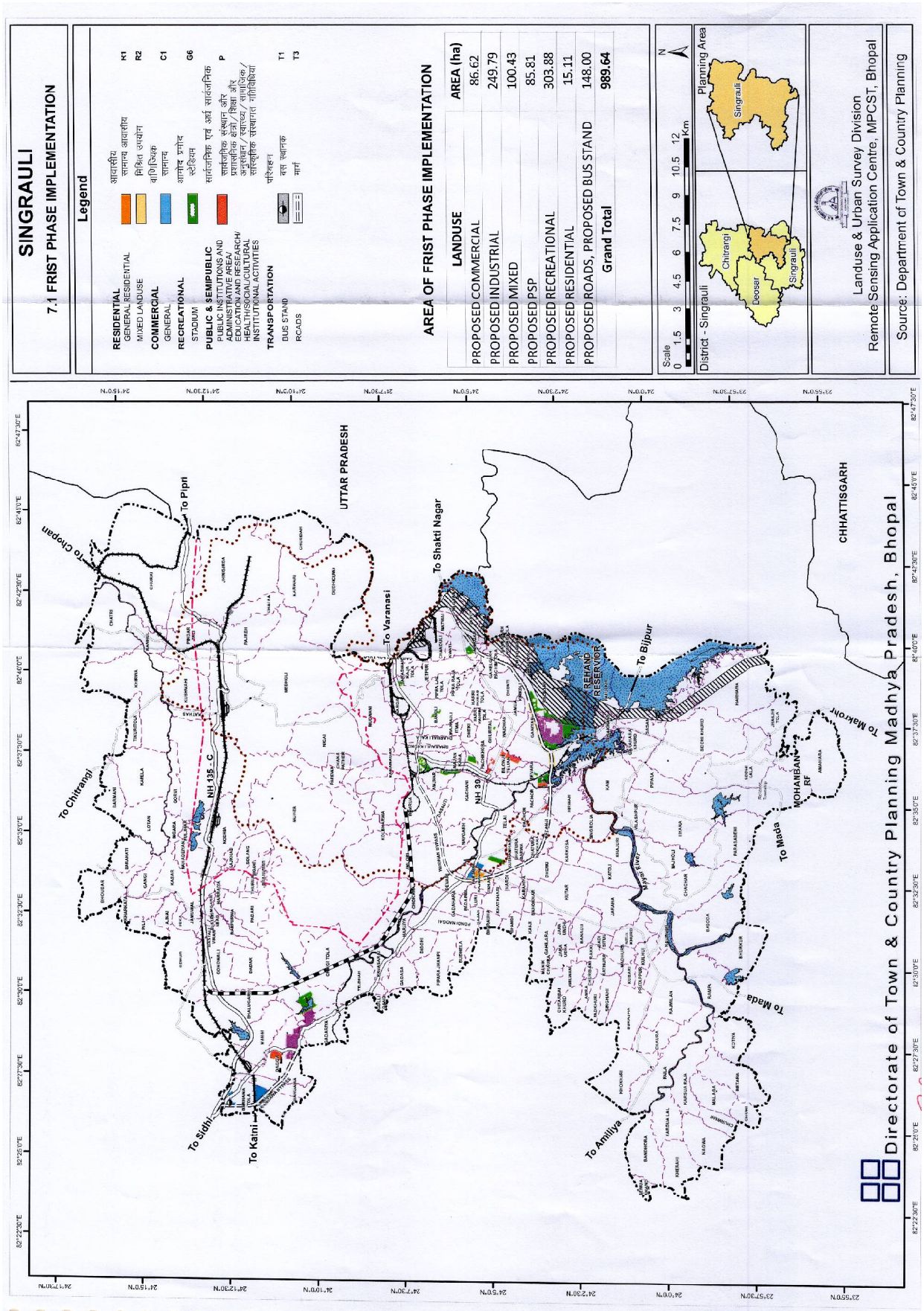
वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिह्नित किये गये विकास में रागी राशियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संयोजित करने में सहयोग प्रदान करेगी।

7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना।
2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण।
3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के सापेक्ष निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अभिसंरचना विकास में निवेश निर्धारण।
5. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण।
6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की सूचिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिपरिभित करना।
9. योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
    1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
    2. सिंगरौली विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना।
    3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन।
    4. राशियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
    5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, कार्यान्वयन में क्रियान्वयन, तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत है।


SINGRAULI
7.1 FRIST PHASE IMPLEMENTATION
Legend
RESIDENTIAL
GENERAL RESIDENTIAL
आवासीय
K1
MIXED LANDUSE
सामान्य आवासीय
मिश्रित उपयोग
R2
COMMERCIAL
GENERAL
वाणिज्यिक
सामान्य
C1
RECREATIONAL
STADIUM
मनोरंजन
स्टेडियम
G6
PUBLIC & SEMIPUBLIC
PUBLIC INSTITUTIONS AND ADMINISTRATIVE REA
EDUCATIONAL/RESEARCH/ HEALTH/SOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONAL ACTIVITIES
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/ सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां
P
TRANSPORTATION
परिवहन
BUS STAND
बस स्थानक
T1
ROADS
मार्ग
T3
AREA OF FRIST PHASE IMPLEMENTATION
LANDUSE
AREA (ha)
PROPOSED COMMERCIAL 86.62
PROPOSED INDUSTRIAL 249.79
PROPOSED MIXED 100.43
PROPOSED PSP 85.81
PROPOSED RECREATIONAL 303.88
PROPOSED RESIDENTIAL 15.11
PROPOSED ROADS, PROPOSED BUS STAND 148.00
Grand Total 989.64
Scale
0 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 Km
N
District - Singrauli
Chitrangi
Deosar
Singrauli
Planning Area
Singrauli
Landuse & Urban Survey Division
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal
Source: Department of Town & Country Planning
Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh, Bhopal
UTTAR PRADESH
CHHATTISGARH
To Pipri
To Chopan
To Shakti Nagar
To Varanasi
To Bijpur
To Markoni
To Mada
To Amiliya
To Sidhi
To Kani
To Chitrangi
NH 135_C
NH 39
REHAND RESERVOIR
MOHANBANI RF

7.9.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व सिंगरौली विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम सिंगरौली का होगा। अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगी। अतः क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक एफ–3/45/32/2010 दिनांक 15.04.2010 द्वारा जिलाध्यक्ष सिंगरौली की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

7.9.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण/नगर पालिक निगम द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.10 योजना की व्याख्या

सिंगरौली विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ–साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6–सा–11 विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू–उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत/स्वीकार्य भू–उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है। स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जाएगा।
5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है।

अनुसूची

परिभाषाएँ

001 आवासीय भू–खण्ड भू–खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।

002 आवासीय भू–खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों

003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।

004 आवासीय–सह–कार्य भू–खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।

005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।

006 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।

009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।

010 रैन–बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

012 मरम्मत दुकान

गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

013 व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से रांबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय–विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।

024 वाणिज्यिक कार्यालय

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।

029 रेस्टॉरेंट/उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।

031 मोटल

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।

034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद–प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू–दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर,इसमें भूदृश्यीकरण ,वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

043 आमोद–प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।

048 पिकनिक हट/केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद–प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण केलिए किया जाता हो।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयेाग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयेाग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख–रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।

3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।

4. सेप्टिक टेंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।

5. जल–मल पंपिग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल–मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपेंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।

6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।

7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।

8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्ढों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।

9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर–व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

068 क्लीनिक/चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

071 झूलाघर एवं दिवस देख–रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।

079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण–सह–कार्य केन्द्र शामिल हैं।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा–सह–उद्यान की सुविधा हो

089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक– सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर–वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।

100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

120 सुअर पालन

सूअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सूअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद–प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, पार्किंग गॉल सम्बंधी परिसर।

परिशिष्ट–एक

मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1997

क्रमांक–एफ–3–123–बत्तीस–97–मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्यश्शासन, एतद् द्वारा, सिंगरौली निवेश क्षेत्र का गठन करता हैं, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं।

अनुसूची

सिंगरौली : निवेश क्षेत्र की सीमॉए

उत्तर – बरहवॉ टोला, बरगवॉ, डगा, कन्हई, भलुगढ, गोंदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, भोडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करैला, टिकुरी टोला, चतरी, एवं ग्राम चुरकी की उत्तर सीमा तक ।

पूर्व – चुर्की, झिंगुरदह, चुरीदेह, करुआरी, दुद्धीचुऑ, सरसवाहलाल, सरसवाह राजा, चुदुली, मटवई, मटवई व तेलगवॉ, जवांडी, जयनगर, गहिलगढ पश्चिम, चन्दावल, सेमरिया, खजूरी, एवं ग्राम बलियारी की पूर्वी सीमा तक।

दक्षिण – ग्राम बलियारी, गनियारी, हिरवाह, सिंगरौलिया, खजुरी, एवं ग्राम कटौली की दक्षिणी सीमा तक।

पश्चिम – ग्राम कटौली, करकोसा, बिलौजी, गदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवॉ एवं ग्राम बरहवॉ टोला की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा अदेशानुसार

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 19 मई 2000

कार्यालय संयुक्त संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय

रीवा (म.प्र.)

अधिसूचना

क्रं0 700 वि.यो/नग्रानि/2002– मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में सिंगरौली निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 424/वि. यो./2000, दिनांक 25 मार्च 2000 द्वारा किया गया था।

अब एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन सिंगरौली निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमन भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से दिनांक 19 मई 2000 को अंगीकृत किया जाता हैं। तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में इस सूचना को (मध्यप्रदेश राजपत्र) में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही हैं, जो इस बात का साक्ष्य होगी कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया हैं।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक 19 मई से 02 जून 2000 तक जिलाध्यक्ष कार्यालय, सीधी नगर पालिक निगम सिंगरौली (बैंढन) के सभा भवन सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कैम्प कार्यालय सीधी एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा के कार्यालयों से कार्यकारी दिवसों में कार्यालयीन समय में सर्व साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगी।

एस./डी.
संयुक्त संचालक
(आर.के. मुदलियार)

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 06 मार्च 2009

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2009

क्रमांक–एफ–3–6–2009–बत्तीस–मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उप खण्ड (क) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–3–123– बत्तीस–97, दिनांक 5 दिसम्बर 1997 द्वारा गठिति सिंगरौली निवेश क्षेत्र की सीमा में वृद्धि करते हुये वृद्धित निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करता हैं :–

अनुसूची

सिंगरौली : निवेश क्षेत्र की संशेधित सीमॉए

उत्तर में– बरहवॉ टोला, बरगवॉ, डगा, कन्हई, भलुगढ, गोंदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, भोडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करैला, टिकुरी टोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तरी सीमा तक।

पूर्व में– चुर्की, पिण्डरताली, तनाजाह, झिंगुरदह, चुरीदेह, करुआरी, मेंढौली, दुद्धीचुऑ, सरसवाह लाल, सरसवाह राजा, चन्दुली, मटवई, तेलगवॉ, जुवांडी, जयनगर, गहिलगढ पश्चिम, गहिलगढपूर्व, चन्दावल, सेमरिया, बलियार पतुलखी, शासन हर्रहवा, की पूर्वी सीमा तक।

दक्षिण में– हर्रहवा, अमरहा, झाली टोला, तियरा, परसदेही, चाचर, बसौंडा, भुडकुड, रम्पा, कोटिया, बेतरिया, धूनी, की दक्षिणी सीमा तक।

पश्चिम में– धूनी, नगवॉ, खैराही, सेमुआ, बन्धौरा, रैला, करसुआ लाल, खोखरी, चितरवई खुर्द, अमिलवान, गहिलरा, मानिकचौरा, कांजी टोला, भांडी, बरौहा, कांजन, बंधेला, पिपराझॉपी, गदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवॉ एवं ग्राम बरहवॉ टोला की पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा अदेशानुसार

वर्षा नावेलकर

उप सचिव,

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 02 दिसम्बर 2011

कार्यालय संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,जिला कार्यालय, रीवा (म.प्र.)
अधिसूचना

रीवा, दिनांक 18 नवम्बर 2011

क्र. 1699 वि.यो/नग्रानि/रीवा/2011– एतद् द्वारा सिंगरौली वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिये भूमि उपयोग के वर्तमान भू उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा – 15(4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन हेतु भेजी जा रही हैं, जो इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा की वृद्धित निवेश क्षेत्र का मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया हैं।

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक– एफ–रु–6–2009– बत्तीस – 04 फरवरी 2009 सिंगरौली निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी :–

उत्तर में – बरहवॉ टोला, बरगवॉ, डगा, कन्हई, भलुगढ, गोंदवाली, सेमुआर, अंजनी, पाली, खरकटा, भोडार, बरहटी, लोटान, बरमानी, करैला, टिकुरी टोला, चतरी एवं ग्राम चुरकी की उत्तरी सीमा तक।

पूर्व में – चुर्की, पिण्डरताली, तनाजाह, झिंगुरदह, चुरीदेह, करुआरी, मेंढौली, दुद्धीचुऑ, सरसवाह लाल, सरसवाह राजा, चन्दुली, मटवई, तेलगवॉ, जुवांडी, जयनगर, गहिलगढ पश्चिम, गहिलगढपूर्व, चन्दावल, सेमरिया, बलियार पतुलखी, शासन हर्रहवा, की पूर्वी सीमा तक।

दक्षिण में – हर्रहवा, अमरहा, झाली टोला, तियरा, परसदेही, चाचर, बसौंडा, भुडकुड, रम्पा, कोटिया, बेतरिया, धूनी, की दक्षिणी सीमा तक।

पश्चिम में – धूनी, नगवॉ, खैराही, सेमुआ, बन्धौरा, रैला, करसुआ लाल, खोखरी, चितरवई खुर्द, अमिलवान, गहिलरा, मानिकचौरा, कांजी टोला, भांडी, बरौहा, कांजन, बंधेला, पिपराझॉपी, गदसा, गुल्लीडांड, गडेरिया, डगा, बरगवॉ एवं ग्राम बरहवॉ टोला की पश्चिमी सीमा तक।

उक्त अंगीकृत मानचित्र एक सप्ताह तक निरीक्षण के लिये निम्न स्थानों पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु खुला रहेगां :–

1. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेशजिला कार्यालय रीवा (म.प्र.)
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, सिंगरौली (बैंढन) जिला सिंगरौली (म.प्र.)

सही/–
संयुक्त संचालक
(जे.पी. सिंह)

परिशिष्ट–दो

(नियम 14 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 या 29(1) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप

प्रति,

.....

.....

.....

महोदय,

मैं नगर ..... तहसील ..... जिला ..... के कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार ..... ग्राम ..... में स्थित खसरा क्रमांक ..... भू–खण्ड क्रमांक ..... क्षेत्र ..... हेक्टर/वर्ग मीटर ..... (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा ..... वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ –

1. मुख्य रेखांक (नियम 16(3) अनुसार) : .....
2. स्थल रेखांक (नियम 16(4) अनुसार) : .....
3. उपविभाग/अभिन्यास योजना (नियम 16(5) अनुसार) : .....
   (सबडिवीजन/ले–आउट प्लान)
4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 16(7) अनुसार) : .....
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट : .....
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज (नियम 16(11) अनुसार) : .....

7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16(11) अनुसार) : .....
.....

8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21(2) (झ) अनुसार) : .....
.....

9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदक स्वामी से भिन्न हो) : .....
..

10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान : .....
.....

11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी : .....
.....

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित विकास कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे/हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर .....
आवेदक का नाम .....
आवेदक का पता .....
ई–मेल पता .....
दूरभाष/मोबाइल नम्बर .....
दिनांक .....

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिये)

विकास अथवा क्षेत्रिय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी .....

.....

.....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर/जिला ..... मौहल्ला/बाजार/तहसील ..... कालोनी/गली/ग्राम .... में भूखण्ड क्रमांक ..... खसरा क्रमांक भूमि के विकास/पुनर्विकास करने का इच्छुक हूं। क्षेत्र से सबंधित विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिये उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगे। विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर .....

आवेदक अथवा स्वामी का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता .....

दिनांक :– .....

परिशिष्ट–तीन

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 15.04.2010

क्रमांक–एफ–3–45/32/2010 : राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ–3–130/32/97 दिनांक 20.1.1998, आदेश क्रमांक एफ–3–55/32/98, दिनांक 12.8.1998 एवं आदेश क्रमांक एफ–3–130/32/97, दिनांक 3 मई 2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" को एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1	संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर।	अध्यक्ष
2	सांसद, संबंधित क्षेत्र	सदस्य
3	अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण	सदस्य
4	अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत	सदस्य
5	महापौर, संबंधित नगर पालिक निगम	सदस्य
6	निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायक	सदस्य
7	अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका	सदस्य
8	अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत	सदस्य
9	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
10	संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका/नगरपंचायत	सदस्य
11	लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
12	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
13	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री	सदस्य
14	संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
15	संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संबंधित जिला कार्यालय	सदस्य सचिव

(अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(ब) सदस्य सचिव विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का सकारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

(स) क्रियान्वयन संस्थायें अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही./–
(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग